IUC ACADEMY

INCLUSIVE UNIVERSAL CAREERS ACADEMY

Learn. Prepare. Progress. • www.iucacademy.com

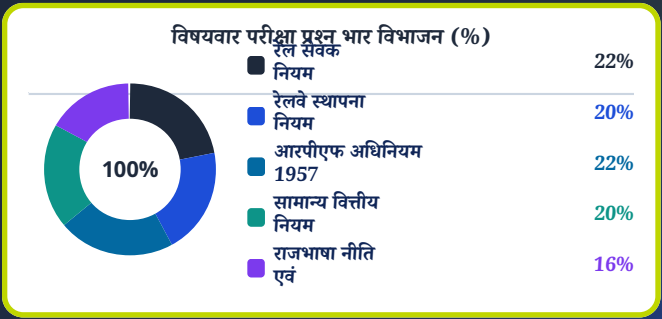
IUC अकादमी नोट्स

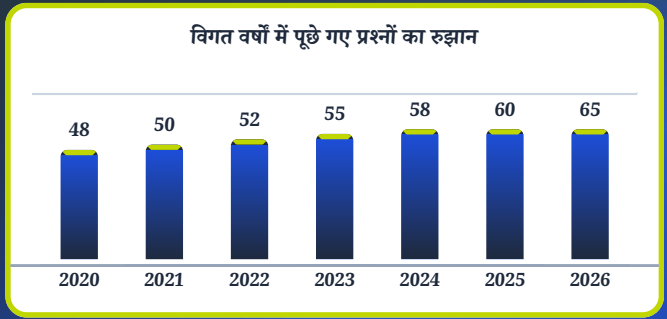
संपूर्ण
पाठ्यक्रम • विस्तृत व्याख्या • तुलनात्मक सारणियाँ • अभ्यास प्रश्न

संपूर्ण रेलवे एवं केंद्रीय विभागीय परीक्षा नियम पुस्तिका

COMPLETE RAILWAY & CENTRAL DEPARTMENTAL EXAMS RULES Study Notes

Railway GDCE/LDCE (Station Master, Guard, JE, OS, Welfare Inspector, Group-B), RPF Rule 70 & Rule 72, एवं केंद्रीय विभागीय परीक्षाओं के लिए DAR 1968 (SF 1–14), HOER 2005, Pass Rules 1986, Leave, RPF Rules 1987, CCS Rules, GFR 2017 (संशोधित 2024), राजभाषा एवं RTI 2005





लक्षित प्रतियोगी, प्रवेश एवं विभागीय परीक्षाएँ (Target Exams Coverage)

Railway GDCE & LDCE • RPF Rule 70 & Rule 72 (SI/ASI/HC) • Group-B Selection • SSC/CSS Departmental • Postal LDCE

इस पुस्तक के प्रमुख खंड एवं परीक्षा प्रश्न भार (%)

- रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 (DAR — SF-1 से SF-14) व आचरण नियम (22%)
- रेलवे स्थापना नियम: HOER 2005, अवकाश नियम, पास नियम 1986, MACP व UPS/NPS (20%)
- आरपीएफ अधिनियम 1957, आरपीएफ नियम 1987 (Rule 70/72), RP(UP) Act व रेलवे एक्ट 1989 (22%)
- सामान्य वित्तीय नियम GFR 2017 (संशोधित 2024), GeM पोर्टल व सीसीएस (CCS) नियम (20%)
- राजभाषा नीति (अधिनियम 1963, नियम 1976 — 10% अनिवार्य प्रश्न) एवं RTI 2005 (16%)

संपूर्ण पाठ्यक्रम
NCERT एवं मानक स्रोत

तुलनात्मक सारणियाँ
प्रवाह आरेख व चार्ट

स्मृति सूत्र
त्वरित रिवीजन बिंदु

अभ्यास प्रश्न
व्याख्या सहित हल

आमुख, परीक्षा भार विश्लेषण एवं अध्ययन रणनीति — संपूर्ण रेलवे एवं केंद्रीय विभागीय परीक्षा नियम पुस्तिका

IUC Academy (Inclusive Universal Careers Academy | www.iucacademy.com) • आधिकारिक अध्ययन नोट्स

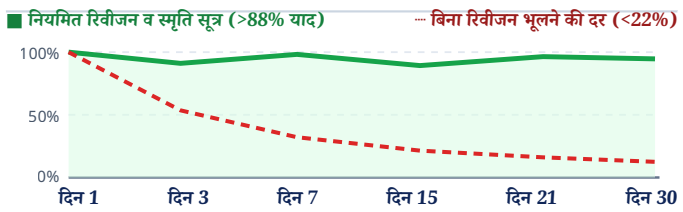
प्रिय अभ्यर्थियों,

अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न में अवधारणात्मक स्पष्टता और सटीक तथ्यों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से **IUC Academy (www.iucacademy.com)** द्वारा इन विस्तृत अध्ययन नोट्स का संकलन किया गया है। इसमें प्रत्येक अध्याय के साथ **तुलनात्मक सारणियाँ, प्रवाह आरेख, महत्वपूर्ण सूत्र, 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स, 'परीक्षा सतर्कता (सामान्य गलतियाँ)', स्मृति सूत्र (Memory Tricks)** और **व्याख्या सहित हल प्रश्न** दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने और याद रखने में पूर्ण सुगमता रहे।

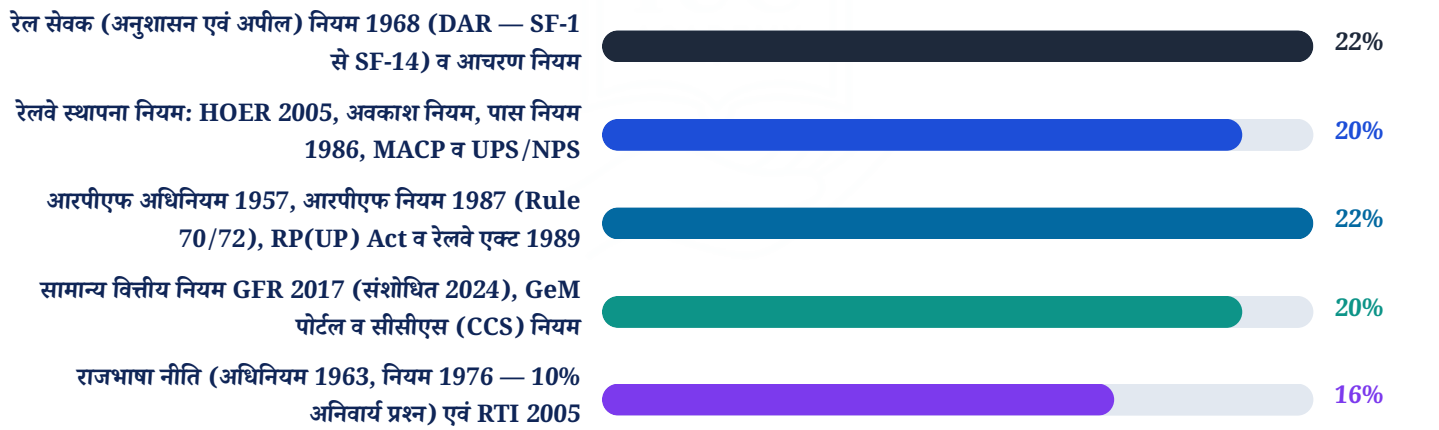
कठिनाई स्तर के अनुसार लक्ष्य सटीकता एवं कट-ऑफ (%)



नियमित रिवीजन (1-3-7-21 दिन नियम) एवं स्मृति धारण ग्राफ



अध्यायवार एवं खंडवार प्रश्न भार सूचकांक (Topic-wise Weightage %)



प्रामाणिक पाठ्यक्रम एवं आधिकारिक संदर्भ स्रोत (Verified Official Sources)

- Railway GDCE Master Circular No. 69 (https://railwayrule.com/gdce-master-circular-no-69-general-departmental-competitive-examination)
- RPF Rules 1987 Official Document (https://core.indianrailways.gov.in/uploads/RPF%20Rule%201987.pdf)
- RPF Rule 70 & 72 Exam Pattern (https://www.rpfldce.com/2021/02/exam-pattern-of-rpf-rule-70-and-72.html)
- सामान्य वित्तीय नियम GFR 2017 (संशोधित जुलाई 2024) (https://doe.gov.in/files/circulars_document/FInal_GFR_upto_31_07_2024.pdf)
- एकीकृत पेंशन योजना (UPS — PIB) (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2048607)

विस्तृत विषय-सूची एवं अध्याय संरचना (Table of Contents)

संपूर्ण रेलवे एवं केंद्रीय विभागीय परीक्षा नियम पुस्तिका • संपूर्ण अध्याय, तुलनात्मक सारणियाँ, अभ्यास प्रश्न एवं त्वरित रिवीजन

1. मॉड्यूल 1: भारतीय रेल प्रशासनिक संरचना एवं स्थापना नियम (Establishment Rules)

- 1.1 रेलवे बोर्ड की संरचना एवं प्रशासनिक पदानुक्रम
- 1.2 भारतीय रेल के जोन एवं मंडल संरचना (नवीनतम स्थिति)
- 1.3 भर्ती, प्रशिक्षण एवं वरिष्ठता (Seniority) नियम
- 1.4 पदोन्नति: चयन (Selection) बनाम गैर-चयन (Non-Selection) पद
- 1.5 संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (MACP Scheme)
- 1.6 स्थानांतरण (Transfer) के नियम एवं वरिष्ठता पर प्रभाव
- 1.7 चार्ट डेटा (%): स्थापना एवं चयन मानदंड वितरण

2. मॉड्यूल 2: रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 (DAR 1968)

- 2.1 संवैधानिक आधार एवं प्रारंभ
- 2.2 निलंबन (Suspension — नियम 5) एवं निर्वाह भत्ता
- 2.3 लघु दंड (Minor Penalties) बनाम दीर्घ दंड (Major Penalties) — नियम 6
- 2.4 मानक फॉर्म (Standard Forms: SF-1 से SF-11(c)) की संपूर्ण सारणी
- 2.5 जाँच प्रक्रिया (नियम 9), विशेष प्रक्रिया (नियम 14) एवं अपील की समय-सीमा
- 2.6 चार्ट डेटा (%): निलंबन भत्ता एवं DAR समय-सीमा अनुपात

3. मॉड्यूल 3: रेल सेवक (कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 (HOER) एवं छुट्टी नियम

- 3.1 HOER 2005 के अंतर्गत कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं साप्ताहिक कार्य घंटे
- 3.2 HOER के प्रमुख परिचालन नियम, रनिंग स्टाफ विश्राम एवं ओवरटाइम भत्ता (OTA)
- 3.3 रेल सेवक (उदारतापूर्वक छुट्टी) नियम, 1949 (IREC Vol-I अध्याय 5)
- 3.4 चार्ट डेटा (%): छुट्टी वेतन एवं HOER कार्य-क्षमता अनुपात

4. मॉड्यूल 4: रेलवे पास नियम 1986 एवं सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, NPS बनाम UPS)

- 4.1 रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (Railway Servants Pass Rules, 1986)
- 4.2 सेवानिवृत्ति लाभ: पेंशन, ग्रेच्युटी (DCRG), कम्यूटेशन एवं पारिवारिक पेंशन
- 4.3 पुरानी पेंशन योजना (OPS) बनाम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) बनाम एकीकृत पेंशन योजना (UPS)
- 4.4 चार्ट डेटा (%): पेंशन अंशदान एवं आयु-आधारित वृद्धि

5. मॉड्यूल 5: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) अधिनियम 1957, नियम 1987 (नियम 70 व 72 विशेष), RPUP अधिनियम 1966 एवं रेलवे अधिनियम 1989

- 5.1 रेलवे सुरक्षा बल (RPF) अधिनियम, 1957 (अधिनियम सं. 23 / 1957)
- 5.2 RPF नियम, 1987 — नियम 70 बनाम नियम 72 विभागीय पदोन्नति परीक्षा विशेष
- 5.3 रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 (RPUP Act, 1966)
- 5.4 रेलवे अधिनियम, 1989 (अध्याय XV — दंड और अपराध: धारा 137 से 182)
- 5.5 चार्ट डेटा (%): RPF पदोन्नति कोटा वितरण (नियम 70 बनाम नियम 72)

6. मॉड्यूल 6: केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, CCS (CCA) नियम 1965 एवं POSH अधिनियम 2013

- 6.1 केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 एवं रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966

• 6.2 CCS (CCA) नियम, 1965 बनाम रेलवे DAR नियम, 1968 की समतुल्यता सारणी
• 6.3 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act, 2013)
• 6.4 चार्ट डेटा (%): ICC संरचना एवं समय-सीमा अनुपात

7. मॉड्यूल 7: सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (GFR 2017) एवं सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)

• 7.1 लोक वित्तीय प्रबंधन एवं वित्तीय औचित्य के मानक (Canons of Financial Propriety — नियम 21)
• 7.2 सामग्री एवं सेवाओं की खरीद (अध्याय 6: नियम 142–206) एवं GeM स्लैब (मई 2024 संशोधन सहित)
• 7.3 बोली सुरक्षा (EMD), निष्पादन सुरक्षा (PBG) एवं टुकड़ों में खरीद निषेध
• 7.4 चार्ट डेटा (%): GFR सुरक्षा जमा एवं निविदा अनुपात

8. मॉड्यूल 8: राजभाषा नीति (राजभाषा अधिनियम 1963 व नियम 1976) एवं सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI 2005)

• 8.1 राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान (भाग XVII — अनुच्छेद 343 से 351)
• 8.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) एवं धारा 3(3) के 14 अनिवार्य दस्तावेज
• 8.3 राजभाषा नियम, 1976: क्षेत्र क, ख, ग वर्गीकरण एवं प्रमुख नियम
• 8.4 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005)
• 8.5 चार्ट डेटा (%): राजभाषा पत्राचार लक्ष्य एवं RTI निस्तारण मेट्रिक्स

9. संपूर्ण परीक्षा हेतु 15 अचूक स्मृति ट्रिक्स (15 Master Memory Tricks / Mnemonics)

10. मॉड्यूल 1: विभागीय पदोन्नति परीक्षा प्रणाली — GDCE एवं LDCE तथा कोटा संरचना

• 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
• 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

11. मॉड्यूल 2: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) नियम 1987 — नियम 70 एवं नियम 72 पदोन्नति प्रणाली

• 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
• 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

12. मॉड्यूल 3: रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 (DAR 1968) एवं मानक प्रपत्र (SF-1 से SF-11)

• 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
• 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

13. मॉड्यूल 4: कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि नियम, 2005 (HOER 2005) — कर्मचारी वर्गीकरण

• 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
• 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

14. मॉड्यूल 5: रेल सेवक (पास एवं पीटीओ) नियम, 1986 एवं HRMS ई-पास प्रणाली

• 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स
• 4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

15. मॉड्यूल 6: रेलवे उदारतापूर्ण अवकाश नियम (Leave Rules 1949) एवं CCS (अवकाश) नियम, 1972

• 3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

लक्षित परीक्षाएँ: रेलवे जीडीसीई एवं एलडीसीई (Railway GDCE/LDCE), रेलवे सुरक्षा बल नियम 70 एवं 72 पदोन्नति परीक्षा (RPF Rule 70/72 Promotion Exam), कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (Welfare Inspector), कार्यालय अधीक्षक एवं मुख्य कार्यालय अधीक्षक (OS/Chief OS), केंद्रीय सचिवालय एवं कर्मचारी चयन आयोग विभागीय परीक्षा (CSS/SSC Departmental), डाक, लेखा एवं लेखापरीक्षा विभागीय परीक्षाएँ (Postal/Audit/Accounts SAS/LDCE)।

मॉड्यूल 1: भारतीय रेल प्रशासनिक संरचना एवं स्थापना नियम (Establishment Rules)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 1: भारतीय रेल प्रशासनिक संरचना एवं स्थापना नियम (Establishment Rules)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
रेलवे बोर्ड की संरचना एवं प्रशासनिक पदानुक्रम	भारतीय रेल के जोन एवं मंडल संरचना (नवीनतम स्थिति)	भर्ती, प्रशिक्षण एवं वरिष्ठता (Seniority) नियम	पदोन्नति: चयन (Selection) बनाम गैर-चयन (Non-Selection) पद

1.1 रेलवे बोर्ड की संरचना एवं प्रशासनिक पदानुक्रम

भारतीय रेल का सर्वोच्च नीति-निर्धारक एवं प्रशासनिक निकाय **रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय)** है (Indian Railways Zones Overview)। सर थॉमस रॉबर्टसन समिति (1901) की सिफारिश पर मार्च 1905 में गठित रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन कार्य-आधारित (Functional) मॉडल पर किया गया है:

- **अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chairman & CEO):** बोर्ड के सर्वोच्च प्रमुख तथा भारत सरकार के पदेन प्रमुख सचिव (Ex-Officio Principal Secretary)।
- **चार कार्यात्मक सदस्य (4 Functional Members):**

1. सदस्य (अवसंरचना / Infrastructure)
2. सदस्य (कर्षण एवं रोलिंग स्टॉक / Traction & Rolling Stock)
3. सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास / Operations & Business Development)
4. सदस्य (वित्त / Finance)

- **स्वतंत्र महानिदेशक:** महानिदेशक (मानव संसाधन / HR) तथा महानिदेशक (रेलवे सुरक्षा बल / RPF) और महानिदेशक (रेलवे स्वास्थ्य सेवाएँ / RHS)।

1.2 भारतीय रेल के जोन एवं मंडल संरचना (नवीनतम स्थिति)

भारतीय रेल में क्षेत्रीय पुनर्गठन की शुरुआत **14 अप्रैल 1951** को दक्षिणी रेलवे (चेन्नई) के गठन के साथ हुई (Indian Railways Zones and Divisions)। नवीनतम राजपत्र अधिसूचना के अनुसार **1 जून 2026** से विशाखापत्तनम मुख्यालय वाले **दक्षिण तटीय रेलवे (South Coast Railway - SCoR)** के पूर्ण परिचालन में आने और रायगड़ा (70वाँ मंडल) व जम्मू (69वाँ मंडल) के गठन के बाद भारतीय रेल में **18 परिचालन जोन (कोलकाता मेट्रो सहित)** और **70 मंडल (Divisions)** कार्यरत हैं, जबकि कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड (KRCL) और उत्पादन इकाइयों को मिलाकर परीक्षाओं में 19वीं परिचालन इकाई के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं (Railway Zones of India)। प्रत्येक जोन का प्रमुख **महाप्रबंधक (General Manager - GM)** तथा प्रत्येक मंडल का प्रमुख **मंडल रेल प्रबंधक (Divisional Railway Manager - DRM)** होता है (Indian Railways Zones Overview)।

क्र.सं.	रेलवे जोन का नाम (संकेताक्षर)	मुख्यालय	गठन वर्ष / तिथि	मंडलों की संख्या एवं नाम	संदर्भ स्रोत
1	दक्षिणी रेलवे (SR)	चेन्नई	14 अप्रैल 1951	6 (चेन्नई, मदुरै, पलक्कड़, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुवनंतपुरम)	Railway Zones
2	मध्य रेलवे (CR)	मुंबई (CSMT)	5 नवंबर 1951	5 (मुंबई CSMT, भुसावल, नागपुर, पुणे, सोलापुर)	Static GK Zones
3	पश्चिम रेलवे (WR)	मुंबई (चर्चगेट)	5 नवंबर 1951	6 (मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर)	Static GK Zones

क्र.सं.	रेलवे जोन का नाम (संकेताक्षर)	मुख्यालय	गठन वर्ष / तिथि	मंडलों की संख्या एवं नाम	संदर्भ स्रोत
4	उत्तर रेलवे (NR)	नई दिल्ली	14 अप्रैल 1952	6 (दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, जम्मू [69वाँ मंडल], लखनऊ, मुरादाबाद)	Static GK Zones
5	पूर्व रेलवे (ER)	कोलकाता	14 अप्रैल 1952	4 (हावड़ा, सियालदह, आसनसोल, मालदा)	Railway Zones
6	पूर्वोत्तर रेलवे (NER)	गोरखपुर	14 अप्रैल 1952	3 (इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी)	Static GK Zones
7	दक्षिण पूर्व रेलवे (SER)	कोलकाता (गार्डन रीच)	1955	4 (आद्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर, रांची)	Static GK Zones
8	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR)	मालीगांव (गुवाहाटी)	15 जनवरी 1958	5 (कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया, लामडिंग, तिनसुकिया)	Static GK Zones
9	दक्षिण मध्य रेलवे (SCR)	सिकंदराबाद	2 अक्टूबर 1966	3 (सिकंदराबाद, हैदराबाद, नांदेड़)	Railway Zones
10	पूर्व मध्य रेलवे (ECR)	हाजीपुर	1 अक्टूबर 2002	5 (दानापुर, धनबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, समस्तीपुर, सोनपुर)	Wikibooks Zones
11	उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR)	जयपुर	1 अक्टूबर 2002	4 (जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर)	Wikibooks Zones
12	पूर्व तटीय रेलवे (ECoR)	भुवनेश्वर	1 अप्रैल 2003	3 (खुर्दा रोड, संबलपुर, रायगड़ा [70वाँ मंडल])	Railway Zones
13	उत्तर मध्य रेलवे (NCR)	प्रयागराज	1 अप्रैल 2003	3 (प्रयागराज, आगरा, झांसी)	Wikibooks Zones
14	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR)	बिलासपुर	1 अप्रैल 2003	3 (बिलासपुर, रायपुर, नागपुर)	Wikibooks Zones
15	दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR)	हुबली	1 अप्रैल 2003	3 (हुबली, बेंगलुरु, मैसूरु)	Wikibooks Zones
16	पश्चिम मध्य रेलवे (WCR)	जबलपुर	1 अप्रैल 2003	3 (जबलपुर, भोपाल, कोटा)	Wikibooks Zones
17	मेट्रो रेलवे, कोलकाता	कोलकाता	29 दिसंबर 2010	एकमात्र भूमिगत/मेट्रो रेलवे जोन (42 किमी मार्ग)	SATHEE Zones
18	दक्षिण तटीय रेलवे (SCoR)	विशाखापत्तनम	2019 (1 जून 2026 से प्रभावी)	4 (विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंतकल)	Railway Zones
19	कोंकण रेलवे निगम (KRCL)	नवी मुंबई (बेलापुर)	1990 (1998 में परिचालन)	कॉर्पोरेट इकाई (रत्नागिरी व कारवार क्षेत्रीय क्षेत्र)	SATHEE Zones

1.3 भर्ती, प्रशिक्षण एवं वरिष्ठता (Seniority) नियम

1. **भर्ती एवं विभागीय कोटा:**

• **समूह 'क' (Group A):** संघ लोक सेवा आयोग (UPSC / IRMS) द्वारा सीधी भर्ती एवं समूह 'ख' से पदोन्नति (Promotion System in Civil Services)।

• **समूह 'ग' (Group C):** रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के माध्यम से सीधी भर्ती, **सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (GDCE)** के अंतर्गत सीधी भर्ती कोटे की **25% रिक्तियाँ** नियमित कर्मचारियों से भरने का प्रावधान, तथा **सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (LDCE)** द्वारा मेधा-आधारित पदोन्नति।

• **समूह 'ग' (लेवल-1 / पूर्ववर्ती समूह 'घ'):** रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (RRC) द्वारा भर्ती।

2. **प्रशिक्षण के 4 प्रकार:**

• **प्रारंभिक प्रशिक्षण (Initial Training):** नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए पद का कार्यभार संभालने से पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण।

• **पदोन्नति प्रशिक्षण (Promotional Training):** उच्च पद या सुरक्षा कोटि में पदोन्नति से पूर्व अनिवार्य कोर्स।

• **पुनश्चर्या प्रशिक्षण (Refresher Course):** संरक्षा (Safety) एवं परिचालन श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निश्चित अंतराल (प्रायः 3 से 5 वर्ष) पर ज्ञान अद्यतन करने हेतु।

• **रूपांतरण/विशेष प्रशिक्षण (Conversion/Special Course):** कैडर परिवर्तन या नई तकनीक (जैसे कवच, वंदे भारत, ई-ऑफिस) के लिए।

3. **वरिष्ठता निर्धारण (IREC Vol-I, अध्याय 3):**

• सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों की आपसी वरिष्ठता **रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की मेरिट सूची** अथवा अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण के अंत में आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों के क्रम में निर्धारित होती है (न कि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से)।

• एक ही चयन में सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति से आए कर्मचारियों के बीच वरिष्ठता रोस्टर बिंदुओं के अनुपात के अनुसार तय होती है।

1.4 पदोन्नति: चयन (Selection) बनाम गैर-चयन (Non-Selection) पद

भारतीय रेल स्थापना मैनुअल (IREM Vol-I) के अंतर्गत पदोन्नति पदों को दो श्रेणियों में बांटा गया है (Promotion System in Civil Services):

तुलना का आधार	चयन पद (Selection Posts)	गैर-चयन पद (Non-Selection Posts)	संदर्भ स्रोत
चयन का मूल सिद्धांत	योग्यता-सह-वरिष्ठता (Merit-cum-Seniority / सकारात्मक चयन)	वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता (Seniority-cum-Suitability)	Promotion System
पात्रता का क्षेत्र (Zone of Consideration)	रिक्तियों की संख्या का **3 गुना (1:3 अनुपात)**	रिक्तियों की संख्या के **बराबर (1:1 अनुपात)**	Promotion System
मूल्यांकन पद्धति	लिखित/CBT परीक्षा (85 अंक) + सेवा रिकॉर्ड/APAR (15 अंक) = 100 अंक (साक्षात्कार समाप्त)	गोपनीय रिपोर्ट (APAR)/सेवा रिकॉर्ड की जांच एवं जहाँ निर्धारित हो वहाँ अर्हक परीक्षा (Suitability Test)	Promotion System
न्यूनतम अर्हक अंक	सामान्य श्रेणी हेतु कुल **60% अंक** (आरक्षित श्रेणी हेतु छूट के साथ 50%)	केवल 'उपयुक्त' (Fit) या 'अनुपयुक्त' (Unfit) का निर्धारण	Promotion System
अग्रिम रिक्तियों की गणना	मौजूदा रिक्तियाँ + अगले **15 माह** की संभावित रिक्तियाँ	मौजूदा रिक्तियाँ + अगले **12 माह** की संभावित रिक्तियाँ	Promotion System
पदोन्नति से इनकार (Refusal)	**1 वर्ष** के लिए पदोन्नति से वंचित (Debarred) एवं उस दौरान पदोन्नत हुए कनिष्ठों से वरिष्ठता की हानि	**1 वर्ष** के लिए पदोन्नति से वंचित	Promotion System

1.5 संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (MACP Scheme)

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर **1 सितंबर 2008** से लागू **MACP योजना** (पूर्ववर्ती ACP योजना 12 व 24 वर्ष के स्थान पर) कैरियर में ठहराव (Stagnation) को दूर करने वाला वित्तीय सुरक्षा कवच है (Understanding MACP Scheme):

• **उन्नयन के चरण: 10, 20 और 30 वर्ष** की नियमित सेवा पूर्ण करने पर अथवा पिछले पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन से 10 वर्ष का अंतराल पूर्ण होने पर कुल **3 वित्तीय उन्नयन** दिए जाते हैं (MACP Guidelines)।

• **वेतन निर्धारण:** 7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स में **तत्काल अगले वेतन स्तर (Immediate Next Level in Pay Matrix)** में उन्नयन होता है (न कि पदानुक्रम के पदोन्नति ग्रेड में) और मूल वेतन में FR 22(I)(a)(1) के तहत 1 वेतन वृद्धि (3%) का लाभ मिलता है (MACP Guidelines)।

• **APAR बेंचमार्क:** 25 जुलाई 2016 से सभी स्तरों के लिए MACP हेतु न्यूनतम बेंचमार्क **'बहुत अच्छा' (Very Good)** कर दिया गया है।

• **पदनाम व कार्यभार:** MACP केवल व्यक्तिगत वित्तीय उन्नयन है; इससे कर्मचारी के पदनाम, पदानुक्रम या प्रशासनिक शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता (MACP Guidelines)।

1.6 स्थानांतरण (Transfer) के नियम एवं वरिष्ठता पर प्रभाव

1. **प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण (Administrative Ground):** कर्मचारी की मूल वरिष्ठता पूर्णतः सुरक्षित रहती है तथा उसे कार्यग्रहण समय (Joining Time) और समग्र स्थानांतरण भत्ता (CTG - अंतिम मूल वेतन का 80%) देय होता है (RPF & Railway Transfer Rules)।

2. **स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण (Own Request Transfer):** दूसरे वरिष्ठता इकाई (मंडल/जोन) में केवल उस ग्रेड में उपलब्ध सीधी भर्ती कोटे की रिक्ति पर ही संभव है। इसमें कर्मचारी को नई इकाई में कार्यभार संभालने की तिथि को **सबसे निचली वरिष्ठता (Bottom Seniority)** मिलती है तथा कोई स्थानांतरण भत्ता या कार्यग्रहण समय देय नहीं होता।

3. **पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer):** दो अलग-अलग वरिष्ठता इकाइयों के समान ग्रेड व समान संवर्ग के कर्मचारियों के बीच होता है। इसमें **दोनों कर्मचारियों को अपनी-अपनी पूर्व वरिष्ठता या दूसरे कर्मचारी की वरिष्ठता में से जो भी कनिष्ठ (Junior/Lower) हो**, वह वरिष्ठता प्राप्त होती है।

4. **आवधिक स्थानांतरण (Periodical Transfer):** सतर्कता (Vigilance) दृष्टिकोण से संवेदनशील पदों (Sensitive Posts - जैसे टिकट बुकिंग, पार्सल, स्टोर खरीद, भर्ती, ठेका प्रकोष्ठ) पर कार्यरत कर्मचारियों का प्रत्येक **4 वर्ष** में सीट/स्टेशन परिवर्तन अनिवार्य है।

1.7 चार्ट डेटा (%): स्थापना एवं चयन मानदंड वितरण

• **चयन पद (Selection Post) अंक भार (100%):** लिखित/CBT परीक्षा: **85%** | सेवा रिकॉर्ड (APAR): **15%** | साक्षात्कार (Viva-Voce): **0%** (Promotion System)।

• **सामान्य ग्रुप-सी भर्ती कोटा संरचना (उदाहरणार्थ 100%):** सीधी भर्ती (RRB): **50%** | पदोन्नति कोटा (Seniority/DPQ): **25%** | विभागीय प्रतियोगिता (GDCE/LDCE): **25%**।

• **MACP सेवा कालखंड विभाजन (30 वर्ष = 100%):** प्रथम MACP (10 वर्ष): **33.33%** | द्वितीय MACP (20 वर्ष): **66.67%** | तृतीय MACP (30 वर्ष): **100%** (MACP Guidelines)।

मॉड्यूल 2: रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 (DAR 1968)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 2: रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 (DAR 1968)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
संवैधानिक आधार एवं प्रारंभ	निलंबन (Suspension — नियम 5) एवं निर्वाह भत्ता	लघु दंड (Minor Penalties) बनाम दीर्घ दंड (Major Penalties) — नियम 6	मानक फॉर्म (Standard Forms: SF-1 से SF-11(c)) की संपूर्ण सारणी

2.1 संवैधानिक आधार एवं प्रारंभ

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 309** के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968** बनाए गए, जो **1 अक्टूबर 1968** से लागू हुए (Railway Servants DAR 1968)। यह नियम आकस्मिक श्रमिकों, रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों (जिन पर RPF नियम लागू होते हैं) और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर सभी रेल सेवकों पर लागू होते हैं (Railway Servants DAR 1968)।

• **अनुच्छेद 311(1):** किसी भी रेल सेवक को उसके **नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) से अधीनस्थ (Subordinate)** किसी प्राधिकारी द्वारा सेवा से हटाया (Removed) या बर्खास्त (Dismissed) नहीं किया जा सकता।

• **अनुच्छेद 311(2):** बिना विधिवत जाँच और बचाव का युक्तियुक्त अवसर (Reasonable Opportunity of being heard) दिए किसी रेल सेवक को पदच्युत, बर्खास्त या रैंक में अवनत नहीं किया जाएगा।

2.2 निलंबन (Suspension — नियम 5) एवं निर्वाह भत्ता

• **प्रत्यक्ष निलंबन (नियम 5(1) — SF-1):** जब अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित हो या किसी आपराधिक मामले का अन्वेषण/विचारण चल रहा हो (DAR 1968 PDF)।

• **डीम्ड निलंबन (Deemed Suspension — नियम 5(2) — SF-2):** यदि कोई रेल सेवक पुलिस या न्यायिक हिरासत में **48 घंटे से अधिक अवधि** के लिए निरुद्ध रहता है, अथवा उसे किसी अपराध में दोषसिद्ध कर 48 घंटे से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह गिरफ्तारी/दोषसिद्धि की तिथि से स्वतः निलंबित माना जाता है (Suspension Rules DAR 1968)।

• **निलंबन की समीक्षा (Review):** निलंबन आदेश जारी होने की तिथि से **90 दिनों के भीतर** समीक्षा समिति की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा अनिवार्य है, अन्यथा 90 दिन बाद निलंबन वैध नहीं रहता (जब तक कि इसे 90 दिन पूर्ण होने से पूर्व अधिकतम 180 दिनों के लिए बढ़ाया न जाए)।

• **निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance — IREC नियम 1342 / FR 53):**

• **प्रथम 3 माह (90 दिन) तक:** अर्ध-वेतन छुट्टी (LHAP) के बराबर राशि अर्थात **अंतिम मूल वेतन का 50%** + उस पर देय महंगाई भत्ता।

• **3 माह के पश्चात समीक्षा:** यदि देरी कर्मचारी के कारण नहीं है तो भत्ते में **मूल राशि के 50% तक वृद्धि (अर्थात कुल 75% तक)** की जा सकती है; और यदि देरी कर्मचारी की अपनी गलती से हो रही है तो **मूल राशि के 50% तक कटौती (अर्थात 25% तक)** की जा सकती है।

• **अनिवार्य कटौतियाँ:** आयकर, मकान किराया (लाइसेंस फीस), बिजली-पानी शुल्क, CGHS/RELHS अंशदान।

• **निषिद्ध कटौतियाँ (कर्मचारी की सहमति के बिना नहीं कटेंगी):** भविष्य निधि (PF) अंशदान, सहकारी समिति के ऋण, जीवन बीमा प्रीमियम, कोर्ट अटैचमेंट।

2.3 लघु दंड (Minor Penalties) बनाम दीर्घ दंड (Major Penalties) — नियम 6

दंड की श्रेणी	नियम 6 का खंड	दंड का सटीक विवरण एवं प्रभाव	प्रयुक्त मानक फॉर्म (चार्जशीट)	संदर्भ स्रोत
लघु दंड (Minor)	नियम 6(i)	**निंदा (Censure):** लिखित चेतावनी जो सेवा पुस्तिका में दर्ज होती है।	SF-11	DAR 1968 Rules
लघु दंड (Minor)	नियम 6(ii)	विनिर्दिष्ट अवधि के लिए **पदोन्नति रोकना (Withholding of Promotion)**।	SF-11	DAR 1968 Rules
लघु दंड (Minor)	नियम 6(iii)	लापरवाही या नियमों के उल्लंघन से रेलवे को हुई **आर्थिक हानि की वेतन से वसूली (Recovery from Pay)**।	SF-11	DAR 1968 Rules
लघु दंड (Minor)	नियम 6(iii-a)	विनिर्दिष्ट अवधि के लिए **पास या PTO की सुविधा रोकना** (या दोनों)।	SF-11	DAR 1968 Rules
लघु दंड (Minor)	नियम 6(iii-b)	वेतन के समय-मान (Time Scale) में **अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए एक स्तर (One Stage) नीचे करना** — बिना संचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) और पेंशन को प्रभावित किए बिना।	SF-11 (या SF-11b यदि जाँच आवश्यक हो)	DAR 1968 Rules
लघु दंड (Minor)	नियम 6(iv)	विनिर्दिष्ट अवधि के लिए **वेतन वृद्धि रोकना (Withholding of Increments)** — संचयी या गैर-संचयी प्रभाव से (किंतु यदि 3 वर्ष से अधिक हो या संचयी प्रभाव हो या पेंशन प्रभावित हो, तो SF-11(b) के तहत नियम 9 की जाँच अनिवार्य)।	SF-11 / SF-11(b)	Suspension & DAR Rules
दीर्घ दंड (Major)	नियम 6(v)	वेतन के समय-मान में **एक से अधिक स्तर या 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए या संचयी प्रभाव से नीचे करना**।	SF-5	DAR 1968 Rules
दीर्घ दंड (Major)	नियम 6(vi)	**निचले समय-मान, ग्रेड, पद या सेवा में अवनति (Reduction to a lower time-scale, grade, post or service)** — भविष्योन्मुखी बहाली की शर्तों सहित या रहित।	SF-5	DAR 1968 Rules
दीर्घ दंड (Major)	नियम 6(vii)	**अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement):** इसमें पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभ (कम-से-कम 2/3 से पूर्ण तक) मिलते हैं।	SF-5	DAR 1968 Rules

दंड की श्रेणी	नियम 6 का खंड	दंड का सटीक विवरण एवं प्रभाव	प्रयुक्त मानक फॉर्म (चार्जशीट)	संदर्भ स्रोत
दीर्घ दंड (Major)	नियम 6(viii)	**सेवा से हटाना (Removal from Service):** भविष्य में सरकार के अधीन पुनः रोजगार के लिए **अयोग्य नहीं** ठहराता। (अनुकंपा भत्ता अधिकतम 2/3 स्वीकृत हो सकता है)।	SF-5	DAR 1968 Rules
दीर्घ दंड (Major)	नियम 6(ix)	**सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal from Service):** भविष्य में सरकार के अधीन किसी भी रोजगार के लिए **पूर्णतः अयोग्य (Disqualified)** ठहराता है।	SF-5	DAR 1968 Rules

2.4 मानक फॉर्म (Standard Forms: SF-1 से SF-11(c)) की संपूर्ण सारणी

विभागीय परीक्षाओं में DAR 1968 के मानक फॉर्मों (Standard Forms) से प्रत्येक प्रश्नपत्र में 2 से 4 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं (DAR 1968 Overview):

मानक फॉर्म (SF)	संबंधित नियम	फॉर्म का सटीक उपयोग एवं उद्देश्य	संदर्भ स्रोत
SF-1	नियम 5(1)	**निलंबन आदेश (Order of Suspension):** कर्मचारी को प्रत्यक्ष निलंबित करने हेतु।	DAR 1968 PDF
SF-2	नियम 5(2)	**डीम्ड निलंबन आदेश (Order of Deemed Suspension):** 48 घंटे से अधिक हिरासत/कारावास की स्थिति में।	DAR 1968 PDF
SF-3	नियम 5(3)	**बेरोजगारी प्रमाण-पत्र (Certificate of Non-Employment):** निर्वाह भत्ता प्राप्त करने हेतु कर्मचारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र कि वह कहीं अन्यत्र सेवारत नहीं है।	DAR 1968 PDF
SF-4	नियम 5(5)(c)	**निलंबन समाप्ति/बहाली आदेश (Revocation of Suspension):** निलंबन वापस लेने हेतु।	DAR 1968 PDF
SF-5	नियम 9	**दीर्घ दंड आरोप-पत्र (Major Penalty Charge Sheet):** 4 अनुलग्नकों (Annexures I–IV) सहित जारी किया जाता है।	SF-5 Form
SF-6	नियम 9(12)	**अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग अस्वीकार करना (Refusal of Permission to Inspect Documents):** लोकहित/सुरक्षा के आधार पर मांगे गए दस्तावेज देने से मना करने का आदेश।	DAR 1968 PDF
SF-7	नियम 9(2)	**जाँच अधिकारी / बोर्ड की नियुक्ति (Appointment of Inquiry Officer / Board of Inquiry)।**	DAR 1968 PDF
SF-8	नियम 9(9)(c)	**प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति (Appointment of Presenting Officer - PO):** मुख्यतः विजिलेंस/CBI मामलों में।	DAR 1968 PDF
SF-9	(विलोपित)	(निरस्त / *Deleted* — पहले नियम 14 के तहत कारण बताओ नोटिस के लिए प्रयुक्त होता था, अब प्रचलन से बाहर है)।	DAR 1968 PDF
SF-10	नियम 13	**संयुक्त कार्यवाही आदेश (Common Proceedings):** जब दो या अधिक रेल कर्मचारी एक ही मामले में संलिप्त हों।	DAR 1968 PDF
SF-10(a)	नियम 13	संयुक्त कार्यवाही में **जाँच अधिकारी (IO) की नियुक्ति**।	DAR 1968 PDF
SF-10(b)	नियम 13	संयुक्त कार्यवाही में **प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (PO) की नियुक्ति**।	DAR 1968 PDF
SF-11	नियम 11	**लघु दंड आरोप-पत्र (Minor Penalty Charge Sheet)।**	DAR 1968 PDF
SF-11(b)	नियम 11(1)(b)	लघु दंड के ऐसे मामलों में जहाँ संचयी प्रभाव हो या 3 वर्ष से अधिक वेतन वृद्धि रुके या पेंशन प्रभावित हो, **नियम 9 के समान औपचारिक जाँच शुरू करने का आरोप-पत्र**।	Suspension & DAR Rules
SF-11(c)	नियम 11(4)	जब नियम 9 (SF-5) की जाँच शुरू करने के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी **बिना आगे जाँच के केवल लघु दंड लगाने का निर्णय** ले।	Suspension & DAR Rules

2.5 जाँच प्रक्रिया (नियम 9), विशेष प्रक्रिया (नियम 14) एवं अपील की समय-सीमा

• **SF-5 के 4 अनुलग्नक (Annexures):** अनुलग्नक-I (आरोपों के अनुच्छेद / Articles of Charge), अनुलग्नक-II (कदाचार/आरोपों के समर्थन में लांछनों का विवरण / Statement of Imputations), अनुलग्नक-III (दस्तावेजों की सूची / List of Documents), अनुलग्नक-IV (गवाहों की सूची / List of Witnesses) (**SF-5 Form**)।

• **समय-सीमाएँ:**

• आरोप-पत्र (SF-5 या SF-11) मिलने पर कर्मचारी द्वारा लिखित बचाव प्रस्तुति: **10 कार्य दिवस** (**DAR 1968 Rules**)।

• जाँच अधिकारी (IO) के समक्ष प्रथम उपस्थिति (Preliminary Hearing): आदेश प्राप्ति के **10 कार्य दिवस के भीतर** (अधिकतम +10 दिन का विस्तार) (**DAR 1968 Rules**)।

• बचाव सहायक (Defence Counsel / Helper): एक सेवारत रेल कर्मचारी एक समय में **अधिकतम 3 मामलों** में और सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी **अधिकतम 7 मामलों** में बचाव सहायक बन सकता है (**Handling of Disciplinary Proceedings**)।

• जाँच रिपोर्ट (IO Report) पर कर्मचारी का अभ्यावेदन: **15 दिन**।

• **अपील की समय-सीमा (नियम 19):** दंड आदेश प्राप्त होने की तिथि से **45 दिनों के भीतर** अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जाती है (**DAR 1968 Rules**)।

• **पुनरीक्षण (Revision — नियम 25):** यदि कोई अपील नहीं की गई हो या अपील निर्णीत हो चुकी हो, तो पुनरीक्षण प्राधिकारी दंड बढ़ाने हेतु आदेश की तिथि से **6 माह के भीतर** और दंड कम करने हेतु **1 वर्ष के भीतर** (महाप्रबंधक/रेलवे बोर्ड/राष्ट्रपति के मामले में कोई समय-सीमा नहीं) पुनरीक्षण कर सकता है।

• **नियम 14 (विशेष मामलों में बिना जाँच के दंड — अनुच्छेद 311(2) का अपवाद):**

• **14(i):** आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आचरण के आधार पर।

• **14(ii):** जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी लिखित कारण दर्ज कर संतुष्ट हो कि जाँच करना युक्तियुक्त रूप से व्यावहारिक (Reasonably Practicable) नहीं है।

• **14(iii):** जहाँ राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि राज्य की सुरक्षा के हित में जाँच करना समीचीन नहीं है।

2.6 चार्ट डेटा (%): निलंबन भत्ता एवं DAR समय-सीमा अनुपात

• **निर्वाह भत्ता स्लैब (मूल वेतन के % में):** प्रारंभिक दर (0–90 दिन): **50%** | कर्मचारी की गलती न होने पर अधिकतम वृद्धि (90 दिन बाद): **75%** | कर्मचारी की देरी पर न्यूनतम कटौती दर: **25%**।

• **अनिवार्य सेवानिवृत्ति / Removal पर पेंशनरी लाभ अनुपात:** पूर्ण सेवानिवृत्ति पेंशन: **100%** | अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम देय पेंशन/उपदान: **66.67% (2/3 भाग)** | Removal/Dismissal में विशेष परिस्थिति में अधिकतम अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance): **66.67% (2/3 भाग)**।

मॉड्यूल 3: रेल सेवक (कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 (HOER) एवं छुट्टी नियम

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 3: रेल सेवक (कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 (HOER) एवं छुट्टी नियम

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
HOER 2005 के अंतर्गत कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं साप्ताहिक कार्य घंटे	**HOER के प्रमुख परिचालन नियम, रनिंग स्टाफ विश्राम एवं ओवरटाइम भत्ता (OTA)**	**रेल सेवक (उदारतापूर्वक छुट्टी) नियम, 1949 (IREC Vol-I अध्याय 5)**

3.1 HOER 2005 के अंतर्गत कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं साप्ताहिक कार्य घंटे

रेलवे अधिनियम, 1989 के अध्याय XIV (धारा 130 से 136) के अधीन बनाए गए **रेल सेवक (कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005** दिनांक **28 फरवरी 2005** को राजपत्र में अधिसूचित किए गए (**HOER Rules 2005**)। इसके अंतर्गत रेल कर्मचारियों को उनके कार्य की प्रकृति और एकाग्रता के आधार पर **4 श्रेणियों** में वर्गीकृत किया गया है (**HOER Brief**):

वर्गीकरण श्रेणी	कार्य की प्रकृति एवं परिभाषा (नियम 3–7)	मानक रोस्टर घंटे (सप्ताह में)	तैयारी व कार्यभार हस्तांतरण (P&C)	वैधानिक अधिकतम सीमा (Statutory Limit — OT हेतु)	साप्ताहिक विश्राम (Periodical Rest — नियम 12)	संदर्भ स्रोत
1. गहन (Intensive)	वह रोजगार जिसमें निरंतर भारी मानसिक एकाग्रता या कठोर शारीरिक श्रम हो और ड्यूटी के दौरान विश्राम का समय बहुत कम मिले (जैसे: सेक्शन कंट्रोलर, व्यस्त केबिन के सिग्नलर)।	**42 घंटे / सप्ताह**	**3 घंटे / सप्ताह**	**45 घंटे / सप्ताह**	कम-से-कम **30 लगातार घंटे** प्रति सप्ताह	**HOER Section 8 & 12**
2. निरंतर (Continuous)	सामान्य श्रेणी जिसमें लगभग सभी नियमित रेल कर्मचारी आते हैं जो Intensive, EI या Excluded में नहीं हैं (जैसे: लिपिक, बुकिंग क्लर्क, तकनीशियन, लोको पायलट)।	**48 घंटे / सप्ताह**	**6 घंटे / सप्ताह**	**54 घंटे / सप्ताह**	कम-से-कम **30 लगातार घंटे** प्रति सप्ताह	**HOER Section 12**
3. अनिवार्यतः सविराम (Essentially Intermittent - EI)	दैनिक ड्यूटी में कम-से-कम **50% या अधिक समय निष्क्रियता (Inaction)** का हो और उस दौरान कम-से-कम 1 घंटा या आधे-आधे घंटे के 2 विश्राम अंतराल मिलें (जैसे: गेटमैन, वेटिंग रूम अटेंडेंट, केयरटेकर)।	**48 घंटे + 12 घंटे** (आवासीय क्वार्टर कार्यस्थल से 0.5 किमी के भीतर होने पर) या **48 + 24 घंटे** (अन्य मामलों में; C क्लास गेटमैन हेतु 48+12)	**3 घंटे / सप्ताह**	**75 घंटे / सप्ताह**	कम-से-कम **24 लगातार घंटे** प्रति सप्ताह (जिसमें एक पूरी रात शामिल हो)	**HOER Rules 2005**
4. अपवर्जित (Excluded)	पर्यवेक्षी (Supervisory), प्रबंधकीय, गोपनीय कर्मचारी (आशुलिपिक/Steno), स्वास्थ्य/पैरामेडिकल स्टाफ, विद्यालय शिक्षक आदि।	कोई निश्चित रोस्टर सीमा नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कम-से-कम **48 लगातार घंटे** प्रतिमाह या **24 घंटे के 2 अंतराल** प्रतिमाह	**HOER Overview**

3.2 HOER के प्रमुख परिचालन नियम, रनिंग स्टाफ विश्राम एवं ओवरटाइम भत्ता (OTA)

• **रात्रि ड्यूटी (Night Duty):** रात्रि **22:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे** तक की अवधि को रात्रि ड्यूटी कहा जाता है (**HOER Overview**)।

• **पूरी रात (Full Night in Bed):** रात्रि **22:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे** के बीच का पूरा समय।

• **लंबी ऑन ड्यूटी (Long On):** यदि किसी एक पारी में ड्यूटी के घंटे गहन (Intensive) में **8 घंटे**, निरंतर (Continuous) में **10 घंटे**, और सविराम (EI) में **12 घंटे** से अधिक हो जाएँ, तो इसे 'लॉन्ग ऑन' कहा जाता है जिससे बचा जाना चाहिए (**HOER Overview**)।

• **संक्षिप्त ऑफ (Short Off):** दो क्रमिक ड्यूटी पारियों के बीच गहन (Intensive) या निरंतर (Continuous) श्रेणी के 8 घंटे की शिफ्ट वाले कर्मचारियों को **12 घंटे से कम** (या सामान्यतः 16 घंटे से कम) का अंतराल मिलना 'शॉर्ट ऑफ' कहलाता है।

• **रनिंग स्टाफ (Running Staff — लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर/गार्ड) का विश्राम:**

• **साप्ताहिक/मासिक विश्राम:** एक कैलेंडर माह में मुख्यालय पर कम-से-कम **30 लगातार घंटे के 4 विश्राम** अथवा **22 लगातार घंटे के 5 विश्राम** (जिनमें पूरी रात शामिल हो)।

• **मुख्यालय विश्राम (Headquarter Rest):** 8 घंटे से कम की ड्यूटी पर कम-से-कम **12 घंटे** और 8 घंटे या अधिक की ड्यूटी पर **16 घंटे** का विश्राम।

• **बाहरी स्टेशन विश्राम (Outstation Rest):** 8 घंटे से कम की रनिंग ड्यूटी पर **6 घंटे** और 8 घंटे या अधिक की ड्यूटी पर **8 घंटे** का विश्राम।

• **ओवरटाइम भत्ता (Overtime Allowance - नियम 10):**

• **रोस्टर घंटों से ऊपर किंतु वैधानिक सीमा (Statutory Limit) तक:** साधारण वेतन दर का **1.5 गुना (150%)**।

• **वैधानिक सीमा (Intensive में 45 घंटे, Continuous में 54 घंटे, EI में 75 घंटे) से ऊपर:** साधारण वेतन दर का **2 गुना (200%)** (HOER Rules 2005)।

• **क्षतिपूरक विश्राम (Compensatory Rest — नियम 13):** किसी भी कर्मचारी से बिना विश्राम के लगातार **14 दिनों से अधिक** कार्य नहीं लिया जाएगा और इसी अवधि के भीतर क्षतिपूरक विश्राम दिया जाना अनिवार्य है (**HOER Rule 13**)।

• **अपील (HOER वर्गीकरण के विरुद्ध):** क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (RLC) के निर्णय के विरुद्ध **90 दिनों के भीतर** रेल मंत्रालय के श्रम सलाहकार (अपीलीय प्राधिकारी) को अपील की जा सकती है (**HOER Overview**)।

3.3 रेल सेवक (उदारतापूर्वक छुट्टी) नियम, 1949 (IREC Vol-I अध्याय 5)

रेल कर्मचारियों को देय सभी प्रमुख छुट्टियों की तुलनात्मक सारणी नीचे दी गई है:

छुट्टी का प्रकार	वार्षिक पात्रता एवं क्रेडिट दर	अधिकतम संचय (Accumulation)	एक बार में अधिकतम स्वीकृति	प्रमुख परीक्षा-उन्मुख शर्तें एवं नकदीकरण	संदर्भ स्रोत
औसत वेतन छुट्टी (LAP)	**30 दिन / वर्ष** (1 जनवरी व 1 जुलाई को **15-15 दिन अग्रिम** क्रेडिट; छमाही में अनुपस्थिति के 1/10 भाग की कटौती, अधिकतम 15 दिन)	**300 दिन (+15 दिन)** अलग से जो छमाही में लैप्स हो सकते हैं	**180 दिन**	सेवाकाल में पास/PTO लेते समय 2 वर्ष के अंतराल पर **10 दिन प्रति अवसर (अधिकतम 6 बार = 60 दिन)** नकदीकरण (कम-से-कम 30 दिन LAP शेष रहना अनिवार्य); सेवानिवृत्ति पर अधिकतम **300 दिन** का नकदीकरण।	**DoPT & Leave Rules**
अर्ध-औसत वेतन छुट्टी (LHAP)	**20 दिन / वर्ष** (1 जनवरी व 1 जुलाई को **10-10 दिन अग्रिम** क्रेडिट; अनुपस्थिति के 1/18 भाग की कटौती)	**असीमित (Unlimited)**	**24 माह** (अन्य छुट्टी के साथ मिलाकर अधिकतम 28 माह)	चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर या अध्ययनार्थ **अधिकतम 180 दिन** बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के **रूपांतरित छुट्टी (Commuted Leave)** में बदली जा सकती है (1 दिन Commuted Leave = 2 दिन LHAP डेबिट)।	**DoPT & Leave Rules**
अदेय छुट्टी (Leave Not Due - LND)	कोई अग्रिम क्रेडिट नहीं	संपूर्ण सेवाकाल में **अधिकतम 360 दिन**	एक बार में **90 दिन** (चिकित्सा आधार पर 360 दिन)	स्थायी कर्मचारी को जब कोई LHAP शेष न हो, भविष्य में अर्जित होने वाली LHAP के विरुद्ध अग्रिम दी जाती है।	**DoPT & Leave Rules**
आकस्मिक अवकाश (CL)	कारखाना/फील्ड स्टाफ को **10 दिन/वर्ष**; कार्यालय/प्रशासनिक स्टाफ को **8 दिन/वर्ष**	कोई संचय नहीं (31 दिसंबर को लैप्स)	सामान्यतः एक बार में **5 से 8 दिन**	यह मान्यता प्राप्त छुट्टी नहीं है; कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता। राष्ट्रीय अवकाश/रविवार दोनों ओर जोड़े जा सकते हैं।	**DoPT & Leave Rules**
मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)	प्रसव हेतु **180 दिन**; गर्भपात (Miscarriage/ Abortion) हेतु संपूर्ण सेवाकाल में **अधिकतम 45 दिन**	लागू नहीं	**180 दिन**	**2 से कम जीवित संतान** होने पर ही प्रसव हेतु 180 दिन देय (गर्भपात के 45 दिन के लिए जीवित संतान की संख्या की बाध्यता नहीं)। पूर्ण वेतन मिलता है और किसी छुट्टी खाते से डेबिट नहीं होता। (सरोगेसी मामलों में भी 180 दिन लागू)।	**Government Orders Leave**
पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)	**15 दिन**	लागू नहीं (6 माह में न लेने पर लैप्स)	**15 दिन** (एक ही बार में)	**2 से कम जीवित संतान** वाले पुरुष कर्मचारी को पत्नी के प्रसव से 15 दिन पूर्व से लेकर **प्रसव की तिथि के 6 माह के भीतर** तक।	**Government Orders Leave**

छुट्टी का प्रकार	वार्षिक पात्रता एवं क्रेडिट दर	अधिकतम संचय (Accumulation)	एक बार में अधिकतम स्वीकृति	प्रमुख परीक्षा-उन्मुख शर्तें एवं नकदीकरण	संदर्भ स्रोत
बाल देखभाल अवकाश (CCL)	संपूर्ण सेवाकाल में **अधिकतम 730 दिन (2 वर्ष)**	लागू नहीं	एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम **3 स्पेल** (एकल महिला कर्मचारी हेतु **6 स्पेल**; न्यूनतम 5 दिन प्रति स्पेल)	**18 वर्ष से कम आयु** की अधिकतम 2 सबसे बड़ी जीवित संतानों की देखभाल/परीक्षा/बीमारी हेतु (दिव्यांग संतान हेतु आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं)। **प्रथम 365 दिन पर 100% वेतन** और **अगले 365 दिन पर 80% वेतन** देय है।	Government Orders Leave
अध्ययन अवकाश (Study Leave)	संपूर्ण सेवाकाल में **अधिकतम 24 माह** (चिकित्सा अधिकारियों हेतु **36 माह**)	लागू नहीं	एक बार में **12 माह**	न्यूनतम **5 वर्ष की नियमित सेवा** पूर्ण होनी चाहिए तथा सेवानिवृत्ति में कम-से-कम 3 वर्ष (36 माह के मामले में 5 वर्ष) शेष हों।	DoPT & Leave Rules
असाधारण छुट्टी (EOL)	बिना वेतन छुट्टी (No Pay, No Allowance)	लागू नहीं	अस्थायी कर्मचारी हेतु सामान्यतः 3 माह (चिकित्सा/TB/कैंसर पर 18 माह); स्थायी कर्मचारी हेतु **अधिकतम 5 वर्ष**	लगातार **5 वर्ष से अधिक** किसी भी प्रकार की छुट्टी (राष्ट्रपति की अनुमति के बिना) पर रहने से कर्मचारी सेवा से त्यागपत्र दे चुका माना जाता है।	DoPT & Leave Rules

3.4 चार्ट डेटा (%): छुट्टी वेतन एवं HOER कार्य-क्षमता अनुपात

• **बाल देखभाल अवकाश (CCL — 730 दिन) वेतन वितरण:** प्रथम 365 दिन (50% अवधि): **100% वेतन** | द्वितीय 365 दिन (शेष 50% अवधि): **80% वेतन** (Government Orders Leave)।

• **EI (अनिवार्यतः सविराम) ड्यूटी संरचना:** न्यूनतम निष्क्रियता/सतर्कता रहित काल: **≥ 50%** | सक्रिय कार्य काल: **≤ 50%** (HOER Overview)।

• **ओवरटाइम भत्ता दर (%):** सामान्य घंटों पर: **100%** | रोस्टर से वैधानिक सीमा के बीच: **150% (1.5 गुना)** | वैधानिक सीमा से ऊपर: **200% (2 गुना)** (HOER Rules 2005)।

मॉड्यूल 4: रेलवे पास नियम 1986 एवं सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, NPS बनाम UPS)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 4: रेलवे पास नियम 1986 एवं सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, NPS बनाम UPS)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (Railway Servants Pass Rules, 1986)	**सेवानिवृत्ति लाभ: पेंशन, ग्रेच्युटी (DCRG), कम्यूटेशन एवं पारिवारिक पेंशन**	**पुरानी पेंशन योजना (OPS) बनाम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) बनाम एकीकृत पेंशन योजना (UPS)**

4.1 रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (Railway Servants Pass Rules, 1986)

रेल कर्मचारियों को ड्यूटी एवं निजी यात्राओं हेतु जारी किए जाने वाले पास और पीटीओ (PTO) **रेल सेवक (पास) नियम, 1986** द्वारा शासित होते हैं (Railway Servants Pass Rules 1986):

1. **ड्यूटी पास (Duty Passes — धातु टोकन एवं कार्ड पास):**

• **स्वर्ण पास (Gold Pass):** रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ (CRB), बोर्ड के सदस्यों, वित्तीय आयुक्त और जोनल महाप्रबंधकों (GMs) तथा CCRS को जारी होता है (परिवार सहित भारतीय रेल के किसी भी वर्ग — 1st AC सहित — में यात्रा की पात्रता) (Pass Rules PDF)।

• **रजत पास (Silver Pass):** वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG - लेवल 14) एवं उच्च प्रशासनिक ग्रेड (HAG - लेवल 15) के अधिकारियों को।

• **कांस्य पास (Bronze Pass):** कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (JAG - लेवल 12/13) एवं चयन ग्रेड के राजपत्रित अधिकारियों को।

2. **सुविधा पास (Privilege Pass) एवं सुविधा टिकट आदेश (PTO) की पात्रता सारणी:**

कर्मचारी श्रेणी / स्तर	सुविधा पास (Privilege Pass) — प्रति कैलेंडर वर्ष	PTO (1/3 किराया भुगतान पर) — प्रति वर्ष	सेवानिवृत्ति पश्चात मानार्थ पास (Post-Retirement Complimentary Pass — न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा पर)	विधवा पास (Widow Pass — योजना 12 मार्च 1987 से)	संदर्भ स्रोत
समूह 'क' एवं 'ख' (राजपत्रित अधिकारी — लेवल 8 से 17)	**6 सेट / वर्ष** (नियुक्ति के प्रथम वर्ष से ही; 1st Class 'A' सफेद रंग का पास)	**4 सेट / वर्ष**	20 वर्ष या अधिक की सेवा पर **3 सेट / वर्ष**	मानार्थ पास की पात्रता का आधा (न्यूनतम **1 सेट एकान्तर वर्ष में** या पात्रतानुसार **1.5 सेट/वर्ष** अर्थात एक वर्ष 1 सेट व अगले वर्ष 2 सेट)	Pass Rules 1986
समूह 'ग' (अराजपत्रित कर्मचारी — लेवल 1 से 7)	**प्रथम 5 वर्ष की सेवा तक: 1 सेट / वर्ष; 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद: 3 सेट / वर्ष** (लेवल 6 व ऊपर: प्रथम श्रेणी गुलाबी पास; लेवल 5: द्वितीय श्रेणी 'A' पीला पास; लेवल 1–4: द्वितीय/स्लीपर गुलाबी/हरा पास)	**4 सेट / वर्ष** (प्रथम वर्ष से ही)	20 वर्ष या अधिक की सेवा पर: लेवल 6 व ऊपर को **2 सेट/वर्ष** तथा लेवल 1 से 5 को **2 सेट/वर्ष** (पूर्व में 20–25 वर्ष पर 1 सेट था, अब 20 वर्ष पर 2 सेट)	पति/पत्नी की पात्रता का **आधा सेट** (न्यूनतम एकान्तर वर्ष में 1 सेट या वर्ष में 1 सेट)	Pass Rules 1986

• **पास से जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य:**

• **वैधता (Validity):** एकल यात्रा (Single Journey) और वापसी यात्रा (Return Journey) दोनों प्रकार के सुविधा पास एवं PTO जारी होने की तिथि से **5 माह** के लिए वैध होते हैं (वर्ष के अंत में जारी पास अगले वर्ष के **31 मई** तक वैध रहते हैं)।

• **अधिकतम सदस्य संख्या:** यदि पास में कोई आश्रित (Dependent Relative) शामिल न हो तो केवल परिवार के सदस्य (पति/पत्नी, 21 वर्ष से कम के अविवाहित पुत्र या पूर्णकालिक विद्यार्थी पुत्र, अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियाँ) सभी शामिल हो सकते हैं; किंतु यदि **आश्रित रिश्तेदार (अधिकतम 2: जैसे विधवा माता, आश्रित भाई/बहन जिनकी आय न्यूनतम पेंशन ₹9,000 + DA या कुल परिलब्धियों के 15% से अधिक न हो)** शामिल किए गए हों, तो पास में **अधिकतम 5 सदस्य** ही सम्मिलित किए जा सकते हैं (**Pass Rules 1986**)।

• **स्कूल पास (School Pass):** कर्मचारी के अध्ययनरत बच्चों के लिए प्रति वर्ष **3 सेट (या 6 हाफ-सेट)** दिए जाते हैं।

• **पास खोने पर जुर्माना:** ड्यूटी या सुविधा पास खोने पर निर्धारित दंड शुल्क वसूला जाता है और पुलिस रिपोर्ट (FIR) दर्ज करानी होती है।

4.2 सेवानिवृत्ति लाभ: पेंशन, ग्रेच्युटी (DCRG), कम्यूटेशन एवं पारिवारिक पेंशन

रेल सेवक (पेंशन) नियम, 1993 एवं केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान (**DoPT & Pension Rules**):

1. **अर्हक सेवा (Qualifying Service):** पेंशन हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा **10 वर्ष** (9 वर्ष 9 माह या अधिक को पूर्णांकित कर 10 वर्ष माना जाता है)। **20 वर्ष** की सेवा पूर्ण करने पर ही पूर्ण (50%) पेंशन प्राप्त होती है (1 जनवरी 2006 से 33 वर्ष की बाध्यता समाप्त कर 20 वर्ष कर दी गई है)।

2. **मूल पेंशन सूत्र:**

$$मासिक पेंशन = (अंतिम मूल वेतन (Last Basic Pay) अथवा पिछले 10 माह के औसत वेतन में से जो अधिक हो / 2) (अर्थात 50\%)$$

• **न्यूनतम पेंशन / पारिवारिक पेंशन: ₹9,000 प्रतिमाह** (+ महंगाई राहत DR)।

• **अधिकतम पेंशन: ₹1,25,000 प्रतिमाह** (+ महंगाई राहत DR)।

3. **मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (DCRG — Gratuity):**

• **सेवानिवृत्ति उपदान (Retirement Gratuity — न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पर):** प्रत्येक पूर्ण छमाही (6 माह) की सेवा के लिए परिलब्धियों (Basic Pay + DA) का **1/4 भाग**, अधिकतम **16.5 गुना** (अर्थात अधिकतम 66 छमाही = 33 वर्ष की गणना)।

• **मृत्यु उपदान (Death Gratuity) की दरें:**

• 1 वर्ष से कम सेवा: मूल वेतन + DA का **2 गुना**

• 1 वर्ष या अधिक किंतु 5 वर्ष से कम: **6 गुना**

• 5 वर्ष या अधिक किंतु 11 वर्ष से कम: **12 गुना**

• 11 वर्ष या अधिक किंतु 20 वर्ष से कम: **20 गुना**

• 20 वर्ष या अधिक की सेवा: प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए 1/2 भाग, अधिकतम **33 गुना**।

• **अधिकतम मौद्रिक सीमा:** 7वें वेतन आयोग में मूल सीमा **₹20 लाख** थी, जिसे महंगाई भत्ता (DA) 50% पर पहुँचने के कारण **25% बढ़ाकर अधिकतम ₹25,00,000 (₹25 लाख)** कर दिया गया है (Government Orders Gratuity)।

4. **पेंशन का सारांशीकरण (Commutation of Pension):**

• सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मूल पेंशन का **अधिकतम 40% भाग** एकमुश्त बेच (Commute) सकता है (सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करने पर किसी चिकित्सा जाँच की आवश्यकता नहीं होती)।

• कम्यूट किया गया पेंशन का हिस्सा **15 वर्ष (180 माह)** के पश्चात स्वत: मूल पेंशन में बहाल (Restore) हो जाता है।

5. **पारिवारिक पेंशन (Family Pension):**

• **सामान्य दर (Normal Rate):** अंतिम मूल वेतन का **30%** (न्यूनतम ₹9,000/माह)।

• **बढ़ी हुई दर (Enhanced Rate):** अंतिम मूल वेतन का **50%** — सेवा के दौरान मृत्यु होने पर **10 वर्ष की अवधि** तक, और सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु होने पर 7 **वर्ष की अवधि अथवा कर्मचारी की 67 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि (जो भी पहले हो)** तक देय।

6. **वृद्ध पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन (Additional Quantum of Pension):**

• **80 से 85 वर्ष से कम:** मूल पेंशन का **+20%**

• **85 से 90 वर्ष से कम:** मूल पेंशन का **+30%**

• **90 से 95 वर्ष से कम:** मूल पेंशन का **+40%**

• **95 से 100 वर्ष से कम:** मूल पेंशन का **+50%**

• **100 वर्ष या उससे अधिक:** मूल पेंशन का **+100%** (अर्थात दोगुनी मूल पेंशन)।

4.3 पुरानी पेंशन योजना (OPS) बनाम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) बनाम एकीकृत पेंशन योजना (UPS)

केंद्र सरकार द्वारा डॉ. टी.वी. सोमनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर **एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme - UPS)** को मंजूरी दी गई, जो **1 अप्रैल 2025** से प्रभावी हो चुकी है (PIB Unified Pension Scheme)। विभागीय परीक्षाओं के लिए OPS, NPS और UPS की तुलना अत्यंत महत्वपूर्ण है:

तुलना का बिंदु	पुरानी पेंशन योजना (OPS)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)	एकीकृत पेंशन योजना (UPS)	संदर्भ स्रोत
प्रभावी तिथि / पात्रता	31 दिसंबर 2003 तक नियुक्त कर्मचारियों हेतु	**1 जनवरी 2004** से नियुक्त कर्मचारियों हेतु	**1 अप्रैल 2025** से प्रभावी (NPS कर्मचारियों को चुनने का विकल्प)	PIB UPS Release
कर्मचारी का मासिक अंशदान	0% (केवल GPF में स्वैच्छिक बचत, न्यूनतम 6%)	मूल वेतन + DA का **10%**	मूल वेतन + DA का **10%**	PIB UPS Release
सरकार का मासिक अंशदान	0% (बजट से प्रत्यक्ष भुगतान)	मूल वेतन + DA का **14%** (अप्रैल 2019 से; पूर्व में 10%)	मूल वेतन + DA का **18.5%** (10% व्यक्तिगत कोष + 8.5% पूल कोष)	PIB UPS Release

तुलना का बिंदु	पुरानी पेंशन योजना (OPS)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)	एकीकृत पेंशन योजना (UPS)	संदर्भ स्रोत
सुनिश्चित पेंशन (Assured Pension)	अंतिम मूल वेतन या 10 माह के औसत का **50%** (20 वर्ष सेवा पर)	बाजार के रिटर्न (Market-Linked) पर आधारित (60% एकमुश्त निकासी + 40% वार्षिकी/Annuity)	**25 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्ति से पूर्व के अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50%** (10 से 24 वर्ष सेवा पर आनुपातिक दर)	PIB UPS Release
न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन	**₹9,000 प्रतिमाह** + DR	कोई गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन नहीं	**न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पर ₹10,000 प्रतिमाह** (+ महंगाई सूचकांक लाभ)	PIB UPS Release
पारिवारिक पेंशन की दर	अंतिम मूल वेतन का **30%** (बढ़ी हुई दर 50%)	खरीदे गए Annuity प्लान पर निर्भर	कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पूर्व देय **सुनिश्चित पेंशन का 60%**	PIB UPS Release
महंगाई राहत / सूचकांक (Inflation Indexation)	AICPI-IW आधारित महंगाई राहत (DR) देय	कोई महंगाई राहत (DR) नहीं	सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों पर **AICPI-IW आधारित महंगाई राहत (DR)** देय	PIB UPS Release
अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान (Lump-Sum)	केवल DCRG (ग्रेच्युटी) व कम्यूटेशन	संचित कॉर्पस का अधिकतम 60% कर-मुक्त निकासी	ग्रेच्युटी (DCRG) के अतिरिक्त **प्रत्येक 6 माह की पूर्ण सेवा पर मासिक परिलब्धियों (Basic + DA) का 1/10वाँ भाग** एकमुश्त (इससे 50% पेंशन कम नहीं होती!)	PIB UPS Release

4.4 चार्ट डेटा (%): पेंशन अंशदान एवं आयु-आधारित वृद्धि

- **UPS कुल अंशदान संरचना (28.5% कुल वेतन अनुपात):** कर्मचारी अंशदान: **10%** | सरकारी अंशदान: **18.5%** (PIB UPS Release)।
- **UPS बनाम OPS पारिवारिक पेंशन तुलना:** OPS सामान्य पारिवारिक पेंशन: **अंतिम मूल वेतन का 30% (अर्थात मूल पेंशन का 60%)** | UPS सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: **कर्मचारी की सुनिश्चित पेंशन का 60%** (PIB UPS Release)।
- **80+ आयु पर अतिरिक्त पेंशन वृद्धि ग्राफ:** 80 वर्ष: **20%** | 85 वर्ष: **30%** | 90 वर्ष: **40%** | 95 वर्ष: **50%** | 100 वर्ष: **100%**।

मॉड्यूल 5: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) अधिनियम 1957, नियम 1987 (नियम 70 व 72 विशेष), RPUP अधिनियम 1966 एवं रेलवे अधिनियम 1989

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 5: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) अधिनियम 1957, नियम 1987 (नियम 70 व 72 विशेष), RPUP अधिनियम 1966 एवं रेलवे अधिनियम 1989

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) अधिनियम, 1957 (अधिनियम सं. 23 / 1957)	RPF नियम, 1987 — नियम 70 बनाम नियम 72 विभागीय पदोन्नति परीक्षा विशेष	रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 (RPUP Act, 1966)	रेलवे अधिनियम, 1989 (अध्याय XV — दंड और अपराध: धारा 137 से 182)

5.1 रेलवे सुरक्षा बल (RPF) अधिनियम, 1957 (अधिनियम सं. 23 / 1957)

- **ऐतिहासिक विकास एवं संवैधानिक दर्जा:** 1854 के बाद विभिन्न रेल कंपनियों के 'वॉच एंड वार्ड' (Watch and Ward) दल को **रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957** (29 अगस्त 1957 को स्वीकृत) द्वारा वैधानिक बल बनाया गया (RPF Rules 1987)। तत्पश्चात **1985 के संशोधन अधिनियम (अधिनियम सं. 60 / 1985 — 20 सितंबर 1985 से प्रभावी)** द्वारा आरपीएफ को **"संघ का सशस्त्र बल" (Armed Force of the Union)** घोषित किया गया (RPF Armed Force Status)। **2003 के संशोधन अधिनियम** द्वारा आरपीएफ के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर 'रेल संपत्ति' के साथ-साथ **'यात्री क्षेत्र एवं यात्रियों की सुरक्षा' (Passenger Area and Passengers)** को भी इसमें जोड़ दिया गया।
- **RPF अधिनियम 1957 की प्रमुख धाराएँ (कुल 21 धाराएँ):**

• **धारा 3:** संघ के सशस्त्र बल के रूप में रेलवे सुरक्षा बल का गठन एवं अनुरक्षण।

• **धारा 4:** बल के अधिकारियों एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति।

• **धारा 8:** बल का अधीक्षण (केवल केंद्र सरकार में निहित) और प्रशासन महानिदेशक (DG/RPF) में निहित।

• **धारा 9:** बल के सदस्यों की बर्खास्तगी, सेवा से हटाना या रैंक में कमी।

• **धारा 10:** बल के अधिकारी एवं सदस्य **सदैव ड्यूटी पर (Always on Duty)** माने जाएंगे और भारत के किसी भी भाग में तैनात किए जा सकेंगे।

• **धारा 11:** बल के सदस्यों के कर्तव्य — रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की सुरक्षा करना तथा उनके आवागमन में किसी भी बाधा को हटाना।

• **धारा 12: बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति (Power to Arrest without Warrant)** — किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो रेल संपत्ति की चोरी/नुकसान करता है या यात्री सुरक्षा को खतरे में डालता है।

• **धारा 13: बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति (Power to Search without Warrant)**।

• **धारा 14:** गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया (गिरफ्तार व्यक्ति को बिना देरी के निकटतम पुलिस थाने में सौंपना, सिवाय RPUP अधिनियम और रेलवे अधिनियम के तहत प्राधिकृत मामलों के)।

• **धारा 15:** बल के अधिकारियों और सदस्यों का रेलवे अधिनियम के अर्थ में 'रेल सेवक' माना जाना।

• **धारा 17:** कर्तव्य की उपेक्षा, कायरता या आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड (1 वर्ष तक का कारावास या 3 माह का वेतन या दोनों)।

• **धारा 19:** इस अधिनियम पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 लागू नहीं होंगे।

• **धारा 20:** सद्भावपूर्वक (In Good Faith) किए गए कार्यों का संरक्षण — किसी अधिकारी/सदस्य के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही करने से पूर्व उसे और उसके वरिष्ठ अधिकारी को **कम-से-कम 1 माह का लिखित नोटिस** देना अनिवार्य है तथा ऐसी कार्यवाही कार्य किए जाने की तिथि से **3 माह के भीतर** ही शुरू की जा सकती है।

• **धारा 21:** केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति (जिसके तहत RPF नियम, 1987 बनाए गए)।

5.2 RPF नियम, 1987 — नियम 70 बनाम नियम 72 विभागीय पदोन्नति परीक्षा विशेष

रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 के अध्याय VI में भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति के प्रावधान हैं (The Railway Protection Force Rules 1987)। बल के अधीनस्थ अधिकारियों और सदस्यों के लिए **नियम 70** और **नियम 72** सबसे महत्वपूर्ण पदोन्नति मार्ग हैं (RPF Rules 1987 CORE PDF):

तुलना का आधार	नियम 70 (Rule 70 Promotion)	नियम 72 (Rule 72 — LDCE Promotion)	संदर्भ स्रोत
चयन की प्रकृति	नियमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा / वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता (Departmental Promotion Exam / Seniority-cum-Fitness)	**सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (Limited Departmental Competitive Examination - LDCE)** — मेधावी व युवा कार्मिकों को त्वरित पदोन्नति देने हेतु	RPF Rules 1987 PDF
रिक्ति कोटा अनुपात (संशोधित GSR 768)	पदोन्नति कोटे की **75% रिक्तियाँ** (पूर्व में 60% था, जिसे संशोधित कर 75% किया गया है, उदाहरणार्थ हेड कांस्टेबल व ASI संवर्ग में)	पदोन्नति कोटे की **25% रिक्तियाँ** (पूर्व में 40% था, जिसे संशोधित कर 25% किया गया है)	RPF Rules 1987 PDF
पात्रता क्षेत्र (Zone of Consideration)	वरिष्ठता क्रम के अनुसार निर्धारित अनुपात (रिक्तियों के अनुपात में बुलावा)	फीडर ग्रेड में निर्धारित न्यूनतम नियमित सेवा (जैसे 5 वर्ष/8 वर्ष/10 वर्ष, पद के अनुसार) पूर्ण करने वाले सभी पात्र कर्मचारी	K. Sunil Kumar Judgement
अधिकतम अवसरों की सीमा (Chances)	वरिष्ठता क्षेत्र में आने पर अवसरों की कोई कठोर ऊपरी सीमा नहीं	एक विशेष रैंक की LDCE परीक्षा में बैठने के लिए **अधिकतम 2 अवसर (Two Chances)** (कुछ संशोधित श्रेणियों में 3 अवसर)	RPF Rules 1987
पैनल निर्माण का आधार	अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी **पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se Seniority)** के क्रम में पैनल में रखा जाता है	विशुद्ध रूप से **प्राप्तांकों की मेरिट (Order of Merit)** के आधार पर पैनल बनता है	RPF Rules 1987 PDF
रिक्तियों की गणना (नियम 70.4)	वर्तमान रिक्तियाँ + अगले **12 माह** की संभावित रिक्तियाँ + **10% अतिरिक्त (प्रत्याशित आकस्मिकता हेतु)**	अधिसूचित 25% LDCE कोटे की वास्तविक व प्रत्याशित रिक्तियाँ	K. Sunil Kumar Judgement

5.3 रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 (RPUP Act, 1966)

रेल संपत्ति की चोरी और अवैध कब्जे को रोकने तथा आरपीएफ को अन्वेषण/जांच (Inquiry) की शक्ति प्रदान करने के लिए **RPUP अधिनियम, 1966** (2012 में संशोधित) बनाया गया (**RPUP Act Overview**):

• **धारा 2(d) — रेल संपत्ति (Railway Property):** इसमें रेल प्रशासन के स्वामित्व, कब्जे या प्रभार (Charge) में रखा गया कोई भी माल, धन या मूल्यवान वस्तु (यात्रियों का बुक किया गया सामान और पार्सल भी शामिल) आता है।

• **धारा 3 — रेल संपत्ति के विधिविरुद्ध कब्जे के लिए दंड:**

• **प्रथम अपराध (First Offence): 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों**; तथा विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में कारावास **1 वर्ष से कम नहीं** होगा और जुर्माना **₹1,000 से कम नहीं** होगा।

• **द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध (Second or Subsequent Offence): 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना**; तथा विशेष कारणों के अभाव में कारावास **2 वर्ष से कम नहीं** होगा और जुर्माना **₹2,000 से कम नहीं** होगा।

• **धारा 4 — स्वामी द्वारा अपनी ही बुक की गई संपत्ति की चोरी या रेल सेवक द्वारा मिलीभगत (Abetment/Conspiracy — 2012 संशोधन):** यदि कोई व्यक्ति या रेल सेवक कपटपूर्ण तरीके से रेल संपत्ति के गबन/चोरी में सहायता करता है या षड्यंत्र रचता है, तो उसे भी धारा 3 के समान दंड मिलेगा।

• **धारा 5 — अपराध का संज्ञेय न होना (Offences not to be Cognizable by Police):** इस अधिनियम के तहत अपराध पुलिस के लिए सीधे संज्ञेय नहीं हैं, बल्कि केवल आरपीएफ अधिकारी की शिकायत पर ही न्यायालय संज्ञान लेता है।

• **धारा 6 — बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति:** कोई भी वरिष्ठ अधिकारी या आरपीएफ सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है जिसने यह अपराध किया है या जिस पर उचित संदेह है।

• **धारा 8 — गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध जांच (Inquiry how to be made):**

• आरपीएफ के प्राधिकृत अधिकारी (ASI और उससे ऊपर के रैंक) को मामले की जांच (Inquiry) करने, गवाहों को समन भेजने और दस्तावेज मंगवाने की वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को होती हैं।

• **प्रमुख विधिक सिद्धांत (सुप्रीम कोर्ट निर्णय — बालकिशन ए. देवीदयाल बनाम महाराष्ट्र राज्य):** चूंकि आरपीएफ अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 (एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की संगत धारा) के तहत 'पुलिस अधिकारी' नहीं माना जाता, इसलिए **धारा 8 की जांच के दौरान अभियुक्त द्वारा आरपीएफ अधिकारी के समक्ष दिया गया संस्वीकृति बयान (Confessional Statement) न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य (Admissible) होता है!**

• धारा 8(4) के तहत आरपीएफ अधिकारी द्वारा की गई प्रत्येक जांच भारतीय न्याय संहिता / IPC के अर्थ में **"न्यायिक कार्यवाही" (Judicial Proceeding)** समझी जाती है।

• **धारा 10 — तलाशी वारंट (Search Warrant) जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति।**

5.4 रेलवे अधिनियम, 1989 (अध्याय XV — दंड और अपराध: धारा 137 से 182)

रेलवे अधिनियम, 1989 (जो 1 जुलाई 1990 से लागू हुआ और जिसने भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 का स्थान लिया) के अध्याय XV की सबसे महत्वपूर्ण धाराओं की परीक्षा-सारणी (**The Railways Act 1989**):

धारा सं.	अपराध का संक्षिप्त विवरण	निर्धारित दंड (कारावास / जुर्माना)	अपराध की प्रकृति (RPF की शक्ति)	संदर्भ स्रोत
धारा 137	बिना उचित पास या टिकट के **कपटपूर्ण रूप से (Fraudulently)** यात्रा करना या प्रयास करना	**6 माह तक कारावास** या **₹1,000 तक जुर्माना** (न्यूनतम ₹500) या दोनों	धारा 179(2) के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी योग्य	**Railways Act 1989**

धारा सं.	अपराध का संक्षिप्त विवरण	निर्धारित दंड (कारावास / जुर्माना)	अपराध की प्रकृति (RPF की शक्ति)	संदर्भ स्रोत
धारा 138	बिना टिकट/पास या अनधिकृत दूरी तक यात्रा करने पर **अतिरिक्त प्रभार (Excess Charge) और किराया** वसूलना (बिना कपटपूर्ण आशय के)	सामान्य किराया + समान राशि का अतिरिक्त प्रभार (न्यूनतम **₹250**)	दीवानी/वसूली प्रकृति (भुगतान न करने पर मजिस्ट्रेट द्वारा वसूली)	Railways Act Rules
धारा 139	अनधिकृत रूप से यात्रा कर रहे यात्रियों को कोच से हटाना	महिला यात्री व बच्चों को रात्रि में केवल प्रस्थान या गंतव्य स्टेशन पर ही उतारा जा सकता है	प्रशासनिक शक्ति	Railways Act 1989
धारा 141	बिना पर्याप्त कारण के **अलार्म चेन खींचना (Alarm Chain Pulling - ACP)** या संचार साधन में हस्तक्षेप	**1 वर्ष तक कारावास** या **₹1,000 तक जुर्माना** या दोनों (प्रथम अपराध में न्यूनतम ₹500, द्वितीय में न्यूनतम 1 माह कारावास)	धारा 179(2) के तहत RPF द्वारा गिरफ्तारी व धारा 180A के तहत जांच	Section 141 Railways Act
धारा 143	**अवैध रूप से रेलवे टिकटों की खरीद और आपूर्ति का व्यवसाय (दलाल / Tout)** करना	**3 वर्ष तक कारावास** या **₹10,000 तक जुर्माना** या दोनों (तथा टिकट जब्त)	धारा 179(2) के तहत RPF द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी	Indian Railways Act Facts
धारा 144	ट्रेन या स्टेशन पर **अवैध फेरी लगाना (Unauthorized Hawking) और भीख मांगना (Begging)**	**1 वर्ष तक कारावास** या **₹1,000 से ₹2,000 तक जुर्माना** (न्यूनतम ₹1,000) या दोनों	धारा 179(2) के तहत RPF द्वारा गिरफ्तारी	Indian Railways Act Facts
धारा 145	नशे की हालत में होना, अभद्र भाषा या **उपद्रव (Drunkenness or Nuisance)** करना	प्रथम अपराध में **₹500 तक जुर्माना**, द्वितीय में **6 माह कारावास** और **₹500 जुर्माना** (न्यूनतम ₹100)	धारा 179(2) के तहत RPF द्वारा गिरफ्तारी व ट्रेन से हटाना	Railways Act PDF
धारा 146	ड्यूटी पर तैनात **रेल सेवक के कार्य में बाधा डालना (Obstructing Railway Servant)**	**6 माह तक कारावास** या **₹1,000 तक जुर्माना** या दोनों	धारा 179(2) के तहत गिरफ्तारी	Railways Act PDF
धारा 147	रेलवे परिसर में **अनाधिकृत प्रवेश (Trespass)** और हटने से इनकार करना	**6 माह तक कारावास** या **₹1,000 तक जुर्माना** (न्यूनतम ₹500) या दोनों	धारा 179(2) के तहत गिरफ्तारी	Indian Railways Act Facts
धारा 150	**दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रेन को पटरी से उतारने का प्रयास (Maliciously wrecking or attempting to wreck a train)**	प्रथम अपराध में **आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक कठोर कारावास** (न्यूनतम 3 वर्ष; द्वितीय अपराध में न्यूनतम 7 वर्ष); मृत्यु कारित करने के आशय से किए जाने पर **मृत्युदंड या आजीवन कारावास**	धारा 179(1) के तहत किसी भी व्यक्ति/अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी	Railways Act 1989
धारा 151	आग, विस्फोटक या अन्यथा कतिपय **रेल संपत्ति को क्षति या विनाश पहुंचाना**	**5 वर्ष तक कारावास** या जुर्माना या दोनों	गंभीर अपराध — गिरफ्तारी योग्य	Indian Railways Act Facts
धारा 153	जानबूझकर किसी कार्य या चूक द्वारा **रेल यात्रियों की सुरक्षा खतरे में डालना**	**5 वर्ष तक कारावास**	धारा 179(2) के तहत गिरफ्तारी	Railways Act PDF
धारा 154	उतावलेपन या लापरवाही पूर्ण कार्य से यात्रियों की सुरक्षा खतरे में डालना (जैसे बिना फाटक वाले क्रॉसिंग पर लापरवाही से वाहन चलाना)	**1 वर्ष तक कारावास** या जुर्माना या दोनों	धारा 179(2) के तहत गिरफ्तारी	Railways Act PDF
धारा 156	चेतावनी के बावजूद **कोच की छत, पायदान (Footboard) या इंजन पर यात्रा करना**	**3 माह तक कारावास** या **₹500 तक जुर्माना** या दोनों	धारा 179(2) के तहत गिरफ्तारी	Indian Railways Act Facts

धारा सं.	अपराध का संक्षिप्त विवरण	निर्धारित दंड (कारावास / जुर्माना)	अपराध की प्रकृति (RPF की शक्ति)	संदर्भ स्रोत
धारा 160	बंद **लेवल क्रॉसिंग गेट को अनधिकृत रूप से खोलना या तोड़ना**	खोलने पर **3 वर्ष तक कारावास**; गेट या बैरियर तोड़ने पर **5 वर्ष तक कारावास**	गिरफ्तारी व जांच योग्य	Railways Act 1989
धारा 162	**महिलाओं के लिए आरक्षित कोच (Ladies Coach)** में पुरुष यात्री का प्रवेश	**₹500 तक जुर्माना** + टिकट जब्ती व कोच से बाहर निकालना (12 वर्ष से कम के बालक को छूट)	धारा 179(2) के तहत कार्रवाई	Railways Act 1989
धारा 167	रेल के डिब्बे में **धूम्रपान (Smoking)** करना	**₹100 तक जुर्माना** (एवं कोच से हटाया जा सकता है)	संक्षिप्त कार्रवाई	Railways Act 1989
धारा 179 एवं 180	**गिरफ्तारी की शक्ति एवं जांच प्रक्रिया:** 2003 के संशोधन द्वारा **प्राधिकृत अधिकारी (RPF के ASI एवं ऊपर के अधिकारी)** को धारा 137–139, 141–147, 153–157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 172–175 के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी और धारा 180A के तहत जांच (Inquiry) कर सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत (Complaint) प्रस्तुत करने की शक्ति दी गई है!	—	RPF की मूल परिचालन शक्ति	Railways Act PDF

5.5 चार्ट डेटा (%): RPF पदोन्नति कोटा वितरण (नियम 70 बनाम नियम 72)

• **पदोन्नति कोटा विभाजन (GSR 768 संशोधन पश्चात — 100%):** नियम 70 (वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता / विभागीय परीक्षा): **75%** | नियम 72 (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा - LDCE): **25%** (RPF Rules 1987 PDF)।

• **नियम 70.4 रिक्ति आकलन बफर:** वास्तविक + 12 माह संभावित रिक्तियाँ: **100%** | अप्रत्याशित आकस्मिकता हेतु अतिरिक्त रिजर्व: **+10%** (K. Sunil Kumar Judgement)।

मॉड्यूल 6: केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, CCS (CCA) नियम 1965 एवं POSH अधिनियम 2013

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 6: केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, CCS (CCA) नियम 1965 एवं POSH अधिनियम 2013

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 एवं रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
CCS (CCA) नियम, 1965 बनाम रेलवे DAR नियम, 1968 की समतुल्यता सारणी

प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act, 2013)

6.1 केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 एवं रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए **CCS (Conduct) Rules, 1964** और रेल कर्मचारियों के लिए समतुल्य **रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966** के नियम-क्रमांक और विषय-वस्तु लगभग एक समान हैं (CCS Conduct Rules 1964):

नियम सं.	नियम का शीर्षक	प्रमुख वैधानिक प्रावधान एवं मौद्रिक सीमाएँ	संदर्भ स्रोत
नियम 3(1)	**सामान्य आचरण (General)**	प्रत्येक सरकारी सेवक सदैव पूर्ण **सत्यनिष्ठा (Absolute Integrity)** बनाए रखेगा, **कर्तव्यनिष्ठा (Devotion to Duty)** रखेगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो **सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय (Unbecoming of a Govt. Servant)** हो, तथा संविधान की सर्वोच्चता व राजनीतिक तटस्थता का पालन करेगा।	CCS Conduct Rules 1964
नियम 3A	तत्परता और शिष्टाचार (Promptness & Courtesy)	शासकीय कार्य के निष्पादन में जानबूझकर विलंब (Dilatory tactics) नहीं करेगा और जनता से शिष्ट व्यवहार करेगा।	CCS Conduct Rules 1964

नियम सं.	नियम का शीर्षक	प्रमुख वैधानिक प्रावधान एवं मौद्रिक सीमाएँ	संदर्भ स्रोत
नियम 3B	सरकारी नीतियों का पालन	विवाह की आयु, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी नीतियों का पालन करेगा।	CCS Conduct Rules 1964
नियम 3C	**महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध**	कोई भी सरकारी सेवक किसी भी कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न के किसी कृत्य में संलिप्त नहीं होगा और कार्यस्थल का प्रभारी होने पर इसकी रोकथाम के समुचित कदम उठाएगा।	CCS CCA & Conduct Rules
नियम 4	परिवार के सदस्यों को कंपनियों में रोजगार	अपने पद या प्रभाव का उपयोग कर परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसी कंपनी या फर्म में नौकरी नहीं दिलाएगा जिसके साथ उसका शासकीय व्यवहार है।	CCS Conduct Rules 1964
नियम 5	**राजनीतिक तटस्थता एवं चुनाव**	किसी भी राजनीतिक दल या संगठन का सदस्य नहीं बनेगा, न ही किसी चुनाव (संसद, विधानसभा या स्थानीय निकाय) में प्रचार करेगा या भाग लेगा (केवल अपना **मतदान का अधिकार** प्रयोग कर सकता है)।	CCS Conduct Rules 1964
नियम 7	प्रदर्शन एवं हड़ताल (Demonstration & Strikes)	लोक व्यवस्था के प्रतिकूल प्रदर्शन या किसी भी प्रकार की हड़ताल, 'गो-स्लो', या सामूहिक आकस्मिक अवकाश में भाग लेने पर प्रतिबंध।	CCS Conduct Rules 1964
नियम 8 एवं 9	प्रेस/मीडिया से संपर्क एवं सरकार की आलोचना	बिना पूर्व अनुमति किसी समाचार-पत्र/मीडिया का संपादन नहीं करेगा और रेडियो/टीवी/सोशल मीडिया या प्रकाशन में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देगा जिससे केंद्र/राज्य सरकार की नीतियों की प्रतिकूल आलोचना हो (विशुद्ध साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक लेखों को छूट)।	CCS Conduct Rules 1964
नियम 13	**उपहार (Gifts — मौद्रिक सीमाएँ)**	विवाह, वर्षगांठ, अंत्येष्टि या धार्मिक समारोहों पर निकट संबंधियों/मित्रों (जिनसे कोई शासकीय लेनदेन न हो) से बिना सरकार की अनुमति के उपहार स्वीकार करने की अधिकतम सीमा: **समूह 'क' (Group A): ₹25,000** (पूर्व में ₹7,000/₹5,000 — यदि इससे अधिक हो तो 1 माह में सरकार को रिपोर्ट करना अनिवार्य); **समूह 'ख' (Group B): ₹15,000**; **समूह 'ग' (Group C): ₹7,500**। अन्य अवसरों पर बिना अनुमति सीमा: ग्रुप A व B हेतु ₹1,500 और ग्रुप C हेतु ₹500। (नोट: पुराने पे-स्केल प्रश्नों में ₹5,000 / ₹3,000 / ₹2,000 और 7वें वेतन आयोग संशोधन के बाद ₹25,000 / ₹15,000 / ₹7,500 दोनों याद रखें)।	CCS Conduct Rules 1964
नियम 13A	**दहेज (Dowry) निषेध**	कोई भी सरकारी सेवक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो दहेज देगा, न लेगा और न ही दहेज की मांग को उकसाएगा।	CCS Conduct Rules 1964
नियम 15	निजी व्यापार या रोजगार	सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी व्यापार, व्यवसाय या अन्य रोजगार में संलग्न नहीं होगा (अवैतनिक सामाजिक, धर्मार्थ या साहित्यिक कार्य कर सकता है)।	CCS Conduct Rules 1964
नियम 16	निवेश, उधार देना व उधार लेना	शेयर बाजार में बार-बार सट्टेबाजी (Speculation in Stock/Shares) करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। कैलेंडर वर्ष में **6 माह के मूल वेतन** से अधिक का शेयर/म्यूचुअल फंड लेनदेन होने पर सूचना देना अनिवार्य है।	CCS Conduct Rules 1964
नियम 18	**चल, अचल और मूल्यवान संपत्ति (Property Returns)**	**अचल संपत्ति (Immovable Property):** पूर्व सूचना/अनुमति आवश्यक; वार्षिक अचल संपत्ति विवरण (AIPR) प्रतिवर्ष **31 जनवरी** तक जमा करना अनिवार्य है (DoPT IPR Rule 18)। **चल संपत्ति (Movable Property):** यदि किसी एक लेनदेन का मूल्य **कर्मचारी के 2 माह के मूल वेतन (Two Months' Basic Pay)** से अधिक हो, तो लेनदेन के **1 माह के भीतर** सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करना अनिवार्य है।	DoPT IPR Rule 18
नियम 21	विवाह के संबंध में प्रतिबंध (द्विविवाह)	जीवित पति या पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने पर पूर्ण प्रतिबंध है (चाहे व्यक्तिगत कानून अनुमति देता हो, जब तक कि सरकार विशेष कारणों से अनुमति न दे)। विदेशी नागरिक से विवाह करने पर पूर्व सूचना अनिवार्य।	CCS Conduct Rules 1964

नियम सं.	नियम का शीर्षक	प्रमुख वैधानिक प्रावधान एवं मौद्रिक सीमाएँ	संदर्भ स्रोत
नियम 22	मादक पेय और औषधियाँ	ड्यूटी पर आने से पूर्व या ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पेय/नशीले पदार्थ के प्रभाव में नहीं रहेगा। **रनिंग स्टाफ को ड्यूटी पर आने से 8 घंटे पूर्व** मादक पेय लेने पर पूर्ण प्रतिबंध है।	CCS Conduct Rules 1964
नियम 22A	बाल श्रम का प्रतिषेध	**14 वर्ष से कम आयु** के किसी भी बालक को किसी भी कार्य या घरेलू काम पर रखने पर पूर्ण प्रतिबंध है।	CCS Conduct Rules 1964

6.2 CCS (CCA) नियम, 1965 बनाम रेलवे DAR नियम, 1968 की समतुल्यता सारणी

केंद्रीय सचिवालय (CSS), डाक, लेखा और अन्य सिविल विभागों में **CCS (CCA) नियम, 1965** लागू होते हैं (CCS CCA Rules 1965):

विषय / प्रावधान	CCS (CCA) नियम, 1965	रेलवे DAR नियम, 1968	संदर्भ स्रोत
निलंबन (Suspension)	**नियम 10** (90 दिन में समीक्षा; 48 घंटे हिरासत पर डीम्ड निलंबन)	**नियम 5** (SF-1 / SF-2)	CCS CCA Rules PDF
दंड (Penalties — Minor & Major)	**नियम 11**	**नियम 6**	CCS CCA Rules PDF
दीर्घ दंड जाँच प्रक्रिया (Major Penalty Inquiry)	**नियम 14** (जाँच सामान्यतः **6 माह** में पूर्ण करनी होती है)	**नियम 9** (SF-5)	CCS CCA Rules PDF
जाँच रिपोर्ट पर कार्रवाई	**नियम 15**	**नियम 10**	CCS CCA Rules PDF
लघु दंड लगाने की प्रक्रिया	**नियम 16**	**नियम 11** (SF-11)	CCS CCA Rules PDF
संयुक्त कार्यवाही (Common Proceedings)	**नियम 18**	**नियम 13** (SF-10)	CCS CCA Rules PDF
विशेष मामलों में बिना जाँच दंड	**नियम 19**	**नियम 14**	CCS CCA Rules PDF
अपील एवं अपील की समय-सीमा	**नियम 23 से 27** (**45 दिन** के भीतर)	**नियम 18 से 22** (**45 दिन** के भीतर)	Handling Disciplinary Proceedings
पुनरीक्षण और समीक्षा (Revision & Review)	**नियम 29 एवं 29-A**	**नियम 25 एवं 25-A**	CCS CCA Rules PDF

6.3 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH Act, 2013)

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)** फैसले के दिशानिर्देशों को वैधानिक रूप देने के लिए संसद द्वारा **POSH अधिनियम, 2013** (अधिनियम सं. 14 / 2013, 22 अप्रैल 2013 को अधिसूचित व **9 दिसंबर 2013** से लागू) पारित किया गया (POSH Act 2013):

1. **आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC — धारा 4):**

• प्रत्येक ऐसे कार्यस्थल पर जहाँ **10 या उससे अधिक कर्मचारी** कार्यरत हैं, नियोक्ता द्वारा ICC का गठन अनिवार्य है (POSH Act Overview)। (10 से कम कर्मचारियों वाले कार्यस्थल या जब शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध हो, तो जिला अधिकारी द्वारा गठित **स्थानीय शिकायत समिति - LCC** मामले की सुनवाई करती है)।

• **ICC की संरचना:**

• **पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer):** कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत **महिला कर्मचारी**।

• **कम-से-कम 2 सदस्य:** कर्मचारियों में से जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हों या विधिक ज्ञान रखते हों।

• **1 बाहरी सदस्य:** महिलाओं के लिए कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन (NGO) से या यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित व्यक्ति।

• **महिला प्रतिनिधित्व:** कुल सदस्यों में से **कम-से-कम आधे (50%) सदस्य महिलाएँ** होना अनिवार्य है।

• **कार्यकाल:** नामांकन की तिथि से **अधिकतम 3 वर्ष**।

2. **शिकायत एवं जाँच की वैधानिक समय-सीमाएँ (Exam Golden Numbers):**

• **शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा (धारा 9):** घटना की तिथि से **3 माह के भीतर** (और क्रमिक घटनाओं में अंतिम घटना से 3 माह के भीतर)। लिखित कारण दर्ज कर ICC इस सीमा को **अधिकतम 3 माह और बढ़ा** सकती है (कुल 6 माह)।

• **सुलह (Conciliation — धारा 10):** जाँच शुरू करने से पूर्व केवल **पीड़िता के अनुरोध पर** ICC सुलह का प्रयास कर सकती है, किंतु **सुलह का आधार कोई मौद्रिक समझौता (Monetary Settlement) नहीं हो सकता!**

• **जाँच के दौरान अंतरिम राहत (धारा 12):** पीड़िता के लिखित अनुरोध पर ICC नियोक्ता को पीड़िता या प्रतिवादी का तबादला करने अथवा पीड़िता को **अधिकतम 3 माह तक का विशेष अवकाश** (जो उसके नियमित छुट्टी खाते के अतिरिक्त होगा) देने की सिफारिश कर सकती है। (DoPT निर्देशों के अनुसार जाँच के दौरान पीड़ित महिला सरकारी सेवक को अधिकतम **90 दिन** तक का विशेष अवकाश देय है)।

• **जाँच पूर्ण करने की अवधि (धारा 11(4)):** शिकायत प्राप्ति से **90 दिनों के भीतर**।

• **जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करना (धारा 13(1)):** जाँच पूर्ण होने की तिथि से **10 दिनों के भीतर** नियोक्ता को रिपोर्ट सौंपना।

• **नियोक्ता द्वारा सिफारिशों का क्रियान्वयन (धारा 13(4)):** रिपोर्ट प्राप्त होने के **60 दिनों के भीतर** कार्रवाई करना।

• **अपील की समय-सीमा (धारा 18):** सिफारिशों से व्यथित पक्ष **90 दिनों के भीतर** न्यायाधिकरण/अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

• **सरकारी सेवा में ICC रिपोर्ट का दर्जा (CCS CCA नियम 14(2) परंतुक):** सरकारी विभागों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) को ही नियम 14 (रेलवे में नियम 9) के अंतर्गत **जाँच प्राधिकारी (Inquiring Authority)** माना जाता है और उसकी रिपोर्ट सीधे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई योग्य होती है (अलग से दूसरा IO नियुक्त नहीं किया जाता)।

6.4 चार्ट डेटा (%): ICC संरचना एवं समय-सीमा अनुपात

• **आंतरिक शिकायत समिति (ICC) में न्यूनतम महिला सदस्यता:** महिला सदस्य: **≥ 50%** | अन्य सदस्य: **≤ 50%** (POSH Act 2013)।

• **POSH निस्तारण चक्र (कुल 160 दिन):** जाँच अवधि: **90 दिन (56.25%)** | रिपोर्ट प्रस्तुति: **10 दिन (6.25%)** | नियोक्ता द्वारा क्रियान्वयन: **60 दिन (37.50%)**।

मॉड्यूल 7: सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (GFR 2017) एवं सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 7: सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (GFR 2017) एवं सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
लोक वित्तीय प्रबंधन एवं वित्तीय औचित्य के मानक (Canons of Financial Propriety — नियम 21)	**सामग्री एवं सेवाओं की खरीद (अध्याय 6: नियम 142–206) एवं GeM स्लैब (मई 2024 संशोधन सहित)**	**बोली सुरक्षा (EMD), निष्पादन सुरक्षा (PBG) एवं टुकड़ों में खरीद निषेध**

7.1 लोक वित्तीय प्रबंधन एवं वित्तीय औचित्य के मानक (Canons of Financial Propriety — नियम 21)

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा जारी **सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (GFR 2017)** में कुल 12 अध्याय हैं (General Financial Rules 2017)। **नियम 21** में लोक निधि (Public Money) खर्च करने वाले प्रत्येक प्राधिकारी के लिए **वित्तीय औचित्य के मानक (Standards of Financial Propriety)** निर्धारित किए गए हैं (GFR Rule 21):

1. प्रत्येक अधिकारी लोक निधि से व्यय करते समय **उसी स्तर की सतर्कता (Same vigilance) बरतेगा जैसा कि एक सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वयं के धन को खर्च करते समय** बरतता है।

2. व्यय आवश्यकता से अधिक (More than the occasion demands) नहीं होना चाहिए।

3. कोई भी प्राधिकारी किसी ऐसे आदेश को पारित करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा जिससे **प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं उसे अपना व्यक्तिगत लाभ (Own Advantage)** होता हो।

4. लोक राजस्व या निधि का उपयोग किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा, सिवाय जहाँ वह विधिक दावे या मान्यता प्राप्त नीति के अधीन हो।

7.2 सामग्री एवं सेवाओं की खरीद (अध्याय 6: नियम 142–206) एवं GeM स्लैब (मई 2024 संशोधन सहित)

विभागीय परीक्षाओं में GFR 2017 के अध्याय 6 के मौद्रिक स्लैब से सीधे संख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा **मई 2024 के संशोधन** के माध्यम से प्रमुख मौद्रिक सीमाओं को दोगुना कर दिया गया है (Public Procurement Under GFR 2017 & May 2024 Amendments)। नीचे दी गई मास्टर सारणी में **नवीनतम संशोधित सीमा (मई 2024)** और **मूल GFR 2017 सीमा** दोनों दी गई हैं ताकि परीक्षा में जिस भी विकल्प पर प्रश्न आए, आप तुरंत सही उत्तर चुन सकें:

GFR नियम	खरीद की पद्धति (Mode of Procurement)	नवीनतम संशोधित मौद्रिक सीमा (मई 2024 से प्रभावी)	पूर्ववर्ती / मूल GFR 2017 सीमा	प्रमुख वैधानिक शर्तें एवं अपवाद	संदर्भ स्रोत
नियम 149(i)	**GeM पोर्टल से प्रत्यक्ष खरीद (Direct Online Purchase on GeM)**	**₹50,000 तक** (ऑटोमोबाइल खरीद हेतु **₹1,00,000 तक** बिना ऊपरी सीमा के भी प्रावधान)	₹25,000 तक	GeM पर उपलब्ध किसी भी आपूर्तिकर्ता से जो गुणवत्ता व विनिर्देश (Specification) पूरे करता हो।	GFR 2017 & GeM Limits
नियम 149(ii)	**GeM पर L-1 तुलना द्वारा खरीद (GeM L-1 Purchase)**	**₹50,000 से अधिक एवं ₹10,00,000 (₹10 लाख) तक**	₹25,000 से अधिक एवं ₹5,00,000 तक	कम-से-कम **3 अलग-अलग विनिर्माताओं (3 Different OEMs)** के उत्पादों की तुलना कर सबसे कम दर (L-1) वाले विक्रेता से खरीद।	GFR 150 MCQs & Rules
नियम 149(iii)	**GeM पर ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन (GeM Bidding / RA)**	**₹10,00,000 (₹10 लाख) से अधिक**	₹5,00,000 से अधिक	अनिवार्य रूप से GeM के ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन (RA) टूल का उपयोग कर सबसे कम दर वाले आपूर्तिकर्ता से खरीद।	GFR 150 MCQs & Rules
नियम 154	**बिना कोटेशन के सामग्री की खरीद (Purchase of Goods without Quotation — Non-GeM)**	**₹50,000 तक** प्रति अवसर (वैज्ञानिक मंत्रालयों / DRDO हेतु **₹1,00,000 तक**)	₹25,000 तक	सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दर्ज करने पर कि खरीदी गई वस्तु अपेक्षित गुणवत्ता की और उचित बाजार मूल्य पर है।	GFR 2017 Procurement
नियम 155	**स्थानीय क्रय समिति द्वारा खरीद (Purchase by Local Purchase Committee - LPC)**	**₹50,000 से अधिक एवं ₹5,00,000 (₹5 लाख) तक**	₹25,000 से अधिक एवं ₹2,50,000 तक	विभागाध्यक्ष द्वारा गठित **3 सदस्यीय स्थानीय क्रय समिति (3-Member LPC)** बाजार का सर्वेक्षण कर मूल्य की तर्कसंगतता व गुणवत्ता प्रमाणित करेगी।	GFR 2017 Procurement
नियम 162	**सीमित निविदा जाँच (Limited Tender Enquiry - LTE)**	अनुमानित मूल्य **₹50,00,000 (₹50 लाख) तक**	₹25,00,000 (₹25 लाख) तक	निविदा दस्तावेज पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को भेजे जाते हैं; आपूर्तिकर्ताओं की संख्या **तीन से अधिक (More than three, अर्थात कम-से-कम 4)** होनी चाहिए।	GFR 2017 Procurement
नियम 161	**विज्ञापित निविदा जाँच / खुली निविदा (Advertised Tender Enquiry - ATI)**	अनुमानित मूल्य **₹50,00,000 (₹50 लाख) एवं उससे अधिक**	₹25,00,000 (₹25 लाख) एवं उससे अधिक	CPPP और GeM पोर्टल पर प्रकाशन अनिवार्य। बोलियाँ जमा करने हेतु न्यूनतम समय **3 सप्ताह (21 दिन)** तथा विदेशी/ग्लोबल टेंडर (GTE) की स्थिति में **4 सप्ताह (28 दिन)**।	GFR 150 MCQs & Rules
नियम 161(iv)	**वैश्विक निविदा जाँच (Global Tender Enquiry - GTE)**	**₹200 करोड़ तक** के टेंडरों में बिना कैबिनेट सचिवालय/DoE की पूर्व अनुमति के GTE जारी करने पर प्रतिबंध	आत्मनिर्भर भारत संशोधन	घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु ₹200 करोड़ तक केवल भारतीय निविदा ही आमंत्रित की जाएगी।	GFR 2017 Procurement

GFR नियम	खरीद की पद्धति (Mode of Procurement)	नवीनतम संशोधित मौद्रिक सीमा (मई 2024 से प्रभावी)	पूर्ववर्ती / मूल GFR 2017 सीमा	प्रमुख वैधानिक शर्तें एवं अपवाद	संदर्भ स्रोत
नियम 166	**एकल निविदा जाँच (Single Tender Enquiry - STE / PAC)**	जब वस्तु केवल एक ही विशिष्ट फर्म (Proprietary Article Certificate - PAC) द्वारा निर्मित हो या आकस्मिक आपातकाल हो	—	सक्षम प्राधिकारी द्वारा PAC प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर अनिवार्य।	GFR 2017 Rules

7.3 बोली सुरक्षा (EMD), निष्पादन सुरक्षा (PBG) एवं टुकड़ों में खरीद निषेध

• **नियम 157 (Splitting of Demand Prohibited):** उच्च अधिकारी की मंजूरी या औपचारिक टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए कुल मांग को **छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटना (Piecemeal Purchase / Splitting of Demand) पूर्णतः वर्जित** है (GFR 2017 IITK PDF)।

• **नियम 170 — बोली सुरक्षा / बयाना राशि (Bid Security / Earnest Money Deposit - EMD):**

• **दर:** अनुमानित अनुबंध मूल्य का **2% से 5%** के बीच (GFR 2017 Rules)।

• **वैधता:** अंतिम बोली वैधता अवधि (Bid Validity Period) से **45 दिन अधिक** तक वैध रहनी चाहिए।

• **छूट (Exemption):** सूक्ष्म और लघु उद्यमों (**MSEs**) तथा DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त **स्टार्टअप्स (Start-ups)** को बोली सुरक्षा (EMD) जमा करने से पूर्ण छूट प्राप्त है (GFR 2017 Procurement)।

• **नियम 171 — निष्पादन सुरक्षा (Performance Security / PBG):**

• **दर:** अनुबंध मूल्य का **3% से 10%** (मूल नियम में 5% से 10%, नवीनतम राहत दिशानिर्देशों में 3% से 5%/10%)।

• **वैधता:** वारंटी अवधि सहित सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तिथि से **60 दिन अधिक** की अवधि तक वैध रहना अनिवार्य है। (नोट: MSE को EMD में छूट मिलती है, किंतु टेंडर जीतने के बाद **PBG जमा करने में कोई छूट नहीं** होती) (GFR 2017 Procurement)।

• **बजट निर्माण, व्यय नियंत्रण एवं CAG ऑडिट:**

• **वित्तीय वर्ष (नियम 42):** 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।

• **व्यपगत का सिद्धांत (Rule of Lapse):** संसद द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान यदि 31 मार्च तक खर्च नहीं होता है, तो वह स्वतः समाप्त (Lapse) हो जाता है। मार्च के अंतिम माह में हड़बड़ी में बजट खर्च करना (**March Rush**) वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

• **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG — संविधान के अनुच्छेद 148 से 151):** केंद्र व राज्य सरकारों के लेखों की वैधानिक, विनियोग (Appropriation) एवं निष्पादन (Performance) लेखापरीक्षा करता है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति (अनुच्छेद 151) को सौंपता है, जिसकी जांच **लोक लेखा समिति (PAC — 22 सदस्य: 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)** करती है।

7.4 चार्ट डेटा (%): GFR सुरक्षा जमा एवं निविदा अनुपात

• **बोली सुरक्षा (EMD) बनाम निष्पादन सुरक्षा (PBG) प्रतिशत:** EMD (नियम 170): **2% – 5%** | PBG (नियम 171): **3% – 10%** (GFR 2017 Rules)।

• **हथकरघा व MSE खरीद आरक्षण:** केंद्रीय विभागों द्वारा कपड़ा खरीद में हथकरघा (Handloom) आरक्षण: **न्यूनतम 20%** (GFR Rule 154/155 Overview) | वार्षिक कुल खरीद में MSE (सूक्ष्म व लघु उद्यम) से अनिवार्य खरीद लक्ष्य: **25%** (जिसमें 4% SC/ST उद्यमियों और 3% महिला उद्यमियों से)।

मॉड्यूल 8: राजभाषा नीति (राजभाषा अधिनियम 1963 व नियम 1976) एवं सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI 2005)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 8: राजभाषा नीति (राजभाषा अधिनियम 1963 व नियम 1976) एवं सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI 2005)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान (भाग XVII — अनुच्छेद 343 से 351)	राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) एवं धारा 3(3) के 14 अनिवार्य दस्तावेज	राजभाषा नियम, 1976: क्षेत्र क, ख, ग वर्गीकरण एवं प्रमुख नियम	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005)

8.1 राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान (भाग XVII — अनुच्छेद 343 से 351)

• **14 सितंबर 1949:** संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया (इसीलिए **14 सितंबर को 'हिंदी दिवस'** और **10 जनवरी को 'विश्व हिंदी दिवस'** मनाया जाता है) (Official Languages Recognition)।

• **प्रमुख अनुच्छेद (Articles 343–351):**

• **अनुच्छेद 343(1):** संघ की राजभाषा **हिंदी** और लिपि **देवनागरी** होगी तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप **भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप (1, 2, 3...)** होगा (Official Languages Recognition)।

• **अनुच्छेद 343(2):** संविधान के प्रारंभ से **15 वर्ष की अवधि (अर्थात 25 जनवरी 1965 तक)** अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा।

• **अनुच्छेद 344:** राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष एवं 10 वर्ष पर **राजभाषा आयोग** का गठन (प्रथम राजभाषा आयोग 7 **जून 1955 को श्री बी.जी. खेर** की अध्यक्षता में गठित हुआ) तथा **संसदीय राजभाषा समिति (कुल 30 सदस्य: 20 लोकसभा से + 10 राज्यसभा से; प्रथम अध्यक्ष: पं. गोविंद बल्लभ पंत)** का गठन (Official Languages Recognition)।

• **अनुच्छेद 345–347:** प्रादेशिक भाषाएँ (राज्यों की राजभाषा)।

• **अनुच्छेद 348:** उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधिनियमों/विधेयकों के लिए प्रयुक्त भाषा (जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, अंग्रेजी में होगी) (Official Languages Recognition)।

• **अनुच्छेद 350:** व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा; **350क (350A):** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ; **350ख (350B):** भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी।

• **अनुच्छेद 351:** हिंदी भाषा के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए संघ का निदेश (प्रमुखतः संस्कृत से तथा आठवीं अनुसूची की अन्य 22 भाषाओं से शब्द ग्रहण कर समृद्ध करना)।

• (नोट: संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान **भाग V के अनुच्छेद 120** में और राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान **भाग VI के अनुच्छेद 210** में है)।

8.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) एवं धारा 3(3) के 14 अनिवार्य दस्तावेज

10 मई 1963 को पारित **राजभाषा अधिनियम, 1963** (जिसमें कुल **9 धाराएँ** हैं और जिसकी प्रमुख धाराएँ **26 जनवरी 1965** से लागू हुईं) ने 1965 के बाद भी संघ के शासकीय कार्यों के लिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की अनुमति दी (Official Languages Act 1963)।

• **धारा 3(3) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में) जारी किए जाने वाले 14 दस्तावेज (Section 3(3) Official Languages Act):**

1. संकल्प (Resolutions)
2. सामान्य आदेश (General Orders)
3. नियम (Rules)

4. अधिसूचनाएँ (Notifications)
5. प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन / रिपोर्ट (Administrative and other Reports)
6. प्रेस विज्ञप्तियाँ (Press Communiqués)
7. संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन (Reports laid before Parliament)
8. संसद के समक्ष रखे जाने वाले सरकारी कागज-पत्र (Official Papers laid before Parliament)
9. संविदाएँ (Contracts)
10. करार (Agreements)
11. अनुज्ञप्तियाँ (Licences)
12. अनुज्ञापत्र / परमिट (Permits)
13. निविदा सूचनाएँ (Tender Notices)
14. निविदा प्ररूप / टेंडर फॉर्म (Tender Forms)

• **उत्तरदायित्व:** धारा 3(3) के दस्तावेजों पर **हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी** का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है कि वह सुनिश्चित करे कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही जारी किए जाएँ (Official Language Instructions)।

8.3 राजभाषा नियम, 1976: क्षेत्र क, ख, ग वर्गीकरण एवं प्रमुख नियम

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (कुल **12 नियम**) **तमिलनाडु राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत** पर लागू होते हैं (Official Languages Rules 1976):

क्षेत्र (Region)	सम्मिलित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश	पत्राचार एवं वार्षिक कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य (%)	संदर्भ स्रोत
क्षेत्र 'क' (Region A)	**9 राज्य:** उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ + **2 केंद्र शासित प्रदेश:** दिल्ली, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (कुल 11 इकाइयाँ)	क से क एवं क से ख क्षेत्र को मूल पत्राचार: **100% हिंदी में**; क से ग क्षेत्र को: **65% हिंदी में**; टिप्पण कार्य: **75%**	Region A, B, C Rules
क्षेत्र 'ख' (Region B)	**3 राज्य:** गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब + **2 केंद्र शासित प्रदेश:** चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	ख से क एवं ख क्षेत्र को पत्राचार: **90% हिंदी में**; ख से ग क्षेत्र को: **55% हिंदी में**; टिप्पण कार्य: **50%**	Region A, B, C Rules
क्षेत्र 'ग' (Region C)	क और ख क्षेत्र में शामिल न किए गए **शेष सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश** (जैसे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, लक्षद्वीप आदि)	ग से क, ख और ग क्षेत्र को पत्राचार: **55% हिंदी में**; टिप्पण कार्य: **30%**	Region A, B, C Rules

• **राजभाषा नियम 1976 के सबसे महत्वपूर्ण नियम:**

• **नियम 5:** हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों और हिंदी में हस्ताक्षरित आवेदनों/अभ्यावेदनों का उत्तर **अनिवार्य रूप से (100%) हिंदी में** ही दिया जाएगा (Official Language Instructions)।

• **नियम 8:** कोई भी कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे दूसरी भाषा में अनुवाद देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

• **नियम 9 (प्रवीणता / Proficiency):** यदि कर्मचारी ने मैट्रिक (10वीं) या समकक्ष अथवा उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो, या स्नातक में हिंदी को ऐच्छिक विषय के रूप में लिया हो।

• **नियम 10 (कार्यसाधक ज्ञान / Working Knowledge):** यदि कर्मचारी ने मैट्रिक में हिंदी एक विषय के रूप में उत्तीर्ण की हो अथवा राजभाषा विभाग की **'प्राज्ञ' (Pragya)** परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (हिंदी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रम: **प्रबोध → प्रवीण → प्राज्ञ → पारंगत**)।

• **नियम 10(4):** जिस केंद्रीय कार्यालय के **80% या अधिक कर्मचारियों** ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस कार्यालय का नाम राजपत्र (Gazette) में अधिसूचित किया जाता है।

• **नियम 11:** सभी मैनुअल, संहिताएँ, प्रक्रिया साहित्य, रजिस्टरों के प्ररूप, नामपट्ट (Nameplates), सूचना-पट्ट, पत्रशीर्ष (Letterheads) और लिफाफे **द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी)** होंगे; तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में साइन बोर्ड का क्रम **1. क्षेत्रीय भाषा, 2. हिंदी, 3. अंग्रेजी (त्रिभाषी सूत्र)** होगा (Official Language Annual Programme)।

• **नियम 12:** राजभाषा अधिनियम और नियमों के समुचित अनुपालन का समग्र उत्तरदायित्व **प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान (Administrative Head)** का होता है।

• **राजभाषा समितियाँ एवं बैठकें:**

• **केंद्रीय हिंदी समिति (Central Hindi Committee):** सर्वोच्च नीतिगत समिति; **अध्यक्ष: प्रधानमंत्री**; कुल 41 सदस्य।

• **रेलवे हिंदी सलाहकार समिति: अध्यक्ष: रेल मंत्री**।

• **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास / TOLIC):** किसी नगर में 10 या अधिक केंद्रीय कार्यालय होने पर गठित; वर्ष में **2 बैठकें (प्रत्येक 6 माह में 1)**।

• **विभागीय/कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC):** वर्ष में **4 बैठकें (प्रत्येक तिमाही में 1 बैठक)** अनिवार्य (Section 3(3) & OLIC Circular)।

8.4 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005)

प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** (अधिनियम सं. 22 / 2005) **15 जून 2005** को अधिनियमित हुआ और **12 अक्टूबर 2005** से संपूर्ण रूप से लागू हुआ (RTI Act Overview)। इसमें कुल **6 अध्याय, 31 धाराएँ और 2 अनुसूचियाँ** हैं:

धारा सं.	विषय / प्रावधान	प्रमुख वैधानिक नियम, शुल्क एवं समय-सीमाएँ	संदर्भ स्रोत
धारा 4	**लोक प्राधिकारियों के दायित्व एवं स्वतः प्रकटीकरण (Suo Motu Disclosure)**	धारा 4(1)(b) के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अपने संगठन, कार्यों, शक्तियों, नियमों, वेतनमानों और बजट आदि से संबंधित **17 बिंदुओं की सूचना** स्वतः प्रकाशित करनी होती है ताकि जनता को सूचना मांगने के लिए कम-से-कम आवेदन करना पड़े।	RTI Act Overview
धारा 5	जन सूचना अधिकारी (PIO) एवं APIO का पदनामन	प्रत्येक प्रशासनिक इकाई में केंद्रीय/राज्य जन सूचना अधिकारी (CPIO/SPIO) तथा उप-मंडल स्तर पर सहायक जन सूचना अधिकारी (CAPIO/SAPIO) नियुक्त करना।	RTI Act Overview
धारा 6	सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध	आवेदन शुल्क **₹10; गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के आवेदकों के लिए निःशुल्क (₹0)**। धारा 6(2) के तहत आवेदक से **सूचना मांगने का कारण नहीं पूछा जाएगा**। यदि विषय दूसरे लोक प्राधिकारी से संबंधित हो तो धारा 6(3) के तहत **5 दिनों के भीतर** आवेदन अंतरित (Transfer) करना अनिवार्य है।	RTI Act Overview
धारा 7	**अनुरोध का निपटारा (समय-सीमाएँ)**	**सामान्य समय-सीमा:** PIO द्वारा आवेदन प्राप्ति से **30 दिनों के भीतर** (RTI Act Overview)। **व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता (Life or Liberty) से संबंधित सूचना: 48 घंटे के भीतर** (RTI Act Overview)। **APIO के माध्यम से आवेदन करने पर:** +5 दिन अतिरिक्त अर्थात **35 दिन**। **तृतीय पक्ष (Third Party — धारा 11) से संबंधित सूचना होने पर: 40 दिन**। निर्धारित 30 दिनों के बाद सूचना देने पर वह **निःशुल्क (Free of Cost)** दी जाएगी। (अतिरिक्त प्रतिलिपि शुल्क: A4/A3 पृष्ठ **₹2 प्रति पृष्ठ**, सीडी/फ्लॉपी **₹50**, दस्तावेज निरीक्षण प्रथम घंटा निःशुल्क व उसके बाद **₹5 प्रति घंटा**)।	RTI Act Overview
धारा 8(1)	**सूचना प्रकटीकरण से छूट (Exemption from Disclosure — 10 खंड: a से j)**	**8(1)(a):** भारत की संप्रभुता, अखंडता व राज्य की सुरक्षा; **8(1)(b):** न्यायालय द्वारा प्रकाशन वर्जित या अवमानना; **8(1)(c):** संसद/विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन; **8(1)(d):** वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा; **8(1)(e):** वैश्वासिक नातेदारी (Fiduciary Relationship); **8(1)(f):** विदेशी सरकार से गोपनीय रूप में प्राप्त सूचना; **8(1)(g):** किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा; **8(1)(h):** जिससे अन्वेषण, गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा पड़े; **8(1)(i):** मंत्रिमंडल के कागजात (Cabinet Papers — निर्णय होने के बाद कारण सार्वजनिक किए जाएंगे); **8(1)(j):** व्यक्तिगत सूचना (Personal Information) जिसका किसी लोक क्रियाकलाप से संबंध न हो या जिससे एकांतता (Privacy) में अनुचित हस्तक्षेप हो। (धारा 8(3) के तहत 20 वर्ष से पुरानी घटनाओं की सूचना केवल 8(1)(a), (c) और (i) के अपवादों को छोड़कर देय होती है)।	RTI Act Overview

धारा सं.	विषय / प्रावधान	प्रमुख वैधानिक नियम, शुल्क एवं समय-सीमाएँ	संदर्भ स्रोत
धारा 19	प्रथम एवं द्वितीय अपील की समय-सीमा	**प्रथम अपील (First Appeal — धारा 19(1)):** 30 दिन की अवधि समाप्त होने या निर्णय प्राप्त होने के **30 दिनों के भीतर** PIO से वरिष्ठ अधिकारी (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी - FAA) को; जिसका निपटारा FAA द्वारा **30 दिनों में (विशेष कारणों से अधिकतम 45 दिनों में)** किया जाएगा (RTI Act Overview)। **द्वितीय अपील (Second Appeal — धारा 19(3)):** प्रथम अपील के निर्णय के विरुद्ध **90 दिनों के भीतर** केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) या राज्य सूचना आयोग (SIC) के समक्ष (RTI Act Overview)।	RTI Act Overview
धारा 20	शास्ति / अर्थदंड (Penalties on PIO)	बिना उचित कारण आवेदन लेने से मना करने, समय पर सूचना न देने या गलत/भ्रामक सूचना देने पर सूचना आयोग PIO पर **₹250 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम ₹25,000 तक का जुर्माना** लगा सकता है तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।	RTI Act Overview
धारा 24	कतिपय संगठनों पर अधिनियम का लागू न होना	**दूसरी अनुसूची (Second Schedule)** में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों (जैसे IB, RAW, DRI, ED, BSF, CRPF, CISF, NSG, SPG आदि — ध्यान दें: *RPF* इसमें शामिल नहीं है, अतः *RPF* पर *RTI* लागू है!) पर यह अधिनियम लागू नहीं होता; **परंतु भ्रष्टाचार (Corruption) और मानवाधिकार उल्लंघन (Human Rights Violation)** के आरोपों से संबंधित सूचना इन संगठनों को भी देनी होगी (मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में CIC के अनुमोदन से **45 दिनों के भीतर**)।	RTI Act Overview

8.5 चार्ट डेटा (%): राजभाषा पत्राचार लक्ष्य एवं RTI निस्तारण मेट्रिक्स

• **मूल पत्राचार में हिंदी के प्रयोग का वार्षिक लक्ष्य (%):** क से क/ख: **100%** | ख से क/ख: **90%** | क से ग: **65%** | ख/ग से ग: **55%** (Official Language Annual Programme)।

• **राजभाषा नियम 10(4) अधिसूचना सीमा:** कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी: **≥ 80%** (Official Language Instructions)।

• **RTI समय-सीमा अनुपात (दिनों में):** जीवन व स्वतंत्रता: **2 दिन (48 घंटे)** | सामान्य PIO निस्तारण: **30 दिन** | APIO के माध्यम से: **35 दिन** | तृतीय पक्ष मामला: **40 दिन** | मानवाधिकार उल्लंघन (धारा 24): **45 दिन** | द्वितीय अपील सीमा: **90 दिन** (RTI Act Overview)।

संपूर्ण परीक्षा हेतु 15 अचूक स्मृति ट्रिक्स (15 Master Memory Tricks / Mnemonics)

1. ट्रिक 1 — DAR 1968 के सभी मानक फॉर्म (SF-1 से SF-11) याद करने का कविता-सूत्र:

★ "एक (SF-1) में सस्पेंड किया, दो (SF-2) में जेल (48 घंटे) का मान,
तीन (SF-3) में बेरोजगार लिखा, चार (SF-4) में बहाल सम्मान!
पाँच (SF-5) में मेजर चार्ज मिला, छह (SF-6) में डॉक्यूमेंट इनकार,
सात (SF-7) में IO, आठ (SF-8) में PO, नौ (SF-9) हुआ बाहर!
दस (SF-10) में सब पर कॉमन केस, ग्यारह (SF-11) माइनर का आदेश!"

2. ट्रिक 2 — HOER 2005 की 4 श्रेणियों के साप्ताहिक कार्य व वैधानिक (OT) घंटे:

★ "गहन (Intensive) 42 से 45, निरंतर (Continuous) 48 से 54 जान; सविराम (EI) 48+12/24 से 75 तक, विश्राम 30-30-24 का मान!"

• (*Intensive*: रोस्टर 42, वैधानिक सीमा 45, विश्राम 30 घंटे; *Continuous*: रोस्टर 48, वैधानिक सीमा 54, विश्राम 30 घंटे; *EI*: वैधानिक सीमा 75, विश्राम 24 घंटे)।

3. ट्रिक 3 — चयन (Selection) बनाम गैर-चयन (Non-Selection) पद का अंतर:

★ "चयन (Selection) में 1:3 बुलाओ, 85 परीक्षा + 15 रिकॉर्ड से 60% पाओ; गैर-चयन (Non-Selection) में 1:1 बुलाओ, वरिष्ठता-उपयुक्तता से 12 माह की रिक्ति पाओ!"

4. ट्रिक 4 — MACP योजना का '10-20-30 वेरी गुड' कोड:

★ "1 सितंबर 2008 से MACP आई, 10-20-30 वर्ष पर 3 बार पे-मैट्रिक्स के अगले लेवल में पढ़ाई, और 25 जुलाई 2016 से 'Very Good' बेंचमार्क की शर्त लगाई!"

5. ट्रिक 5 — सुविधा पास एवं PTO का '1-3-6 और 4-5' नियम:

★ "अराजपत्रित को 5 साल तक 1 पास, 5 साल बाद 3 पास; राजपत्रित को शुरू से 6 पास! PTO सबको 4 सेट (1/3 किराए पर), और वैधता हमेशा 5 महीने खास!"

6. ट्रिक 6 — एकीकृत पेंशन योजना (UPS — 1 अप्रैल 2025) के 5 स्तंभ:

★ "UPS का पक्का हिसाब: 25 साल पर 50% पेंशन, 10 साल पर ₹10,000 न्यूनतम, परिवार को 60% सम्मान, हर 6 माह पर 1/10 एकमुश्त, और 10% कर्मचारी के साथ 18.5% सरकारी अंशदान!"

7. ट्रिक 7 — मृत्यु उपदान (Death Gratuity) का '2-6-12-20-33' पहाड़ा:

★ "1 साल से कम में 2 गुना, 1 से 5 में 6 गुना, 5 से 11 में 12 गुना, 11 से 20 में 20 गुना, और 20 साल पार होने पर अधिकतम 33 गुना (सीमा ₹25 लाख)!"

8. ट्रिक 8 — 80 वर्ष के बाद अतिरिक्त पेंशन का '20-30-40-50-100' सीढ़ी सूत्र:

★ "80 की उम्र से हर 5 साल पर दस-दस बढ़ाओ (80 पर 20%, 85 पर 30%, 90 पर 40%, 95 पर 50%) और 100 वर्ष पूरे होते ही सीधा 100% पाओ!"

9. ट्रिक 9 — RPF नियम 70 बनाम नियम 72 का '75-25' सूत्र:

★ "नियम 70 में वरिष्ठता के साथ 75% सीट और 10% एक्स्ट्रा रिजर्व का मान; नियम 72 में तेज तर्रार LDCE से 25% सीट और अधिकतम 2 अवसरों की उड़ान!"

10. ट्रिक 10 — RPUP अधिनियम 1966 की प्रमुख धाराएँ (2-3-5-6-8):

★ "धारा 2(d) में रेल संपत्ति, धारा 3 में पहली बार 1 से 5 साल व दूसरी बार 2 से 5 साल की सजा, धारा 5 में गैर-पुलिस संज्ञेय, धारा 6 में बिना वारंट गिरफ्तारी, और धारा 8 में RPF की न्यायिक जांच (जिसका बयान कोर्ट में मान्य)!"

11. ट्रिक 11 — रेलवे अधिनियम 1989 की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली धाराएँ:

★ "137 में बिना टिकट कपट, 138 में अतिरिक्त प्रभार, 141 में चेन पुलिंग, 143 में टिकट दलाल, 144 में हॉकर, 145 में नशा/उपद्रव, 147 में अनाधिकृत प्रवेश, 156 में छत पर सवारी, 162 में महिला कोच, और 167 में धूम्रपान!"

12. ट्रिक 12 — CCS आचरण नियम 1964 एवं POSH 2013 के गोल्डन नंबर:

★ "नियम 3 में सत्यनिष्ठा, 3C में यौन उत्पीड़न निषेध, 5 में राजनीति बंद, 13 में उपहार, 13A में दहेज निषेध, 18 में संपत्ति (अचल 31 जनवरी तक, चल 2 माह के वेतन से ऊपर 1 माह में)! और POSH में 3+3 माह शिकायत, 90 दिन जाँच, 10 दिन रिपोर्ट व 60 दिन कार्रवाई!"

13. ट्रिक 13 — GFR 2017 के नवीनतम (मई 2024) खरीद स्लैब का '50 हजार – 5 लाख – 10 लाख – 50 लाख' सीढ़ी कोड:

★ "₹50,000 तक बिना कोटेशन (नियम 154) या GeM डायरेक्ट (149-i); ₹50,000 से ₹5 लाख तक 3-सदस्यीय LPC (नियम 155); ₹50,000 से ₹10 लाख तक GeM पर 3-OEM तुलना (149-ii); ₹10 लाख से ऊपर GeM बिडिंग/RA (149-iii); ₹50 लाख तक लिमिटेड टेंडर (नियम 162 — ≥4 वेंडर); और ₹50 लाख व ऊपर ओपन टेंडर (नियम 161)!"

14. ट्रिक 14 — राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के 14 अनिवार्य द्विभाषी दस्तावेजों का सूत्र:

★ "संसद के 2 कागज (रिपोर्ट व ऑफिशियल पेपर्स), सरकार के 4 आदेश (संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना), सूचना के 2 माध्यम (प्रशासनिक रिपोर्ट व प्रेस विज्ञप्ति), और व्यापार के 6 प्रपत्र (संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचना व निविदा फॉर्म) = कुल 14 दस्तावेज हमेशा द्विभाषी!"

15. ट्रिक 15 — RTI अधिनियम 2005 की सभी समय-सीमाओं का '48 घंटे से 90 दिन' चार्ट कोड:

★ "जीवन-स्वतंत्रता 48 घंटे, आवेदन ट्रांसफर 5 दिन, सामान्य जवाब 30 दिन, APIO से +5 = 35 दिन, थर्ड पार्टी 40 दिन, प्रथम अपील 30 दिन (निपटारा 30–45 दिन), मानवाधिकार सूचना 45 दिन, और CIC में द्वितीय अपील 90 दिन (जुर्माना ₹250/दिन से अधिकतम ₹25,000)!"

मॉड्यूल 1: विभागीय पदोन्नति परीक्षा प्रणाली — GDCE एवं LDCE तथा कोटा संरचना

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 1: विभागीय पदोन्नति परीक्षा प्रणाली — GDCE एवं LDCE तथा कोटा संरचना

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
क्या आप जानते हैं? बॉक्स

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: रिक्ति आकलन एवं अधिसूचना जारी करना

↓↓ (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ एवं कार्मिक शाखा द्वारा कोटा निर्धारण)

नोड 2: पात्रता सत्यापन (सेवा अवधि, शैक्षणिक योग्यता एवं वेतन स्तर)

↓↓ (कंप्यूटर आधारित परीक्षा / लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षण)

नोड 3: मेरिट सूची निर्माण, दस्तावेज़ सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण

↓↓ (प्रशिक्षण संस्थान में प्रारंभिक पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन)

नोड 4: पैनल अनुमोदन, पदस्थापन आदेश एवं वरिष्ठता निर्धारण

- **नोड 1 का विश्लेषण:** भारतीय रेल में सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (GDCE) तथा पदोन्नति कोटा के अंतर्गत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) की अधिसूचना जारी की जाती है।
- **नोड 2 का विश्लेषण:** GDCE में नियमित रेल कर्मचारी जो सीधी भर्ती की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, आवेदन कर सकते हैं; जबकि LDCE में निर्धारित न्यूनतम नियमित सेवा (सामान्यतः 2 से 5 वर्ष) और विशिष्ट कैडर की पात्रता अनिवार्य होती है (दक्षिण मध्य रेलवे प्रश्नपत्र संदर्भ)।
- **नोड 3 का विश्लेषण:** चयन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठ परीक्षा, आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षण (CBAT) या टंकण परीक्षा तथा रेलवे चिकित्सा नियमावली के अनुसार श्रेणी (A-1, A-2, A-3, B-1, B-2, C-1, C-2) में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है।
- **नोड 4 का विश्लेषण:** प्रशिक्षणोरांत अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पैनल वरीयता के अनुसार नियमित पदस्थापन और वरिष्ठता निर्धारित होती है।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: GDCE बनाम LDCE बनाम वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता पदोन्नति

तुलना का आधार	सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (GDCE)	सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE)	वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता (Seniority-cum-Suitability)	आधिकारिक संदर्भ
रिक्ति का स्रोत	सीधी भर्ती कोटा (Direct Recruitment Quota) की अधिकतम 25% से 50% रिक्तियां	पदोन्नति कोटा (Promotional Quota) का निर्धारित प्रतिशत (जैसे 15%, 20% या 30%)	पदोन्नति कोटा का मुख्य भाग (सामान्यतः 50% से 80% तक)	भारतीय रेल
पात्र कर्मचारी वर्ग	सभी विभागों/संवर्गों के नियमित रेल कर्मचारी (निम्न या समान ग्रेड पे/लेवल)	केवल संबंधित फीडर कैडर (Feeder Cadre) के पात्र नियमित कर्मचारी	केवल संबंधित वरिष्ठता इकाई के क्रमानुसार वरिष्ठ कर्मचारी	दक्षिण मध्य रेलवे
न्यूनतम सेवा शर्त	परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके नियमित कर्मचारी (बोर्ड के निर्देशानुसार)	पद के अनुसार 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष की न्यूनतम नियमित सेवा	फीडर ग्रेड में न्यूनतम 2 वर्ष की नियमित सेवा (कुछ अपवादों सहित)	पूर्वोत्तर रेलवे
अधिकतम आयु सीमा	सामान्य वर्ग हेतु 42 वर्ष, अ.जा./अ.ज.जा. हेतु 47 वर्ष, अ.पि.व. हेतु 45 वर्ष	अधिकांश अराजपत्रित LDCE पदों में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं (विशिष्ट नियमों के अधीन)	कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं (सेवानिवृत्ति आयु से पूर्व तक)	भारतीय रेल
चयन का आधार	पूर्णतः मेरिट आधारित (प्रतियोगी परीक्षा एवं कौशल/साइको टेस्ट के अंक)	पूर्णतः मेरिट आधारित (लिखित परीक्षा एवं सेवा रिकॉर्ड मूल्यांकन)	उपयुक्तता जांच तथा वरिष्ठता क्रम को प्राथमिकता	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

तुलना का आधार	सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (GDCE)	सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE)	वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता (Seniority-cum-Suitability)	आधिकारिक संदर्भ
शैक्षणिक योग्यता	सीधी भर्ती (RRB) के समान न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य	कई तकनीकी/परिचालन पदों में शैक्षणिक छूट, अनुभव को प्राथमिकता	फीडर पद की योग्यता ही पर्याप्त (विशिष्ट तकनीकी पदों को छोड़कर)	भारतीय रेल
राजपत्रित समूह 'ख' चयन	लागू नहीं (केवल अराजपत्रित समूह 'ग' पदों हेतु)	30% रिक्तियां LDCE के माध्यम से भरी जाती हैं	70% रिक्तियां चयन (Selection) प्रक्रिया द्वारा वरिष्ठता क्रमानुसार	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• भारतीय रेल में समूह 'ग' से समूह 'ख' (राजपत्रित अधिकारी — जैसे ACM, AOM, AME, AEN, APO, AFA) में पदोन्नति के लिए दो समानांतर धाराएं चलती हैं: **70% चयन कोटा (Selection Quota)** जिसमें पात्रता क्षेत्र वरिष्ठता पर आधारित होता है, और **30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE Quota)** जिसमें कनिष्ठ मेधावी कर्मचारी भी निर्धारित सेवा पूरी करके सीधे अधिकारी बन सकते हैं (SECR राजपत्रित चयन अधिसूचना)।

• यदि कोई रेल कर्मचारी पदोन्नति स्वीकार करने से लिखित रूप में इंकार (Refusal of Promotion) करता है, तो उसे **1 वर्ष** के लिए पदोन्नति से वंचित (Debar) कर दिया जाता है और उस अवधि में उससे कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नत होकर वरिष्ठता में ऊपर निकल जाते हैं (MCF LDCE प्रश्नपत्र)।

• खेल कोटे (Sports Quota) या अनुकंपा के आधार पर नियुक्त अवर लिपिक (Junior Clerk) को टंकण परीक्षा (Typing Test) उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित समय सीमा में अवसर प्रदान किए जाते हैं (पूर्वोत्तर रेलवे विभागीय प्रश्नपत्र)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि GDCE में समान वेतन स्तर (Same Level) के कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते। **सत्य:** सुरक्षा संवर्ग (Safety Category) से गैर-सुरक्षा संवर्ग में जाने को छोड़कर, समान ग्रेड/लेवल के कर्मचारी गैर-सुरक्षा से सुरक्षा संवर्ग या एक सुरक्षा संवर्ग से दूसरे सुरक्षा संवर्ग में GDCE के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं (भारतीय रेल)।

• **जाल 2:** समूह 'ख' के 70% चयन और 30% LDCE में उत्तीर्णता अंक समान मान लेना। **सत्य:** 70% चयन में लिखित परीक्षा और रिकॉर्ड ऑफ सर्विस दोनों में निर्धारित न्यूनतम अंक (सामान्यतः 60%) लाना अनिवार्य है, जबकि 30% LDCE में चयन विशुद्ध रूप से मेरिट क्रम पर होता है (SECR ACM नियम)।

• **जाल 3:** आपसी स्थानांतरण (Mutual Transfer) और स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण (Own Request Transfer) में वरिष्ठता नियम को एक समान समझना। **सत्य:** स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण में कर्मचारी नई इकाई में सबसे नीचे (Bottom Seniority) रखा जाता है, जबकि आपसी स्थानांतरण में दोनों कर्मचारियों में से जो कनिष्ठ है, उसकी वरिष्ठता या अपनी मूल वरिष्ठता (जो भी कम हो) प्राप्त होती है (SCR विभागीय परीक्षा)।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• **सूत्र: "सीधी का पच्चीस-पचास जीडीसीई (GDCE), सत्तर-तीस से अफ़सर बने एलडीसीई (LDCE)!"**

• **व्याख्या:**

• **GDCE** = **G**eneral (सभी विभाग) + **D**irect Quota (सीधी भर्ती रिक्ति) + **42-45-47** आयु सीमा।

• **LDCE** = **L**imited (सीमित फीडर कैडर) + **Promotional Quota** + **70% चयन : 30% LDCE** (ग्रुप 'बी' राजपत्रित अधिकारी पदोन्नति)।

• **पदोन्नति अस्वीकार (Refusal)** = **1 वर्ष** तक रोक + वरिष्ठता हानि।

मॉड्यूल 2: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) नियम 1987 — नियम 70 एवं नियम 72 पदोन्नति प्रणाली

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 2: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) नियम 1987 — नियम 70 एवं नियम 72 पदोन्नति प्रणाली

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
क्या आप जानते हैं? बॉक्स

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: बल मुख्यालय / जोनल मुख्य सुरक्षा आयुक्त (PCSC) द्वारा रिक्ति गणना

↓↓ (नियम 70 वरिष्ठता-सह-दक्षता अथवा नियम 72 सीमित विभागीय प्रतियोगिता का चयन)

नोड 2: सेवा रिकॉर्ड सत्यापन (सजा-मुक्त सेवा, APAR ग्रेडिंग एवं न्यूनतम सेवा अवधि)

↓↓ (कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा, आउटडोर शारीरिक दक्षता एवं ड्रिल/शस्त्र परीक्षण)

नोड 3: विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) द्वारा मूल्यांकन एवं पैनल निर्माण

↓↓ (जगजीवन राम आरपीएफ अकादमी / प्रशिक्षण केंद्र में पदोन्नति पाठ्यक्रम)

नोड 4: रैंक अलंकरण (Pipping Ceremony) एवं जोनल/मण्डलीय तैनाती

- **नोड 1 का विश्लेषण:** भारतीय रेल के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल (RPF) नियम, 1987 के अध्याय में पदोन्नति के स्पष्ट प्रावधान हैं। रिक्तियों को वरिष्ठता आधारित परीक्षा (नियम 70) और मेधा आधारित त्वरित पदोन्नति परीक्षा (नियम 72) के बीच विभाजित किया जाता है।
- **नोड 2 का विश्लेषण:** नियम 72 के अंतर्गत आवेदन करने वाले बल सदस्यों का सेवा रिकॉर्ड स्वच्छ होना चाहिए तथा पिछले वर्षों में कोई बड़ी दंडात्मक कार्यवाही (Major Penalty) लंबित या प्रभावी नहीं होनी चाहिए।
- **नोड 3 का विश्लेषण:** लिखित परीक्षा में भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), रेलवे अधिनियम 1989, RPF अधिनियम 1957, RPF नियम 1987 और राजभाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं।
- **नोड 4 का विश्लेषण:** चयनित अभ्यर्थियों को अनिवार्य पदोन्नति प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना होता है, जिसके पश्चात उन्हें पदोन्नत रैंक (Head Constable, ASI, SI या Inspector) प्रदान किया जाता है।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: RPF नियम 70 बनाम RPF नियम 72 एवं अन्य प्रावधान

तुलनात्मक बिंदु	RPF नियम 70 (Rule 70 Promotion)	RPF नियम 72 (Rule 72 LDCE)	RPF नियम 71 (परीक्षण मानदंड)	आधिकारिक आधार
प्रकृति एवं उद्देश्य	वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता (Seniority-cum-Fitness) आधारित नियमित पदोन्नति	सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) द्वारा मेधावी जवानों की त्वरित पदोन्नति	विभागीय परीक्षाओं हेतु अंक विभाजन एवं अर्हक मानदंड	भारतीय रेल
पात्रता का दायरा	वरिष्ठता सूची के अनुसार निर्धारित जोन ऑफ कंसीडरेशन (Zone of Consideration) के सदस्य	निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूरी करने वाले सभी पात्र कनिष्ठ सदस्य	नियम 70 और नियम 72 दोनों के अभ्यर्थियों पर लागू	भारतीय रेल
अधिकतम अवसर (Attempts)	पात्रता क्षेत्र में आने पर नियमानुसार अवसर	एक रैंक के लिए सेवाकाल में अधिकतम **2 या 3 अवसर** (प्रचलित संशोधित निर्देशानुसार)	प्रत्येक परीक्षा चक्र में अर्हक अंक अनिवार्य	भारतीय रेल
चयन में वरिष्ठता की भूमिका	अर्हक अंक प्राप्त करने के बाद पैनल **वरिष्ठता क्रम** में बनता है	पैनल पूर्णतः **परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों की मेरिट** के आधार पर बनता है	लिखित परीक्षा + सेवा रिकॉर्ड / आउटडोर का योग	भारतीय रेल
प्रमुख लक्षित पद	कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से ASI, ASI से SI, SI से निरीक्षक	कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल से सीधे ASI या SI बनने का सुनहरा अवसर	सभी अराजपत्रित पदोन्नति रैंक	भारतीय रेल

तुलनात्मक बिंदु	RPF नियम 70 (Rule 70 Promotion)	RPF नियम 72 (Rule 72 LDCE)	RPF नियम 71 (परीक्षण मानदंड)	आधिकारिक आधार
शारीरिक दक्षता एवं ड्रिल	आयु वर्ग के अनुसार मानकीकृत परेड एवं शस्त्र हैंडलिंग जांच	प्रतिस्पर्धी आउटडोर परीक्षण, परेड, शस्त्र एवं सेवा अभिलेख मूल्यांकन	न्यूनतम कुल 60% (आरक्षित वर्ग हेतु 50%) उत्तीर्णांक	भारतीय रेल

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 की **धारा 10** के अनुसार RPF के अधिकारी और सदस्य सदैव **'रेल सेवक' (Railway Servants)** माने जाते हैं तथा वर्ष 2003 के संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे भारत संघ का एक पूर्ण **सशस्त्र बल (Armed Force of the Union)** घोषित किया गया है (भारतीय रेल)।

• RPF नियम, 1987 के **नियम 153** के अंतर्गत बल के अराजपत्रित सदस्यों के विरुद्ध बड़ी शास्ति (Major Penalty) की विभागीय जांच संपादित की जाती है, जबकि **नियम 158** के अंतर्गत छोटी शास्ति (Minor Penalty) की प्रक्रिया अपनाई जाती है (IUC अकादमी)।

• रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 (RPUP Act) और रेलवे अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं (जैसे धारा 137 से 174) में RPF को बिना वारंट गिरफ्तारी और जांच (Inquiry) करने की विशेष वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं (भारतीय रेल)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** RPF द्वारा की जाने वाली जांच को पुलिस अन्वेषण (Police Investigation under CrPC/BNSS) समझ लेना। **सत्य:** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार RPF अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं; वे रेलवे अधिनियम और RPUP अधिनियम के अंतर्गत **'जांच' (Inquiry)** करते हैं, इसलिए RPF अधिकारी के समक्ष दिया गया संस्वीकृति बयान (Confessional Statement) साक्ष्य में ग्राह्य (Admissible) होता है (भारतीय रेल)।

• **जाल 2:** नियम 70 और नियम 72 के पैनल निर्माण में मेरिट और वरिष्ठता का भ्रम। **सत्य:** नियम 70 में अर्हक अंक (Qualifying Marks) पाने वाले अभ्यर्थियों को उनकी **मूल वरिष्ठता (Seniority)** के क्रम में पैनल में रखा जाता है, जबकि नियम 72 (LDCE) में पैनल विशुद्ध रूप से **प्राप्तांकों की मेरिट (Order of Merit)** से बनता है।

• **जाल 3:** सामान्य रेल सेवकों के SF-5 को RPF के जवानों पर सीधे लागू समझना। **सत्य:** अराजपत्रित RPF सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही RPF नियम, 1987 के **नियम 153 (बड़ी शास्ति)** और **नियम 158 (छोटी शास्ति)** के तहत होती है।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• सूत्र: "सत्तर (70) चले सीनियरिटी के साथ, बहत्तर (72) दे मेरिट को हाथ; एक सौ तिरेपन (153) बड़ी सजा सुनाए, एक सौ अठावन (158) छोटी में निपटाए!"

• व्याख्या:

• **नियम 70** = वरिष्ठता आधारित पदोन्नति (अर्हक अंक + वरिष्ठता पैनल)।

• **नियम 71** = परीक्षा के अंक और पात्रता मानदंड।

• **नियम 72** = LDCE त्वरित पदोन्नति (मेरिट पैनल)।

• **नियम 153** = मेजर पेनल्टी जांच | **नियम 158** = माइनर पेनल्टी।

मॉड्यूल 3: रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 (DAR 1968) एवं मानक प्रपत्र (SF-1 से SF-11)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 3: रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 (DAR 1968) एवं मानक प्रपत्र (SF-1 से SF-11)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
क्या आप जानते हैं? बॉक्स

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: कदाचार की सूचना एवं आरोप पत्र (SF-5) की तामील

↓↓ (आरोपित कर्मचारी द्वारा 10 दिनों के भीतर लिखित बचाव कथन प्रस्तुत करना)

नोड 2: जांच अधिकारी (IO) एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (PO) की नियुक्ति (SF-7 एवं SF-8)

↓↓ (प्रारंभिक सुनवाई, गवाहों का मुख्य परीक्षण, प्रति-परीक्षण एवं बचाव सहायक की भूमिका)

नोड 3: जांच रिपोर्ट प्रस्तुति एवं कर्मचारी को अभ्यावेदन हेतु 15 दिन का अवसर

↓↓ (अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सकारण आदेश — *Speaking Order*)

नोड 4: शास्ति अधिरोपण, अपील (45 दिन — नियम 18/19) एवं पुनरीक्षण (नियम 25)

- **नोड 1 का विश्लेषण:** रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के **नियम 9** के अंतर्गत बड़ी शास्ति (Major Penalty) के लिए मानक प्रपत्र-5 (SF-5) जारी किया जाता है, जिसमें 4 अनुलग्नक (आरोपों के अनुच्छेद, लांछनों का विवरण, दस्तावेजों की सूची और गवाहों की सूची) होते हैं (दक्षिण मध्य रेलवे प्रश्नपत्र)।
- **नोड 2 का विश्लेषण:** यदि कर्मचारी आरोप स्वीकार नहीं करता है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच कर सकता है या **SF-7** द्वारा जांच अधिकारी (Inquiry Officer) और **SF-8** द्वारा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (Presenting Officer) नियुक्त करता है।
- **नोड 3 का विश्लेषण:** नैसर्गिक न्याय (Principles of Natural Justice — *Audi Alteram Partem* तथा *Nemo Judex In Causa Sua*) का पालन करते हुए जांच रिपोर्ट की प्रति कर्मचारी को दी जाती है।
- **नोड 4 का विश्लेषण:** दंडादेश के विरुद्ध कर्मचारी आदेश प्राप्त होने के **45 दिनों** के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है तथा अपील के पश्चात नियम 25 के अंतर्गत पुनरीक्षण (Revision) का प्रावधान है (भारतीय रेल)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: DAR 1968 के समस्त मानक प्रपत्र (Standard Forms) एवं शास्तियां

मानक प्रपत्र / नियम	आधिकारिक नाम एवं उपयोग का उद्देश्य	संबंधित DAR नियम	प्रमुख वैधानिक शर्त / समय-सीमा	आधिकारिक स्रोत
SF-1	प्रत्यक्ष निलंबन आदेश (Order of Suspension)	नियम 5(1)	जांच लंबित या विचाराधीन होने अथवा आपराधिक मामले में	दक्षिण मध्य रेलवे
SF-2	मानित निलंबन आदेश (Deemed Suspension)	नियम 5(2)	**48 घंटे** से अधिक हिरासत में रहने या **48 घंटे** से अधिक कारावास की सजा पर	दक्षिण मध्य रेलवे
SF-3	बेरोजगारी प्रमाण-पत्र (Certificate of Non-Employment)	नियम 5 (निर्वाह भत्ता)	निलंबित कर्मचारी द्वारा प्रत्येक माह निर्वाह भत्ता पाने हेतु प्रस्तुत	भारतीय रेल
SF-4	निलंबन प्रतिसंहरण (Revocation of Suspension)	नियम 5(5)(c)	निलंबन समाप्त कर पुनः ड्यूटी पर वापस लेने का आदेश	दक्षिण मध्य रेलवे
SF-5	बड़ी शास्ति हेतु आरोप-पत्र (Major Penalty Charge Sheet)	नियम 9	4 अनुलग्नक सहित; बचाव कथन हेतु 10 कार्यदिवस का समय	भारतीय रेल
SF-6	दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति से इंकार	नियम 9	गोपनीय या लोकहित के विरुद्ध होने पर दस्तावेज देने से मनाही	भारतीय रेल
SF-7	जांच अधिकारी (IO) की नियुक्ति का आदेश	नियम 9(2)	आरोपित कर्मचारी से कम से कम एक ग्रेड वरिष्ठ अधिकारी	भारतीय रेल
SF-8	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (PO) की नियुक्ति का आदेश	नियम 9(9)(c)	सामान्यतः सतर्कता/CBI मामलों में प्रशासन का पक्ष रखने हेतु	भारतीय रेल
SF-9	(निरस्त / विलोपित प्रपत्र)	पूर्व नियम	वर्तमान में प्रचलन से बाहर (परीक्षा में 'निरस्त' विकल्प चुनें)	भारतीय रेल

मानक प्रपत्र / नियम	आधिकारिक नाम एवं उपयोग का उद्देश्य	संबंधित DAR नियम	प्रमुख वैधानिक शर्त / समय-सीमा	आधिकारिक स्रोत
SF-10 (एवं 10A/ 10B)	संयुक्त कार्यवाही (Common Proceedings) का आदेश	नियम 13	दो या अधिक रेल कर्मचारियों के एक ही मामले में संलिप्त होने पर	भारतीय रेल
SF-11	छोटी शास्ति हेतु आरोप-पत्र (Minor Penalty Charge Sheet)	नियम 11	बिना नियमित जांच के अभ्यावेदन के आधार पर छोटी शास्ति (Censure आदि)	भारतीय रेल
SF-11(b) / 11(c)	SF-11 के अंतर्गत जांच निर्णय / SF-5 को SF-11 में बदलना	नियम 11(1)(b)	जब कर्मचारी की संचयी/अधिक वेतनवृद्धि रोकनी हो तो नियम 9 की जांच आवश्यक	भारतीय रेल

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 311(1)** के अनुसार किसी भी रेल या सिविल सेवक को उसके **नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority)** से अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत (Dismiss) या पद से हटाया (Remove) नहीं जा सकता (दक्षिण मध्य रेलवे प्रश्नपत्र)।

• **नियम 14** (संविधान के अनुच्छेद 311(2) के परंतुक पर आधारित) में तीन ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जहां बिना नियमित जांच के सीधे बड़ी शास्ति दी जा सकती है: (i) **नियम 14(i):** आपराधिक दोषसिद्धि के आचरण पर, (ii) **नियम 14(ii):** जब अनुशासनिक प्राधिकारी संतुष्ट हो कि जांच करना व्यवहार्य (Reasonably Practicable) नहीं है, तथा (iii) **नियम 14(iii):** जब राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि राज्य की सुरक्षा के हित में जांच करना समीचीन नहीं है (भारतीय रेल)।

• निलंबन आदेश की समीक्षा (Review of Suspension) **90 दिनों** के भीतर समीक्षा समिति द्वारा की जानी अनिवार्य है, अन्यथा 90 दिनों के बाद निलंबन वैध नहीं रहता (जब तक कि उसे औपचारिक रूप से अधिकतम 180 दिनों के लिए बढ़ाया न जाए) (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** 'निलंबन' (Suspension) या 'चेतावनी' (Warning) को DAR के अंतर्गत शास्ति (Penalty) मान लेना। **सत्य:** निलंबन और प्रशासनिक चेतावनी कोई दंड (Penalty) नहीं हैं! DAR के **नियम 6** के अंतर्गत सबसे छोटी औपचारिक शास्ति **'निंदा' (Censure)** है (भारतीय रेल)।

• **जाल 2:** सेवा से हटाए जाने (Removal from Service) और बर्खास्तगी (Dismissal from Service) को एक समान समझना। **सत्य:** दोनों बड़ी शास्तियां हैं, किंतु **Removal** होने पर व्यक्ति भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए पात्र रहता है, जबकि **Dismissal** होने पर वह भविष्य में किसी भी सरकारी रोजगार के लिए पूर्णतः अयोग्य हो जाता है।

• **जाल 3:** छोटी शास्ति (SF-11) में कभी भी मौखिक जांच (Oral Inquiry) न होने की धारणा। **सत्य:** यदि छोटी शास्ति के अंतर्गत कर्मचारी की वेतनवृद्धि **3 वर्ष से अधिक** समय के लिए रोकी जानी हो, या **संचयी प्रभाव (Cumulative Effect)** से रोकी जानी हो, या सेवानिवृत्ति लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो, तो नियम 11(1)(b) के तहत SF-11(b) जारी करके नियम 9 जैसी पूर्ण जांच करना अनिवार्य है (भारतीय रेल)।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• सूत्र: "1 में सस्पेंड, 2 में अरेस्ट (48 घंटे), 3 में बेरोजगारी, 4 में बहाली; 5 दे बड़ी चार्जशीट, 7 पर IO, 8 पर PO, 10 में साझेदारी, 11 में छोटी कार्यवाही!"

• व्याख्या:

• **SF-1 से SF-4** = निलंबन परिवार (1: निलंबन, 2: मानित निलंबन, 3: बेरोजगारी प्रमाण-पत्र, 4: निलंबन वापसी)।

• **SF-5 से SF-8** = बड़ी जांच परिवार (5: मेजर चार्जशीट, 6: दस्तावेज़ मनाही, 7: जांच अधिकारी IO, 8: प्रस्तुतकर्ता अधिकारी PO)।

• **SF-9** = निरस्त (Deleted) | **SF-10** = संयुक्त कार्यवाही | **SF-11** = माइनर चार्जशीट।

• **अपील समय-सीमा** = **45 दिन** (नियम 18 एवं 19)।

मॉड्यूल 4: कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि नियम, 2005 (HOER 2005) — कर्मचारी वर्गीकरण

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 4: कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि नियम, 2005 (HOER 2005) — कर्मचारी वर्गीकरण

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
क्या आप जानते हैं? बॉक्स

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: कार्य विश्लेषण (Job Analysis) — 72 घंटे का निरंतर कार्यभार अध्ययन

↓↓ (निष्क्रियता की अवधि, कार्य की तीव्रता एवं एकाग्रता का वैज्ञानिक मापन)

नोड 2: चार श्रेणियों में वर्गीकरण — गहन (Intensive), सतत (Continuous), आवश्यक रूप से सविराम (EI) एवं अपवर्जित (Excluded)

↓↓ (मानक कार्य घंटे, तैयारी/समापन समय — *P&C Time* एवं साप्ताहिक विश्राम का निर्धारण)

नोड 3: ड्यूटी रोस्टर प्रकाशन एवं अधिकतम ओवरटाइम (OT) गणना (150% की दर से)

↓↓ (रनिंग स्टाफ हेतु मुख्यालय विश्राम — 16 घंटे एवं बाहरी स्टेशन विश्राम — 8 घंटे)

नोड 4: क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (RLC) के समक्ष अपील (90 दिन) एवं आवधिक समीक्षा

- **नोड 1 का विश्लेषण:** रेल अधिनियम, 1989 के अध्याय XIV और रेल सेवक (कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 (HOER) के अंतर्गत किसी पद के वर्गीकरण के लिए लगातार **72 घंटे (3 दिन)** का कार्य विश्लेषण (Job Analysis) किया जाता है (भारतीय रेल)।
- **नोड 2 का विश्लेषण:** कार्य की प्रकृति और विश्राम अंतराल के आधार पर कर्मचारियों को 4 वर्गों में बांटा जाता है: गहन (Intensive), सतत (Continuous), आवश्यक रूप से सविराम (Essentially Intermittent - EI) तथा अपवर्जित (Excluded)।
- **नोड 3 का विश्लेषण:** वैधानिक कार्य सीमा (Statutory Limit) से अधिक कार्य करने पर कर्मचारी को वेतन के **1.5 गुना (150%)** की दर से समयोपरि भत्ता (Overtime Allowance - OTA) देय होता है (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे परिचालन नियम)।
- **नोड 4 का विश्लेषण:** किसी पद को 'गहन' (Intensive) या 'आवश्यक रूप से सविराम' (EI) घोषित करने की शक्ति **महाप्रबंधक (General Manager)** में निहित है, और वर्गीकरण से असंतुष्ट होने पर **90 दिनों** के भीतर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (Regional Labour Commissioner) को अपील की जा सकती है।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: HOER 2005 के चारों कर्मचारी वर्गों का संपूर्ण विवरण

वर्गीकरण श्रेणी	मानक साप्ताहिक कार्य घंटे (Rostered Hours)	वैधानिक अधिकतम कार्य सीमा (Statutory Limit / OT सीमा)	न्यूनतम साप्ताहिक विश्राम (Weekly Rest)	प्रमुख उदाहरण (पदनाम)	आधिकारिक स्रोत
1. गहन (Intensive)	**42 घंटे** प्रति सप्ताह (P&C सहित अधिकतम 45 घंटे)	**45 घंटे** प्रति सप्ताह (2 सप्ताह के औसत आधार पर)	प्रत्येक सप्ताह कम से कम **30 लगातार घंटे**	सेक्शन कंट्रोलर, व्यस्त केबिन के सिग्नलर/ASM (जहां 6 घंटे में 1 घंटे से कम विश्राम मिले)	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
2. सतत (Continuous)	**48 घंटे** प्रति सप्ताह (P&C सहित अधिकतम 54 घंटे)	**54 घंटे** प्रति सप्ताह (2 सप्ताह के औसत आधार पर)	प्रत्येक सप्ताह कम से कम **30 लगातार घंटे**	सामान्य स्टेशन मास्टर, बुकिंग क्लर्क, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), कार्यालय लिपिक	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
3. आवश्यक रूप से सविराम (EI)	**48 घंटे** + (12 या 24 अतिरिक्त घंटे) = **60 या 72 घंटे** प्रति सप्ताह	**75 घंटे** प्रति सप्ताह	प्रत्येक सप्ताह कम से कम **24 लगातार घंटे** (जिसमें एक पूरी रात शामिल हो)	गेटमैन (कम यातायात), विश्राम गृह केयरटेकर, प्रतीक्षालय परिचारक, चौकीदार	भारतीय रेल

वर्गीकरण श्रेणी	मानक साप्ताहिक कार्य घंटे (Rostered Hours)	वैधानिक अधिकतम कार्य सीमा (Statutory Limit / OT सीमा)	न्यूनतम साप्ताहिक विश्राम (Weekly Rest)	प्रमुख उदाहरण (पदनाम)	आधिकारिक स्रोत
4. अपवर्जित (Excluded)	कोई निश्चित साप्ताहिक रोस्टर सीमा नहीं	कोई वैधानिक समयोपरि (OT) सीमा नहीं	प्रत्येक **14 दिनों (पखवाड़े) में 48 लगातार घंटे** या 1 सप्ताह में 24 घंटे	पर्यवेक्षक (Supervisors), गोपनीय सहायक, स्वास्थ्य निरीक्षक, मेट्रन	भारतीय रेल
विशेष: रनिंग स्टाफ (Running Staff)	सतत वर्ग के अंतर्गत औसत **48 घंटे** (P&C सहित 54 घंटे)	**54 घंटे** प्रति सप्ताह (2 सप्ताह के चक्र में)	माह में **4 विश्राम (प्रत्येक 30 घंटे)** या **5 विश्राम (प्रत्येक 22 घंटे)**	लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (माल/सवारी गाड़ी)	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• HOER नियम 2005 में **'रात्रि' (Night)** की वैधानिक परिभाषा **रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक** की अवधि है, तथा **'पूर्ण रात्रि विश्राम' (Full Night in Bed)** का अर्थ रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के बीच कम से कम **6 लगातार घंटे** का विश्राम है (भारतीय रेल)।

• रनिंग स्टाफ (लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर) के लिए **'10 घंटे का नियम' (10-Hour Rule)** अत्यंत महत्वपूर्ण है: इंजन के पहिए चलने (Wheel Moving / Sign-On से राहत) तक एक बार में लगातार ड्यूटी की सीमा निर्धारित की गई है ताकि थकान से रेल दुर्घटनाएं रोकी जा सकें (SECR परिचालन नियम)।

• रनिंग स्टाफ को मुख्यालय (Headquarters) पर न्यूनतम **16 घंटे** का विश्राम (यदि पिछली ड्यूटी 8 घंटे से अधिक हो) और बाहरी स्टेशन (Outstation / Running Room) पर न्यूनतम **8 घंटे** का विश्राम दिया जाना अनिवार्य है (SECR परिचालन नियम)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** सभी रेल कर्मचारियों को 'अपवर्जित' (Excluded) श्रेणी में समझना जिनमें राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं। **सत्य:** राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officers) HOER नियमों के दायरे से ही बाहर हैं; 'अपवर्जित' (Excluded) श्रेणी अराजपत्रित पर्यवेक्षकों, गोपनीय और चिकित्सा कर्मचारियों के लिए है (भारतीय रेल)।

• **जाल 2:** रनिंग स्टाफ को एक स्वतंत्र पांचवीं श्रेणी मान लेना। **सत्य:** HOER के अंतर्गत केवल **4 श्रेणियां** (गहन, सतत, EI और अपवर्जित) हैं; रनिंग स्टाफ को **'सतत' (Continuous)** श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

• **जाल 3:** लंबी नॉन-स्टॉप ड्यूटी (Long On) की अधिकतम सीमा में भ्रम। **सत्य:** दो ड्यूटी पारियों के बीच कम से कम **12 घंटे** का अंतराल होना चाहिए (सड़क के किनारे के स्टेशनों पर 8 घंटे), और एक पारी का विस्तार (Spread-over) किसी भी स्थिति में **12 घंटे** (EI में 14 घंटे) से अधिक नहीं होना चाहिए।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• **सूत्र: "गहन के बयालीस (42), सतत के अड़तालीस (48), ईआई (EI) चले साठ या बहत्तर (60/72); विश्राम मिले तीस-तीस-चौबीस (30-30-24) घंटे बेहतर!"**

• **व्याख्या:**

• **गहन (Intensive)** = 42 घंटे कार्य (45 वैधानिक सीमा) + 30 घंटे साप्ताहिक विश्राम।

• **सतत (Continuous)** = 48 घंटे कार्य (54 वैधानिक सीमा) + 30 घंटे साप्ताहिक विश्राम।

• **EI (सविराम)** = 60/72 घंटे कार्य (75 वैधानिक सीमा) + 24 घंटे साप्ताहिक विश्राम (एक पूर्ण रात्रि सहित)।

• **रनिंग स्टाफ विश्राम** = मुख्यालय पर **16 घंटे**, बाहरी स्टेशन पर **8 घंटे**, माह में **4×30 घंटे** या **5×22 घंटे**।

मॉड्यूल 5: रेल सेवक (पास एवं पीटीओ) नियम, 1986 एवं HRMS ई-पास प्रणाली

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 5: रेल सेवक (पास एवं पीटीओ) नियम, 1986 एवं HRMS ई-पास प्रणाली

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
क्या आप जानते हैं? बॉक्स

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: HRMS पोर्टल में परिवार विवरण (Family Declaration) का सत्यापन

↓↓ (पात्र आश्रितों, वेतन स्तर एवं वार्षिक सेट कोटे की स्वचालित जांच)

नोड 2: कर्मचारी द्वारा ई-पास / ई-पीटीओ आवेदन (संपूर्ण या स्प्लिट पास विकल्प)

↓↓ (सिस्टम द्वारा डिजिटल स्वीकृति एवं पंजीकृत मोबाइल पर *OTP*/यूनिक पास नंबर)

नोड 3: IRCTC या पीआरएस काउंटर पर ई-पास से टिकट आरक्षण (5 महीने की वैधता)

↓↓ (यात्रा के दौरान पहचान पत्र एवं डिजिटल पास प्रस्तुत करना)

नोड 4: सेवानिवृत्ति उपरांत मानार्थ पास (Post-Retirement Complimentary Pass) में रूपांतरण

- **नोड 1 का विश्लेषण:** रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (संशोधित संस्करण) के अंतर्गत अब सभी सुविधा पास (Privilege Passes) और सुविधा टिकट आदेश (PTO) भारतीय रेल के **HRMS (Human Resource Management System)** पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाते हैं (SECR IT/HRMS सिलेबस)।
- **नोड 2 का विश्लेषण:** नया नियुक्त कर्मचारी भी नियुक्ति की तिथि से ही सुविधा पास और वर्ष में **4 सेट पीटीओ (PTO)** पाने का हकदार है (पूर्वोत्तर रेलवे प्रश्नपत्र)।
- **नोड 3 का विश्लेषण:** एक पूरा सेट या आधा सेट पास जारी होने की तिथि से **5 महीने** तक वैध रहता है तथा पीटीओ पर सामान्य किराए के **एक-तिहाई (1/3)** भुगतान पर टिकट जारी होता है।
- **नोड 4 का विश्लेषण:** न्यूनतम **20 वर्ष** की अर्हक रेल सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आजीवन सेवानिवृत्ति मानार्थ पास तथा उनकी मृत्यु के बाद जीवनसाथी को **विधवा पास (Widow Pass — आधे सेट)** मिलते हैं।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: रेल सेवकों की पास पात्रता, रंग, वैधता एवं धातु पास (Metal Pass)

कर्मचारी वर्ग / पदनाम	वार्षिक सुविधा पास (Privilege Pass)	वार्षिक पीटीओ (PTO) सेट	ड्यूटी / सुविधा पास की श्रेणी एवं रंग	सेवानिवृत्ति मानार्थ पास (20+ वर्ष सेवा)	आधिकारिक संदर्भ
राजपत्रित अधिकारी (समूह 'क' एवं 'ख' — लेवल 8 से 17)	**6 सेट** प्रति वर्ष (नियुक्ति से ही)	**4 सेट** प्रति वर्ष	**प्रथम श्रेणी 'ए' (First Class 'A')** — सफेद रंग का पास (1 परिचारक द्वितीय श्रेणी में अनुमत)	**3 सेट** प्रति वर्ष (20 वर्ष से अधिक सेवा पर)	भारतीय रेल
अराजपत्रित कर्मचारी (लेवल 6 एवं ऊपर)	प्रथम 5 वर्ष: **1 सेट/वर्ष**; 5 वर्ष के बाद: **3 सेट/वर्ष**	**4 सेट** प्रति वर्ष	**प्रथम श्रेणी (First Class)** — गुलाबी रंग का पास (ड्यूटी एवं सुविधा दोनों)	**2 सेट** प्रति वर्ष (20 वर्ष से अधिक सेवा पर)	MCF LDCE प्रश्नपत्र
अराजपत्रित कर्मचारी (लेवल 5)	प्रथम 5 वर्ष: **1 सेट/वर्ष**; 5 वर्ष के बाद: **3 सेट/वर्ष**	**4 सेट** प्रति वर्ष	**द्वितीय श्रेणी 'ए' (Second Class 'A')** — पीला रंग (3AC तक पात्रता)	**2 सेट** प्रति वर्ष (20 वर्ष से अधिक सेवा पर)	भारतीय रेल
अराजपत्रित कर्मचारी (लेवल 1 से लेवल 4)	प्रथम 5 वर्ष: **1 सेट/वर्ष**; 5 वर्ष के बाद: **3 सेट/वर्ष**	**4 सेट** प्रति वर्ष	**द्वितीय/स्लीपर श्रेणी** — हरा रंग (वर्ष में 1 सेट द्वितीय श्रेणी 'ए' पास देय)	**2 सेट** प्रति वर्ष (लेवल 1-4 में 20+ वर्ष सेवा पर **1 या 2 सेट** नियमानुसार)	भारतीय रेल

कर्मचारी वर्ग / पदनाम	वार्षिक सुविधा पास (Privilege Pass)	वार्षिक पीटीओ (PTO) सेट	ड्यूटी / सुविधा पास की श्रेणी एवं रंग	सेवानिवृत्ति मानार्थ पास (20+ वर्ष सेवा)	आधिकारिक संदर्भ
धातु पास (Metal Pass) — ड्यूटी हेतु	**स्वर्ण पास (Gold):** रेलवे बोर्ड अध्यक्ष/सदस्य एवं महाप्रबंधक (GM)	**रजत पास (Silver):** SAG (लेवल 14) एवं HAG अधिकारी	**कांस्य पास (Bronze):** JAG एवं वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी	(केवल आधिकारिक ड्यूटी यात्रा हेतु वैध)	पूर्वोत्तर रेलवे प्रश्नपत्र

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• एक सुविधा पास में कर्मचारी के **परिवार (पति/पत्नी, 21 वर्ष से कम के पुत्र या पूर्णकालिक छात्र पुत्र, अविवाहित पुत्रियां)** के सभी सदस्य शामिल हो सकते हैं, किंतु यदि पास में **आश्रित (Dependents — जैसे विधवा माता, तलाकशुदा/विधवा बहन या 21 वर्ष से कम के आश्रित भाई)** शामिल किए जाते हैं, तो पास में अधिकतम **2 आश्रित** ही शामिल हो सकते हैं और पास में कुल सदस्यों की संख्या **5 से अधिक** नहीं हो सकती (भारतीय रेल)।

• यदि पति और पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हैं, तो दोनों को अलग-अलग अपनी पात्रता के अनुसार पास और पीटीओ के पूरे सेट मिलते हैं, और बच्चे दोनों के पासों में शामिल किए जा सकते हैं।

• स्कूल पास (School Pass) प्रति वर्ष **3 सेट (या 6 हाफ सेट)** जारी किए जाते हैं ताकि कर्मचारी के बच्चे अध्ययन स्थान और माता-पिता के निवास स्थान के बीच अवकाश में यात्रा कर सकें; यदि माता-पिता की सेवा 20 वर्ष से अधिक है और बच्चा मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ रहा है, तो गार्जियन को भी साथ ले जाने की सुविधा मिलती है (भारतीय रेल)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** परिवार के सदस्यों की संख्या पर भी हमेशा 5 सदस्यों की सीमा मान लेना। **सत्य:** यदि पास में कोई भी 'आश्रित' (Dependent) शामिल नहीं है और केवल 'परिवार' (पत्नी एवं वैध संतानें) शामिल हैं, तो सदस्यों की संख्या **5 से अधिक भी हो सकती है**; 5 सदस्यों की अधिकतम सीमा केवल तभी लागू होती है जब पास में कोई आश्रित (अधिकतम 2 आश्रित) जोड़ा गया हो (भारतीय रेल)।

• **जाल 2:** पास की वैधता 4 महीने समझना। **सत्य:** पूर्व में पास की वैधता 4 महीने होती थी, किंतु संशोधित नियमों के अंतर्गत अब एकल यात्रा (Half Set) और वापसी यात्रा (Full Set) दोनों प्रकार के सुविधा पास और पीटीओ की वैधता जारी होने की तिथि से **5 महीने** कर दी गई है।

• **जाल 3:** प्रथम श्रेणी 'ए' और प्रथम श्रेणी पास में परिचारक (Attendant) की श्रेणी में भ्रम। **सत्य:** प्रथम श्रेणी 'ए' और प्रथम श्रेणी पास धारक अपने साथ **1 परिचारक (Attendant)** द्वितीय/स्लीपर श्रेणी में निःशुल्क ले जा सकते हैं, बशर्ते वह पूर्णकालिक वेतनभोगी सेवक हो।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• **सूत्र: "अफ़सर को छह (6) पास, स्टाफ को पांच साल बाद तीन (3); पीटीओ सबको चार (4) मिले, वैधता पांच (5) महीने गिन!"**

• **व्याख्या:**

• **पास रंग कोड: सफेद** = प्रथम श्रेणी 'ए' (राजपत्रित) | **गुलाबी** = प्रथम श्रेणी (लेवल 6+) | **पीला** = द्वितीय श्रेणी 'ए' (लेवल 5) | **हरा** = द्वितीय/स्लीपर (लेवल 1-4)।

• **आश्रित नियम:** अधिकतम **2 आश्रित** + आश्रित होने पर कुल अधिकतम **5 सदस्य**।

• **धातु पास (Metal Pass): स्वर्ण (Gold)** = बोर्ड/GM | **रजत (Silver)** = SAG | **कांस्य (Bronze)** = JAG/SS।

मॉड्यूल 6: रेलवे उदारतापूर्ण अवकाश नियम (Leave Rules 1949) एवं CCS (अवकाश) नियम, 1972

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 6: रेलवे उदारतापूर्ण अवकाश नियम (Leave Rules 1949) एवं CCS (अवकाश) नियम, 1972

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? बॉक्स	**परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स**

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: अर्धवार्षिक अग्रिम जमा (1 जनवरी एवं 1 जुलाई को LAP/EL एवं LHAP/HPL का क्रेडिट)

↓↓ (*LAP/EL*: 15+15 = 30 दिन/वर्ष तथा *LHAP/HPL*: 10+10 = 20 दिन/वर्ष)

नोड 2: अवकाश संचय सीमा (अधिकतम 300 दिन + 15 दिन का अलग खाता) एवं उपभोग

↓↓ (चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर *LHAP* का रूपांतरण — *Commuted Leave*: 1 दिन के बदले 2 *LHAP* डेबिट)

नोड 3: सेवाकाल में अवकाश नकदीकरण (10 दिन प्रति अवसर, पूरे सेवाकाल में अधिकतम 60 दिन)

↓↓ (मातृत्व: 180 दिन, पितृत्व: 15 दिन, बाल देखभाल अवकाश *CCL*: 730 दिन)

नोड 4: सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिनों के संचित अवकाश (LAP+LHAP) का एकमुश्त नकदीकरण

- **नोड 1 का विश्लेषण:** भारतीय रेल के उदारतापूर्ण अवकाश नियम, 1949 (भारतीय रेल स्थापना संहिता — IREC वॉल्यूम-I, अध्याय 5) तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के CCS (Leave) नियम, 1972 के प्रावधान लगभग समरूप हैं। रेलवे में अर्जित अवकाश को **LAP (Leave on Average Pay)** और अर्ध-वेतन अवकाश को **LHAP (Leave on Half Average Pay)** कहा जाता है, जबकि केंद्रीय सिविल सेवाओं में इन्हें क्रमशः **EL (Earned Leave)** और **HPL (Half Pay Leave)** कहा जाता है।
- **नोड 2 का विश्लेषण:** प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को अग्रिम रूप से 15-15 दिन का LAP/EL (मासिक 2.5 दिन की दर से) और 10-10 दिन का LHAP/HPL (मासिक 5/3 दिन की दर से) कर्मचारी के खाते में जुड़ता है।
- **नोड 3 का विश्लेषण:** सेवाकाल में पास/PTO या LTC लेते समय कर्मचारी एक बार में अधिकतम **10 दिन** का LAP/EL नकदीकरण (Leave Encashment) करा सकता है, जो पूरे सेवाकाल में अधिकतम **60 दिनों** (6 बार) तक सीमित है (MCF LDCE प्रश्नपत्र)।
- **नोड 4 का विश्लेषण:** एक बार में सभी प्रकार के अवकाश मिलाकर अधिकतम **5 वर्ष** से अधिक का निरंतर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता (पूर्वोत्तर रेलवे प्रश्नपत्र)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: समस्त प्रमुख अवकाशों के नियम, सीमाएं एवं विशेष प्रावधान

अवकाश का प्रकार	अर्जन दर / पात्रता शर्त	एक बार में अधिकतम सीमा	संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम संचय / सीमा	प्रमुख शर्तें एवं वेतन पात्रता	आधिकारिक स्रोत
1. औसत वेतन अवकाश (LAP / EL)	1 जनवरी व 1 जुलाई को **15-15 दिन** अग्रिम (2.5 दिन/माह)	**180 दिन** एक बार में	**300 दिन** (+15 दिन) संचय; सेवा में **60 दिन** नकदीकरण	पूर्ण वेतन एवं भत्ते देय; पिछले छमाही में अनुपस्थिति के 1/10 भाग की कटौती	DoPT अवकाश नियम
2. अर्ध-औसत वेतन अवकाश (LHAP / HPL)	1 जनवरी व 1 जुलाई को **10-10 दिन** अग्रिम (5/3 दिन/माह)	**24 माह** (730 दिन) एक बार में	संचय की **कोई ऊपरी सीमा नहीं** (असीमित संचय)	आधा वेतन देय; पिछले छमाही में अनुपस्थिति के 1/18 भाग की कटौती	DoPT अवकाश नियम
3. रूपांतरित अवकाश (Commuted Leave)	LHAP खाते से (1 दिन पूर्ण वेतन = 2 दिन LHAP डेबिट)	चिकित्सा पर कोई सीमा नहीं; बिना चिकित्सा अध्ययन हेतु **90 दिन** (180 LHAP)	बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के पूरे सेवाकाल में अधिकतम **180 दिन** (मातृत्व/CCL के साथ 60 दिन)	पूर्ण वेतन देय; कर्मचारी का ड्यूटी पर वापस लौटना अनिवार्य	भारतीय रेल
4. अदेय अवकाश (Leave Not Due - LND)	भविष्य में अर्जित होने वाले LHAP के विरुद्ध अग्रिम	चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर **180 दिन** तक	संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम **360 दिन**	स्थायी कर्मचारी को देय; LHAP के समान आधा वेतन देय	पूर्वोत्तर रेलवे प्रश्नपत्र
5. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)	2 से कम जीवित संतान वाली महिला कर्मचारी	**180 दिन** प्रति प्रसव (गर्भपात पर एक बार में 45 दिन)	गर्भपात (Miscarriage/ Abortion) हेतु पूरे सेवाकाल में कुल **45 दिन**	पूर्ण वेतन देय; किसी अवकाश खाते से कटौती नहीं	DoPT अवकाश नियम
6. पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)	2 से कम जीवित संतान वाले पुरुष कर्मचारी	**15 दिन** (प्रसव से 15 दिन पूर्व से **6 माह** के भीतर)	2 जीवित संतानों तक (दत्तक ग्रहण पर भी लागू)	पूर्ण वेतन देय; 6 माह में न लेने पर स्वतः व्यपगत (Lapse)	DoPT अवकाश नियम

अवकाश का प्रकार	अर्जन दर / पात्रता शर्त	एक बार में अधिकतम सीमा	संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम संचय / सीमा	प्रमुख शर्तें एवं वेतन पात्रता	आधिकारिक स्रोत
7. बाल देखभाल अवकाश (Child Care Leave - CCL)	महिला कर्मचारी एवं एकल पुरुष कर्मचारी (Single Male Parent)	वर्ष में अधिकतम **3 स्पेल** (एकल महिला को **6 स्पेल**), न्यूनतम 5 दिन	2 ज्येष्ठतम जीवित बच्चों (18 वर्ष तक; दिव्यांग बच्चे हेतु आयु सीमा नहीं) के लिए **730 दिन (2 वर्ष)**	प्रथम **365 दिन 100% वेतन**, अगले **365 दिन 80% वेतन** देय	DoPT अवकाश नियम
8. अध्ययन अवकाश (Study Leave)	न्यूनतम 5 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारी (सेवानिवृत्ति से 3 वर्ष पूर्व तक)	एक बार में अधिकतम **12 माह**	संपूर्ण सेवाकाल में अधिकतम **24 माह** (चिकित्सा अधिकारियों/पीएचडी हेतु **36 माह**)	जनहित एवं प्रशासनिक कार्य से जुड़े उच्च अध्ययन हेतु	DoPT अवकाश नियम

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• **अवकाश कोई अधिकार नहीं है (Leave cannot be claimed as a matter of right):** अवकाश नियमों के अनुसार लोकहित की आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकारी किसी भी अवकाश को अस्वीकार या रद्द कर सकता है, किंतु कर्मचारी द्वारा मांगे गए अवकाश के **प्रकार (Kind of Leave)** को सक्षम प्राधिकारी अपनी इच्छा से बदल नहीं सकता (DoPT अवकाश नियम)।

• **आकस्मिक अवकाश (Casual Leave - CL)** को मान्यता प्राप्त अवकाश (Recognized Leave) की श्रेणी में नहीं रखा जाता है; CL पर रहने वाला कर्मचारी ड्यूटी पर ही माना जाता है। सामान्य प्रशासनिक कर्मचारियों को वर्ष में **8 दिन CL** तथा कारखाना/ओपन लाइन स्टाफ को सार्वजनिक अवकाशों की संख्या के आधार पर **10 या 11 दिन CL** देय होता है (भारतीय रेल)।

• कार्य-संबंधित बीमारी एवं चोट अवकाश (**WRIIL — Work Related Illness and Injury Leave**) ने पुराने अस्पताल अवकाश (Hospital Leave) और विशेष विकलांगता अवकाश (Special Disability Leave) का स्थान ले लिया है, जिसके तहत अस्पताल में भर्ती रहने की पूरी अवधि तथा उसके बाद 6 माह तक पूर्ण वेतन मिलता है (DoPT अवकाश नियम)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** बाल देखभाल अवकाश (CCL) में पूरे 730 दिनों के लिए 100% वेतन मान लेना। **सत्य:** सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों और संशोधित नियमों के बाद CCL में प्रथम **365 दिनों के लिए 100% वेतन** और शेष **365 दिनों के लिए 80% वेतन** देय होता है (DoPT अवकाश नियम)।

• **जाल 2:** सेवाकाल में 60 दिनों के अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) को सेवानिवृत्ति के 300 दिनों की सीमा में से घटाना। **सत्य:** सेवाकाल में पास/LTC के साथ लिया गया 60 दिनों (10×6) का नकदीकरण सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अधिकतम **300 दिनों** के नकदीकरण से बिल्कुल अलग है; यदि सेवानिवृत्ति के समय खाते में 300 दिन शेष हैं, तो पूरे 300 दिन का भुगतान मिलेगा, बशर्ते दो नकदीकरणों के बीच कम से कम **2 वर्ष** का अंतर रहा हो (MCF LDCE प्रश्नपत्र)।

• **जाल 3:** अदेय अवकाश (Leave Not Due) और असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave - EOL) में भ्रम। **सत्य:** अदेय अवकाश (LND) में भविष्य के LHAP के विरुद्ध आधा वेतन मिलता है (अधिकतम 360 दिन), जबकि असाधारण अवकाश (EOL) पूर्णतः **बिना वेतन (Without Pay)** होता है।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• **सूत्र: "LAP तीस (30), LHAP बीस (20), संचय तीन सौ (300) दिन; LND तीन सौ साठ (360) मिले, CCL सात सौ तीस (730) गिन!"**

• **व्याख्या:**

• **कटौती सूत्र:** पिछले छमाही में EOL/अनुपस्थिति होने पर अगले छमाही के LAP से **1/10 भाग** (अधिकतम 15 दिन) और LHAP से **1/18 भाग** (अधिकतम 10 दिन) कटता है।

• **नकदीकरण:** सेवा में **10 दिन × 6 बार = 60 दिन** (न्यूनतम 30 दिन शेष रहना अनिवार्य) + रिटायरमेंट पर **300 दिन**।

• **एक साथ अधिकतम अवकाश: 5 वर्ष** (इससे अधिक अनुपस्थिति पर त्यागपत्र माना जा सकता है)।

मॉड्यूल 7: केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 एवं रेल सेवक (आचरण) नियम, 1966

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 7: केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 एवं रेल सेवक (आचरण) नियम, 1966

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
क्या आप जानते हैं? बॉक्स

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: नियम 3 — पूर्ण सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा एवं राजनीतिक तटस्थता का पालन

↓↓ (दहेज निषेध, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण एवं नशा निषेध)

नोड 2: बाहरी गतिविधि नियंत्रण — व्यापार, चुनाव, प्रेस, प्रदर्शन एवं हड़ताल पर प्रतिबंध

↓↓ (उपहार सीमा एवं चल-अचल संपत्ति के लेनदेन की पूर्व सूचना/अनुमति)

नोड 3: नियम 18 — वार्षिक अचल संपत्ति विवरण (IPR) का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण (31 जनवरी तक)

↓↓ (नियम *3C* — कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति *ICC* द्वारा 90 दिन में जांच)

नोड 4: आचरण नियम उल्लंघन पर DAR 1968 / CCS (CCA) 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही

- **नोड 1 का विश्लेषण:** रेल सेवक (आचरण) नियम, 1966 और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के **नियम 3(1)** के अनुसार प्रत्येक सरकारी सेवक को सदैव पूर्ण सत्यनिष्ठा (Absolute Integrity), कर्तव्य के प्रति निष्ठा (Devotion to Duty) बनाए रखनी होगी और ऐसा कोई कार्य नहीं करना होगा जो एक सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय (Unbecoming of a Government Servant) हो।
- **नोड 2 का विश्लेषण:** राजनीतिक दलों की सदस्यता लेने, चुनाव प्रचार करने, बिना अनुमति व्यापार करने, हड़ताल में भाग लेने और दहेज लेने या देने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- **नोड 3 का विश्लेषण:** चल संपत्ति (Movable Property) का लेनदेन यदि कर्मचारी के **2 महीने के मूल वेतन (Basic Pay)** से अधिक मूल्य का हो, तो **1 महीने** के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना अनिवार्य है।
- **नोड 4 का विश्लेषण:** विशाखा गाइडलाइंस और POSH अधिनियम 2013 पर आधारित **नियम 3C** कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर कठोर प्रतिबंध लगाता है (**MCF LDCE प्रश्नपत्र**)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: आचरण नियमों के प्रमुख नियम (Rules 3 से 22) एवं वित्तीय सीमाएं

नियम संख्या	नियम का शीर्षक / विषय-वस्तु	मुख्य प्रावधान एवं प्रतिबंध	महत्वपूर्ण वित्तीय / समय सीमा	आधिकारिक स्रोत
नियम 3(1)	सामान्य आचरण (General)	पूर्ण सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, राजनीतिक तटस्थता एवं शिष्टाचार	सभी 21 उप-खंडों का पालन अनिवार्य	**DoPT आचरण नियम**
नियम 3C	कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध	विशाखा गाइडलाइंस के अनुरूप कार्यस्थल को उत्पीड़न-मुक्त रखना	आंतरिक शिकायत समिति (ICC) द्वारा **90 दिन** में जांच	**MCF LDCE प्रश्नपत्र**
नियम 4	निकट संबंधियों का रोजगार	अपने आधिकारिक पद का उपयोग कर परिवार के सदस्यों को कंपनियों में रोजगार न दिलाना	सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य	**DoPT आचरण नियम**
नियम 5	राजनीति और चुनाव में भाग लेना	किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनने या चुनाव प्रचार करने पर पूर्ण रोक	केवल मतदान करने का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित	**DoPT आचरण नियम**
नियम 7	प्रदर्शन एवं हड़ताल (Demonstration & Strike)	लोक व्यवस्था, संप्रभुता या शिष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन अथवा हड़ताल में भाग लेने पर रोक	'नो वर्क नो पे' एवं सेवा व्यवधान (Dies-Non)	**DoPT आचरण नियम**

नियम संख्या	नियम का शीर्षक / विषय-वस्तु	मुख्य प्रावधान एवं प्रतिबंध	महत्वपूर्ण वित्तीय / समय सीमा	आधिकारिक स्रोत
नियम 13	उपहार (Gifts)	धार्मिक/सामाजिक अवसरों पर निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार्य, किंतु सीमा से अधिक होने पर रिपोर्ट अनिवार्य	ग्रुप 'A': **₹25,000**; ग्रुप 'B': **₹15,000**; ग्रुप 'C': **₹7,500** से अधिक पर सरकार को रिपोर्ट	DoPT आचरण नियम
नियम 13A	दहेज (Dowry)	दहेज लेना, देना या मांगना पूर्णतः वर्जित	दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत दंडनीय	DoPT आचरण नियम
नियम 15	निजी व्यापार या रोजगार	बिना पूर्व अनुमति कोई व्यापार, बीमा एजेंसी या अन्य रोजगार नहीं; शेयर बाजार में बार-बार सट्टेबाजी वर्जित	वर्ष में **6 महीने के मूल वेतन** से अधिक शेयर निवेश पर सूचना अनिवार्य	DoPT आचरण नियम
नियम 17	दिवालियापन और आदतन ऋणग्रस्तता	कर्मचारी को अपने वित्तीय मामलों का प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए कि वह आदतन ऋणी या दिवालिया न हो	वैधानिक कार्यवाही होने पर तुरंत रिपोर्ट करना अनिवार्य	दक्षिण मध्य रेलवे
नियम 18	चल, अचल और मूल्यवान संपत्ति	अचल संपत्ति खरीदने/बेचने हेतु पूर्व सूचना; चल संपत्ति हेतु लेनदेन के बाद सूचना	चल संपत्ति सीमा: **2 माह का मूल वेतन** (1 माह में रिपोर्ट)	DoPT आचरण नियम
नियम 21	विवाह संबंधी प्रतिबंध (द्विविवाह निषेध)	जीवित पति/पत्नी के रहते दूसरा विवाह वर्जित (भले ही पर्सनल लॉ में अनुमति हो, जब तक सरकार छूट न दे)	बाल विवाह पूर्णतः वर्जित	DoPT आचरण नियम
नियम 22	मादक पेयों और दवाओं का सेवन	ड्यूटी पर आने से **8 घंटे पूर्व** से और ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पदार्थ का सेवन पूर्णतः निषिद्ध	रनिंग स्टाफ हेतु शून्य सहिष्णुता (Breath Analyzer Test)	भारतीय रेल

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• **नियम 18A** के अंतर्गत यदि कोई सरकारी या रेल सेवक **भारत के बाहर (विदेश में)** कोई अचल संपत्ति अर्जित या हस्तांतरित करना चाहता है अथवा किसी विदेशी नागरिक के साथ संपत्ति का लेनदेन करता है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी की **पूर्व अनुमति (Previous Sanction)** लेना अनिवार्य है (DoPT आचरण नियम)।

• **नियम 15** के तहत सरकारी सेवक बिना सरकार की पूर्व अनुमति के अवैतनिक रूप से सामाजिक, धर्मार्थ, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्यों में भाग ले सकता है और आकस्मिक रेडियो/टीवी प्रसारण या लेख लिख सकता है, किंतु यदि प्रशासन निर्देश दे तो उसे ऐसी गतिविधि तुरंत बंद करनी होगी।

• **नियम 22A** के अनुसार **14 वर्ष से कम आयु** के किसी भी बच्चे को घरेलू या अन्य किसी कार्य में नियोजित करने पर सरकारी सेवक के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है (DoPT आचरण नियम)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** चल संपत्ति (Movable Property) और शेयर बाजार (Stock Market) निवेश की सूचना सीमा को एक समान समझ लेना। **सत्य:** किसी एक चल संपत्ति (जैसे कार, आभूषण आदि) के लेनदेन की सीमा **2 महीने के मूल वेतन (Two Months' Basic Pay)** से अधिक होने पर 1 माह में सूचना देनी होती है, जबकि एक कैलेंडर वर्ष में शेयर, प्रतिभूति या डिबेंचर में कुल लेनदेन **6 महीने के मूल वेतन (Six Months' Basic Pay)** से अधिक होने पर सूचना देनी होती है (DoPT आचरण नियम)।

• **जाल 2:** उपहार (Gift) नियम 13 की सीमाओं में छठे वेतन आयोग के पुराने आंकड़े लिख देना। **सत्य:** सातवें वेतन आयोग के बाद संशोधित सीमाएं हैं — निकट संबंधियों/मित्रों से अवसरों पर: **ग्रुप A: ₹25,000, ग्रुप B: ₹15,000, ग्रुप C: ₹7,500**; तथा जिन व्यक्तियों से कोई आधिकारिक लेनदेन नहीं है उनसे: **ग्रुप A एवं B: ₹5,000, ग्रुप C: ₹2,000**।

• **जाल 3:** रनिंग स्टाफ के लिए ड्यूटी से पहले शराब न पीने की अवधि 6 घंटे मान लेना। **सत्य:** आचरण नियम 22 के अनुसार रनिंग और परिचालन कर्मचारियों को ड्यूटी शुरू होने से कम से कम **8 घंटे पूर्व** किसी भी मादक पेय या नशीले पदार्थ का सेवन करने की मनाही है।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• सूत्र: "तीन (3) में निष्ठा, तीन-सी (3C) में नारी सम्मान; तेरह (13) में उपहार, तेरह-ए (13A) दहेज बलिदान; अठारह (18) में संपत्ति, इक्कीस (21) में शादी, बाईस (22) में नशा से मुक्ति महान!"

• *व्याख्या:*

• उपहार सीमा (नियम 13): ₹25,000 (A) — ₹15,000 (B) — ₹7,500 (C)।

- **संपत्ति सीमा (नियम 18):** चल संपत्ति = **2 माह का मूल वेतन** | शेयर कारोबार (नियम 15) = **6 माह का मूल वेतन**।
- **नियम 17:** दिवालियापन एवं आदतन ऋणग्रस्तता (दक्षिण मध्य रेलवे प्रश्नपत्र)।

मॉड्यूल 8: केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 [CCS (CCA) Rules] एवं वेतन / भत्ते प्रावधान

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 8: केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 [CCS (CCA) Rules] एवं वेतन/भत्ते प्रावधान

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
क्या आप जानते हैं? बॉक्स

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: सेवा वर्गीकरण — समूह 'क' (Group A), समूह 'ख' (Group B) एवं समूह 'ग' (Group C)

↓↓ (नियम 10 के अंतर्गत निलंबन, निर्वाह भत्ता — *FR* 53 एवं 90 दिन में समीक्षा)

नोड 2: नियम 11 के अंतर्गत लघु शास्तियां (नियम 16 प्रक्रिया) एवं दीर्घ शास्तियां (नियम 14 प्रक्रिया)

↓↓ (केंद्रीय सतर्कता आयोग *CVC* / संघ लोक सेवा आयोग *UPSC* से परामर्श)

नोड 3: नियम 23-25 के अंतर्गत अपील (45 दिन), पुनरीक्षण (Revision — नियम 29) एवं पुनर्विलोकन (Review — नियम 29A)

↓↓ (केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण — *CAT* अधिनियम 1985 के तहत न्यायिक उपचार)

नोड 4: सेवानिवृत्ति उपरांत कार्यवाही — CCS (पेंशन) नियम 2021 के नियम 8 (पूर्व नियम 9) के तहत राष्ट्रपति का अधिकार

- **नोड 1 का विश्लेषण:** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रशासित केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 रक्षा सेवाओं, रेलवे सेवकों (जिन पर DAR 1968 लागू है) और अखिल भारतीय सेवाओं (IAS/IPS/IFoS जिन पर AIS नियम 1969 लागू हैं) को छोड़कर समस्त केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
- **नोड 2 का विश्लेषण:** CCS (CCA) का **नियम 10** निलंबन से, **नियम 11** शास्तियों से, **नियम 14** बड़ी शास्ति की जांच प्रक्रिया से और **नियम 16** छोटी शास्ति की प्रक्रिया से संबंधित है।
- **नोड 3 का विश्लेषण:** मूल नियम **FR 53 (रेलवे में नियम 1342 IREC-II)** के तहत निलंबन के प्रथम 3 माह में अर्ध-वेतन के बराबर (50%) निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) मिलता है, जिसे कर्मचारी की गलती न होने पर **50% तक बढ़ाया (अर्थात् कुल 75%)** या कर्मचारी के कारण देरी होने पर **50% तक घटाया (अर्थात् कुल 25%)** जा सकता है।
- **नोड 4 का विश्लेषण:** सातवें वेतन आयोग के बाद वार्षिक वेतनवृद्धि की दो तिथियां निर्धारित हैं — **1 जनवरी और 1 जुलाई**, तथा परिवीक्षाधीन या पदोन्नत कर्मचारी को 6 माह की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर संबंधित तिथि को वेतनवृद्धि मिलती है (MCF LDCE प्रश्नपत्र)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: CCS (CCA) नियम 1965 बनाम रेलवे DAR 1968 तथा भत्ता एवं MACP प्रावधान

प्रावधान / विषय	CCS (CCA) नियम, 1965 (केंद्रीय सिविल सेवा)	रेल सेवक (DAR) नियम, 1968 (भारतीय रेल)	मुख्य नियम एवं वित्तीय प्रावधान	आधिकारिक स्रोत
निलंबन (Suspension)	**नियम 10** (समीक्षा: 90 दिन के भीतर)	**नियम 5** (SF-1 एवं SF-2; समीक्षा: 90 दिन)	निर्वाह भत्ता: प्रथम 90 दिन **50%**, पश्चात 75% या **25%** (FR 53 / IREC 1342)	DoPT CCS नियम
शास्तियों की सूची (Penalties)	**नियम 11** (लघु शास्तियां: i से iv; दीर्घ शास्तियां: v से ix)	**नियम 6** (लघु एवं दीर्घ शास्तियां)	निंदा (Censure), पदोन्नति/वेतनवृद्धि रोकना, पदावनति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, हटाना, बर्खास्तगी	DoPT CCS नियम

प्रावधान / विषय	CCS (CCA) नियम, 1965 (केंद्रीय सिविल सेवा)	रेल सेवक (DAR) नियम, 1968 (भारतीय रेल)	मुख्य नियम एवं वित्तीय प्रावधान	आधिकारिक स्रोत
दीर्घ शास्ति जांच प्रक्रिया	**नियम 14** (जांच समय-सीमा: 6 माह + 6 माह विस्तार)	**नियम 9** (SF-5 आरोप-पत्र)	बचाव सहायक (Defence Assistant) अधिकतम **3 लंबित मामलों** (रेलवे में 2 या 3) में भाग ले सकता है	DoPT CCS नियम
लघु शास्ति प्रक्रिया	**नियम 16**	**नियम 11** (SF-11 आरोप-पत्र)	कर्मचारी के लिखित अभ्यावेदन पर विचार कर सकारण आदेश	DoPT CCS नियम
असाधारण परिस्थितियों में बिना जांच दंड	**नियम 19** (दोषसिद्धि, जांच अव्यवहार्य, राष्ट्र सुरक्षा)	**नियम 14(i), 14(ii), 14(iii)**	संविधान के अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परंतुक के अनुरूप	DoPT CCS नियम
MACP योजना (संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति)	**1 सितंबर 2008** से प्रभावी (**10, 20 एवं 30 वर्ष** की सेवा पर 3 वित्तीय उन्नयन)	**1 सितंबर 2008** से प्रभावी (**10, 20 एवं 30 वर्ष** पर)	25 जुलाई 2016 के बाद MACP हेतु APAR बेंचमार्क **'Very Good' (बहुत अच्छा)** अनिवार्य	दक्षिण मध्य रेलवे
यात्रा भत्ता (TA / Daily Allowance) दरें	मुख्यालय से बाहर: **<6 घंटे = 30%, 6 से 12 घंटे = 70%, >12 घंटे = 100%**	मुख्यालय से बाहर: **<6 घंटे = 30%, 6 से 12 घंटे = 70%, >12 घंटे = 100%**	लगातार 180 दिन से अधिक ठहरने पर DA देय नहीं	MCF LDCE प्रश्नपत्र

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• **बाल शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance - CEA):** सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत दो ज्येष्ठतम जीवित संतानों के लिए CEA की दर **₹2,250 प्रति माह** और छात्रावास सब्सिडी (Hostel Subsidy) की दर **₹6,750 प्रति माह** थी; किंतु जैसे ही महंगाई भत्ता (DA) **50% पर पहुंचा (1 जनवरी 2024 से)**, इनमें स्वतः **25% की वृद्धि** हो गई है, जिससे अब CEA **₹2,812.50 प्रति माह** और हॉस्टल सब्सिडी **₹8,437.50 प्रति माह** (दिव्यांग बच्चों हेतु CEA दोगुना अर्थात् **₹5,625 प्रति माह**) हो गई है (व्यय विभाग परिपत्र)।

• **निलंबित कर्मचारी के निर्वाह भत्ते से कटौतियां:** निर्वाह भत्ते (Subsistence Allowance) से तीन प्रकार की कटौतियां होती हैं: (1) **अनिवार्य कटौतियां** (आयकर, मकान किराया, बिजली-पानी, CGHS/RELHS अंशदान), (2) **ऐच्छिक कटौतियां** (कर्मचारी की लिखित सहमति से जैसे LIC प्रीमियम, सहकारी समिति बकाया), और (3) **निषिद्ध कटौतियां (जो कदापि नहीं की जा सकतीं):** भविष्य निधि (GPF/PF) अभिदान, सरकारी अग्रिमों की वसूली और न्यायालय की कुर्की आदेश की राशि (भारतीय रेल)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** निर्वाह भत्ते (Subsistence Allowance) से GPF अभिदान या त्यौहार/भवन अग्रिम की किस्त काटना। **सत्य:** यह परीक्षा का सबसे लोकप्रिय प्रश्न है — निलंबित कर्मचारी के निर्वाह भत्ते से **GPF अंशदान और सरकारी ऋण की वसूली करना पूर्णतः वर्जित है** (भले ही कर्मचारी स्वयं सहमति दे) (भारतीय रेल)।

• **जाल 2:** मुख्यालय से 10 घंटे बाहर रहने पर यात्रा भत्ता (TA) 100% टिक कर देना। **सत्य:** 6 घंटे से कम पर **30%**, **6 घंटे से 12 घंटे तक (जैसे 10 घंटे) पर 70%**, और 12 घंटे से अधिक रहने पर **100%** यात्रा भत्ता देय होता है (MCF LDCE प्रश्नपत्र)।

• **जाल 3:** MACP योजना की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2006 मान लेना। **सत्य:** छठे वेतन आयोग के भत्ते 1 सितंबर 2008 से प्रभावी हुए थे और **MACP योजना भी 01.09.2008 से ही लागू हुई है** (जबकि वेतनमान 01.01.2006 से लागू हुए थे) (दक्षिण मध्य रेलवे प्रश्नपत्र)।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• **सूत्र: "CCS में 10 सस्पेंड, 11 दंड, 14 बड़ी और 16 छोटी जांच; TA चले तीस-सत्तर-सौ (30%-70%-100%), MACP में दस-बीस-तीस (10-20-30) की आंच!"**

• **व्याख्या:**

• **CCS बनाम DAR नियम मैपिंग:** निलंबन (CCS 10 = DAR 5) | दंड (CCS 11 = DAR 6) | बड़ी जांच (CCS 14 = DAR 9) | छोटी जांच (CCS 16 = DAR 11) | अपवाद (CCS 19 = DAR 14)।

• **वार्षिक वेतनवृद्धि तिथियां: 1 जनवरी एवं 1 जुलाई।**

• **50% DA के बाद नई दरें:** CEA = **₹2,812.50/माह**, हॉस्टल सब्सिडी = **₹8,437.50/माह**, सेवानिवृत्ति उपदान (Gratuity) अधिकतम सीमा = **₹25 लाख** (₹20 लाख से बढ़कर)।

मॉड्यूल 9: सामान्य वित्तीय नियमावली (GFR 2017 — अद्यतन संशोधन 2024) एवं GeM पोर्टल खरीद प्रक्रिया

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 9: सामान्य वित्तीय नियमावली (GFR 2017 — अद्यतन संशोधन 2024) एवं GeM पोर्टल खरीद प्रक्रिया

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
क्या आप जानते हैं? बॉक्स

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: आवश्यकता आकलन एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धांत (Canons of Financial Propriety — नियम 21)

↓↓ (*GeM* पोर्टल — नियम 149 पर उपलब्धता की अनिवार्य जांच)

नोड 2: खरीद मूल्य के अनुसार मोड का चयन — प्रत्यक्ष खरीद (₹1 लाख तक), L-1 तुलना या निविदा/बिडिंग

↓↓ (*GeM* पर उपलब्ध न होने पर नियम 154, 155, 161 या 162 के तहत गैर-*GeM* खरीद)

नोड 3: बोली सुरक्षा (Bid Security — नियम 170: 2%-5%) एवं निष्पादन सुरक्षा (Performance Security — नियम 171: 3%-10%)

↓↓ (सामग्री प्राप्ति, गुणवत्ता निरीक्षण एवं *CRAC* जनरेशन)

नोड 4: PFMS के माध्यम से समयबद्ध भुगतान एवं स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि (स्थायी बनाम उपभोज्य वस्तुएं)

• **नोड 1 का विश्लेषण:** वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 (जुलाई 2024 के अद्यतन संशोधनों सहित — MoF OM दिनांक 10.07.2024) सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और खरीद का आधार है।

• **नोड 2 का विश्लेषण: GFR नियम 149** के अंतर्गत यदि कोई वस्तु या सेवा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर उपलब्ध है, तो उसकी खरीद GeM पोर्टल से ही करना अनिवार्य है। जुलाई 2024 के संशोधन द्वारा खरीद सीमाओं को तर्कसंगत और उदार बनाया गया है।

• **नोड 3 का विश्लेषण: GFR नियम 21** में 'वित्तीय औचित्य के सिद्धांत' (Canons of Financial Propriety) दिए गए हैं, जिनके अनुसार प्रत्येक अधिकारी को सार्वजनिक धन खर्च करते समय उतनी ही सतर्कता बरतनी चाहिए जितनी एक सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वयं के धन को खर्च करते समय बरतता है (SECR वित्तीय नियम सिलेबस)।

• **नोड 4 का विश्लेषण:** माल की खरीद (Procurement of Goods) के नियम अध्याय 6 में और लोक निर्माण कार्यों (Works) व परामर्श सेवाओं (Consultancy Services) के नियम भी स्पष्ट वित्तीय सीमाओं के साथ निर्धारित हैं (व्यय विभाग GFR हिंदी पोर्टल)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: GFR 2017 (संशोधित 2024) की प्रमुख खरीद सीमाएं एवं नियम

GFR नियम संख्या	खरीद / वित्तीय प्रावधान का नाम	पूर्व सीमा (2017 मूल नियम)	नवीन संशोधित सीमा (2024 अद्यतन)	मुख्य प्रक्रिया एवं शर्तें	आधिकारिक स्रोत
नियम 21	वित्तीय औचित्य के सिद्धांत (Canons of Financial Propriety)	लोक धन की मितव्ययिता एवं पारदर्शिता	यथावत (सार्वजनिक जवाबदेही का मूल आधार)	आवश्यकता से अधिक व्यय न हो और स्वयं को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ न दिया जाए	व्यय विभाग GFR 2024
नियम 149	GeM (Government e-Marketplace) खरीद	₹25,000 तक प्रत्यक्ष खरीद; ₹25K-₹5L तक L-1; >₹5L बोली	**₹50,000 (विशेष मामलों/ऑटोमोबाइल के अतिरिक्त अद्यतन मानदंड)** एवं L-1/बोली प्रणाली	उपलब्ध वस्तुओं/सेवाओं की GeM से खरीद अनिवार्य; विक्रेता रेटिंग व विनिर्देश तुलना	व्यय विभाग GFR 2024

GFR नियम संख्या	खरीद / वित्तीय प्रावधान का नाम	पूर्व सीमा (2017 मूल नियम)	नवीन संशोधित सीमा (2024 अद्यतन)	मुख्य प्रक्रिया एवं शर्तें	आधिकारिक स्रोत
नियम 154	कोटेशन के बिना वस्तुओं की खरीद (Purchase without Quotation)	₹25,000 तक	**₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 (1 लाख रुपये) तक** (10 जुलाई 2024 संशोधन)	सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र ("मूल्य उचित और गुणवत्ता संतोषजनक है") के साथ सीधे खरीद	व्यय विभाग 2024 संशोधन
नियम 155	स्थानीय खरीद समिति (Local Purchase Committee - LPC) द्वारा खरीद	₹25,000 से ₹2,50,000 तक	**₹1,00,000 से ₹10,00,000 (10 लाख रुपये) तक** (10 जुलाई 2024 संशोधन)	3-सदस्यीय स्थानीय खरीद समिति द्वारा बाजार सर्वेक्षण, गुणवत्ता एवं मूल्य औचित्य प्रमाण-पत्र	व्यय विभाग 2024 संशोधन
नियम 161	विज्ञापित निविदा जांच (Advertised Tender Enquiry - ATE)	₹25 लाख और उससे अधिक	**₹50 लाख (50,00,000 रुपये) और उससे अधिक**	CPPP (Central Public Procurement Portal) एवं GeM पर ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से खुली बोली	व्यय विभाग GFR 2024
नियम 162	सीमित निविदा जांच (Limited Tender Enquiry - LTE)	₹25 लाख से कम	**₹50 लाख से कम** (पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से; संख्या 3 से अधिक हो)	अपवाद स्वरूप ₹50 लाख से ऊपर भी यदि तात्कालिकता या गोपनीयता हो	व्यय विभाग GFR 2024
नियम 170	बोली सुरक्षा / बयाना राशि (Bid Security / EMD)	अनुमानित मूल्य का **2% से 5%**	**2% से 5%** (MSEs और DPIIT स्टार्टअप्स को EMD से पूर्ण छूट)	ई-बैंक गारंटी, बीमा जमानत बांड, FD या ऑनलाइन भुगतान में स्वीकार्य	व्यय विभाग नियम 170 संशोधन
नियम 171	निष्पादन सुरक्षा (Performance Security)	अनुबंध मूल्य का **5% से 10%**	**3% से 10%** (संशोधित निर्देशों के अनुसार)	अनुबंध की सभी शर्तों और वारंटी दायित्वों के पूरा होने के बाद **60 दिन** तक वैध	व्यय विभाग GFR 2024

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

• **वैश्विक निविदा जांच (Global Tender Enquiry - GTE — GFR नियम 161(iv)):** आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत अब **₹200 करोड़ तक** की सरकारी खरीद के लिए कोई भी मंत्रालय या विभाग कैबिनेट सचिवालय / व्यय विभाग की पूर्व अनुमति के बिना ग्लोबल टेंडर (GTE) जारी नहीं कर सकता (व्यय विभाग GFR 2024)।

• **10 जुलाई 2024 का ऐतिहासिक GFR संशोधन (OM No. F.1/3/2024-PPD):** वित्त मंत्रालय ने वैज्ञानिक मंत्रालयों और सामान्य विभागों दोनों के लिए खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए बिना कोटेशन प्रत्यक्ष खरीद की सीमा (नियम 154) को ₹25,000/₹50,000 से बढ़ाकर **₹1,00,000** कर दिया है और स्थानीय खरीद समिति (LPC — नियम 155) की सीमा को ₹2.5 लाख/₹5 लाख से बढ़ाकर **₹10,00,000** तथा विज्ञापित निविदा (नियम 161) की सीमा को ₹25 लाख से बढ़ाकर **₹50,00,000** कर दिया है।

• **GFR नियम 310** केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच भूमि और भवनों के हस्तांतरण (Transfer of Land and Buildings) के वित्तीय नियमों को नियंत्रित करता है (व्यय विभाग परिपत्र)।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

• **जाल 1:** परीक्षा में नियम 154 (बिना कोटेशन खरीद) और नियम 155 (LPC खरीद) की पुरानी 2017 वाली सीमाएं (₹25,000 और ₹2.5 लाख) टिक कर आना। **सत्य:** यदि प्रश्न में नवीनतम/अद्यतन GFR 2024 पूछा गया है, तो नियम 154 की सीमा **₹1 लाख** और नियम 155 की सीमा **₹1 लाख से ₹10 लाख** तथा नियम 161 (ATE) की सीमा **₹50 लाख** है (यदि विकल्प में केवल पुरानी सीमा दी हो तो प्रश्न के संदर्भानुसार चुनें) (व्यय विभाग GFR 2024)।

• **जाल 2:** सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) से बोली सुरक्षा (Bid Security / EMD) लेना अनिवार्य समझना। **सत्य:** GFR नियम 170 के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) और स्टार्टअप्स को बयाना राशि (EMD) जमा करने से **पूर्ण छूट** प्राप्त है; उनसे केवल 'बोली सुरक्षा घोषणा' (Bid Security Declaration) ली जाती है।

• **जाल 3:** टुकड़ों में मांग बांटना (Splitting of Demand — नियम 157)। **सत्य:** उच्च प्राधिकारी की मंजूरी या खुली निविदा से बचने के लिए किसी बड़ी खरीद मांग को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित करना (Splitting of Demand) GFR नियम 157 के तहत **पूर्णतः निषिद्ध** और गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• सूत्र: "इक्कीस (21) में वित्तीय धर्म, एक सौ उनचास (149) में GeM का कर्म; 154 में एक लाख, 155 में दस लाख, 161 में पचास लाख से ऊपर निविदा का मर्म!"

- **व्याख्या:**
- **नियम 154** = बिना कोटेशन खरीद (**₹1 लाख तक**)।
- **नियम 155** = 3-सदस्यीय LPC द्वारा खरीद (**₹1 लाख से ₹10 लाख तक**)।
- **नियम 162** = सीमित निविदा LTE (**₹50 लाख से कम**)।
- **नियम 161** = विज्ञापित खुली निविदा ATE (**₹50 लाख और अधिक**) | GTE सीमा = **₹200 करोड़**।
- **नियम 170 (EMD)** = 2% से 5% | **नियम 171 (Performance Security)** = 3% से 10% (60 दिन अतिरिक्त वैधता)।

मॉड्यूल 10: राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 (क, ख, ग क्षेत्र) एवं संसदीय राजभाषा समिति

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 10: राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 (क, ख, ग क्षेत्र) एवं संसदीय राजभाषा समिति

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
क्या आप जानते हैं? बॉक्स

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

नोड 1: संवैधानिक आधार — भाग XVII (अनुच्छेद 343 से 351) एवं आठवीं अनुसूची (22 भाषाएं)

↓↓ (14 सितंबर 1949 को हिंदी संघ की राजभाषा घोषित; अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग 1955)

नोड 2: राजभाषा अधिनियम, 1963 (9 धाराएं — 1967 में संशोधित) एवं धारा 3(3) के 14 अनिवार्य दस्तावेज

↓↓ (राजभाषा नियम, 1976 — 12 नियम तथा भारत का 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में वर्गीकरण)

नोड 3: धारा 4 के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति (30 सदस्य = 20 लोकसभा + 10 राज्यसभा)

↓↓ (केंद्रीय हिंदी समिति — अध्यक्ष: प्रधानमंत्री; एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति *TOLIC*)

नोड 4: राजभाषा प्रोत्साहन योजनाएं (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत) एवं वार्षिक कार्यक्रम लक्ष्य

- **नोड 1 का विश्लेषण:** संविधान सभा ने **14 सितंबर 1949** को मुंशी-आयंगर फॉर्मूले के अंतर्गत भाग XVII के **अनुच्छेद 343(1)** के तहत देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की राजभाषा और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया (**भारतीय रेल**)।
- **नोड 2 का विश्लेषण:** राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) की **धारा 3(3)** अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्ट, संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर नोटिस और प्रेस विज्ञप्तियां **द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में)** जारी करना अनिवार्य है।
- **नोड 3 का विश्लेषण:** राजभाषा नियम, 1976 (कुल 12 नियम) पूरे भारत पर लागू हैं, सिवाय **तमिलनाडु राज्य** के। इसके **नियम 5** के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से **100% हिंदी में** ही दिया जाना चाहिए।
- **नोड 4 का विश्लेषण: नियम 12** के अनुसार प्रत्येक केंद्रीय/रेल कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम और नियमों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करे (**कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग**)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: राजभाषा नियम 1976 के 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र तथा संवैधानिक अनुच्छेद

तुलना का आधार	'क' क्षेत्र (Region 'A')	'ख' क्षेत्र (Region 'B')	'ग' क्षेत्र (Region 'C')	आधिकारिक एवं संवैधानिक संदर्भ
सम्मिलित राज्य (States)	**9 राज्य:** उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	**3 राज्य:** गुजरात, महाराष्ट्र एवं पंजाब	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल न होने वाले सभी गैर-हिंदी भाषी राज्य (जैसे दक्षिण एवं पूर्वोत्तर के राज्य, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदि)	भारतीय रेल
सम्मिलित केंद्र शासित प्रदेश (UTs)	**2 केंद्र शासित प्रदेश:** दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**2 केंद्र शासित प्रदेश:** चंडीगढ़ तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी एवं लक्षद्वीप	भारतीय रेल
केंद्र से पत्राचार का लक्ष्य	**100%** पत्राचार मूल रूप से हिंदी में	सामान्यतः **90%** पत्राचार हिंदी में	सामान्यतः **65%** पत्राचार हिंदी में ('क' और 'ख' से 'ग' को **65%**)	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर (नियम 5)	**100% हिंदी में** अनिवार्य	**100% हिंदी में** अनिवार्य	**100% हिंदी में** अनिवार्य	भारतीय रेल
नियम 10(4) के तहत अधिसूचना	**80% या अधिक** कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होने पर राजपत्र में अधिसूचित	**80% या अधिक** कर्मचारियों को कार्यसाधक ज्ञान होने पर अधिसूचित	**80% या अधिक** कर्मचारियों को कार्यसाधक ज्ञान होने पर अधिसूचित	भारतीय रेल
साइनबोर्ड एवं नामपट्ट का क्रम	1. हिंदी और 2. अंग्रेजी (केंद्रीय कार्यालयों में)	1. क्षेत्रीय भाषा, 2. हिंदी और 3. अंग्रेजी	1. क्षेत्रीय भाषा, 2. हिंदी और 3. अंग्रेजी (त्रिभाषा सूत्र)	भारतीय रेल
प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद	**अनुच्छेद 343:** संघ की राजभाषा; **अनुच्छेद 344:** राजभाषा आयोग व संसदीय समिति; **अनुच्छेद 345-347:** प्रादेशिक भाषाएं	**अनुच्छेद 348:** उच्चतम/उच्च न्यायालय व विधेयकों की भाषा; **अनुच्छेद 349:** भाषा विधियों हेतु विशेष प्रक्रिया	**अनुच्छेद 350A:** मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा; **अनुच्छेद 350B:** भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी; **अनुच्छेद 351:** हिंदी के विकास हेतु निदेश	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

3. क्या आप जानते हैं? बॉक्स

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

- **आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का विकास क्रम:** मूल संविधान में **14 भाषाएं** थीं। **21वें संविधान संशोधन (1967)** द्वारा **सिंधी** (15वीं भाषा) जोड़ी गई; **71वें संविधान संशोधन (1992)** द्वारा **कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली** ('नमक' — 16वीं, 17वीं, 18वीं) जोड़ी गईं; तथा **92वें संविधान संशोधन (2003)** द्वारा **बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली** ('BDMS' — 19वीं से 22वीं भाषाएं) जोड़ी गईं (DoPT राजभाषा सूची)।
- **अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम** जैसे राज्यों की राजभाषा अंग्रेजी होने के बावजूद वे राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत **'ग' क्षेत्र (Region 'C')** में आते हैं, जबकि **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** भौगोलिक रूप से दूर होने पर भी **'क' क्षेत्र (Region 'A')** में शामिल है (भारतीय रेल)।
- संविधान के **अनुच्छेद 120** में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा और **अनुच्छेद 210** में राज्य विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है, जो भाग XVII से बाहर क्रमशः भाग V और भाग VI में स्थित हैं।

4. परीक्षा जाल सतर्कता बॉक्स

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

- **जाल 1:** आठवीं अनुसूची में 'अंग्रेजी', 'राजस्थानी' या 'भोजपुरी' को शामिल मान लेना, और 'नेपाली' को विदेशी भाषा समझकर बाहर मान लेना। **सत्य:** आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं में **नेपाली शामिल है**, किंतु **अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी शामिल नहीं हैं** (DoPT भाषा सूची)।
- **जाल 2:** केंद्रीय हिंदी समिति और संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष में भ्रम। **सत्य: केंद्रीय हिंदी समिति (Central Hindi Committee)** के अध्यक्ष **प्रधानमंत्री** होते हैं (कुल 41 सदस्य), जबकि **संसदीय राजभाषा समिति (Committee of Parliament on Official Language — धारा 4)** के अध्यक्ष परंपरागत रूप से **केंद्रीय गृह मंत्री** चुने जाते हैं (कुल 30 सदस्य = 20 लोकसभा + 10 राज्यसभा) और यह समिति अपनी रिपोर्ट सीधे **राष्ट्रपति** को सौंपती है (भारतीय रेल)।
- **जाल 3:** राजभाषा नियम, 1976 को जम्मू-कश्मीर पर लागू न मानना। **सत्य:** राजभाषा नियम, 1976 केवल **तमिलनाडु राज्य** पर लागू नहीं होते हैं; जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित शेष संपूर्ण भारत पर लागू हैं।

5. IUC स्मृति ट्रिक

• **सूत्र: "21वें में सिंधी आई, 71वें ने 'नमक' (नेपाली-मणिपुरी-कोंकणी) चखाई, 92वें में 'बोडोमास' (बोडो-डोगरी-मैथिली-संथाली) ने बाईस की संख्या बनाई!"**

• **व्याख्या:**

• **संशोधन गणित:** 21 + 71 = **92** (तीनों संशोधन याद रखने का अचूक गणितीय सूत्र: 21वां [1967] + 71वां [1992] = 92वां [2003])।

• **'ख' क्षेत्र (Region B) कोड: "गुम-पंचा-दमन"** = **गु**जरात, **म**हाराष्ट्र, **पं**जाब, **चां**दीगढ़ (चंडीगढ़), **दमन**-दीव व दादरा नगर हवेली।

• **राजभाषा नियम 1976 के मुख्य नियम:** नियम 5 = हिंदी पत्र का उत्तर हिंदी में | नियम 8 = प्रवीणता | नियम 9 = कार्यसाधक ज्ञान | नियम 10(4) = 80% स्टाफ अधिसूचना | नियम 11 = मैनुअल/कोड/स्टेशनरी द्विभाषी | नियम 12 = प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व।

अंतिम समय त्वरित वन-लाइनर रिवीजन कैप्सूल (100 महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु)

1. **GDCE कोटा:** सीधी भर्ती कोटे की 25% से 50% तक की रिक्तियां सेवारत नियमित रेल कर्मचारियों से सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (GDCE) द्वारा भरी जाती हैं (**भारतीय रेल**)।

2. **समूह 'ख' पदोन्नति अनुपात:** अराजपत्रित समूह 'ग' से राजपत्रित समूह 'ख' में पदोन्नति हेतु 70% पद चयन (Selection) और 30% पद LDCE द्वारा भरे जाते हैं (**SECR अधिसूचना**)।

3. **पदोन्नति से इंकार:** यदि कोई रेल सेवक पदोन्नति लेने से इंकार करता है, तो उसे 1 वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित (Debar) कर दिया जाता है (**MCF LDCE प्रश्नपत्र**)।

4. **RPF वैधानिक दर्जा:** रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 (2003 में संशोधित) के तहत RPF भारत संघ का एक सशस्त्र बल है और इसके सदस्य धारा 10 के अंतर्गत रेल सेवक हैं (**भारतीय रेल**)।

5. **RPF नियम 70 बनाम 72:** RPF नियम, 1987 का नियम 70 वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता पदोन्नति से और नियम 72 सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) से संबंधित है (**भारतीय रेल**)।

6. **RPF अनुशासन नियम:** अराजपत्रित RPF सदस्यों को नियम 153 के तहत बड़ी शास्ति (Major Penalty) और नियम 158 के तहत छोटी शास्ति (Minor Penalty) दी जाती है (**भारतीय रेल**)।

7. **DAR प्रभावी तिथि:** रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 दिनांक **1 अक्टूबर 1968** से प्रभावी हुए (**भारतीय रेल**)।

8. **संवैधानिक संरक्षण:** संविधान के अनुच्छेद 311(1) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी से कम स्तर का कोई अधिकारी रेल/सिविल सेवक को बर्खास्त या पदच्युत नहीं कर सकता (**SCR प्रश्नपत्र**)।

9. **SF-1 का उपयोग:** DAR नियम 5(1) के अंतर्गत प्रत्यक्ष निलंबन (Suspension) का आदेश जारी करने हेतु मानक प्रपत्र-1 (SF-1) प्रयुक्त होता है (**SCR प्रश्नपत्र**)।

10. **SF-2 एवं 48 घंटे का नियम:** यदि कोई रेल सेवक पुलिस या न्यायिक हिरासत में **48 घंटे से अधिक** रहता है, तो उसे SF-2 जारी कर मानित निलंबित (Deemed Suspended) माना जाता है (**SCR प्रश्नपत्र**)।

11. **SF-3 का उद्देश्य:** निलंबित कर्मचारी द्वारा प्रत्येक माह निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्राप्त करने के लिए SF-3 में बेरोजगारी प्रमाण-पत्र दिया जाता है (**भारतीय रेल**)।

12. **SF-4 का उपयोग:** निलंबन आदेश को वापस लेने (Revocation of Suspension) के लिए मानक प्रपत्र-4 (SF-4) जारी किया जाता है (**SCR प्रश्नपत्र**)।

13. **SF-5 के 4 अनुलग्नक:** बड़ी शास्ति के आरोप-पत्र (SF-5 — नियम 9) में कुल 4 अनुलग्नक होते हैं (आरोप, कदाचार विवरण, दस्तावेज सूची, गवाह सूची) (**भारतीय रेल**)।

14. **SF-7 एवं SF-8:** जांच अधिकारी (Inquiry Officer) की नियुक्ति SF-7 से और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (Presenting Officer) की नियुक्ति SF-8 से होती है (**भारतीय रेल**)।

15. **SF-10 का उपयोग:** दो या अधिक कर्मचारियों के विरुद्ध संयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही (नियम 13) के लिए SF-10 जारी किया जाता है (भारतीय रेल)।

16. **SF-11 का उपयोग:** DAR नियम 11 के अंतर्गत छोटी शास्ति (Minor Penalty) के लिए मानक प्रपत्र-11 (SF-11) जारी किया जाता है (भारतीय रेल)।

17. **निलंबन की समीक्षा:** प्रथम निलंबन आदेश की समीक्षा **90 दिनों** के भीतर समीक्षा समिति द्वारा किया जाना अनिवार्य है (DoPT CCS नियम)।

18. **निर्वाह भत्ता दर:** निलंबन के प्रथम 3 माह में अर्ध-वेतन (50%) के बराबर निर्वाह भत्ता मिलता है, जिसे बाद में अधिकतम 75% तक बढ़ाया या 25% तक घटाया जा सकता है (DoPT CCS नियम)।

19. **निर्वाह भत्ते से निषिद्ध कटौती:** निलंबित कर्मचारी के निर्वाह भत्ते से भविष्य निधि (PF/GPF) अंशदान और सरकारी अग्रिम की वसूली नहीं की जा सकती (भारतीय रेल)।

20. **निलंबित कर्मचारी को पास:** निलंबित राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारी को प्रति कैलेंडर वर्ष आधे सुविधा पास (अराजपत्रित को वर्ष में अधिकतम 1 सेट) की पात्रता होती है (भारतीय रेल)।

21. **सबसे छोटी शास्ति:** DAR के नियम 6 और CCS (CCA) के नियम 11 के तहत सबसे छोटी औपचारिक शास्ति **'निंदा' (Censure)** है; प्रशासनिक चेतावनी कोई शास्ति नहीं है (DoPT CCS नियम)।

22. **पदोन्नति पर निंदा का प्रभाव:** 'निंदा' (Censure) की शास्ति मिलने पर भी कर्मचारी की पदोन्नति या वेतनवृद्धि स्वतः नहीं रुकती, सिवाय सुरक्षा संवर्ग के कुछ विशिष्ट मानदंडों के (भारतीय रेल)।

23. **बिना जांच बड़ी शास्ति:** DAR नियम 14(i) आपराधिक दोषसिद्धि पर, 14(ii) जांच अव्यवहार्य होने पर और 14(iii) राष्ट्र सुरक्षा के हित में बिना जांच बड़ी शास्ति की अनुमति देता है (भारतीय रेल)।

24. **DAR अपील की समय-सीमा:** अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध **45 दिनों** के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील (नियम 18/19) की जा सकती है (भारतीय रेल)।

25. **पुनरीक्षण (Revision) नियम:** DAR का नियम 25 तथा CCS (CCA) का नियम 29 पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियों से संबंधित है (DoPT CCS नियम)।

26. **HOER की 4 श्रेणियां:** रेल सेवक (कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि) नियम, 2005 में कुल 4 श्रेणियां हैं — गहन, सतत, आवश्यक रूप से सविराम (EI) और अपवर्जित (भारतीय रेल)।

27. **गहन (Intensive) कार्य घंटे:** गहन श्रेणी के कर्मचारियों के मानक साप्ताहिक कार्य घंटे **42 घंटे** (वैधानिक सीमा 45 घंटे) और साप्ताहिक विश्राम **30 लगातार घंटे** हैं (SECR परिचालन नियम)।

28. **सतत (Continuous) कार्य घंटे:** सतत श्रेणी के कर्मचारियों के मानक कार्य घंटे **48 घंटे** प्रति सप्ताह (वैधानिक सीमा 54 घंटे) और साप्ताहिक विश्राम **30 लगातार घंटे** हैं (SECR परिचालन नियम)।

29. **आवश्यक रूप से सविराम (EI) कार्य घंटे:** EI श्रेणी के कर्मचारियों के रोस्टर कार्य घंटे **60 या 72 घंटे** प्रति सप्ताह (वैधानिक सीमा 75 घंटे) और साप्ताहिक विश्राम **24 लगातार घंटे** हैं (भारतीय रेल)।

30. **अपवर्जित (Excluded) विश्राम:** अपवर्जित श्रेणी के कर्मचारियों को प्रत्येक पखवाड़े (14 दिन) में **48 लगातार घंटे** या सप्ताह में 24 घंटे का विश्राम मिलता है (भारतीय रेल)।

31. **रनिंग स्टाफ विश्राम नियम:** रनिंग स्टाफ को माह में **30 लगातार घंटों के 4 विश्राम** या **22 लगातार घंटों के 5 विश्राम** दिए जाते हैं (SECR परिचालन नियम)।

32. **मुख्यालय एवं बाहरी स्टेशन विश्राम:** रनिंग स्टाफ को मुख्यालय पर न्यूनतम **16 घंटे** और बाहरी स्टेशन (रनिंग रूम) पर न्यूनतम **8 घंटे** का विश्राम देय है (SECR परिचालन नियम)।

33. **HOER कार्य विश्लेषण अवधि:** किसी पद के वर्गीकरण निर्धारण के लिए लगातार **72 घंटे** का कार्य विश्लेषण (Job Analysis) किया जाता है (भारतीय रेल)।

34. **गहन/EI घोषित करने की शक्ति:** किसी रेल सेवक को 'गहन' या 'EI' श्रेणी में घोषित करने का अधिकार **महाप्रबंधक (General Manager)** को है (भारतीय रेल)।

35. **समयोपरि भत्ता (OTA) दर:** वैधानिक सीमा से अधिक कार्य करने पर वेतन के **1.5 गुना (150%)** की दर से ओवरटाइम भत्ता मिलता है (भारतीय रेल)।

36. **HOER में रात्रि की परिभाषा:** HOER नियमों में रात्रि से तात्पर्य **रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे** तक की अवधि से है (भारतीय रेल)।

37. **सुविधा पास नियम 1986:** राजपत्रित अधिकारियों को नियुक्ति से ही प्रति वर्ष **6 सेट** सुविधा पास और **4 सेट** पीटीओ मिलते हैं (भारतीय रेल)।

38. **अराजपत्रित पास पात्रता:** अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रथम 5 वर्ष तक प्रति वर्ष **1 सेट** और 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद प्रति वर्ष **3 सेट** सुविधा पास मिलते हैं (भारतीय रेल)।

39. **नवनियुक्त कर्मचारी पीटीओ:** दिनांक 01.01.2024 या किसी भी तिथि को नियुक्त कर्मचारी को प्रथम वर्ष से ही **4 सेट पीटीओ** देय हैं (पूर्वोत्तर रेलवे प्रश्नपत्र)।

40. **पास एवं पीटीओ की वैधता:** एकल यात्रा (Half Set) और वापसी यात्रा (Full Set) सुविधा पास तथा पीटीओ दोनों की वैधता जारी होने की तिथि से **5 महीने** होती है (भारतीय रेल)।

41. **महाप्रबंधक का धातु पास:** महाप्रबंधक (GM) और रेलवे बोर्ड के सदस्यों को ड्यूटी हेतु **स्वर्ण पास (Gold Metal Pass)** (उच्चतम अधिकार सहित) दिया जाता है (पूर्वोत्तर रेलवे प्रश्नपत्र)।

42. **लेवल-6 ड्यूटी पास:** 7वें वेतन आयोग के लेवल-6 में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी **प्रथम श्रेणी (First Class)** ड्यूटी एवं सुविधा पास का हकदार है (MCF LDCE प्रश्नपत्र)।

43. **पास में आश्रितों की सीमा:** सुविधा पास में अधिकतम **2 आश्रित** शामिल हो सकते हैं और आश्रित शामिल होने पर पास में कुल सदस्यों की संख्या **5 से अधिक** नहीं हो सकती (भारतीय रेल)।

44. **सेवानिवृत्ति मानार्थ पास:** सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास (PRCP) तथा विधवा पास के लिए न्यूनतम **20 वर्ष** की अर्हक रेल सेवा अनिवार्य है (भारतीय रेल)।

45. **स्कूल पास संख्या:** रेल कर्मचारियों के अध्ययनरत बच्चों के लिए प्रति वर्ष **3 सेट (या 6 हाफ सेट)** स्कूल पास देय हैं (भारतीय रेल)।

46. **विशेष पास — रक्तदान:** स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले रेल कर्मचारी को रक्तदान दिवस और अगले दिन के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश व पास की सुविधा दी जाती है (भारतीय रेल)।

47. **LAP/EL अर्जन दर:** प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को **15-15 दिन** (कुल 30 दिन/वर्ष) औसत वेतन अवकाश (LAP/EL) अग्रिम जमा किया जाता है (DoPT अवकाश नियम)।

48. **LAP/EL अधिकतम संचय:** एक कर्मचारी अपने खाते में अधिकतम **300 दिन (+15 दिन)** का LAP/EL संचित कर सकता है (DoPT अवकाश नियम)।

49. **एक बार में अधिकतम LAP:** एक समय में अधिकतम **180 दिन** का LAP/EL स्वीकृत किया जा सकता है (DoPT अवकाश नियम)।

50. **LHAP/HPL अर्जन दर:** प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को **10-10 दिन** (कुल 20 दिन/वर्ष) अर्ध-औसत वेतन अवकाश (LHAP/HPL) अग्रिम जमा होता है (DoPT अवकाश नियम)।

51. **LHAP संचय सीमा:** कर्मचारी के सेवाकाल में LHAP/HPL के संचय की **कोई अधिकतम सीमा नहीं** है (DoPT अवकाश नियम)।

52. **अदेय अवकाश (LND) सीमा:** पूरे सेवाकाल में अदेय अवकाश (Leave Not Due) अधिकतम **360 दिन** (एक बार में चिकित्सा आधार पर 180 दिन) दिया जाता है (पूर्वोत्तर रेलवे प्रश्नपत्र)।

53. **निरंतर अधिकतम अवकाश:** एक बार में सभी प्रकार की छुट्टियां मिलाकर अधिकतम **5 वर्ष** से अधिक का अवकाश देय नहीं होगा (पूर्वोत्तर रेलवे प्रश्नपत्र)।

54. **सेवाकाल में अवकाश नकदीकरण:** सेवाकाल के दौरान पास/PTO या LTC पर एक बार में 10 दिन और पूरे सेवाकाल में अधिकतम **60 दिन** का LAP/EL नकदीकरण कराया जा सकता है (MCF LDCE प्रश्नपत्र)।

55. **मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश:** महिला कर्मचारी को **180 दिन** मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारी को **15 दिन** पितृत्व अवकाश (प्रसव के 6 माह के भीतर) देय है (DoPT अवकाश नियम)।

56. **गर्भपात अवकाश सीमा:** गर्भपात (Miscarriage/Abortion) के मामले में पूरे सेवाकाल में कुल **45 दिन** का मातृत्व अवकाश देय है (DoPT अवकाश नियम)।

57. **बाल देखभाल अवकाश (CCL):** दो ज्येष्ठतम जीवित बच्चों (18 वर्ष की आयु तक) की देखभाल के लिए पूरे सेवाकाल में अधिकतम **730 दिन (2 वर्ष)** का CCL देय है (**DoPT अवकाश नियम**)।

58. **CCL वेतन नियम:** CCL के प्रथम 365 दिनों में **100% वेतन** और अगले 365 दिनों में **80% वेतन** मिलता है; यह वर्ष में अधिकतम 3 स्पेल (एकल महिला को 6 स्पेल) में दिया जाता है (**DoPT अवकाश नियम**)।

59. **अध्ययन अवकाश (Study Leave):** 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सामान्य कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में अधिकतम **24 माह** (चिकित्सा अधिकारियों को **36 माह**) का अध्ययन अवकाश देय है (**DoPT अवकाश नियम**)।

60. **LAP एवं LHAP कटौती दर:** पिछले छमाही में अनधिकृत अनुपस्थिति/EOL की अवधि के **1/10 भाग** के बराबर LAP से और **1/18 भाग** के बराबर LHAP से कटौती की जाती है (**DoPT अवकाश नियम**)।

61. **आचरण नियम 3(1):** प्रत्येक रेल/केंद्रीय सेवक को सदैव पूर्ण सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा एवं राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी होती है (**DoPT आचरण नियम**)।

62. **नियम 3C (विशाखा गाइडलाइंस):** आचरण नियम 3C कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निषेध से संबंधित है (**MCF LDCE प्रश्नपत्र**)।

63. **नियम 13 उपहार सीमा:** सामाजिक/धार्मिक अवसरों पर उपहार की सूचना सीमा ग्रुप 'A' के लिए **₹25,000**, ग्रुप 'B' के लिए **₹15,000** और ग्रुप 'C' के लिए **₹7,500** है (**DoPT आचरण नियम**)।

64. **नियम 13A एवं नियम 17:** आचरण नियम 13A दहेज निषेध से और नियम 17 दिवालियापन तथा आदतन ऋणग्रस्तता (Insolvency and Habitual Indebtedness) से संबंधित है (**SCR प्रश्नपत्र**)।

65. **नियम 18 चल संपत्ति सीमा:** चल संपत्ति का कोई लेनदेन कर्मचारी के **2 महीने के मूल वेतन** से अधिक होने पर 1 माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करना अनिवार्य है (**DoPT आचरण नियम**)।

66. **नियम 15 शेयर निवेश सीमा:** एक कैलेंडर वर्ष में शेयरों या प्रतिभूतियों में कुल लेनदेन **6 महीने के मूल वेतन** से अधिक होने पर सूचना देनी अनिवार्य है (**DoPT आचरण नियम**)।

67. **नियम 21 एवं 22:** आचरण नियम 21 द्विविवाह (Bigamy) पर प्रतिबंध और नियम 22 मादक पेयों/दवाओं के सेवन (ड्यूटी से 8 घंटे पूर्व से निषेध) से संबंधित है (**DoPT आचरण नियम**)।

68. **नियम 22A बाल श्रम निषेध: 14 वर्ष से कम** आयु के किसी भी बालक को रोजगार में रखने पर आचरण नियम 22A के तहत पूर्ण प्रतिबंध है (**DoPT आचरण नियम**)।

69. **7वां वेतन आयोग वेतनवृद्धि तिथि:** 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद वार्षिक वेतनवृद्धि की दो तिथियां हैं — **1 जनवरी और 1 जुलाई** (**MCF LDCE प्रश्नपत्र**)।

70. **ग्रेड पे 4200 का समतुल्य लेवल:** छठे वेतन आयोग का ग्रेड पे ₹4,200 सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स में **लेवल-6** के समतुल्य है (**SCR प्रश्नपत्र**)।

71. **MACP योजना:** संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (MACPS) योजना **01.09.2008** से लागू है, जिसमें **10, 20 और 30 वर्ष** की सेवा पर वित्तीय उन्नयन और 'Very Good' बेंचमार्क निर्धारित है (**SCR प्रश्नपत्र**)।

72. **TA/DA प्रतिशत नियम:** मुख्यालय से बाहर रहने पर 6 घंटे से कम के लिए **30%**, 6 से 12 घंटे (जैसे 10 घंटे) के लिए **70%** और 12 घंटे से अधिक के लिए **100%** यात्रा भत्ता देय है (**MCF LDCE प्रश्नपत्र**)।

73. **बाल शिक्षा भत्ता (CEA) एवं ग्रेच्युटी:** 50% DA पार होने पर CEA की दर **₹2,812.50 प्रति माह** और अधिकतम सेवानिवृत्ति उपदान (Gratuity) की सीमा **₹25 लाख** हो गई है (**व्यय विभाग परिपत्र**)।

74. **ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल:** रेल कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के लिए **'निवारण' (NIVARAN)** और पेंशनर्स के लिए **'अर्पण' (ARPAN)** तथा केंद्रीय स्तर पर **CPGRAMS** पोर्टल कार्यरत हैं (**MCF LDCE प्रश्नपत्र**)।

75. **दिव्यांग आरक्षण प्रतिशत:** सरकारी सेवाओं की सीधी भर्ती में बेंचमार्क दिव्यांगजनों (PwBD) के लिए **4% आरक्षण** (और पदोन्नति में भी नियमानुसार) का प्रावधान है (**MCF LDCE प्रश्नपत्र**)।

76. **ड्यूटी पर दुर्घटना मृत्यु एक्स-ग्रेशिया:** ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में ट्रैकमैन/रेल कर्मचारी की मृत्यु होने पर संशोधित दरों के अनुसार ₹25 लाख (50% DA के बाद 25% वृद्धि सहित) एक्स-ग्रेशिया देय है (**पूर्वोत्तर रेलवे प्रश्नपत्र**)।

77. **GFR 2017 नियम 21:** सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 21 'वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों' (Canons of Financial Propriety) को परिभाषित करता है (**व्यय विभाग GFR 2024**)।

78. **GFR नियम 149 (GeM):** सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की अनिवार्य खरीद का प्रावधान GFR के **नियम 149** में है (**व्यय विभाग GFR 2024**)।

79. **GFR नियम 154 (2024 संशोधन):** बिना कोटेशन के वस्तुओं की प्रत्यक्ष खरीद की सीमा 10 जुलाई 2024 के संशोधन द्वारा बढ़ाकर **₹1,00,000 (1 लाख रुपये)** कर दी गई है (**व्यय विभाग 2024 संशोधन**)।

80. **GFR नियम 155 (LPC खरीद):** 3-सदस्यीय स्थानीय खरीद समिति (LPC) द्वारा खरीद की संशोधित सीमा अब **₹1,00,000 से ₹10,00,000 (10 लाख रुपये)** तक है (**व्यय विभाग 2024 संशोधन**)।

81. **GFR नियम 161 एवं 162:** विज्ञापित खुली निविदा (ATE — नियम 161) की संशोधित सीमा **₹50 लाख और अधिक** तथा सीमित निविदा (LTE — नियम 162) की सीमा **₹50 लाख से कम** है (**व्यय विभाग GFR 2024**)।

82. **ग्लोबल टेंडर (GTE) प्रतिबंध: ₹200 करोड़ तक** की सरकारी खरीद के लिए बिना पूर्व अनुमति वैश्विक निविदा (GTE) जारी करने पर रोक है (**व्यय विभाग GFR 2024**)।

83. **GFR नियम 170 एवं 171:** बोली सुरक्षा (EMD — नियम 170) की दर **2% से 5%** (MSE/स्टार्टअप को छूट) और निष्पादन सुरक्षा (Performance Security — नियम 171) की दर **3% से 10%** है (**व्यय विभाग GFR 2024**)।

84. **GFR नियम 310:** भूमि और भवनों के हस्तांतरण संबंधी प्रावधान सामान्य वित्तीय नियमावली के **नियम 310** में निहित हैं (**व्यय विभाग परिपत्र**)।

85. **राजभाषा दिवस एवं अनुच्छेद:** संविधान सभा ने **14 सितंबर 1949** को भाग XVII के **अनुच्छेद 343(1)** के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया; **10 जनवरी** को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है (**भारतीय रेल**)।

86. **प्रथम राजभाषा आयोग:** राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 344 के अंतर्गत 7 **जून 1955** को श्री **बी.जी. खेर (बाल गंगाधर खेर)** की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया (**भारतीय रेल**)।

87. **राजभाषा अधिनियम 1963:** राजभाषा अधिनियम **10 मई 1963** को पारित हुआ (1967 में संशोधित) और इसमें कुल **9 धाराएं** हैं (**भारतीय रेल**)।

88. **धारा 3(3) के 14 दस्तावेज:** राजभाषा अधिनियम की **धारा 3(3)** के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, संविदा, टेंडर, लाइसेंस व परमिट सहित **14 प्रकार के दस्तावेज द्विभाषी** जारी करना अनिवार्य है (**भारतीय रेल**)।

89. **संसदीय राजभाषा समिति (धारा 4):** राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित संसदीय राजभाषा समिति में कुल **30 सदस्य (20 लोकसभा + 10 राज्यसभा)** होते हैं (**भारतीय रेल**)।

90. **प्रथम संसदीय राजभाषा समिति अध्यक्ष:** वर्ष 1957 में गठित प्रथम संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री **पं. गोविंद बल्लभ पंत** थे (**भारतीय रेल**)।

91. **केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष:** सर्वोच्च नीतिगत समिति 'केंद्रीय हिंदी समिति' के पदेन अध्यक्ष **भारत के प्रधानमंत्री** होते हैं (**भारतीय रेल**)।

92. **राजभाषा नियम 1976 का अपवाद:** राजभाषा नियम, 1976 (कुल 12 नियम) **तमिलनाडु राज्य** को छोड़कर संपूर्ण भारत में स्थित केंद्रीय कार्यालयों पर लागू होते हैं (**भारतीय रेल**)।

93. **'क' क्षेत्र (Region A) की इकाइयां:** 'क' क्षेत्र में **9 राज्य** (उ.प्र., उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, म.प्र., छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश) और **2 केंद्र शासित प्रदेश** (दिल्ली तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) शामिल हैं (**भारतीय रेल**)।

94. **'ख' क्षेत्र (Region B) की इकाइयां:** 'ख' क्षेत्र में **3 राज्य** (गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब) और **2 केंद्र शासित प्रदेश** (चंडीगढ़ तथा दादरा व नगर हवेली एवं दमन और दीव) शामिल हैं (**भारतीय रेल**)।

95. **नियम 5 का अनिवार्य प्रावधान:** राजभाषा नियम 1976 के **नियम 5** के अनुसार हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाएगा (**भारतीय रेल**)।

96. **नियम 10(4) अधिसूचना मानदंड:** जिस केंद्रीय कार्यालय के **80% या अधिक** कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसे नियम 10(4) के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है (**भारतीय रेल**)।

97. **नियम 12 का उत्तरदायित्व:** राजभाषा अधिनियम और नियमों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी **नियम 12** के तहत प्रत्येक कार्यालय के **प्रशासनिक प्रधान** की होती है (**भारतीय रेल**)।

98. **आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएं:** मूल संविधान की 14 भाषाओं में 21वें संशोधन (1967) से सिंधी, 71वें संशोधन (1992) से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 92वें संशोधन (2003) से बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली जोड़ी गईं (**DoPT राजभाषा सूची**)।

99. **हिंदी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रम:** केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण के चार स्तर हैं — **प्रबोध** (प्राथमिक), **प्रवीण** (माध्यमिक), **प्राज्ञ** (कार्यसाधक ज्ञान) और **पारंगत** (उच्च स्तरीय प्रवीणता) (**भारतीय रेल**)।

100. **अनुच्छेद 351 का निदेश:** संविधान का **अनुच्छेद 351** संघ को यह कर्तव्य सौंपता है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति (Composite Culture) के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके (**भारतीय रेल**)।

पुस्तक 23 का संरचनात्मक ऑडिट एवं अपग्रेड सारांश

यह खंड भारतीय रेल एवं केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं—जैसे रेलवे **GDCE (General Departmental Competitive Examination)**, **LDCE (Limited Departmental Competitive Examination — APO, ACM, AOM, ADEN, AFA, OS, Welfare Inspector)**, **RPF Rule 70 एवं Rule 72 (HC, ASI, SI पदोन्नति परीक्षा)**, तथा **CSS/SSC विभागीय परीक्षाओं (SO/SSA LDCE)** के लिए तैयार किया गया है। इसमें वर्ष 2024–2026 तक के सभी नवीनतम संशोधनों (यथा—**General Financial Rules 2017 (Updated July 2024)**, **Unified Pension Scheme (UPS 2024–25)**, **Railway Board RBE Circulars 2026** और नए आपराधिक कानूनों BNS/BNSS/BSA 2023 के समन्वय) को पूर्णतः समाहित किया गया है।

अध्याय 1: रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 [RS (D&A) Rules, 1968]

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 1: रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 [RS (D&A) Rules, 1968]

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
संवैधानिक आधार एवं प्रवर्तन तिथि	निलंबन (Suspension — Rule 5) एवं जीवन निर्वाह भत्ता	मानक प्रपत्र (Standard Forms: SF-1 से SF-14) का विस्तृत विश्लेषण	शास्तियाँ (Penalties — Rule 6): लघु एवं दीर्घ शास्तियाँ

1.1 संवैधानिक आधार एवं प्रवर्तन तिथि

• **संवैधानिक स्रोत:** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 309 (Article 309)** के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा **रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968** बनाए गए।

• **प्रवर्तन तिथि:** ये नियम **1 अक्टूबर 1968** से प्रभावी हुए।

• **नैसर्गिक न्याय एवं संवैधानिक सुरक्षा:**

• **अनुच्छेद 310:** 'प्रसाद का सिद्धांत' (Doctrine of Pleasure) — प्रत्येक सिविल सेवक राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

• **अनुच्छेद 311(1):** किसी भी रेल/सिविल सेवक को उसके **नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority)** के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत (Dismiss) या पद से हटाया (Remove) नहीं जाएगा।

• **अनुच्छेद 311(2):** किसी भी रेल सेवक को बिना विधिवत जांच (Inquiry) और सुनवाई के उचित अवसर (Reasonable Opportunity of Being Heard) के पदच्युत, पद से हटाया या पदावनत (Reduced in Rank) नहीं किया जाएगा।

• **अपवाद (Rule 3 — जिन पर DAR 1968 लागू नहीं होता):**

1. अखिल भारतीय सेवा (All India Services) के सदस्य।

2. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के नामांकित सदस्य (Enrolled Members), क्योंकि उन पर **RPF Act, 1957 एवं RPF Rules, 1987** लागू होते हैं (किंतु RPF के सुपीरियर अधिकारियों पर नियम 132.1 के तहत संशोधनों सहित DAR 1968 लागू होता है)।

3. आकस्मिक श्रमिक (Casual Labour) जब तक वे अस्थायी दर्जा (Temporary Status) प्राप्त न कर लें।

1.2 निलंबन (Suspension — Rule 5) एवं जीवन निर्वाह भत्ता

• **निलंबन की प्रकृति:** निलंबन कोई दंड (Penalty) नहीं है, बल्कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने हेतु एक प्रशासनिक कदम है (**Rule 5 of RS (D&A) Rules, 1968**)।

• **निलंबन की परिस्थितियाँ (Rule 5(1)):**

1. जब अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन हो या लंबित हो (Contemplated or Pending)।

2. जब कर्मचारी राष्ट्र की सुरक्षा के विरुद्ध किसी गतिविधि में संलिप्त हो।

3. जब किसी आपराधिक अपराध का अन्वेषण, जांच या विचारण (Investigation, Inquiry or Trial) लंबित हो।

• मानद निलंबन (Deemed Suspension — Rule 5(2)):

1. यदि किसी रेल सेवक को पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा (Custody) में **48 घंटे से अधिक** समय तक निरुद्ध (Detained) रखा जाता है, तो वह गिरफ्तारी की तिथि से स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए **SF-2** जारी किया जाता है।

2. यदि किसी दोषसिद्धि (Conviction) के फलस्वरूप उसे **48 घंटे से अधिक** कारावास की सजा सुनाई जाती है और उसे तुरंत बर्खास्त नहीं किया जाता है।

• निलंबन की समीक्षा (Review of Suspension — Rule 5(6) एवं 5(7)):

• प्रथम समीक्षा निलंबन की प्रभावी तिथि से **90 दिनों के भीतर** समीक्षा समिति (Review Committee) की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी अनिवार्य है। यदि 90 दिनों के भीतर समीक्षा कर विस्तार आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो 90 दिन बाद निलंबन वैध नहीं रहता।

• प्रत्येक समीक्षा में निलंबन को एक बार में **अधिकतम 180 दिनों** के लिए बढ़ाया जा सकता है।

• जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance — IREC Vol-II Rule 1342 / FR 53):

• **प्रथम 3 माह (90 दिन):** अंतिम आहरित वेतन के **50%** के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता + उस पर देय महंगाई भत्ता (DA)।

• 3 माह के पश्चात समीक्षा:

• यदि निलंबन की अवधि कर्मचारी के स्वयं के कारणों से नहीं बढ़ी है, तो भत्ते में मूल राशि के **50% तक की वृद्धि** (अर्थात् कुल वेतन के 75% तक) की जा सकती है।

• यदि देरी कर्मचारी के स्वयं के असहयोग के कारण हुई है, तो भत्ते में मूल राशि के **50% तक की कटौती** (अर्थात् कुल वेतन के 25% तक) की जा सकती है।

• निलंबन काल में कटौतियाँ:

• **अनिवार्य कटौतियाँ (Compulsory Deductions):** आयकर (Income Tax), मकान किराया (House Rent/Licence Fee), बिजली/पानी शुल्क, CGHS/RELHS अंशदान, तथा सरकारी ऋणों की वसूली।

• **ऐच्छिक कटौतियाँ (Optional Deductions — कर्मचारी की लिखित सहमति से):** LIC प्रीमियम, सहकारी समिति (Co-operative Society) की देयताएँ, रेलवे इंस्टीट्यूट शुल्क।

• **पूर्णतः वर्जित कटौतियाँ (Prohibited Deductions):** भविष्य निधि (PF/NPS) अभिदान,PF अग्रिम की वसूली, न्यायालय की कुर्की (Court Attachment) और जुर्माने की वसूली।

1.3 मानक प्रपत्र (Standard Forms: SF-1 से SF-14) का विस्तृत विश्लेषण

रेलवे अनुशासनिक कार्यवाही में एकरूपता बनाए रखने के लिए **SF-1 से SF-14** तक के मानक प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं (जिनमें से SF-5 और SF-11 सबसे अधिक प्रयुक्त आरोप-पत्र हैं):

1. **SF-1 (नियम 5(1)):** प्रत्यक्ष निलंबन का आदेश (Order of Suspension)।

2. **SF-2 (नियम 5(2)):** मानद निलंबन का आदेश (Order of Deemed Suspension — 48 घंटे से अधिक हिरासत या कारावास पर)।

3. **SF-3 (नियम 5 — FR 53(2)):** निलंबित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला 'बेरोजगारी प्रमाण-पत्र' (Certificate of Non-Employment), जिसके बिना जीवन निर्वाह भत्ता देय नहीं होता।

4. **SF-4 (नियम 5(5)(c)):** निलंबन की समाप्ति/प्रतिसंहरण का आदेश (Order of Revocation of Suspension)।

5. **SF-5 (नियम 9):** दीर्घ शास्ति (Major Penalty) के लिए आरोप-पत्र (Charge Sheet for Major Penalty)। इसमें **4 अनुबंध (Annexures)** होते हैं:

• **अनुबंध-I (Annexure-I):** आरोपों के अनुच्छेद (Articles of Charge)।

• **अनुबंध-II (Annexure-II):** आरोपों के समर्थन में कदाचार या दुर्व्यवहार का विवरण (Statement of Imputation of Misconduct or Misbehaviour)।

• **अनुबंध-III (Annexure-III):** उन दस्तावेजों की सूची (List of Documents) जिनसे आरोप सिद्ध किए जाने हैं (Relied Upon Documents - RUDs)।

• **अनुबंध-IV (Annexure-IV):** उन गवाहों की सूची (List of Witnesses) जिनके बयानों से आरोप सिद्ध किए जाने हैं।

6. **SF-6 (नियम 9):** रेल सेवक को दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति से इनकार करने का आदेश (Refusal of Permission to Inspect Documents — जनहित या राज्य की सुरक्षा के आधार पर)।

7. **SF-7 (नियम 9(2)):** जांच अधिकारी / जांच बोर्ड की नियुक्ति का आदेश (Appointment of Inquiry Officer / Board of Inquiry)।

8. **SF-8 (नियम 9(9)(c)):** प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति का आदेश (Appointment of Presenting Officer — सामान्यतः सतर्कता/CBI मामलों में)।

9. **SF-9:** (निरसित / *Deleted*) — पूर्व में नियम 14(ii) के तहत बिना जांच कार्रवाई से पूर्व कारण बताओ नोटिस के लिए प्रयुक्त होता था, जिसे अब हटा दिया गया है।

10. **SF-10 (नियम 13):** जब दो या अधिक रेल सेवक एक ही मामले में संलिप्त हों, तो **संयुक्त कार्यवाही (Common Proceedings)** चलाने का आदेश।

11. **SF-10(a) (नियम 13):** संयुक्त कार्यवाही में जांच अधिकारी (Inquiry Officer) की नियुक्ति का आदेश।

12. **SF-10(b) (नियम 13):** संयुक्त कार्यवाही में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (Presenting Officer) की नियुक्ति का आदेश।

13. **SF-11 (नियम 11):** लघु शास्ति (Minor Penalty) के लिए आरोप-पत्र (Memorandum of Charge for Minor Penalty)। इसमें केवल आरोपों का विवरण होता है, गवाहों की सूची अनिवार्य नहीं होती।

14. **SF-11(b) (नियम 11(1)(b)):** जब SF-11 (लघु शास्ति) के मामले में ऐसी वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव हो जिसका प्रभाव भविष्य की वेतन वृद्धियों पर पड़ेगा, या 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकनी हो, या पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो नियम 9 के अनुसार औपचारिक जांच कराने का आदेश।

15. **SF-11(c) (नियम 11(iv)):** जब **SF-5 (दीर्घ शास्ति)** जारी किया गया हो, किंतु कर्मचारी के लिखित बचाव (Written Statement of Defence) पर विचार करने के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी बिना आगे की जांच के सीधे **लघु शास्ति (Minor Penalty)** अधिरोपित करने का निर्णय ले।

16. **SF-12 (नियम 14(i)):** आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि (Conviction) के आधार पर दंड देने हेतु ज्ञापन/आदेश।

17. **SF-13:** राष्ट्रपति की ओर से जारी आदेश के प्रमाणीकरण हेतु प्रपत्र (Authentication of Order on behalf of President)।

18. **SF-14:** सेवानिवृत्त रेल सेवक के विरुद्ध पेंशन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति का प्रपत्र।

1.4 शास्तियाँ (Penalties — Rule 6): लघु एवं दीर्घ शास्तियाँ

नियम 6 के अंतर्गत शास्तियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है (चेतावनी/Warning और डांट/Reprimand कोई DAR दंड नहीं हैं):

(अ) लघु शास्तियाँ (Minor Penalties — Rule 6(i) to 6(iv)):

1. **Rule 6(i) — परिनिंदा (Censure):** सबसे छोटी औपचारिक अनुशासनिक शास्ति।

2. **Rule 6(ii) — पदोन्नति को रोकना (Withholding of Promotion):** निर्दिष्ट अवधि के लिए पदोन्नति रोकना।

3. **Rule 6(iii) — आर्थिक हानि की वसूली (Recovery from Pay):** कर्मचारी की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन से रेलवे को हुई पूर्ण या आंशिक वित्तीय हानि की वेतन से वसूली।

• **Rule 6(iii-a):** सुविधा पास (Privilege Pass) या सुविधा टिकट आदेश (PTO) या दोनों को निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकना।

• **Rule 6(iii-b):** किसी समय-मान (Time Scale) में वेतन को अधिकतम **3 वर्ष तक** की अवधि के लिए **एक स्तर से अनधिक (Not by more than one stage)** कम करना, **असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect)** से और जिससे पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

4. **Rule 6(iv) — वेतन वृद्धि को रोकना (Withholding of Increments of Pay):** निर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकना (यह संचयी या असंचयी हो सकता है, किंतु यदि संचयी प्रभाव हो या 3 वर्ष से अधिक हो तो SF-11(b) के तहत जांच अनिवार्य है)।

(ब) दीर्घ शास्तियाँ (Major Penalties — Rule 6(v) to 6(ix)):

5. **Rule 6(v) — समय-मान में निचले स्तर पर अवनति (Reduction to a Lower Stage in Time Scale):** नियम 6(iii-b) के सिवाय, किसी समय-मान में वेतन को निचले स्तर पर निर्दिष्ट अवधि के लिए कम करना, साथ में यह स्पष्ट निर्देश कि क्या कर्मचारी उस अवधि में वेतन वृद्धि अर्जित करेगा या नहीं और समाप्ति पर इसका भविष्य की वेतन वृद्धियों पर प्रभाव (Cumulative Effect) पड़ेगा या नहीं।

6. **Rule 6(vi) — निचले समय-मान, ग्रेड, पद या सेवा में अवनति (Reduction to a Lower Time Scale of Pay, Grade, Post or Service):** यह निर्दिष्ट अवधि के लिए होगा, तथा आदेश में वरिष्ठता (Seniority) और वेतन के पुनर्स्थापन की शर्तें स्पष्ट होंगी।

7. **Rule 6(vii) — अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement):** इसमें कर्मचारी को अर्हक सेवा के अनुसार पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन/ग्रेच्युटी का कम से कम 2/3 से पूर्ण भाग तक) प्राप्त होते हैं।

8. **Rule 6(viii) — सेवा से हटाया जाना (Removal from Service):** इसमें पेंशन/ग्रेच्युटी जब्त हो जाती है (केवल अनुकंपा भत्ता/ Compassionate Allowance अधिकतम 2/3 स्वीकृत किया जा सकता है), किंतु यह **भविष्य में सरकारी नियोजन के लिए अयोग्यता (Disqualification) नहीं** होता।

9. **Rule 6(ix) — सेवा से पदच्युत/बर्खास्त किया जाना (Dismissal from Service):** यह सर्वोच्च दंड है। इसमें सभी सेवानिवृत्ति लाभ समाप्त हो जाते हैं और कर्मचारी **भविष्य में किसी भी सरकारी नियोजन के लिए पूर्णतः अयोग्य (Disqualified for Future Government Employment)** हो जाता है।

1.5 नियम 9, 14, अपील (Rule 18–22) एवं पुनरीक्षण (Rule 25)

• **नियम 9 (दीर्घ शास्ति जांच प्रक्रिया):** SF-5 जारी होने पर कर्मचारी को अपना लिखित बचाव प्रस्तुत करने के लिए **10 दिन** का समय दिया जाता है (RUDs के निरीक्षण के बाद और 10 दिन)। जांच में कर्मचारी अपनी सहायता के लिए किसी सेवारत या सेवानिवृत्त रेल सेवक या मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी को **बचाव सहायक (Defence Helper / ARE)** रख सकता है। अगस्त 2026 के परिपत्र (**RBE No. 65/2026**) के अनुसार अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से भी अनुशासनिक जांच संचालित करने की व्यवस्था को मानकीकृत किया गया है।

• **नियम 14 (विशेष प्रक्रिया — बिना जांच दंड के 3 अपवाद):** अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परंतुक के अनुरूप:

1. **नियम 14(i):** आपराधिक आरोप पर न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि (Conviction) होने पर।

2. **नियम 14(ii):** जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी संतुष्ट हो (लिखित कारण दर्ज करते हुए) कि जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है (Not reasonably practicable to hold inquiry)।

3. **नियम 14(iii):** जहाँ राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि राज्य की सुरक्षा (Interest of the Security of the State) के हित में जांच करना समीचीन नहीं है।

• **अपील एवं पुनरीक्षण (Appeals & Revision):**

• **नियम 17:** जिन आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती (जैसे राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश, जांच के अंतरिम आदेश)।

• **नियम 18 एवं 20:** निलंबन या किसी भी दंड के विरुद्ध अपील आदेश प्राप्त होने की तिथि से **45 दिनों के भीतर** अपीलीय प्राधिकारी (Appellate Authority) को की जा सकती है।

• **नियम 25 (पुनरीक्षण / Revision):** पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या याचिका पर पारित आदेश में संशोधन कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी यदि पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करता है तो समय-सीमा **6 माह** है और महाप्रबंधक (GM) के नीचे के प्राधिकारी के लिए दंड बढ़ाने की समय-सीमा **1 वर्ष** है (राष्ट्रपति, रेलवे बोर्ड एवं महाप्रबंधक के लिए स्वप्रेरणा पुनरीक्षण में कोई समय-सीमा नहीं है, बशर्ते कर्मचारी सेवा में हो)।

अध्याय 2: रेल सेवक (कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि) नियम, 2005 [HOER Rules, 2005]

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 2: रेल सेवक (कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि) नियम, 2005 [HOER Rules, 2005]

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
वैधानिक पृष्ठभूमि एवं वर्गीकरण प्राधिकारी	रोजगार के 4 वर्ग, मानक कार्य घंटे एवं साप्ताहिक विश्राम	प्रमुख तकनीकी परिभाषाएँ (Night Duty, Split Duty, Running Staff, OTA)

2.1 वैधानिक पृष्ठभूमि एवं वर्गीकरण प्राधिकारी

• **वैधानिक आधार:** रेलवे अधिनियम, 1989 के **अध्याय XIV (धारा 130 से 136)** के प्रावधानों को लागू करने हेतु पूर्ववर्ती 1961 के नियमों को निरसित करते हुए **28 फरवरी 2005** को रेल सेवक (कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि) नियम, 2005 अधिसूचित किए गए।

• **अंतरराष्ट्रीय आधार:** ये नियम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कन्वेंशन सं. 1 (Hours of Work, 1919 — वाशिंगटन) और कन्वेंशन सं. 14 (Weekly Rest, 1921 — जिनेवा) तथा न्यायमूर्ति रज्याध्यक्ष पंचाट (Justice Rajadhyaksha Award, 1947) और रेलवे श्रम अधिकरण (Miabhoy Tribunal, 1969) की सिफारिशों पर आधारित हैं।

• **वर्गीकरण प्राधिकारी (Rule 3 & 4):** किसी भी रोजगार को वर्गीकृत करने की शक्ति **महाप्रबंधक (General Manager)** में निहित है, जो इसे **प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी (PCPO)** को प्रत्यायोजित करते हैं। वर्गीकरण के विरुद्ध अपील **90 दिनों** के भीतर **क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (Regional Labour Commissioner - Central)** को और द्वितीय अपील **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (भारत सरकार)** को की जा सकती है।

2.2 रोजगार के 4 वर्ग, मानक कार्य घंटे एवं साप्ताहिक विश्राम

HOER Rules 2005 के नियम 8 एवं नियम 12 के अनुसार रेल कर्मचारियों को 4 वर्गों में बाँटा गया है:

1. **गहन (Intensive):**

• **मानदंड:** ऐसा कार्य जो अत्यंत एकाग्रता और कठिन शारीरिक या मानसिक श्रम की मांग करता है, जिसमें 12 घंटे की शिफ्ट में कुल निष्क्रियता (Inaction/Relaxation) की अवधि **1 घंटे से कम** हो या 6 घंटे की शिफ्ट में **30 मिनट से कम** हो (जैसे—व्यस्त केबिनमैन, सेक्शन कंट्रोलर, व्यस्त टेलीफोन ऑपरेटर)।

• **मानक कार्य घंटे (Rostered Hours): 42 घंटे प्रति सप्ताह**।

• **वैधानिक अधिकतम सीमा (Statutory Limit — OTA गणना आधार): 45 घंटे प्रति सप्ताह** (3 घंटे/सप्ताह तैयारी एवं कार्यभार सौंपने का समय — Preparatory & Complementary Time)।

• **साप्ताहिक विश्राम (Periodical Rest):** प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम **30 लगातार घंटे (30 Consecutive Hours)** (Section 12 of HOER Rules 2005)।

• **दो ड्यूटी के बीच न्यूनतम विश्राम:** न्यूनतम **12 लगातार घंटे** (HOER Rest Provisions)।

2. **सतत (Continuous):**

• **मानदंड:** रेलवे के अधिकांश अराजपत्रित कर्मचारी जो अन्य तीनों वर्गों में नहीं आते, 'सतत' वर्ग में आते हैं (जैसे—स्टेशन मास्टर, क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, लोको पायलट/गार्ड रनिंग स्टाफ, तकनीशियन)।

• **मानक कार्य घंटे (Rostered Hours): 48 घंटे प्रति सप्ताह**।

• **वैधानिक अधिकतम सीमा (Statutory Limit): 54 घंटे प्रति सप्ताह** (6 घंटे/सप्ताह तैयारी एवं पूरक समय)।

• **साप्ताहिक विश्राम:** प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम **30 लगातार घंटे** (रनिंग स्टाफ के लिए: महीने में प्रत्येक एक पूर्ण रात्रि वाले **30-30 घंटे के 4 विश्राम** या कम से कम **22-22 घंटे के 5 विश्राम**)।

• **दो ड्यूटी के बीच न्यूनतम विश्राम:** न्यूनतम **10 लगातार घंटे** (रनिंग स्टाफ के लिए मुख्यालय पर 16 घंटे और बाहरी स्टेशन पर 8 घंटे)।

3. **अनिवार्य रूप से सविराम (Essentially Intermittent — EI):**

• **मानदंड:** ऐसा कार्य जिसमें ड्यूटी पर उपस्थिति की अवधि लंबी होती है, किंतु बीच-बीच में निष्क्रियता (Periods of Inaction) के पर्याप्त अंतराल होते हैं —अर्थात् 12 घंटे की ड्यूटी के दौरान कुल मिलाकर **50% या उससे अधिक (कम से कम 6 घंटे)** विश्राम या निष्क्रियता की अवधि हो जिसमें कम से कम **1 घंटा लगातार** या **आधे-आधे घंटे की दो अवधियाँ** शामिल हों (जैसे—सड़क किनारे के स्टेशन के कर्मचारी, गेटमैन 'C', विश्राम गृह के केयरटेकर, चौकीदार, सैलून अटेंडेंट)।

• **मानक कार्य घंटे: 48 घंटे मानक** + अतिरिक्त घंटे:

• **उप-वर्ग (i) (आवासीय क्वार्टर कार्यस्थल से 0.5 किमी / 500 मीटर के भीतर होने पर, गेटमैन 'C', केयरटेकर, चौकीदार, सैलून अटेंडेंट):** 48 + 24 अतिरिक्त घंटे = **72 घंटे प्रति सप्ताह** (वैधानिक सीमा: + 3 घंटे तैयारी समय = **75 घंटे/सप्ताह**)।

• **उप-वर्ग (ii) (अन्य EI कर्मचारी जिनका आवास 500 मीटर के भीतर नहीं है):** 48 + 12 अतिरिक्त घंटे = **60 घंटे प्रति सप्ताह** (वैधानिक सीमा: + 4.5 घंटे तैयारी समय = **64.5 घंटे/सप्ताह**)।

• **साप्ताहिक विश्राम:** प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम **24 लगातार घंटे, जिसमें एक पूर्ण रात्रि (Full Night) शामिल हो**।

• **दो ड्यूटी के बीच न्यूनतम विश्राम:** न्यूनतम **8 लगातार घंटे**।

4. **अपवर्जित (Excluded):**

• **मानदंड:** ऐसे कर्मचारी जिन पर कार्य के घंटों की सीमा लागू नहीं होती—(क) पर्यवेक्षकीय (Supervisory) कर्मचारी, (ख) गोपनीय (Confidential) क्षमता में कार्यरत कर्मचारी (जैसे GM/DRM के गोपनीय आशुलिपिक), (ग) सशस्त्र प्रहरी, (घ) चिकित्सा एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ (मैट्रन, सिस्टर-इन-चार्ज, स्वास्थ्य निरीक्षक), (ङ) रेलवे स्कूलों के शिक्षक।

• **साप्ताहिक विश्राम:** ग्रुप 'C' और 'D' के अपवर्जित कर्मचारियों को प्रत्येक माह में कम से कम **एक 48 लगातार घंटे का विश्राम** या प्रत्येक पखवाड़े में **एक 24 लगातार घंटे का विश्राम** दिया जाता है।

2.3 प्रमुख तकनीकी परिभाषाएँ (Night Duty, Split Duty, Running Staff, OTA)

• **रात्रि (Night):** रात्रि **22:00 बजे (रात 10 बजे) से प्रातः 06:00 बजे** तक की अवधि को कहते हैं।

• **पूर्ण रात्रि विश्राम (Full Night in Bed):** रात्रि 22:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के बीच कम से कम **6 लगातार घंटे** का विश्राम।

• **विभाजित ड्यूटी (Split Duty — Rule 8(7)):** जब ड्यूटी दो या तीन पालियों में बंटी हो और बीच का अंतराल 30 मिनट से अधिक हो। पालियों की संख्या 3 से अधिक (अर्थात् 2 ब्रेक से अधिक) नहीं होगी। यदि सतत वर्ग के कर्मचारी का निवास कार्यस्थल से **1.6 किमी से अधिक** दूर है, तो **7 घंटे की स्प्लिट ड्यूटी को 8 घंटे की सामान्य ड्यूटी** के बराबर माना जाएगा (Split Duty Rule 8(7))।

• **लॉन्ग ऑन (Long On) एवं शॉर्ट ऑफ (Short Off):** Intensive के लिए 8 घंटे, Continuous के लिए 10 घंटे और EI के लिए 12 घंटे से अधिक की एकल पाली को 'लॉन्ग ऑन' कहते हैं, जिससे रोस्टर में बचा जाना चाहिए।

• **ओवरटाइम भत्ता (Overtime Allowance — OTA, Rule 10):** रोस्टर के घंटों से अधिक किंतु वैधानिक सीमा (Statutory Limit — 45 / 54 / 64.5 / 75 घंटे) तक काम करने पर साधारण दर के **1.5 गुना (डेढ़ गुना)** तथा वैधानिक सीमा से अधिक काम करने पर साधारण दर के **2 गुना (दोगुना)** की दर से ओवरटाइम भत्ता देय होता है। औसत की गणना Intensive और Continuous (गैर-रनिंग) के लिए **दो-साप्ताहिक (Two-weekly)** और EI के लिए **साप्ताहिक (Weekly)** आधार पर की जाती है।

अध्याय 3: रेल सेवक (पास) नियम, 1986 [Railway Servants (Pass) Rules, 1986]

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 3: रेल सेवक (पास) नियम, 1986 [Railway Servants (Pass) Rules, 1986]

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
पास के प्रकार एवं पात्रता	**परिवार एवं आश्रित की परिभाषा, वैधता एवं नियम**

3.1 पास के प्रकार एवं पात्रता

रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (1993 संस्करण एवं अद्यतन संशोधन) के तहत रेल कर्मचारियों को यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है (अब यह पूर्णतः **HRMS ई-पास / ई-PTO मॉड्यूल** के माध्यम से संचालित है):

1. **ड्यूटी पास (Duty Pass):**

• **गोल्ड पास (Gold Pass):** अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CRB & CEO), रेलवे बोर्ड के सदस्य, महानिदेशक और सभी क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधक (GM) तथा मुख्य आयुक्त रेलवे सुरक्षा (CCRS) को जारी किया जाता है (Pass Rules Gold Pass)। इसमें परिवार सहित 1st AC में यात्रा की अनुमति होती है।

• **सिल्वर पास (Silver Pass):** HAG एवं SAG स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को।

• **ब्रॉन्ज पास (Bronze Pass):** JAG एवं वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को।

• **कार्ड पास व चेक पास:** ड्यूटी पर आने-जाने हेतु।

2. **सुविधा पास (Privilege Pass):**

• **राजपत्रित अधिकारी (Group A & B — Level 8 एवं ऊपर):** नियुक्ति के प्रथम वर्ष से ही **6 सेट प्रति कैलेंडर वर्ष** (First Class 'A' पास — सफेद रंग)।

• **अराजपत्रित कर्मचारी (Group C & D — Level 1 से Level 7):**

• सेवा के **1 से 5 वर्ष तक: 1 सेट प्रति कैलेंडर वर्ष**।

• **5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात: 3 सेट प्रति कैलेंडर वर्ष**।

3. **सुविधा टिकट आदेश (Privilege Ticket Order — PTO):**

• राजपत्रित एवं अराजपत्रित **सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को नियुक्ति के प्रथम वर्ष से ही 4 सेट प्रति कैलेंडर वर्ष** PTO मिलते हैं।

• PTO पर यात्रा करने के लिए सामान्य किराए का **1/3 (एक-तिहाई)** भुगतान करना होता है।

4. **सेवानिवृत्ति उपरांत मानार्थ पास (Post-Retirement Complimentary Pass — PRCP):**

• **पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा:** रेलवे में कम से कम **20 वर्ष की अर्हक सेवा** अनिवार्य है (बर्खास्त/Dismissed कर्मचारी को PRCP देय नहीं है)।

• **राजपत्रित अधिकारी (Group A & B):**

• 20 वर्ष या अधिक की सेवा पर: **3 सेट प्रति वर्ष**।

• **अराजपत्रित कर्मचारी (Group C / भूतपूर्व Group D):**

• 20 वर्ष या अधिक की सेवा पर: **2 सेट प्रति वर्ष** (Group C) तथा **1 सेट प्रति वर्ष** (Level-1 / भूतपूर्व Group D)।

5. **विधवा पास (Widow Pass):**

• यह योजना **12 मार्च 1987** से लागू हुई।

• सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी विधवा/विधुर को कर्मचारी को मिलने वाले मानार्थ पास का **आधा (न्यूनतम 1 सेट एकान्तर वर्ष में या PRCP पात्रता का आधा)** आजीवन मिलता है (पुनर्विवाह न करने तक)।

6. **स्कूल पास (School Pass):**

• कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के लिए (जब बच्चे माता-पिता से दूर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हों) **3 सेट प्रति वर्ष (या 6 हाफ-सेट)** दिए जाते हैं।

• यदि माता और पिता दोनों रेल कर्मचारी हैं, तो भी स्कूल पास कुल मिलाकर 3 सेट/वर्ष से अधिक नहीं मिलेंगे।

3.2 परिवार एवं आश्रित की परिभाषा, वैधता एवं नियम

• **परिवार (Family) के सदस्य (संख्या की कोई सीमा नहीं):**

1. पति या पत्नी (चाहे वे कमाते हों या नहीं)।

2. **पुत्र (Sons):** 21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित पुत्र (यदि पूर्णकालिक छात्र हैं तो 21 वर्ष से ऊपर भी; यदि दिव्यांग/अशक्त हैं तो आजीवन)।

3. **अविवाहित पुत्रियाँ (Unmarried Daughters):** आयु की कोई सीमा नहीं (जब तक वे स्वयं अर्जन न करती हों)।

• **आश्रित रिश्तेदार (Dependent Relatives):**

• विधवा माता (यदि पिता जीवित न हों; या वृद्ध माता-पिता यदि विशेष रूप से अनुमत हों), अविवाहित या विधवा बहन, 21 वर्ष से कम आयु का भाई (जब पिता जीवित न हों)।

• **आश्रित की आय सीमा:** आश्रित रिश्तेदार की सभी स्रोतों (पेंशन सहित) से मासिक आय कर्मचारी के वेतन के **15% से अधिक या ₹9,000 + महंगाई राहत (DR) से अधिक** नहीं होनी चाहिए।

• **अधिकतम बर्थ सीमा:** यदि पास में कोई आश्रित रिश्तेदार (Dependent Relative) शामिल है, तो पास में कुल सदस्यों की संख्या **अधिकतम 5** हो सकती है (यदि केवल 'परिवार' के सदस्य हैं, तो सभी को शामिल किया जा सकता है, किंतु आरक्षित बर्थ अधिकतम 5 ही मिलेंगी)।

• **पास एवं PTO की वैधता (Validity Period):**

• एकल यात्रा (Single Journey / Half Set) और वापसी यात्रा (Return Journey / Full Set) दोनों प्रकार के सुविधा पास और PTO की वैधता जारी होने की तिथि से **5 माह (5 Months)** होती है।

• वर्ष के अंत में शेष बचे पास अगले वर्ष के **प्रथम 5 माह (अर्थात् 31 मई तक)** के लिए जारी कराए जा सकते हैं।

• **सामान भत्ता (Free Luggage Allowance):**

• **1st AC / 1st Class 'A' पास:** वयस्क हेतु **70 किग्रा** (अधिकतम 140 किग्रा सीमा सहित), बच्चे हेतु 35 किग्रा।

• **First Class / 2nd AC पास:** वयस्क हेतु **50 किग्रा**, बच्चे हेतु 25 किग्रा।

• **Second / Sleeper Class पास:** वयस्क हेतु **40 किग्रा**, बच्चे हेतु 20 किग्रा।

अध्याय 4: रेलवे एवं केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम (Leave Rules: LAP, LHAP, CL, CCL, Paternity)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 4: रेलवे एवं केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम (Leave Rules: LAP, LHAP, CL, CCL, Paternity)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
अवकाश के सामान्य सिद्धांत (IREC Vol-I Chapter 5 & CCS Leave Rules, 1972)	**प्रमुख अवकाशों का विस्तृत विवरण**

4.1 अवकाश के सामान्य सिद्धांत (IREC Vol-I Chapter 5 & CCS Leave Rules, 1972)

• **अवकाश अधिकार नहीं है (Rule 503 IREC Vol-I / Rule 7 CCS Leave Rules):** छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में (As a matter of right) नहीं किया जा सकता। लोक सेवा की आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकारी किसी भी प्रकार के अवकाश को अस्वीकार या रद्द (Refuse or Revoke) कर सकता है, किंतु कर्मचारी द्वारा आवेदित अवकाश की प्रकृति (Nature of Leave) को प्राधिकारी स्वयं नहीं बदल सकता।

• **अधिकतम लगातार अवकाश (Rule 510 IREC Vol-I / Rule 12 CCS):** राष्ट्रपति की विशेष स्वीकृति के बिना किसी भी कर्मचारी को **लगातार 5 वर्ष से अधिक** का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

4.2 प्रमुख अवकाशों का विस्तृत विवरण

1. **औसत वेतन छुट्टी / अर्जित अवकाश (LAP — Leave on Average Pay / Earned Leave — EL):**

• **वार्षिक पात्रता: 30 दिन प्रति कैलेंडर वर्ष।**

• **अग्रिम क्रेडिट (Advance Credit):** प्रत्येक छमाही के प्रारंभ में **1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 दिन** अग्रिम रूप से खाते में जमा किए जाते हैं।

• **कटौती (Deduction for EOL/Dies-Non):** पिछली छमाही में लिए गए असाधारण अवकाश (EOL) या डाइज-नॉन (Dies-Non) की अवधि के **1/10वें भाग** (अधिकतम 15 दिन प्रति छमाही) की कटौती अगले क्रेडिट से की जाती है।

• **अधिकतम संचय सीमा (Maximum Accumulation): 300 दिन + 15 दिन** (छमाही का वर्तमान क्रेडिट अलग से दिखाया जाता है ताकि 6 माह के भीतर उपयोग न होने पर ही लैप्स हो)।

• **एक बार में अधिकतम स्वीकृति:** भारत के भीतर एक बार में अधिकतम **180 दिन**।

• **अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment):**

• **सेवा काल के दौरान (During Service — नियम 540-A):** न्यूनतम 5 दिन के पास/PTO या LTC के साथ एक बार में अधिकतम **10 दिन का LAP नकदीकरण** कराया जा सकता है। इसके बाद खाते में कम से कम **30 दिन का LAP शेष** रहना अनिवार्य है। दो नकदीकरणों के बीच न्यूनतम **2 वर्ष का अंतराल** होना चाहिए तथा पूरे सेवाकाल में **अधिकतम 6 बार (कुल 60 दिन)** नकदीकरण लिया जा सकता है। यह 60 दिन सेवानिवृत्ति के 300 दिनों की सीमा से कम नहीं किए जाते।

• **सेवानिवृत्ति पर (On Superannuation):** अधिकतम **300 दिन** (LAP + LHAP मिलाकर यदि LAP कम हो)।

2. **अर्ध औसत वेतन छुट्टी (LHAP — Leave on Half Average Pay / HPL):**

• **वार्षिक पात्रता: 20 दिन प्रति कैलेंडर वर्ष**।

• **अग्रिम क्रेडिट:** प्रत्येक वर्ष **1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन** अग्रिम जमा होते हैं।

• **कटौती:** पिछली छमाही में डाइज-नॉन या अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के **1/18वें भाग** (अधिकतम 10 दिन) की कटौती की जाती है।

• **अधिकतम संचय: असीमित (Unlimited)**। एक बार में अधिकतम **24 माह** तक स्वीकृत किया जा सकता है।

3. **परिवर्तित छुट्टी (Commuted Leave — Rule 527 IREC):**

• चिकित्सा प्रमाण-पत्र (Medical Certificate) के आधार पर LHAP को आधे दिन के पूर्ण वेतन अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है (अर्थात् **1 दिन की कम्यूटेड लीव के लिए खाते से 2 दिन का LHAP डेबिट** होता है)।

• पूरे सेवाकाल में बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के स्वीकृत अध्ययन पाठ्यक्रम (Approved Course of Study) के लिए अधिकतम **90 दिन (180 दिन LHAP डेबिट)** और महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश या दत्तक ग्रहण अवकाश के निरंतर क्रम में बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के **60 दिन** तक कम्यूटेड लीव दी जा सकती है।

4. **अदेय छुट्टी (Leave Not Due — LND, Rule 528 IREC):**

• स्थायी कर्मचारी को जब खाते में कोई LAP या LHAP शेष न हो, भविष्य में अर्जित होने वाले LHAP के विरुद्ध अग्रिम रूप से दी जाती है।

• **अधिकतम सीमा:** पूरे सेवाकाल में कुल **360 दिन** (चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर; मातृत्व अवकाश के क्रम में बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के भी अनुमत)।

5. **आकस्मिक अवकाश (Casual Leave — CL):**

• यह मान्यता प्राप्त नियमित छुट्टी नहीं है; CL पर रहने वाले कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता।

• **पात्रता:** सामान्य प्रशासनिक/फील्ड कर्मचारियों (जिनके पास सार्वजनिक अवकाश होते हैं) को **8 दिन प्रति कैलेंडर वर्ष**; जिन कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश नहीं मिलते या जो पूर्वोत्तर/विशेष क्षेत्रों में हैं उन्हें **10 दिन**; तथा **दिव्यांग (PwBD) कर्मचारियों को 8 सामान्य CL + 4 विशेष CL = कुल 12 दिन**।

• इसे किसी भी नियमित अवकाश (LAP/LHAP) के साथ जोड़ा नहीं जा सकता (केवल विशेष आकस्मिक अवकाश SCL के साथ जोड़ा जा सकता है)।

6. **मातृत्व अवकाश (Maternity Leave — Rule 551 IREC / Rule 43 CCS):**

• **पात्रता: 2 से कम जीवित संतान (Less than 2 surviving children)** वाली महिला कर्मचारी को **180 दिन** का पूर्ण वेतन सहित मातृत्व अवकाश देय है।

• **गर्भपात (Miscarriage/Abortion) की स्थिति में:** जीवित संतानों की संख्या की परवाह किए बिना पूरे सेवाकाल में कुल मिलाकर अधिकतम **45 दिन**।

• **मृत शिशु जन्म या प्रसव के तुरंत बाद शिशु मृत्यु (Stillbirth / Neonatal Death):** प्रसव की तिथि से या शिशु की मृत्यु की तिथि से (प्रसव के 28 दिनों के भीतर मृत्यु होने पर) **60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश (Special Maternity Leave)** देय है।

7. **पितृत्व अवकाश (Paternity Leave — Rule 551(A) IREC / Rule 43-A CCS):**

• **पात्रता:** 2 से कम जीवित संतान वाले पुरुष कर्मचारी को पत्नी के प्रसव के दौरान **15 दिन** का पितृत्व अवकाश देय है।

• **समय-सीमा:** इसे प्रसव की संभावित तिथि से **15 दिन पूर्व से लेकर प्रसव की तिथि के 6 माह के भीतर** तक लिया जा सकता है। यदि 6 माह के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है, तो यह स्वतः व्यपगत (Lapse) हो जाता है। इसे एक ही बार में (Single Spell) लेना होता है।

8. **शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave — CCL, Rule 551(E) IREC / Rule 43-C CCS):**

• **पात्रता:** महिला कर्मचारियों एवं **एकल पुरुष कर्मचारियों (Single Male Parent — अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा पुरुष)** को दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा/बीमारी में देखभाल हेतु उनके **18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक** (दिव्यांग बच्चे के मामले में आयु की कोई सीमा नहीं, आजीवन) पूरे सेवाकाल में कुल **730 दिन (2 वर्ष)** का CCL देय है।

• **वेतन दर:** प्रथम **365 दिनों के लिए 100% वेतन** और अगले **365 दिनों के लिए 80% वेतन** देय होता है।

• **किस्तें (Spells):** एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम **3 बार (Spells)** में लिया जा सकता है (किंतु **एकल महिला कर्मचारी / Single Female Employee** को एक कैलेंडर वर्ष में **6 बार** तक CCL लेने की छूट है)। एक बार में न्यूनतम **5 दिन** का CCL लेना होता है।

9. **अध्ययन अवकाश (Study Leave) एवं असाधारण अवकाश (EOL):**

• **अध्ययन अवकाश:** न्यूनतम **5 वर्ष की नियमित सेवा** पूर्ण करने के बाद जनहित से जुड़े उच्च अध्ययन हेतु एक बार में अधिकतम **12 माह** और संपूर्ण सेवाकाल में कुल **24 माह** (चिकित्सा अधिकारियों / वैज्ञानिक संवर्ग के लिए **36 माह**)।

• **असाधारण अवकाश (EOL — Rule 530 IREC):** जब कोई अन्य छुट्टी देय न हो या कर्मचारी स्वयं लिखित रूप में बिना वेतन अवकाश मांगे; इसमें कोई अवकाश वेतन देय नहीं होता।

• **कार्य-संबंधित बीमारी एवं चोट अवकाश (WRIIL — Work Related Illness and Injury Leave):** पूर्ववर्ती अस्पताल अवकाश (Hospital Leave) और विशेष विकलांगता अवकाश (Special Disability Leave) को विलय कर WRIIL बनाया गया है, जिसमें अस्पताल में भर्ती रहने की पूरी अवधि के लिए 100% वेतन और उसके बाद प्रथम 6 माह तक पूर्ण वेतन व अगले 18 माह तक आधा वेतन देय होता है।

अध्याय 5: रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 एवं आरपीएफ नियम, 1987 (नियम 70 एवं 72)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 5: रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 एवं आरपीएफ नियम, 1987 (नियम 70 एवं 72)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
आरपीएफ अधिनियम, 1957 (RPF Act, 1957) की प्रमुख धाराएँ	**आरपीएफ नियम, 1987 के नियम 70, 71 एवं 72 (पदोन्नति एवं LDCE परीक्षा नियम)**	**रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 [RP(UP) Act, 1966] एवं BNS/BNSS/BSA 2023 समन्वय**

5.1 आरपीएफ अधिनियम, 1957 (RPF Act, 1957) की प्रमुख धाराएँ

रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए संसद द्वारा **रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957** (1985 एवं 2003 में संशोधित) पारित किया गया (**RPF Act 1957 & Rules 1987 Legal Analysis**):

• **धारा 2:** महत्वपूर्ण परिभाषाएँ—

• **धारा 2(1)(ba):** 'बल का नामांकित सदस्य' (Enrolled Member of the Force) — सुपीरियर अधिकारी को छोड़कर बल का कोई भी अधीनस्थ अधिकारी (Subordinate Officer), अवर अधिकारी (Under Officer) या अन्य सदस्य।

• **धारा 2(1)(ea):** 'रेल संपत्ति' (Railway Property) — इसमें रेल प्रशासन के स्वामित्व या कब्जे में या उसके भारसाधन में रखा कोई भी माल, धन या मूल्यवान प्रतिभूति शामिल है।

• **धारा 3:** केंद्र सरकार द्वारा 'रेलवे सुरक्षा बल' (RPF) का गठन एवं रखरखाव। **1985 के संशोधन (अधिनियम सं. 60/1985, 20 सितंबर 1985 से प्रभावी)** द्वारा RPF को **'संघ का सशस्त्र बल' (Armed Force of the Union)** घोषित किया गया।

• **धारा 4:** महानिदेशक (Director General — DG/RPF) और अन्य सुपीरियर अधिकारियों की नियुक्ति।

• **धारा 6:** नामांकित सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार महानिरीक्षक / प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त (PCSC) में निहित है।

• **धारा 9:** बल के किसी भी सदस्य की बर्खास्तगी, सेवा से हटाना या पदावनति (संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन)।

• **धारा 10:** महानिदेशक और बल का प्रत्येक सदस्य सभी प्रयोजनों के लिए **सदैव ड्यूटी पर (Always on Duty)** माना जाएगा और भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

• **धारा 11:** बल के सदस्यों के कर्तव्य—(क) विधिवत निष्पादित आदेशों का तुरंत पालन करना, (ख) रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की सुरक्षा और हिफाजत करना (2003 के संशोधन से 'यात्री क्षेत्र और यात्री सुरक्षा' जोड़ा गया), (ग) रेल संपत्ति के आवागमन में आने वाली किसी भी बाधा को हटाना।

• **धारा 12 (बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति):** बल का कोई भी सदस्य मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो रेल संपत्ति की चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग या क्षति करने या यात्री सुरक्षा में बाधा डालने के अपराध में संलिप्त है या जिस पर युक्तियुक्त संदेह है।

• **धारा 13 (बिना वारंट तलाशी की शक्ति):** रैंक में सहायक उप-निरीक्षक (ASI) या उससे ऊपर का अधिकारी, या ड्यूटी पर तैनात कोई भी सदस्य जब यह विश्वास करने का कारण हो कि अपराधी भाग जाएगा या साक्ष्य नष्ट कर देगा, बिना वारंट तलाशी ले सकता है और संपत्ति जब्त कर सकता है।

• **धारा 14:** धारा 12 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को **बिना अनावश्यक देरी के निकटतम पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाएगा** या पुलिस थाने भिजवाया जाएगा।

• **धारा 15A:** बल के सदस्यों के कतिपय मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन (संगठन या ट्रेड यूनियन बनाने, राजनीतिक गतिविधि या प्रेस से संपर्क करने पर रोक)।

• **धारा 16:** निलंबन काल में बल के सदस्य की शक्तियाँ निलंबित रहेंगी, किंतु वह समान उत्तरदायित्वों और अनुशासन के अधीन बना रहेगा।

• **धारा 16A:** सेवा छोड़ने या बर्खास्त होने पर प्रमाण-पत्र, हथियार, गोला-बारूद और वर्दी तुरंत जमा करना (उल्लंघन पर 1 माह कारावास या जुर्माना)।

• **धारा 17:** कर्तव्य की उपेक्षा, कायरता आदि के लिए दंड (1 वर्ष तक का कारावास या 3 माह के वेतन के बराबर जुर्माना)।

• **धारा 19:** न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन (कुछ मामलों में)।

• **धारा 20 (बल के सदस्यों के कार्यों का संरक्षण):** कर्तव्य के निष्पादन में सद्भावनापूर्वक किए गए किसी भी कार्य के विरुद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही करने से पूर्व संबंधित अधिकारी को कम से कम **3 माह का पूर्व लिखित नोटिस** देना होगा, और ऐसी कार्यवाही कार्य किए जाने की तिथि से **3 माह के भीतर** ही प्रारंभ की जा सकेगी।

• **धारा 21:** केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति (जिसके तहत RPF Rules, 1987 बनाए गए)।

5.2 आरपीएफ नियम, 1987 के नियम 70, 71 एवं 72 (पदोन्नति एवं LDCE परीक्षा नियम)

RPF Rules, 1987 के अध्याय VI (नियम 68 से 74) में नामांकित सदस्यों की पदोन्नति प्रक्रिया का विस्तृत प्रावधान है:

1. नियम 70 (Rule 70 — सामान्य चयन एवं विभागीय पदोन्नति समिति / DPC द्वारा पदोन्नति):

• **उद्देश्य:** यह नियमित वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता या सामान्य विभागीय चयन (Seniority-cum-Fitness / Normal Selection) के माध्यम से रिक्तियों को भरने का नियम है (**RPF Promotion Rules 70 & 71**)।

• **विचार क्षेत्र (Zone of Consideration):** नियम 70 के अंतर्गत सामान्यतः रिक्तियों की संख्या के अनुपात में वरिष्ठता क्रम से उम्मीदवारों को बुलाया जाता है (चयन पदों हेतु **1:3 के अनुपात** में—अर्थात् 1 रिक्ति पर 3 वरिष्ठतम पात्र उम्मीदवार)।

• **अधिकतम अवसर (Maximum Chances):** नियम 70 के अधीन सामान्य चयन परीक्षा में एक उम्मीदवार को एक रैंक में **अधिकतम 3 अवसर (3 Chances)** दिए जाते हैं (प्रशासनिक कारणों से स्थगित परीक्षा को अवसर नहीं गिना जाता)।

- **पात्रता (अनुसूची-IV / Schedule IV के अनुसार):**
- **कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल (HC):** कांस्टेबल के रूप में **8 वर्ष की नियमित सेवा**।
- **हेड कांस्टेबल (HC) से सहायक उप-निरीक्षक (ASI):** हेड कांस्टेबल के रूप में **5 वर्ष की नियमित सेवा**।
- **सहायक उप-निरीक्षक (ASI) से उप-निरीक्षक (SI):** ASI के रूप में **5 वर्ष की नियमित सेवा**।
- **उप-निरीक्षक (SI) से निरीक्षक (Inspector / IPF):** SI के रूप में **8 वर्ष की नियमित सेवा**।

2. नियम 71 (Rule 71 — नियम 70 के अधीन चयन में अंकों का आवंटन):

नियम 71 के अंतर्गत कुल **100 अंकों** का विभाजन इस प्रकार है:

- **लिखित परीक्षा (Written Examination): 60 अंक** (जिसमें व्यावसायिक ज्ञान, विधि, राजभाषा, सामान्य ज्ञान शामिल हैं; राजभाषा के 10% प्रश्न अनिवार्य)।
- **सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन (Record of Service / APARs, पुरस्कार व दंड): 20 अंक**।
- **परेड एवं ड्रिल / साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण (विद्यमान संशोधनों के अनुसार सेवा रिकॉर्ड/व्यावसायिक दक्षता में समायोजित): 20 अंक** (रेलवे बोर्ड द्वारा परेड/मौखिक परीक्षा हटाने संबंधी संशोधनों के बाद लिखित परीक्षा 80 अंक और सेवा रिकॉर्ड 20 अंक का प्रावधान लागू किया गया है, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग हेतु न्यूनतम **60% अंक** और SC/ST हेतु **50% अंक** आवश्यक हैं)।

3. नियम 72 (Rule 72 — सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा / LDCE द्वारा त्वरित पदोन्नति):

- **उद्देश्य:** मेधावी और युवा बल सदस्यों को वरिष्ठता क्रम से हटकर (Out-of-turn / Accelerated Merit Promotion) सीधे उच्च पद पर पदोन्नति का अवसर देना (**RPF Rule 72 LDCE Pattern**)।
- **रिक्तियों का कोटा:** हेड कांस्टेबल (HC), सहायक उप-निरीक्षक (ASI) और उप-निरीक्षक (SI) के पदों पर **नियम 72 (LDCE)** के तहत निर्धारित कोटा (यथा—ASI पद के लिए **25% से 40% कोटा** और HC पद के लिए निर्धारित कोटा) भरा जाता है।
- **अधिकतम अवसर (Maximum Chances under Rule 72):** नियम 72 के अंतर्गत प्रत्येक रैंक की LDCE परीक्षा में बैठने के लिए एक उम्मीदवार को अपने सेवाकाल में उस रैंक हेतु **अधिकतम 2 अवसर (Maximum 2 Chances)** ही मिलते हैं।
- **नियम 72 के अंतर्गत पात्रता शर्तें (Schedule-IV):**
- **कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल (HC) — Rule 72 LDCE:** प्रशिक्षण अवधि सहित या बाह्य रूप से **5 वर्ष की नियमित सेवा** पूर्ण कर चुके कांस्टेबल।
- **कांस्टेबल / हेड कांस्टेबल से सहायक उप-निरीक्षक (ASI) — Rule 72 LDCE:** ऐसे हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल जिन्होंने बल में कम से कम **10 वर्ष की कुल नियमित सेवा** (प्रशिक्षण अवधि सहित) पूर्ण कर ली हो।
- **स्नातक HC/ASI से उप-निरीक्षक (SI) — Rule 72 LDCE:** स्नातक (Graduate) योग्यता रखने वाले HC और ASI जिन्होंने बल में निर्धारित न्यूनतम सेवा पूर्ण कर ली हो और आयु सीमा (सामान्यतः 40/45 वर्ष) के भीतर हों।
- **चयन का आधार:** नियम 72 पूर्णतः **योग्यता आधारित (Purely Merit-Based)** होता है—अर्थात् पैनल का निर्माण वरिष्ठता क्रम से नहीं, बल्कि **प्राप्तांकों के योग्यता क्रम (Order of Merit)** के आधार पर किया जाता है।

5.3 रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 [RP(UP) Act, 1966] एवं BNS/BNSS/BSA 2023 समन्वय

- **धारा 3 (RP(UP) Act, 1966):** किसी भी व्यक्ति के पास रेल संपत्ति का विधिविरुद्ध कब्जा पाए जाने पर:
- **प्रथम अपराध के लिए:** अधिकतम **5 वर्ष का कारावास** या जुर्माना या दोनों (विशेष कारणों के बिना **न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास और ₹1,000 का जुर्माना**)।
- **द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए:** अधिकतम **5 वर्ष का कारावास** (विशेष कारणों के बिना **न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास और ₹2,000 का जुर्माना**)।
- **धारा 5:** इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध **असंज्ञेय (Non-Cognizable)** होगा (ताकि पुलिस के बजाय RPF जांच अधिकारी द्वारा जांच की जा सके)।

• **धारा 6:** RPF अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति।

• **धारा 8:** RPF अधिकारी द्वारा की गई जांच (Inquiry) न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी (यह पुलिस अन्वेषण/Investigation नहीं है, इसलिए RPF अधिकारी के समक्ष दिया गया संस्वीकृति बयान / Confessional Statement भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 23 / पुरानी धारा 25 साक्ष्य अधिनियम की बाधा से मुक्त होकर **न्यायालय में ग्राह्य / Admissible** होता है — *Balkishan A. Devidayal vs State of Maharashtra* वाद)।

• **नए आपराधिक कानूनों (1 जुलाई 2024 से प्रभावी) का समन्वय:**

• भारतीय दंड संहिता (IPC 1860) के स्थान पर **भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023)**, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC 1973) के स्थान पर **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS, 2023)**, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA 1872) के स्थान पर **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA, 2023)** लागू हो चुके हैं। RPF Rule 70/72 की परीक्षाओं में अब BNS/BNSS/BSA के समतुल्य प्रावधान पूछे जाते हैं।

अध्याय 6: केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 एवं रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966

6.1 प्रमुख आचरण नियम (Rule-by-Rule Key Provisions)

1. **नियम 3 (सामान्य कर्तव्य — General):** प्रत्येक रेल/सिविल सेवक सदैव—

• **नियम 3(1)(i):** पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखेगा (Maintain absolute integrity)।

• **नियम 3(1)(ii):** कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखेगा (Maintain devotion to duty)।

• **नियम 3(1)(iii):** ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो एक रेल/सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो (Do nothing which is unbecoming of a Railway/Government servant)।

• (2014 के संशोधन द्वारा नियम 3(1) में *(iv)* से *(xxi)* तक 18 नए उप-खंड जोड़े गए, जिनमें राजनीतिक तटस्थता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, जनसेवा की भावना, वित्तीय औचित्य आदि शामिल हैं।)

2. **नियम 3A:** कार्य के निपटान में तत्परता और जनता के साथ शिष्टाचार (Promptness and Courtesy)।

3. **नियम 3B:** सरकार की नीतियों (विशेषकर विवाह की आयु, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण) का पालन।

4. **नियम 3C:** कामकाजी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न का निषेध (Prohibition of Sexual Harassment of Working Women — कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 / POSH Act के तहत आंतरिक शिकायत समिति ICC की जांच रिपोर्ट को नियम 9 की जांच रिपोर्ट माना जाता है)।

5. **नियम 4:** निकट संबंधियों को उन निजी कंपनियों या फर्मों में रोजगार दिलाने के लिए पद के प्रभाव का उपयोग करने पर रोक जिनसे कर्मचारी का आधिकारिक संबंध हो।

6. **नियम 5:** राजनीति और चुनावों में भाग लेने पर पूर्ण प्रतिबंध।

7. **नियम 7:** प्रदर्शन (Demonstration) और हड़ताल (Strike) में भाग लेने पर प्रतिबंध।

8. **नियम 8:** प्रेस या मीडिया से अनधिकृत संपर्क पर रोक।

9. **नियम 9:** सरकार की नीति या कार्य की सार्वजनिक आलोचना पर प्रतिबंध।

10. **नियम 13 (उपहार — Gifts):** विवाह, वर्षगांठ, अंत्येष्टि या धार्मिक समारोहों के अवसर पर निकट संबंधियों/मित्रों (जिनसे कोई सरकारी कामकाज न हो) से बिना सरकार की पूर्व अनुमति के उपहार स्वीकार करने की अधिकतम सीमा (7वें वेतन आयोग के बाद संशोधित):

• **ग्रुप 'A' अधिकारी:** ₹25,000 तक।

• **ग्रुप 'B' अधिकारी:** ₹15,000 तक।

• **ग्रुप 'C' कर्मचारी:** ₹7,500 तक।

• (यदि एक माह के वेतन से अधिक का कुल उपहार प्राप्त हो तो सरकार को सूचना देनी होती है।)

11. **नियम 13A:** दहेज (Dowry) लेना या देना या उसकी मांग करना पूर्णतः वर्जित है।

12. **नियम 15:** सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी व्यापार या निजी रोजगार में संलग्न होने पर प्रतिबंध।

13. **नियम 18 (चल एवं अचल संपत्ति का विवरण — Property Returns):**

• **अचल संपत्ति रिटर्न (IPR):** प्रत्येक वर्ष **31 जनवरी** तक पिछले वर्ष की स्थिति के अनुसार ऑनलाइन (SPARROW/HRMS पर) दाखिल करना अनिवार्य है। IPR न भरने पर सतर्कता अनापत्ति (Vigilance Clearance) रोकी जा सकती है।

• **चल संपत्ति (Movable Property) का लेन-देन:** यदि किसी चल संपत्ति का मूल्य कर्मचारी के **2 माह के मूल वेतन (Two Months' Basic Pay)** से अधिक है, तो ऐसे लेन-देन की सूचना **1 माह के भीतर** सक्षम प्राधिकारी को देनी अनिवार्य है।

14. **नियम 21:** द्विविवाह (Bigamy) या जीवित पति/पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने पर प्रतिबंध।

15. **नियम 22:** मादक पेय एवं नशीले पदार्थों के सेवन संबंधी नियम—ड्यूटी पर आने से **8 घंटे पूर्व** किसी भी मादक पेय का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है (विशेषकर रनिंग स्टाफ के लिए Breath Analyser टेस्ट में शून्य अल्कोहल नीति लागू है)।

16. **नियम 22A: 14 वर्ष से कम आयु** के किसी भी बच्चे को काम पर रखने (Child Labour) पर पूर्ण प्रतिबंध।

अध्याय 7: सामान्य वित्तीय नियम (GFR 2017 — संशोधित 2024–2026) एवं GeM खरीद नियम

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 7: सामान्य वित्तीय नियम (GFR 2017 — संशोधित 2024–2026) एवं GeM खरीद नियम

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
वित्तीय औचित्य के सिद्धांत (Canons of Financial Propriety — Rule 21)	**वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद (अध्याय 6: नियम 142 से 206 — मई/जुलाई 2024 के क्रांतिकारी संशोधन)**

7.1 वित्तीय औचित्य के सिद्धांत (Canons of Financial Propriety — Rule 21)

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा जारी **सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (जुलाई 2024 तक अद्यतन)** के **नियम 21** के अनुसार प्रत्येक व्ययकर्ता अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक धन का व्यय उतनी ही सतर्कता से करेगा जितनी सतर्कता से एक सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति अपना स्वयं का धन खर्च करता है।

7.2 वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद (अध्याय 6: नियम 142 से 206 — मई/जुलाई 2024 के क्रांतिकारी संशोधन)

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा वर्ष 2024 में जारी कार्यालय ज्ञापनों (**GFR 2024 Amendments Summary** एवं **IIT Kanpur GFR Amendment Notification**) के माध्यम से खरीद की मौद्रिक सीमाओं को दोगुना/संशोधित कर दिया गया है, जो सभी विभागीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

1. **नियम 149 — गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM Portal से अनिवार्य खरीद):**

• सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं (Common Use Goods and Services) की खरीद जो GeM पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से GeM से ही खरीदा जाएगा (**GeM Rule 149 Official Document**)।

• **GeM खरीद के 3 स्लैब (संशोधित 2024):**

• **स्लैब 1 (₹50,000 तक):** GeM पर उपलब्ध किसी भी विक्रेता से सीधे ऑनलाइन खरीद (Direct Online Purchase — पूर्व में यह सीमा ₹25,000 थी; ऑटोमोबाइल खरीद के मामले में बिना किसी मूल्य सीमा के सीधी खरीद अनुमत है)।

• **स्लैब 2 (₹50,000 से अधिक एवं ₹10,00,000 तक):** कम से कम **3 विभिन्न विनिर्माताओं (3 Different OEMs)** के उत्पादों की तुलना करने के बाद न्यूनतम मूल्य (L-1) वाले विक्रेता से सीधे ऑनलाइन खरीद (पूर्व में यह सीमा ₹25,000 से ₹5,00,000 तक थी)।

• **स्लैब 3 (₹10,00,000 से अधिक):** GeM के ऑनलाइन बिडिंग (Bidding) या रिवर्स ऑक्शन (Reverse Auction — RA) टूल का उपयोग करके सबसे कम कीमत (L-1) वाले आपूर्तिकर्ता से अनिवार्य खरीद (पूर्व में यह सीमा ₹5 लाख से ऊपर थी)।

• **किस्तों में विभाजन पर रोक (Rule 149(viii)):** उच्च खरीद प्रक्रिया (L-1 तुलना या बिडिंग) से बचने के लिए मांग को छोटी-छोटी राशियों में विभाजित (Split of Demand) नहीं किया जाएगा।

2. **नियम 154 — बिना कोटेशन के वस्तुओं की खरीद (Purchase of Goods Without Quotation):**

• **सामान्य मंत्रालयों/विभागों के लिए नई सीमा (2024): ₹50,000 तक** (मूल रूप से 2017 में यह सीमा ₹25,000 थी)।

• **वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों (जैसे—DSIR, DRDO, ISRO, DAE, DBT, DST, पृथ्वी विज्ञान) के लिए विशेष सीमा (जुलाई 2024 संशोधन): ₹1,00,000 (₹1 लाख) तक** (CSIR Special GFR Provisions July 2024)।

3. **नियम 155 — क्रय समिति द्वारा वस्तुओं की खरीद (Purchase of Goods by Local Purchase Committee — LPC):**

• **सामान्य विभागों के लिए नई सीमा (2024): ₹50,000 से अधिक एवं ₹5,00,000 (₹5 लाख) तक** (मूल रूप से यह सीमा ₹25,000 से ₹2,50,000 तक थी)।

• **वैज्ञानिक विभागों के लिए विशेष सीमा:** ₹1,00,000 से अधिक एवं **₹10,00,000 (₹10 लाख) तक**।

• **समिति संरचना:** विभागाध्यक्ष द्वारा गठित **3 सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति (3-Member Local Purchase Committee)** बाज़ार सर्वेक्षण कर गुणवत्ता, विनिर्देश और मूल्य की युक्तसंगतता का प्रमाण-पत्र देती है।

4. **नियम 161 — विज्ञापित निविदा जांच (Advertised Tender Enquiry — ATE / Open Tender):**

• **नई मौद्रिक सीमा (2024):** जब खरीदे जाने वाले माल का अनुमानित मूल्य **₹50,00,000 (₹50 लाख) या उससे अधिक** हो (मूल रूप से यह सीमा ₹25 लाख थी; वैज्ञानिक मंत्रालयों के लिए इसे बढ़ाकर ₹1 करोड़ किया गया है)।

• **प्रकाशन:** केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (**CPPP — ePublishing/eProcurement**) और GeM पर प्रकाशन अनिवार्य है।

• **बोली जमा करने की न्यूनतम अवधि:** निविदा प्रकाशन की तिथि से सामान्यतः **3 सप्ताह (21 दिन)**; तथा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से निविदा आमंत्रित करने (Global Tender Enquiry — GTE) की स्थिति में **4 सप्ताह (28 दिन)**।

• **ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी (GTE) पर प्रतिबंध:** आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत **₹200 करोड़ तक** की खरीद के लिए कैबिनेट सचिवालय/व्यय विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई ग्लोबल टेंडर (GTE) जारी नहीं किया जाएगा।

5. **नियम 162 — सीमित निविदा जांच (Limited Tender Enquiry — LTE):**

• **नई मौद्रिक सीमा (2024):** जब अनुमानित मूल्य **₹50,00,000 (₹50 लाख) से कम** हो (मूल रूप से ₹25 लाख से कम था)।

• **न्यूनतम पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की संख्या:** निविदा दस्तावेज की प्रतियाँ सीधे कम से कम **3 से अधिक अर्थात् न्यूनतम 4 (More than three = at least 4)** पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को भेजी जानी अनिवार्य हैं।

• ₹50 लाख से अधिक के मामलों में भी LTE केवल तभी अपनाई जा सकती है जब मांग अत्यंत अत्यावश्यक हो या सार्वजनिक हित में खुली निविदा मंगाना उचित न हो या स्रोत सीमित व ज्ञात हों।

6. **नियम 166 — एकल निविदा जांच (Single Tender Enquiry — STE / PAC):**

• यह केवल तीन स्थितियों में अनुमत है: (i) जब वस्तु केवल एक ही विशिष्ट फर्म द्वारा निर्मित की जाती हो (Proprietary Article Certificate — PAC), (ii) किसी आपातकालीन स्थिति में, या (iii) पहले से मौजूद मशीनरी के मानकीकरण (Standardization) या स्पेयर पार्ट्स की संगतता के लिए।

7. **नियम 170 एवं 171 — बोली सुरक्षा (EMD) एवं निष्पादन सुरक्षा (Performance Security):**

• **नियम 170 — बोली सुरक्षा / बयाना राशि (Bid Security / Earnest Money Deposit — EMD):** निविदा के अनुमानित मूल्य का **2% से 5%** के बीच। सूक्ष्म और लघु उद्यमों (**MSEs**) तथा DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त **स्टार्टअप्स (Start-ups)** को EMD जमा करने से **पूर्ण छूट** प्राप्त है। EMD की वैधता बोली की वैधता अवधि से **45 दिन अधिक** होनी चाहिए।

• **नियम 171 — निष्पादन सुरक्षा (Performance Security / PBG):** अनुबंध मूल्य का **3% से 10%** के बीच (2024 संशोधन अनुसार 3% से 10%)। ध्यान रहे: **MSEs को EMD (Rule 170) से छूट है, किंतु निविदा जीतने के बाद Performance Security (Rule 171) से छूट नहीं है।** इसकी वैधता सभी संविदात्मक दायित्वों (वारंटी सहित) के पूरा होने की तिथि से **60 दिन आगे तक** रहनी चाहिए।

अध्याय 8: एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme — UPS 2024–25) एवं NPS/OPS तुलना

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 8: एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme — UPS 2024–25) एवं NPS/OPS तुलना

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
UPS की पृष्ठभूमि एवं प्रवर्तन	**एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के 5 मुख्य स्तंभ**	**अंशदान संरचना (Contribution Structure in UPS)**

8.1 UPS की पृष्ठभूमि एवं प्रवर्तन

• **समिति:** डॉ. टी. वी. सोमनाथन (तत्कालीन वित्त सचिव) की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **24 अगस्त 2024** को **एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme — UPS)** को मंजूरी दी।

• **प्रभावी तिथि:** यह योजना **1 अप्रैल 2025** से लागू हुई है (**NICF Official UPS Explainer**)।

• **पात्रता:** 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (जो NPS के अंतर्गत आते हैं) के पास NPS में बने रहने या UPS चुनने का विकल्प है। एक बार UPS का विकल्प चुन लेने के बाद यह **अंतिम (Irrevocable)** होगा। यह योजना वर्ष 2004 से 31 मार्च 2025 के बीच NPS के तहत सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों (बकाया राशि व ब्याज सहित) पर भी लागू है।

8.2 एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के 5 मुख्य स्तंभ

1. **सुनिश्चित पेंशन (Assured Pension — 50%):**

• न्यूनतम **25 वर्ष की अर्हक सेवा (Qualifying Service — 300 माह)** पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के **अंतिम 12 महीनों में आहरित औसत मूल वेतन (Average Basic Pay of Last 12 Months) का 50%** सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा।

• यदि सेवा अवधि **10 वर्ष से अधिक किंतु 25 वर्ष से कम** है, तो सेवा के वर्षों के अनुपात में समानुपातिक (Proportionate) पेंशन देय होगी।

2. **सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन (Assured Family Pension — 60%):**

• पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित जीवनसाथी को कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले मिल रही **पेंशन का 60%** पारिवारिक पेंशन के रूप में तुरंत देय होगा।

3. **सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन (Assured Minimum Pension — ₹10,000/माह):**

• कम से कम **10 वर्ष की अर्हक सेवा** के बाद अधिवर्षिता (Superannuation) पर सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम **₹10,000 प्रति माह** की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन मिलेगी (साथ में महंगाई राहत अलग से)।

4. **मुद्रास्फीति सूचकांक (Inflation Indexation / Dearness Relief):**

• सेवारत कर्मचारियों की भांति ही सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों पर **औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW)** के आधार पर महंगाई राहत (Dearness Relief — DR) दी जाएगी।

5. **सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान (Lump-Sum Payment at Superannuation):**

• यह नियमित ग्रेच्युटी (DCRG — अधिकतम ₹25 लाख) के **अतिरिक्त** होगा।

• प्रत्येक **पूर्ण 6 माह (Six completed months) की सेवा** के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (**मूल वेतन + महंगाई भत्ता / Basic Pay + DA**) का **1/10वां भाग (10%)** एकमुश्त दिया जाएगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की राशि में कोई कटौती नहीं होगी।

• उदाहरण: यदि किसी कर्मचारी ने 30 वर्ष (अर्थात् 60 छमाही) सेवा की है, तो उसे सेवानिवृत्ति पर अंतिम वेतन (Basic + DA) के **6 माह के वेतन के बराबर** अतिरिक्त एकमुश्त राशि मिलेगी!

8.3 अंशदान संरचना (Contribution Structure in UPS)

• **कर्मचारी का अंशदान (Employee Contribution):** मूल वेतन + DA का **10%** (NPS के समान ही अपरिवर्तित)।

• **केंद्र सरकार का अंशदान (Government Contribution):** मूल वेतन + DA का **18.5%** (NPS में सरकार का अंशदान 14% था, जिसे UPS में 4.5% बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है: 10% व्यक्तिगत कॉर्पस में और 8.5% पूल कॉर्पस में)।

अध्याय 9: राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम 1963 एवं राजभाषा नियम 1976

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 9: राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम 1963 एवं राजभाषा नियम 1976

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
संवैधानिक प्रावधान (भाग XVII — अनुच्छेद 343 से 351 एवं अनुच्छेद 120, 210)	राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967)	राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 एवं 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र

9.1 संवैधानिक प्रावधान (भाग XVII — अनुच्छेद 343 से 351 एवं अनुच्छेद 120, 210)

• **अनुच्छेद 120 (भाग V):** संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा (हिंदी या अंग्रेजी; पीठासीन अधिकारी की अनुमति से मातृभाषा में बोलने का अधिकार)।

• **अनुच्छेद 210 (भाग VI):** राज्य के विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा।

• **भाग XVII (अनुच्छेद 343 से 351 — 4 अध्याय):**

• **अध्याय 1 — संघ की भाषा (अनुच्छेद 343 एवं 344):**

• **अनुच्छेद 343(1):** संघ की राजभाषा **हिंदी** और लिपि **देवनागरी** होगी तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप **भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप** होगा (14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा मुंशी-आयंगर फार्मूले के तहत स्वीकृत — इसी कारण **14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस** और **10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस** मनाया जाता है)।

• **अनुच्छेद 343(2):** संविधान के प्रारंभ से **15 वर्ष की अवधि तक (अर्थात् 25 जनवरी 1965 तक)** अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा।

• **अनुच्छेद 344:** राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष पर (प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 **जून 1955 को बी. जी. खेर** की अध्यक्षता में हुआ) और तत्पश्चात 10 वर्ष पर राजभाषा आयोग तथा **30 सदस्यीय संसदीय राजभाषा समिति** (20 लोकसभा + 10 राज्यसभा; प्रथम अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत) के गठन का प्रावधान।

• **अध्याय 2 — प्रादेशिक भाषाएँ (अनुच्छेद 345, 346, 347):** राज्य की राजभाषा एवं दो राज्यों या राज्य व संघ के बीच पत्राचार की भाषा।

• **अध्याय 3 — सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा (अनुच्छेद 348 एवं 349):** जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ तथा विधेयकों/अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे।

• **अध्याय 4 — विशेष निदेश (अनुच्छेद 350 एवं 351):**

• **अनुच्छेद 350:** व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में किसी भी भाषा के प्रयोग का अधिकार।

• **अनुच्छेद 350A:** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ (7वां संविधान संशोधन, 1956)।

• **अनुच्छेद 350B:** भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति (7वां संविधान संशोधन, 1956)।

• **अनुच्छेद 351:** हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ का कर्तव्य (जिसमें संस्कृत से मुख्यतः और अष्टम अनुसूची की अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण कर हिंदी को समृद्ध बनाना शामिल है)।

• **अष्टम अनुसूची (Eighth Schedule) की 22 भाषाएँ:**

• **मूल संविधान में (14 भाषाएँ):** असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू।

• **21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1967: सिंधी** (15वीं भाषा)।

• **71वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली** (नमक — 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा)।

• **92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003: बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली** (BDMS — 19वीं से 22वीं भाषा)। (नोट: अंग्रेजी अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है, हालांकि यह नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की राजभाषा है।)

9.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967)

राजभाषा अधिनियम, 1963 (10 मई 1963 को पारित, कुल **9 धाराएँ**):

• **धारा 3(1):** 26 जनवरी 1965 के बाद भी संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयुक्त होती थी, और संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए हिंदी के अतिरिक्त **अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रह सकेगा**।

• **धारा 3(3) — अनिवार्य द्विभाषी (Bilingual — हिंदी व अंग्रेजी दोनों में) जारी किए जाने वाले 14 दस्तावेज:**

1. संकल्प (Resolutions), 2. सामान्य आदेश (General Orders), 3. नियम (Rules), 4. अधिसूचनाएँ (Notifications), 5. प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन (Administrative or other Reports), 6. प्रेस विज्ञप्तियाँ (Press Communiques), 7. संसद के किसी एक या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज-पत्र, 8. संविदाएँ (Contracts), 9. करार (Agreements), 10. अनुज्ञप्तियाँ (Licences), 11. अनुज्ञा-पत्र (Permits), 12. निविदा सूचनाएँ (Tender Notices), 13. निविदा प्रपत्र (Tender Forms)।

• **धारा 4:** संसदीय राजभाषा समिति (Committee of Parliament on Official Language) का गठन — 1976 में गठित, कुल **30 सदस्य (20 लोकसभा + 10 राज्यसभा)**, जिसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। केंद्रीय गृह मंत्री परंपरागत रूप से इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। यह समिति अपनी रिपोर्ट सीधे **राष्ट्रपति** को सौंपती है।

• **धारा 7:** उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या राज्य की अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग (राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से)।

9.3 राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 एवं 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र

राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित 1987, 2007, 2011) में कुल **12 नियम** हैं। यह नियम **तमिलनाडु राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत** पर लागू होता है:

• **नियम 2(च), 2(छ), 2(ज) — क्षेत्रों का वर्गीकरण (Regions A, B, C):**

1. **'क' क्षेत्र (Region 'A'): 9 राज्य + 2 केंद्रशासित प्रदेश** — उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र **दिल्ली** और **अंडमान व निकोबार द्वीप समूह**।

2. **'ख' क्षेत्र (Region 'B'): 3 राज्य + 2 केंद्रशासित प्रदेश — गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब** तथा केंद्रशासित प्रदेश **चंडीगढ़** और **दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली**।

3. **'ग' क्षेत्र (Region 'C'):** उपर्युक्त 'क' और 'ख' क्षेत्रों में शामिल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अतिरिक्त **अन्य सभी गैर-हिंदी भाषी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश** (जैसे—तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम व पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, लक्षद्वीप)।

• **नियम 5:** हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से **हिंदी में ही** दिए जाएंगे (चाहे वे किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हुए हों)।

• **नियम 6:** धारा 3(3) में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगे और इस पर **हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी** का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि ऐसे दस्तावेज द्विभाषी रूप में ही जारी किए गए हैं।

• **नियम 7:** कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है; यदि वह हिंदी में हस्ताक्षरित है या हिंदी में लिखा है तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।

• **नियम 8:** केंद्रीय कार्यालयों में कोई भी कर्मचारी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे दूसरी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

• **नियम 9 (हिंदी में प्रवीणता — Proficiency in Hindi):** यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक (10वीं) या समकक्ष या उच्चतर परीक्षा का माध्यम हिंदी रखा हो, या स्नातक परीक्षा में हिंदी को एक ऐच्छिक विषय के रूप में लिया हो, या वह स्वयं घोषित करे कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसे हिंदी में प्रवीण माना जाएगा।

• **नियम 10 (हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान — Working Knowledge of Hindi):** यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा में **हिंदी को एक विषय** के रूप में उत्तीर्ण किया हो, या केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना की **प्रज्ञा (Pragya)** परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा। किसी कार्यालय के **80% या अधिक कर्मचारियों** को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होने पर उस कार्यालय को **नियम 10(4)** के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

• **नियम 12 (प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व):** प्रत्येक केंद्रीय सरकारी कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान (Administrative Head) का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और नियमों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करे (Rajbhasha Rule 12 Implementation)।

मास्टर नियम सारणियाँ (Master Rule Tables — Book *23*)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मास्टर नियम सारणियाँ (Master Rule Tables — Book 23)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
सारणी 1: रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 — सभी मानक प्रपत्र (SF-1 से SF-14)	**सारणी 2: HOER 2005 — चारों वर्गों के कार्य घंटे, तैयारी समय एवं विश्राम की मास्टर सारणी**	**सारणी 3: रेलवे पास एवं PTO पात्रता मास्टर सारणी (Railway Servants Pass Rules, 1986)**	**सारणी 4: रेलवे एवं केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमों की मास्टर सारणी**

सारणी 1: रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 — सभी मानक प्रपत्र (SF-1 से SF-14)

मानक प्रपत्र (SF)	संबंधित नियम	प्रपत्र का आधिकारिक उद्देश्य एवं प्रयोग	मुख्य परीक्षा बिंदु (Key Exam Takeaway)
SF-1	नियम 5(1)	निलंबन का आदेश (Order of Suspension)	प्रत्यक्ष निलंबन; 90 दिन के भीतर प्रथम समीक्षा अनिवार्य (RS D&A Rule 5)
SF-2	नियम 5(2)	मानद निलंबन का आदेश (Order of Deemed Suspension)	पुलिस/न्यायिक हिरासत में **48 घंटे से अधिक** रहने या >48 घंटे कारावास की सजा पर
SF-3	नियम 5 / FR 53(2)	बेरोजगारी प्रमाण-पत्र (Certificate of Non-Employment)	निलंबित कर्मचारी द्वारा जीवन निर्वाह भत्ता पाने हेतु प्रत्येक माह दिया जाता है
SF-4	नियम 5(5)(c)	निलंबन प्रतिसंहरण/समाप्ति का आदेश (Revocation of Suspension)	निलंबन वापस लेकर कर्मचारी को पुनः ड्यूटी पर बहाल करने का आदेश
SF-5	नियम 9	दीर्घ शास्ति हेतु आरोप-पत्र (Major Penalty Charge Sheet)	इसमें 4 अनुबंध (Annexures I, II, III, IV) होते हैं; लिखित बचाव हेतु 10 दिन का समय
SF-6	नियम 9	दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति से इनकार (Refusal to Inspect Documents)	केवल जनहित या राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल होने पर ही निरीक्षण रोका जा सकता है
SF-7	नियम 9(2)	जांच अधिकारी / जांच बोर्ड की नियुक्ति (Appointment of IO)	दीर्घ शास्ति जांच संचालित करने हेतु IO की नियुक्ति का आदेश
SF-8	नियम 9(9)(c)	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति (Appointment of PO)	सतर्कता/CBI मामलों में प्रशासन का पक्ष रखने हेतु PO की नियुक्ति
SF-9	(निरसित)	*(Deleted from Rules)*	पूर्व में नियम 14(ii) के कारण बताओ नोटिस हेतु था; अब पूर्णतः निरसित है
SF-10	नियम 13	संयुक्त कार्यवाही का आदेश (Order for Common Proceedings)	जब 2 या अधिक रेल कर्मचारी एक ही प्रकरण में संलिप्त हों

मानक प्रपत्र (SF)	संबंधित नियम	प्रपत्र का आधिकारिक उद्देश्य एवं प्रयोग	मुख्य परीक्षा बिंदु (Key Exam Takeaway)
SF-10(a)	नियम 13	संयुक्त कार्यवाही में जांच अधिकारी (IO) की नियुक्ति	संयुक्त जांच हेतु IO की नियुक्ति का आदेश
SF-10(b)	नियम 13	संयुक्त कार्यवाही में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (PO) की नियुक्ति	संयुक्त जांच हेतु PO की नियुक्ति का आदेश
SF-11	नियम 11	लघु शास्ति हेतु आरोप-पत्र (Minor Penalty Charge Sheet)	बिना मौखिक जांच के सीधे लिखित स्पष्टीकरण के आधार पर लघु शास्ति हेतु
SF-11(b)	नियम 11(1)(b)	लघु शास्ति मामले में औपचारिक जांच कराने का आदेश	जब वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से या >3 वर्ष के लिए रोकनी हो या पेंशन प्रभावित हो
SF-11(c)	नियम 11(iv)	SF-5 के मामले में बिना जांच सीधे लघु शास्ति देने का ज्ञापन	जब SF-5 के लिखित बचाव से ही DA संतुष्ट हो कि लघु शास्ति पर्याप्त है
SF-12	नियम 14(i)	आपराधिक दोषसिद्धि पर दंड का ज्ञापन (Action on Conviction)	न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि होने पर बिना नियम 9 की जांच के दंड देने हेतु
SF-13	प्रमाणन नियम	राष्ट्रपति के नाम से जारी आदेश का प्रमाणीकरण	राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षरित अनुशासनिक आदेशों हेतु
SF-14	पेंशन नियम	सेवानिवृत्त कर्मचारी पर कार्यवाही हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति	सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए

सारणी 2: HOER *2005* — *चारों वर्गों के कार्य घंटे, तैयारी समय एवं विश्राम की मास्टर सारणी*

रोजगार का वर्ग (Classification)	मानक रोस्टर घंटे (Rostered Hours/Week)	तैयारी एवं पूरक समय (Prep. & Comp. Time)	वैधानिक अधिकतम सीमा (Statutory Limit for 2x OTA)	साप्ताहिक विश्राम (Periodical Rest per Week)	दो ड्यूटी के बीच न्यूनतम विश्राम (Min. Rest between Duties)
1. गहन (Intensive)	42 घंटे/सप्ताह	3 घंटे/सप्ताह	**45 घंटे/सप्ताह** (HOER Rule 8)	न्यूनतम **30 लगातार घंटे** (HOER Rule 12)	**12 लगातार घंटे** (HOER Rest Rules)
2. सतत (Continuous)	48 घंटे/सप्ताह	6 घंटे/सप्ताह	**54 घंटे/सप्ताह**	न्यूनतम **30 लगातार घंटे**	**10 लगातार घंटे**
3. अनिवार्यतः सविराम (EI) — उप-वर्ग (i) (आवास 500 मीटर के भीतर / गेटमैन *'C'*, चौकीदार, केयरटेकर)	48 + 24 = **72 घंटे/सप्ताह**	3 घंटे/सप्ताह	**75 घंटे/सप्ताह**	न्यूनतम **24 लगातार घंटे (एक पूर्ण रात्रि सहित)**	**8 लगातार घंटे**
3. अनिवार्यतः सविराम (EI) — उप-वर्ग (ii) (अन्य *EI* कर्मचारी जिनका आवास >500 मीटर दूर हो)	48 + 12 = **60 घंटे/सप्ताह**	4.5 घंटे/सप्ताह	**64.5 घंटे/सप्ताह**	न्यूनतम **24 लगातार घंटे (एक पूर्ण रात्रि सहित)**	**8 लगातार घंटे**
4. अपवर्जित (Excluded)	कोई निर्धारित सीमा नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	ग्रुप C/D को **48 घंटे/माह** या **24 घंटे/पखवाड़ा**	रोस्टर व्यवस्था अनुसार

सारणी 3: रेलवे पास एवं PTO *पात्रता मास्टर सारणी* (Railway Servants Pass Rules, *1986*)

कर्मचारी श्रेणी	सुविधा पास (Privilege Pass / वर्ष)	सुविधा टिकट आदेश (PTO / वर्ष)	सेवानिवृत्ति उपरांत मानार्थ पास (PRCP — ≥20 वर्ष सेवा पर)	स्कूल पास (School Pass / वर्ष)	पास एवं PTO की वैधता अवधि
राजपत्रित अधिकारी (Group A & B — Level 8+)	प्रथम वर्ष से **6 सेट/वर्ष** (Pass Rules 1986)	प्रथम वर्ष से **4 सेट/वर्ष** (1/3 किराया)	**3 सेट/वर्ष** (≥20 वर्ष अर्हक सेवा पर)	**3 सेट/वर्ष** (या 6 हाफ सेट)	हाफ सेट एवं फुल सेट दोनों: **5 माह**
अराजपत्रित कर्मचारी (Group C — Level 2 से 7)	1–5 वर्ष सेवा: **1 सेट/वर्ष**; >5 वर्ष सेवा: **3 सेट/वर्ष**	प्रथम वर्ष से **4 सेट/वर्ष** (1/3 किराया)	**2 सेट/वर्ष** (≥20 वर्ष अर्हक सेवा पर)	**3 सेट/वर्ष** (या 6 हाफ सेट)	हाफ सेट एवं फुल सेट दोनों: **5 माह**

कर्मचारी श्रेणी	सुविधा पास (Privilege Pass / वर्ष)	सुविधा टिकट आदेश (PTO / वर्ष)	सेवानिवृत्ति उपरांत मानार्थ पास (PRCP — ≥20 वर्ष सेवा पर)	स्कूल पास (School Pass / वर्ष)	पास एवं PTO की वैधता अवधि
अराजपत्रित कर्मचारी (Level-1 / भूतपूर्व Group D)	1–5 वर्ष सेवा: **1 सेट/वर्ष**; >5 वर्ष सेवा: **3 सेट/वर्ष**	प्रथम वर्ष से **4 सेट/वर्ष** (1/3 किराया)	**1 सेट/वर्ष** (≥20 वर्ष अर्हक सेवा पर; एवं विधवा को इसके अनुसार)	**3 सेट/वर्ष** (या 6 हाफ सेट)	हाफ सेट एवं फुल सेट दोनों: **5 माह**

सारणी 4: रेलवे एवं केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमों की मास्टर सारणी

अवकाश का नाम	वार्षिक क्रेडिट / पात्रता	अधिकतम संचय सीमा	एक बार में अधिकतम स्वीकृति	वेतन एवं प्रमुख शर्तें
1. औसत वेतन छुट्टी (LAP / EL)	**30 दिन/वर्ष** (1 जनवरी व 1 जुलाई को 15-15 दिन अग्रिम)	**300 + 15 दिन**	**180 दिन** (भारत के भीतर)	100% वेतन; सेवाकाल में 10 दिन × 6 बार = 60 दिन नकदीकरण; सेवानिवृत्ति पर 300 दिन नकदीकरण
2. अर्ध औसत वेतन छुट्टी (LHAP / HPL)	**20 दिन/वर्ष** (1 जनवरी व 1 जुलाई को 10-10 दिन अग्रिम)	**असीमित (Unlimited)**	**24 माह**	50% वेतन; मेडिकल पर कम्यूटेड लीव में बदला जा सकता है (1 दिन कम्यूटेड = 2 दिन LHAP डेबिट)
3. आकस्मिक अवकाश (CL)	**8 दिन/वर्ष** (सामान्य); **10 दिन** (विशेष); **12 दिन** (PwBD)	संचय नहीं (वर्षांत में लैप्स)	सामान्यतः एक बार में 5–8 दिन	100% वेतन; नियमित अवकाश (LAP/LHAP) के साथ जोड़ा नहीं जा सकता
4. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)	**180 दिन** (2 से कम जीवित संतान पर)	लागू नहीं	**180 दिन**	100% वेतन; गर्भपात पर पूरे सेवाकाल में कुल **45 दिन**; शिशु मृत्यु/मृत जन्म पर **60 दिन** विशेष अवकाश
5. पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)	**15 दिन** (2 से कम जीवित संतान पर)	लागू नहीं (6 माह में लैप्स)	**15 दिन** (एक ही बार में)	100% वेतन; प्रसव से **15 दिन पूर्व से 6 माह के भीतर** तक लेना अनिवार्य
6. शिशु देखभाल अवकाश (CCL)	पूरे सेवाकाल में कुल **730 दिन (2 वर्ष)**	लागू नहीं	वर्ष में अधिकतम **3 बार** (एकल महिला को **6 बार**); न्यूनतम 5 दिन	प्रथम **365 दिन 100% वेतन**, अगले **365 दिन 80% वेतन**; 2 सबसे बड़े बच्चों हेतु 18 वर्ष की आयु तक (दिव्यांग बच्चे हेतु आजीवन)
7. अध्ययन अवकाश (Study Leave)	पूरे सेवाकाल में **24 माह** (CHS/वैज्ञानिक: **36 माह**)	लागू नहीं	एक बार में **12 माह**	न्यूनतम **5 वर्ष की नियमित सेवा** पूर्ण होने के बाद ही देय

सारणी 5: सामान्य वित्तीय नियम (GFR 2017 — संशोधित 2024–2026) की खरीद एवं निविदा सीमाएँ

GFR नियम संख्या	खरीद की पद्धति / प्रावधान	मूल GFR 2017 सीमा (पुरानी)	संशोधित GFR 2024–26 सीमा (सामान्य विभाग)	वैज्ञानिक मंत्रालयों (DSIR/DRDO/ISRO आदि) हेतु विशेष सीमा (2024)
नियम 149 (i)	GeM पोर्टल पर प्रत्यक्ष ऑनलाइन खरीद (Direct Purchase)	₹25,000 तक	**₹50,000 तक** (GFR 2024 Official PDF)	**₹1,00,000 तक** (CSIR GFR Notification)
नियम 149 (ii)	GeM पर 3 OEM के बीच L-1 तुलना द्वारा खरीद	₹25,000 से ₹5,00,000 तक	**₹50,000 से अधिक से ₹10,00,000 तक**	**₹1,00,000 से अधिक से ₹10,00,000 तक**
नियम 149 (iii)	GeM पर ऑनलाइन बिडिंग (Bidding) या रिवर्स ऑक्शन (RA)	₹5,00,000 से अधिक	**₹10,00,000 (₹10 लाख) से अधिक**	**₹10,00,000 (₹10 लाख) से अधिक**
नियम 154	बिना कोटेशन के वस्तुओं की सीधी खरीद (Without Quotation)	₹25,000 तक	**₹50,000 तक** (GFR Procurement Thresholds)	**₹1,00,000 (₹1 लाख) तक**
नियम 155	3-सदस्यीय स्थानीय क्रय समिति (LPC) द्वारा खरीद	₹25,000 से ₹2,50,000 तक	**₹50,000 से अधिक से ₹5,00,000 (₹5 लाख) तक**	**₹1,00,000 से अधिक से ₹10,00,000 (₹10 लाख) तक**
नियम 162	सीमित निविदा जांच (Limited Tender Enquiry — LTE; न्यूनतम 4 वेंडर)	₹25,00,000 (₹25 लाख) तक	**₹50,00,000 (₹50 लाख) तक**	**₹1,00,00,000 (₹1 करोड़) तक**

GFR नियम संख्या	खरीद की पद्धति / प्रावधान	मूल GFR 2017 सीमा (पुरानी)	संशोधित GFR 2024–26 सीमा (सामान्य विभाग)	वैज्ञानिक मंत्रालयों (DSIR/DRDO/ISRO आदि) हेतु विशेष सीमा (2024)
नियम 161	विज्ञापित निविदा जांच (Advertised Tender Enquiry — ATE / Open Tender)	₹25,00,000 एवं अधिक	**₹50,00,000 (₹50 लाख) एवं उससे अधिक**	**₹1,00,00,000 (₹1 करोड़) एवं उससे अधिक**
नियम 170	बोली सुरक्षा / बयाना राशि (Bid Security / EMD)	2% से 5%	**2% से 5%** (MSEs व DPIIT स्टार्टअप्स को छूट)	**2% से 5%** (बोली वैधता + 45 दिन तक मान्य)
नियम 171	निष्पादन सुरक्षा (Performance Security / PBG)	5% से 10%	**3% से 10%** (MSEs को छूट नहीं; वारंटी + 60 दिन तक मान्य)	**3% से 10%**

सारणी 6: OPS *बनाम* NPS *बनाम* UPS *(एकीकृत पेंशन योजना 2024–25) की तुलनात्मक सारणी*

मानदंड (Parameter)	पुरानी पेंशन योजना (OPS — 2004 से पूर्व)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS — 01.01.2004 से)	एकीकृत पेंशन योजना (UPS — 01.04.2025 से प्रभावी)
योजना की प्रकृति	परिभाषित लाभ (Defined Benefit — गैर-अंशदायी)	परिभाषित अंशदान (Defined Contribution — बाज़ार आधारित)	**अंशदायी किंतु गारंटीकृत लाभ (Assured Benefit with Contribution)** (PIB UPS Release)
कर्मचारी का अंशदान	शून्य (केवल GPF में स्वैच्छिक बचत)	मूल वेतन + DA का **10%**	मूल वेतन + DA का **10%** (NICF UPS Guide)
सरकार का अंशदान	शून्य (बजट से सीधा भुगतान)	मूल वेतन + DA का **14%**	मूल वेतन + DA का **18.5%** (10% व्यक्तिगत + 8.5% पूल फंड)
पेंशन की राशि	अंतिम मूल वेतन या अंतिम 10 माह के औसत का **50%**	कुल कॉर्पस के कम से कम 40% के एन्युटी (Annuity) निवेश के बाज़ार रिटर्न पर निर्भर	अंतिम **12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%** (न्यूनतम 25 वर्ष सेवा पर; 10–25 वर्ष पर समानुपातिक)
न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन	₹9,000 प्रति माह + DR	कोई निश्चित न्यूनतम गारंटी नहीं	**₹10,000 प्रति माह + DR** (न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा पर)
पारिवारिक पेंशन	अंतिम वेतन का 30% (प्रथम 7 वर्ष/67 वर्ष आयु तक 50%)	चयनित एन्युटी प्लान या डिफ़ॉल्ट NPS नियम के अनुसार	कर्मचारी की पेंशन का **60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन**
महंगाई राहत (DR)	लागू (वर्ष में दो बार संशोधन)	एन्युटी पर कोई महंगाई राहत (DR) नहीं मिलती	**लागू (AICPI-IW सूचकांक पर आधारित महंगाई राहत)**
सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त एकमुश्त राशि	केवल ग्रेच्युटी + पेंशन राशीकरण (Commutation)	कुल कॉर्पस का अधिकतम 60% कर-मुक्त निकासी + ग्रेच्युटी	ग्रेच्युटी के अतिरिक्त **प्रत्येक 6 माह की पूर्ण सेवा पर (Basic + DA) का 1/10वां भाग** एकमुश्त

सारणी 7: राजभाषा नियम, 1976 — 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र तथा वार्षिक पत्राचार लक्ष्य

क्षेत्र (Region)	शामिल राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश (Official Languages Rules 1976)	मूल पत्राचार लक्ष्य (क व ख को)	मूल पत्राचार लक्ष्य (ग को)	फाइलों पर हिंदी में टिप्पण लक्ष्य
'क' क्षेत्र (Region 'A')	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा **दिल्ली** व **अंडमान-निकोबार द्वीप समूह**	**100%**	**65%**	**75%**
'ख' क्षेत्र (Region 'B')	गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा **चंडीगढ़** व **दमन-दीव एवं दादरा-नगर हवेली**	**90%**	**55%**	**50%**
'ग' क्षेत्र (Region 'C')	'क' और 'ख' के अतिरिक्त **अन्य सभी गैर-हिंदी भाषी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश**	**55%**	**55%**	**30%**

60 वास्तविक परीक्षा-स्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न (60 Authentic Exam-Level MCQs — Part 1: Q1 to Q30)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के किस नियम के अंतर्गत किसी रेल सेवक को पुलिस अभिरक्षा में **48 घंटे से अधिक** समय तक निरुद्ध रखे जाने पर 'मानद निलंबित' (Deemed Suspended) माना जाता है और इसके लिए कौन-सा मानक प्रपत्र जारी किया जाता है? **[Railway LDCE APO/OS Exam 2024]**

(A) नियम 5(1), मानक प्रपत्र SF-1

(B) नियम 5(2), मानक प्रपत्र SF-2

(C) नियम 5(4), मानक प्रपत्र SF-3

(D) नियम 6(ii), मानक प्रपत्र SF-4

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 5(2) के अनुसार यदि किसी रेल कर्मचारी को आपराधिक या अन्य आरोप में 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए हिरासत में रखा जाता है या 48 घंटे से अधिक कारावास की सजा होती है, तो वह गिरफ्तारी/दोषसिद्धि की तिथि से स्वतः (Deemed) निलंबित माना जाता है। इसके औपचारिक संसूचन हेतु **SF-2** जारी किया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष निलंबन के लिए नियम 5(1) के अंतर्गत SF-1 जारी होता है।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 5(6) एवं 5(7) के अनुसार निलंबन की प्रथम समीक्षा कितने दिनों के भीतर की जानी अनिवार्य है और एक बार में निलंबन को अधिकतम कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है? **[Railway GDCE / Welfare Inspector LDCE 2025]**

(A) 60 दिनों के भीतर प्रथम समीक्षा; एक बार में अधिकतम 90 दिन विस्तार

(B) 90 दिनों के भीतर प्रथम समीक्षा; एक बार में अधिकतम 120 दिन विस्तार

(C) 90 दिनों के भीतर प्रथम समीक्षा; एक बार में अधिकतम 180 दिन विस्तार

(D) 45 दिनों के भीतर प्रथम समीक्षा; एक बार में अधिकतम 180 दिन विस्तार

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** RS (D&A) Rules, 1968 के नियम 5(6) एवं 5(7) के अंतर्गत निलंबन की प्रभावी तिथि से **90 दिनों के पूरा होने से पहले** समीक्षा समिति की सिफारिश पर समीक्षा करना अनिवार्य है। प्रत्येक समीक्षा के दौरान निलंबन को एक बार में **अधिकतम 180 दिनों** के लिए बढ़ाया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. निलंबित रेल सेवक को दिए जाने वाले जीवन निर्वाह भत्ते (Subsistence Allowance) में से निम्नलिखित में से कौन-सी कटौती करना **पूर्णतः वर्जित (Prohibited)** है? **[Railway LDCE AFA / Accounts Inspector 2023]**

(A) आयकर (Income Tax) की कटौती

(B) रेलवे आवास का लाइसेंस शुल्क (House Rent) एवं बिजली-पानी शुल्क

(C) भविष्य निधि (PF/NPS) अभिदान एवं न्यायालय की कुर्की (Court Attachment) की वसूली

(D) सरकारी ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** IREC Vol-II के नियम 1342 (FR 53) के अनुसार निलंबन काल में जीवन निर्वाह भत्ते से भविष्य निधि (PF) का अंशदान, PF अग्रिम की वसूली, न्यायालय के कुर्की आदेश (Court Attachment) की राशि और जुर्माने की वसूली करना **पूर्णतः वर्जित** है। आयकर, मकान किराया और बिजली/पानी शुल्क अनिवार्य कटौतियाँ हैं।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. जब किसी रेल सेवक को दीर्घ शास्ति (Major Penalty) के लिए मानक प्रपत्र **SF-5** जारी किया गया हो, किंतु कर्मचारी का लिखित बचाव (Written Statement of Defence) प्राप्त होने के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी बिना मौखिक जांच कराए सीधे **लघु शास्ति (Minor Penalty)** अधिरोपित करने का निर्णय लेता है, तो वह किस मानक प्रपत्र का प्रयोग करेगा? **[Railway LDCE APO 2025]**

(A) SF-11(b)

(B) SF-11(c)

(C) SF-10(a)

(D) SF-12

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** नियम 9(9)(a)(iv) एवं नियम 11 के अंतर्गत यदि SF-5 जारी करने के पश्चात कर्मचारी के लिखित बचाव पर विचार कर अनुशासनिक प्राधिकारी संतुष्ट हो कि दीर्घ शास्ति की जांच की आवश्यकता नहीं है और केवल लघु शास्ति देना पर्याप्त है, तो वह **SF-11(c)** जारी करके सीधे लघु शास्ति अधिरोपित कर सकता है। इसके विपरीत, SF-11 के मामले में औपचारिक जांच कराने के लिए **SF-11(b)** जारी किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सी एक **'लघु शास्ति' (Minor Penalty)** की श्रेणी में आती है? **[Railway LDCE ACM/AOM 2024]**

(A) किसी समय-मान में वेतन को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए एक स्तर से अनधिक कम करना, असंचयी प्रभाव से और जिससे पेंशन प्रभावित न हो [Rule 6(iii-b)]

(B) किसी समय-मान में वेतन को संचयी प्रभाव (With Cumulative Effect) से दो स्तर नीचे करना [Rule 6(v)]

(C) अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) [Rule 6(vii)]

(D) सेवा से हटाया जाना (Removal from Service) [Rule 6(viii)]

- **सही उत्तर: (A)**
- **विस्तृत व्याख्या:** नियम 6(iii-b) के अंतर्गत समय-मान में वेतन को अधिकतम **3 वर्ष तक** की अवधि के लिए **एक स्तर से अनधिक (Not by more than one stage)** असंचयी प्रभाव से कम करना (जिससे भविष्य की वेतन वृद्धि और पेंशन प्रभावित न हो) एक **लघु शास्ति (Minor Penalty)** है। विकल्प (B), (C) और (D) नियम 6(v) से 6(ix) के तहत दीर्घ शास्तियाँ हैं।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. अनुशासनिक कार्यवाही में 'सेवा से हटाए जाने' (Removal from Service — Rule 6(viii)) और 'सेवा से पदच्युत/बर्खास्त किए जाने' (Dismissal from Service — Rule 6(ix)) के बीच मुख्य विधिक अंतर क्या है? **[UPSC / CSS SO LDCE & Railway APO 2022]**

(A) Removal लघु शास्ति है जबकि Dismissal दीर्घ शास्ति है

(B) Removal में पूर्ण पेंशन मिलती है जबकि Dismissal में आधी पेंशन मिलती है

(C) Removal भविष्य में सरकारी नियोजन के लिए अयोग्यता नहीं होता, जबकि Dismissal भविष्य में किसी भी सरकारी नियोजन के लिए पूर्ण अयोग्यता (Disqualification) होता है

(D) Removal केवल अराजपत्रित कर्मचारियों पर लागू होता है जबकि Dismissal केवल राजपत्रित अधिकारियों पर

- **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** नियम 6(viii) और 6(ix) दोनों ही दीर्घ शास्तियाँ हैं और दोनों में ही सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ जब्त हो जाते हैं (केवल अधिकतम 2/3 अनुकंपा भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है), किंतु **Removal from Service** होने पर व्यक्ति भविष्य में नई सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने हेतु पात्र रहता है, जबकि **Dismissal from Service** होने पर वह भविष्य में किसी भी सरकारी नियोजन के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के किस नियम में बिना नियमित जांच (Without Holding Inquiry) के सीधे दंड अधिरोपित करने की 'विशेष प्रक्रिया' (Special Procedure) के तीन अपवादों का प्रावधान है? **[Railway LDCE OS / Chief Law Assistant 2025]**

(A) नियम 11

(B) नियम 13

(C) नियम 14

(D) नियम 18

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** संविधान के अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परंतुक के अनुरूप RS (D&A) Rules, 1968 के **नियम 14** में तीन अपवाद दिए गए हैं जहाँ नियम 9 की विस्तृत जांच किए बिना दंड दिया जा सकता है: **नियम 14(i)** आपराधिक दोषसिद्धि पर, **नियम 14(ii)** जब जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव न हो, और **नियम 14(iii)** जब राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि राज्य की सुरक्षा के हित में जांच करना समीचीन नहीं है।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी दंड आदेश के विरुद्ध रेल सेवक को आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से कितने दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील (Appeal) प्रस्तुत करनी होती है? **[Railway GDCE / LDCE 2023]**

(A) 30 दिन

(B) 45 दिन

(C) 60 दिन

(D) 90 दिन

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** RS (D&A) Rules, 1968 के **नियम 20** के अनुसार किसी भी दंड या अपील योग्य आदेश के विरुद्ध अपील उस आदेश की प्रति कर्मचारी को वितरित किए जाने की तिथि से **45 दिनों के भीतर** प्रस्तुत की जानी चाहिए (यद्यपि अपीलीय प्राधिकारी पर्याप्त कारण होने पर देरी को माफ कर सकता है)।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. अगस्त 2026 में जारी रेलवे बोर्ड के किस महत्वपूर्ण परिपत्र (RBE) के द्वारा रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से अनुशासनिक जांच आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं? **[Railway Current Rules LDCE 2026]**

(A) RBE सं. 12/2026

(B) RBE सं. 31/2026

(C) RBE सं. 48/2026

(D) RBE सं. 65/2026

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(D&A) 2020 RG6-6 (**RBE No. 65/2026 दिनांक 12 अगस्त 2026** एवं **NFR Establishment Circular DAC-755**) के माध्यम से RS (D&A) Rules, 1968 के अधीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनुशासनिक जांच संचालित करने की मानक प्रक्रिया जारी की गई है।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. रेल सेवक (कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि) नियम, 2005 (HOER 2005) के अंतर्गत 'गहन' (Intensive) और 'सतत' (Continuous) वर्ग के कर्मचारियों के लिए वैधानिक अधिकतम कार्य सीमा (Statutory Limit — जिसके ऊपर दोगुने दर से ओवरटाइम भत्ता देय होता है) क्रमशः कितनी निर्धारित है? **[Railway LDCE APO/AOM 2024]**

(A) 40 घंटे/सप्ताह एवं 48 घंटे/सप्ताह

(B) 42 घंटे/सप्ताह एवं 48 घंटे/सप्ताह

(C) 45 घंटे/सप्ताह एवं 54 घंटे/सप्ताह

(D) 48 घंटे/सप्ताह एवं 60 घंटे/सप्ताह

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या:** HOER Rules, 2005 के नियम 8 के अनुसार 'गहन' (Intensive) वर्ग के मानक रोस्टर घंटे 42 घंटे/सप्ताह + 3 घंटे तैयारी समय = **45 घंटे/सप्ताह वैधानिक सीमा** है, जबकि 'सतत' (Continuous) वर्ग के मानक रोस्टर घंटे 48 घंटे/सप्ताह + 6 घंटे तैयारी समय = **54 घंटे/सप्ताह वैधानिक सीमा** है।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. HOER 2005 के नियम 8 के अनुसार, 'अनिवार्य रूप से सविराम' (Essentially Intermittent — EI) वर्ग के उन कर्मचारियों (जैसे गेटमैन 'C', चौकीदार, केयरटेकर) के साप्ताहिक मानक कार्य घंटे और तैयारी समय सहित कुल वैधानिक कार्य घंटे कितने होते हैं जिन्हें कार्यस्थल से **500 मीटर (0.5 किमी) के भीतर** आवासीय क्वार्टर प्रदान किया गया है? **[Railway LDCE Welfare Inspector 2025]**

(A) 60 मानक घंटे + 4.5 घंटे तैयारी समय = 64.5 घंटे/सप्ताह

(B) 72 मानक घंटे + 3 घंटे तैयारी समय = 75 घंटे/सप्ताह

(C) 48 मानक घंटे + 6 घंटे तैयारी समय = 54 घंटे/सप्ताह

(D) 72 मानक घंटे + 6 घंटे तैयारी समय = 78 घंटे/सप्ताह

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** HOER Rules, 2005 की धारा 8 के तालिका प्रावधान के अनुसार EI वर्ग में गेटमैन 'C', विश्राम गृह/जलाशय के केयरटेकर, चौकीदार, सैलून अटेंडेंट और सड़क किनारे के स्टेशन पर तैनात वे कर्मचारी जिन्हें ड्यूटी स्थल से **500 मीटर के भीतर** आवास दिया गया है, उनके लिए 48 मानक घंटे + 24 अतिरिक्त घंटे = **72 घंटे/सप्ताह** और **3 घंटे/सप्ताह** तैयारी समय (कुल **75 घंटे/सप्ताह**) निर्धारित हैं। अन्य EI कर्मचारियों के लिए यह 48 + 12 = 60 घंटे + 4.5 घंटे तैयारी समय = 64.5 घंटे/सप्ताह है।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. HOER 2005 के नियम 12 के अनुसार 'गहन' (Intensive), 'सतत' (Continuous) और 'अनिवार्य रूप से सविराम' (Essentially Intermittent) वर्ग के रेल सेवकों को पिछली ड्यूटी समाप्त करने के बाद अगली ड्यूटी पर बुलाए जाने से पूर्व क्रमशः कम से कम कितने लगातार घंटों का दैनिक विश्राम दिया जाना अनिवार्य है? **[Railway LDCE AOM/ACM 2024]**

(A) क्रमशः 14, 12 और 10 लगातार घंटे

(B) क्रमशः 12, 10 और 8 लगातार घंटे

(C) क्रमशः 10, 8 और 6 लगातार घंटे

(D) तीनों वर्गों के लिए समान रूप से 10 लगातार घंटे

- **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** HOER Rules, 2005 के नियम 12(2) के अनुसार किसी भी रेल सेवक को जो क्रमशः Intensive, Continuous या Essentially Intermittent में वर्गीकृत है, पिछली ड्यूटी समाप्त होने के बाद क्रमशः कम से कम **12, 10 और 8 लगातार घंटों** के विश्राम के बिना पुनः ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाएगा।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. HOER 2005 के अंतर्गत 'सतत' (Continuous) वर्ग के किसी कर्मचारी की विभाजित ड्यूटी (Split Duty) में कितने घंटे की ड्यूटी को **8 घंटे की सामान्य ड्यूटी** के समतुल्य माना जाता है, यदि कर्मचारी का निवास स्थान ड्यूटी स्थल से **1.6 किलोमीटर से अधिक** दूर हो? **[Railway LDCE OS 2023]**

(A) 6 घंटे की स्प्लिट ड्यूटी

(B) 6.5 घंटे की स्प्लिट ड्यूटी

(C) 7 घंटे की स्प्लिट ड्यूटी

(D) 7.5 घंटे की स्प्लिट ड्यूटी

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** HOER Rules, 2005 के नियम 8(8) के अनुसार 'सतत' वर्ग के कर्मचारी के मामले में जिसका निवास स्थान ड्यूटी स्थल से **1.6 किलोमीटर से परे** है, **7 घंटे की स्प्लिट ड्यूटी को 8 घंटे की सामान्य ड्यूटी** के बराबर माना जाएगा और स्प्लिट ड्यूटी में अधिकतम 3 पालियाँ (अर्थात् अधिकतम 2 ब्रेक) ही हो सकती हैं।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. रेल सेवक (पास) नियम, 1986 के अंतर्गत एक नवनियुक्त अराजपत्रित रेल कर्मचारी (Group 'C') को सेवा के प्रथम 5 वर्षों के दौरान प्रति कैलेंडर वर्ष कितने सेट सुविधा पास (Privilege Pass) और कितने सेट PTO देय होते हैं? **[Railway GDCE / LDCE 2024]**

(A) 3 सेट सुविधा पास एवं 4 सेट PTO

(B) 1 सेट सुविधा पास एवं 4 सेट PTO

(C) 1 सेट सुविधा पास एवं 2 सेट PTO

(D) 2 सेट सुविधा पास एवं 4 सेट PTO

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** रेल सेवक (पास) नियम, 1986 के अनुसार अराजपत्रित कर्मचारियों को सेवा के प्रथम से पाँचवें वर्ष तक **1 सेट प्रति वर्ष सुविधा पास** और 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद **3 सेट प्रति वर्ष सुविधा पास** मिलते हैं। जबकि **PTO सभी कर्मचारियों (राजपत्रित एवं अराजपत्रित) को प्रथम वर्ष से ही 4 सेट प्रति वर्ष** मिलते हैं।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. सेवानिवृत्ति उपरांत मानार्थ पास (Post-Retirement Complimentary Pass — PRCP) प्राप्त करने के लिए रेल सेवक की न्यूनतम अर्हक सेवा कितनी होनी चाहिए और यदि पास में कोई आश्रित रिश्तेदार (Dependent Relative) शामिल है तो पास में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? **[Railway LDCE APO 2025]**

(A) न्यूनतम 15 वर्ष सेवा; अधिकतम 4 सदस्य

(B) न्यूनतम 20 वर्ष सेवा; अधिकतम 5 सदस्य

(C) न्यूनतम 25 वर्ष सेवा; अधिकतम 5 सदस्य

(D) न्यूनतम 10 वर्ष सेवा; अधिकतम 6 सदस्य

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** Railway Servants (Pass) Rules, 1986 के अनुसार PRCP प्राप्त करने के लिए न्यूनतम **20 वर्ष की रेलवे अर्हक सेवा** आवश्यक है (जिसमें राजपत्रित अधिकारी को 3 सेट/वर्ष और ग्रुप 'C' कर्मचारी को 2 सेट/वर्ष मिलते हैं)। यदि पास में कोई आश्रित रिश्तेदार (जैसे विधवा माता) शामिल किया जाता है, तो पास में कुल सदस्यों की संख्या **अधिकतम 5** तक सीमित रहती है।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 16. रेलवे अवकाश नियमों (IREC Vol-I नियम 540-A) के अंतर्गत सेवाकाल के दौरान औसत वेतन छुट्टी (LAP) के नकदीकरण (Leave Encashment) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **सत्य** है? **[Railway LDCE Accounts / APO 2024]**

(A) एक बार में अधिकतम 15 दिन का नकदीकरण, सेवाकाल में अधिकतम 4 बार (कुल 60 दिन)

(B) एक बार में अधिकतम 10 दिन का नकदीकरण, दो बार के बीच न्यूनतम 2 वर्ष का अंतराल, नकदीकरण के बाद खाते में कम से कम 30 दिन का LAP शेष रहना अनिवार्य, और सेवाकाल में अधिकतम 6 बार (कुल 60 दिन)

(C) सेवाकाल में लिए गए 60 दिन के नकदीकरण को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले 300 दिनों में से घटा दिया जाता है

(D) नकदीकरण के लिए पास या PTO लेना अनिवार्य नहीं है

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** नियम 540-A के तहत पास/PTO के साथ सेवाकाल में एक बार में अधिकतम **10 दिन का LAP नकदीकरण** लिया जा सकता है। इसके लिए दो नकदीकरणों के बीच कम से कम **2 वर्ष का अंतराल** होना चाहिए, नकदीकरण के बाद खाते में कम से कम **30 दिन का LAP शेष** बचना चाहिए और पूरे सेवाकाल में यह सुविधा **अधिकतम 6 बार (कुल 60 दिन)** मिलती है। यह 60 दिन सेवानिवृत्ति के 300 दिनों की सीमा से स्वतंत्र हैं (घटाए नहीं जाते)।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 17. शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave — CCL) के अद्यतन नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष कर्मचारियों (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा पुरुष) दोनों को दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए कुल 730 दिनों तक देय है।

2. इसमें प्रथम 365 दिनों के लिए 100% वेतन और अगले 365 दिनों के लिए 80% वेतन देय होता है।

3. एक कैलेंडर वर्ष में सामान्यतः अधिकतम 3 बार (Spells) और एकल महिला कर्मचारी (Single Female Employee) को अधिकतम 6 बार में CCL स्वीकृत किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं? **[UPSC / CSS SO LDCE & Railway APO 2025]**

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3 सभी

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** 7वें वेतन आयोग और DoPT/रेलवे बोर्ड के संशोधनों के बाद CCL के तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं: (1) महिला एवं एकल पुरुष माता-पिता दोनों पात्र हैं, (2) प्रथम 365 दिन 100% वेतन व अगले 365 दिन 80% वेतन मिलता है, और (3) सामान्यतः वर्ष में 3 बार किंतु एकल महिला कर्मचारी को वर्ष में 6 बार तक CCL लेने की अनुमति है।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 18. किसी रेल/केंद्रीय कर्मचारी को अपनी पिछली छमाही में लिए गए 40 दिन के असाधारण अवकाश (EOL) और 36 दिन के डाइज-नॉन (Dies-Non) के कारण अगली छमाही (1 जुलाई या 1 जनवरी) को उसके LAP और LHAP के अग्रिम क्रेडिट में से किस दर से कटौती की जाएगी? **[CSS SO LDCE / Railway OS Exam 2024]**

(A) LAP में EOL/डाइज-नॉन का 1/10वां भाग (अधिकतम 15 दिन) और LHAP में डाइज-नॉन का 1/18वां भाग (अधिकतम 10 दिन)

(B) LAP और LHAP दोनों में 1/10वां भाग

(C) LAP में 1/18वां भाग और LHAP में 1/10वां भाग

(D) अग्रिम क्रेडिट से कोई कटौती नहीं होती

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** अवकाश नियमों के अनुसार पिछली छमाही में लिए गए EOL/डाइज-नॉन के कारण अगले छमाही के LAP क्रेडिट (15 दिन) में से **1/10वें भाग** की दर से और LHAP क्रेडिट (10 दिन) में से डाइज-नॉन/अनधिकृत अनुपस्थिति के **1/18वें भाग** की दर से कटौती की जाती है।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 19. रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 (RPF Act, 1957) की किस धारा के अंतर्गत यह उपबंधित है कि बल का प्रत्येक सदस्य सभी प्रयोजनों के लिए **'सदैव ड्यूटी पर' (Always on Duty)** माना जाएगा और किस संशोधन अधिनियम द्वारा RPF को 'संघ का सशस्त्र बल' घोषित किया गया? **[RPF Rule 70/72 ASI & SI LDCE 2024]**

(A) धारा 8; संशोधन अधिनियम 2003

(B) धारा 10; संशोधन अधिनियम 1985 (अधिनियम सं. 60/1985)

(C) धारा 11; संशोधन अधिनियम 1985

(D) धारा 12; संशोधन अधिनियम 1994

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** RPF Act, 1957 की **धारा 10** में स्पष्ट प्रावधान है कि महानिदेशक और बल का प्रत्येक अन्य सदस्य सदैव ड्यूटी पर माना जाएगा और भारत के किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकेगा। **1985 के संशोधन अधिनियम (अधिनियम सं. 60/1985, 20 सितंबर 1985 से प्रभावी)** द्वारा धारा 3 में संशोधन कर RPF को 'संघ का सशस्त्र बल' (Armed Force of the Union) बनाया गया।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 20. RPF अधिनियम, 1957 की **धारा 20** (बल के सदस्यों के सद्भावनापूर्ण कार्यों का संरक्षण) के अनुसार बल के किसी सदस्य द्वारा अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए किसी कार्य के विरुद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही शुरू करने से पूर्व कितने समय का लिखित नोटिस देना अनिवार्य है और ऐसी कार्यवाही कितने समय के भीतर शुरू की जानी चाहिए? **[RPF Rule 70/72 LDCE Exam 2025]**

(A) 1 माह का पूर्व नोटिस; कार्य की तिथि से 6 माह के भीतर कार्यवाही

(B) 2 माह का पूर्व नोटिस; कार्य की तिथि से 2 माह के भीतर कार्यवाही

(C) 3 माह का पूर्व नोटिस; कार्य की तिथि से 3 माह के भीतर कार्यवाही

(D) 60 दिन का पूर्व नोटिस; कार्य की तिथि से 1 वर्ष के भीतर कार्यवाही

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** RPF Act, 1957 की **धारा 20(3)** के अनुसार बल के किसी भी सदस्य के विरुद्ध कर्तव्य पालन में किए गए किसी कार्य के संबंध में कोई भी वाद या अभियोजन तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित सदस्य या उसके वरिष्ठ अधिकारी को कम से कम **3 माह का पूर्व लिखित नोटिस** न दे दिया गया हो और वह कार्यवाही कार्य किए जाने की तिथि से **3 माह के भीतर** प्रारंभ न की गई हो।

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 21. रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 (RPF Rules, 1987) के **नियम 70** और **नियम 72** के अंतर्गत विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में एक उम्मीदवार को एक रैंक में बैठने के लिए क्रमशः अधिकतम कितने अवसर (Maximum Chances) अनुमत हैं? **[RPF Rule 70/72 HC & ASI LDCE 2025]**

(A) नियम 70 में असीमित अवसर; नियम 72 में 3 अवसर

(B) नियम 70 में अधिकतम 3 अवसर; नियम 72 (LDCE) में अधिकतम 2 अवसर

(C) नियम 70 में अधिकतम 2 अवसर; नियम 72 में अधिकतम 3 अवसर

(D) नियम 70 और नियम 72 दोनों में अधिकतम 2 अवसर

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** RPF Rules, 1987 के नियम 70 और नियम 72 के प्रावधानों के अनुसार, **नियम 70** (वरिष्ठता क्रम से सामान्य चयन) के तहत एक उम्मीदवार को एक पद पर पदोन्नति के लिए अधिकतम **3 अवसर** मिलते हैं, जबकि **नियम 72** (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा — LDCE द्वारा त्वरित पदोन्नति) के तहत एक रैंक के लिए अधिकतम **2 अवसर** ही दिए जाते हैं।

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 22. RPF नियम, 1987 की अनुसूची-IV एवं नियम 72 के अनुसार, सहायक उप-निरीक्षक (ASI — Executive) के पद पर **नियम 72 (LDCE)** के माध्यम से चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल की बल में न्यूनतम कितनी नियमित सेवा पूर्ण होनी चाहिए? **[RPF Rule 72 ASI LDCE 2024]**

(A) 5 वर्ष की नियमित सेवा

(B) 8 वर्ष की नियमित सेवा

(C) 10 वर्ष की नियमित सेवा (प्रशिक्षण अवधि सहित)

(D) 12 वर्ष की नियमित सेवा

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** RPF Rules, 1987 के नियम 72 एवं अनुसूची-IV के अनुसार सहायक उप-निरीक्षक (ASI) के पद पर नियम 72 (LDCE) की परीक्षा में बैठने के लिए हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की बल में कम से कम ***10* वर्ष की नियमित सेवा** होनी चाहिए, जबकि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल (HC) के लिए नियम 72 में **5 वर्ष** (और नियम 70 में 8 वर्ष) की सेवा आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 23. रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 [RP(UP) Act, 1966] की किस धारा के अंतर्गत RPF जांच अधिकारी को साक्षियों को समन करने और जांच करने की शक्ति प्राप्त है, तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार RPF अधिकारी के समक्ष दिया गया संस्वीकृति बयान (Confessional Statement) साक्ष्य में क्यों ग्राह्य (Admissible) होता है? **[RPF Rule 70/72 Law Paper 2025]**

(A) धारा 8 एवं 9; क्योंकि RPF अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता के अर्थों में 'पुलिस अधिकारी' नहीं है, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 की धारा 23) की बाधा लागू नहीं होती

(B) धारा 6; क्योंकि RPF अधिकारी को पुलिस थाना प्रभारी की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं

(C) धारा 3; क्योंकि यह संज्ञेय अपराध है

(D) धारा 14; क्योंकि बयान मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिखा जाता है

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** RP(UP) Act, 1966 की **धारा 8 और 9** के तहत RPF अधिकारी द्वारा की गई जांच 'न्यायिक कार्यवाही' (Judicial Proceeding) होती है और चूँकि RPF अधिकारी पुलिस अधिनियम या CrPC/BNSS के तहत 'पुलिस चालान' (अंतिम रिपोर्ट) दाखिल करने का अधिकार रखने वाला 'पुलिस अधिकारी' नहीं है (*Balkishan A. Devidayal vs State of Maharashtra, AIR 1981 SC 379*), इसलिए उसके समक्ष दी गई संस्वीकृति (Confession) पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 (अब BSA 2023 की धारा 23) का प्रतिबंध लागू नहीं होता और वह न्यायालय में ग्राह्य साक्ष्य है।

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 24. रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 18 के अंतर्गत किसी रेल कर्मचारी द्वारा किसी चल संपत्ति (Movable Property) का क्रय या विक्रय करने पर सक्षम प्राधिकारी को **1 माह के भीतर** सूचना देना कब अनिवार्य होता है? **[Railway LDCE APO/ACM 2024]**

(A) जब चल संपत्ति का मूल्य ₹25,000 से अधिक हो

(B) जब चल संपत्ति का मूल्य कर्मचारी के 1 माह के मूल वेतन से अधिक हो

(C) जब चल संपत्ति का मूल्य कर्मचारी के **2 माह के मूल वेतन (Two Months' Basic Pay)** से अधिक हो

(D) जब चल संपत्ति का मूल्य ₹5,00,000 से अधिक हो

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** आचरण नियमों के **नियम 18(3)** में संशोधन के पश्चात यदि किसी चल संपत्ति (वाहन, आभूषण, शेयर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि) के प्रत्येक लेन-देन का मूल्य कर्मचारी के **दो माह के मूल वेतन (2 Months' Basic Pay)** से अधिक है, तो ऐसे लेन-देन के **1 माह के भीतर** सक्षम प्राधिकारी को उसकी सूचना देनी अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 25. सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (मई/जुलाई 2024 में संशोधित) के **नियम 149** के अनुसार, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर कम से कम **3 विभिन्न विनिर्माताओं (3 OEMs) की L-1 तुलना** के माध्यम से खरीद करने की संशोधित मूल्य सीमा क्या है? **[CSS SO LDCE / Railway AFA Exam 2025]**

(A) ₹25,000 से अधिक से ₹5,00,000 तक

(B) ₹50,000 से अधिक से ₹5,00,000 तक

(C) ₹50,000 से अधिक से ₹10,00,000 (₹10 लाख) तक

(D) ₹1,00,000 से अधिक से ₹25,00,000 तक

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा वर्ष 2024 में किए गए संशोधन (GFR 2017 Updated July 2024 Rule 149 एवं GFR 2024 Procurement Limits) के अनुसार GeM पोर्टल पर **₹50,000 तक** किसी भी उपलब्ध आपूर्तिकर्ता से सीधी खरीद, **₹50,000 से अधिक से ₹10,00,000 (₹10 लाख) तक** कम से कम 3 OEM के बीच L-1 तुलना द्वारा खरीद, और **₹10,00,000 से अधिक** पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन (RA) द्वारा खरीद की जाती है।

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 26. सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के **नियम 154** (बिना कोटेशन के वस्तुओं की खरीद) और **नियम 155** (स्थानीय क्रय समिति — LPC द्वारा खरीद) के अंतर्गत वर्ष 2024 के संशोधन के बाद सामान्य मंत्रालयों/विभागों के लिए नई मौद्रिक सीमाएँ क्रमशः क्या हैं? **[UPSC SO LDCE / SSC Departmental 2025]**

(A) नियम 154: ₹25,000 तक; नियम 155: ₹25,000 से ₹2.5 लाख तक

(B) नियम 154: ₹50,000 तक; नियम 155: ₹50,000 से अधिक से ₹5,00,000 (₹5 लाख) तक

(C) नियम 154: ₹1,00,000 तक; नियम 155: ₹1,00,000 से ₹10,00,000 तक

(D) नियम 154: ₹50,000 तक; नियम 155: ₹50,000 से ₹10,00,000 तक

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** GFR 2017 (Updated 2024) के तहत सामान्य विभागों के लिए **नियम 154** (बिना कोटेशन खरीद) की सीमा ₹25,000 से दोगुनी कर **₹50,000** और **नियम 155** (3-सदस्यीय LPC द्वारा खरीद) की सीमा ₹2.5 लाख से दोगुनी कर **₹5,00,000 (₹5 लाख)** कर दी गई है (जबकि वैज्ञानिक विभागों के लिए ये सीमाएँ क्रमशः ₹1 लाख और ₹10 लाख हैं)।

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 27. GFR 2017 (संशोधित 2024) के **नियम 161 एवं नियम 162** के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? **[CSS SO LDCE / Railway Stores ADMM Exam 2026]**

(A) सीमित निविदा जांच (LTE — Rule 162) की सीमा ₹25 लाख है और इसे कम से कम 3 आपूर्तिकर्ताओं को भेजा जाता है

(B) सीमित निविदा जांच (LTE — Rule 162) की संशोधित सीमा ₹50 लाख तक है और निविदा दस्तावेज '3 से अधिक' अर्थात् कम से कम 4 पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को भेजा जाना अनिवार्य है

(C) विज्ञापित निविदा जांच (ATE — Rule 161) केवल ₹1 करोड़ से ऊपर की खरीद पर लागू होती है

(D) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को नियम 170 (EMD) और नियम 171 (Performance Security) दोनों से छूट प्राप्त है

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** GFR 2024 संशोधन के बाद **नियम 162 (LTE)** की सीमा ₹25 लाख से बढ़ाकर **₹50,00,000 (₹50 लाख)** कर दी गई है और नियम 162(i) के अनुसार इसे **'3 से अधिक' (अर्थात् न्यूनतम 4)** पंजीकृत वेंडरों को भेजना अनिवार्य है। ₹50 लाख और उससे ऊपर की खरीद के लिए **नियम 161 (ATE)** अनिवार्य है। साथ ही MSEs को केवल नियम 170 (EMD) से छूट है, नियम 171 (Performance Security) से नहीं।

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 28. केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई **एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme — UPS)** के अंतर्गत कर्मचारी का मासिक अंशदान और केंद्र सरकार का मासिक अंशदान (मूल वेतन + DA का प्रतिशत) क्रमशः कितना निर्धारित किया गया है? **[UPSC / Railway & Central Dept Exams 2025–2026]**

(A) कर्मचारी: 10%, केंद्र सरकार: 14%

(B) कर्मचारी: 10%, केंद्र सरकार: 18.5%

(C) कर्मचारी: 12%, केंद्र सरकार: 18.5%

(D) कर्मचारी: शून्य, केंद्र सरकार: 20%

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में कर्मचारी के अंशदान को NPS के समान **10% (Basic + DA)** पर स्थिर रखा गया है, जबकि केंद्र सरकार ने अपना अंशदान 14% से बढ़ाकर **18.5%** कर दिया है (NICF UPS Explainer)।

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 29. एकीकृत पेंशन योजना (UPS 2024–25) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर नियमित ग्रेच्युटी के अतिरिक्त मिलने वाले **'एकमुश्त भुगतान' (Lump-Sum Payment)** की गणना किस सूत्र से की जाती है? **[Railway GDCE/LDCE & SSC Dept 2026]**

(A) प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए अंतिम मूल वेतन का 1/4 भाग

(B) प्रत्येक पूर्ण 6 माह की अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (Basic Pay + DA) का 1/10वां भाग

(C) प्रत्येक पूर्ण 6 माह की सेवा के लिए मूल वेतन का 1/2 भाग

(D) अंतिम 12 माह के औसत वेतन का 5 गुना

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** PIB की आधिकारिक UPS विज्ञप्ति के अनुसार UPS में सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त प्रत्येक **पूर्ण 6 माह (Every completed six months of service)** की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (**मूल वेतन + महंगाई भत्ता**) का **1/10वां भाग** एकमुश्त दिया जाता है और इससे 50% सुनिश्चित पेंशन में कोई कमी नहीं होती।

अभ्यास प्रश्न #30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 30. राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत क्षेत्रों के वर्गीकरण ('क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म **सुमेलित नहीं है**? **[Railway LDCE / RPF Rule 70/72 Rajbhasha Mandatory Section 2025]**

(A) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह — 'क' क्षेत्र (Region 'A')

(B) हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड — 'क' क्षेत्र (Region 'A')

(C) गुजरात, महाराष्ट्र एवं पंजाब — 'ख' क्षेत्र (Region 'B')

(D) ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल — 'ख' क्षेत्र (Region 'B')

- **सही उत्तर: (D)**

- **विस्तृत व्याख्या:** राजभाषा नियम, 1976 के नियम 2 के अनुसार **ओडिशा और पश्चिम बंगाल 'ग' क्षेत्र (Region 'C')** में आते हैं, न कि 'ख' क्षेत्र में। 'ख' क्षेत्र में केवल गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा चंडीगढ़ और दमन-दीव व दादरा-नगर हवेली शामिल हैं, जबकि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और 9 हिंदी भाषी राज्य 'क' क्षेत्र में आते हैं।

60 वास्तविक परीक्षा-स्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Part 2: Q31 to Q60)

अभ्यास प्रश्न #31 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 31. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा? **[Railway GDCE/LDCE & RPF Rule 70/72 2024]**

(A) अनुच्छेद 343(1)

(B) अनुच्छेद 344(1)

(C) अनुच्छेद 348(1)

(D) अनुच्छेद 351

- **सही उत्तर: (A)**

- **विस्तृत व्याख्या:** संविधान के भाग XVII के **अनुच्छेद 343(1)** (Official Language Policy Overview) में स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप प्रयुक्त होगा। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश से संबंधित है।

अभ्यास प्रश्न #32 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 32. राजभाषा अधिनियम, 1963 की **धारा 3(3)** के अंतर्गत जारी किए जाने वाले 14 प्रकार के दस्तावेजों (जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, संविदाएँ, निविदा सूचनाएँ आदि) को द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में) जारी करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी **राजभाषा नियम, 1976 के किस नियम** के अंतर्गत किस अधिकारी पर निर्धारित की गई है? **[CSS SO LDCE / Railway APO 2025]**

(A) नियम 5 — कार्यालय के मुख्य लिपिक पर

(B) नियम 6 — ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी पर

(C) नियम 8 — राजभाषा अधिकारी पर

(D) नियम 11 — अनुवादक पर

- **सही उत्तर: (B)**

- **विस्तृत व्याख्या:** राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अनुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और **उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा** कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही बनाए, निष्पादित और जारी किए जाते हैं।

अभ्यास प्रश्न #33 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 33. संसदीय राजभाषा समिति (Committee of Parliament on Official Language) का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है और इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? **[Railway LDCE ACM/AOM & RPF Rule 72 2023]**

(A) धारा 3; कुल 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)

(B) धारा 4; कुल 30 सदस्य (20 लोकसभा + 10 राज्यसभा)

(C) धारा 5; कुल 30 सदस्य (15 लोकसभा + 15 राज्यसभा)

(D) धारा 7; कुल 25 सदस्य (18 लोकसभा + 7 राज्यसभा)

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अंतर्गत गठित संसदीय राजभाषा समिति में कुल **30 सदस्य** होते हैं, जिनमें से **20 सदस्य लोकसभा** से और **10 सदस्य राज्यसभा** से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं।

अभ्यास प्रश्न #34 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 34. राजभाषा नियम, 1976 के **नियम 10(4)** के अंतर्गत केंद्र सरकार के किसी कार्यालय को राजपत्र (Official Gazette) में कब अधिसूचित किया जाता है? **[Railway LDCE OS / Welfare Inspector 2024]**

(A) जब उस कार्यालय के 50% कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हो जाए

(B) जब उस कार्यालय के 100% कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान हो जाए

(C) जब उस कार्यालय के **80% या उससे अधिक कर्मचारियों** ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान (Working Knowledge of Hindi) प्राप्त कर लिया हो

(D) जब कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थापित किया जाए

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार जिन केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के **80% या उससे अधिक कर्मचारियों** ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं।

अभ्यास प्रश्न #35 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 35. भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची (Eighth Schedule) में **92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003** द्वारा निम्नलिखित में से किन चार भाषाओं को जोड़ा गया था? **[UPSC / SSC / Railway GDCE 2022]**

(A) सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली

(B) बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली

(C) कोंकणी, बोडो, डोगरी, राजस्थानी

(D) मैथिली, संथाली, भोजपुरी, अंग्रेजी

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** 21वें संशोधन (1967) द्वारा सिंधी, 71वें संशोधन (1992) द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा **92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003** द्वारा **बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली** को जोड़ा गया, जिससे अष्टम अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई।

अभ्यास प्रश्न #36 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 36. रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के अंतर्गत दीर्घ शास्ति के आरोप-पत्र (**SF-5**) के किस अनुबंध (Annexure) में उन **दस्तावेजों की सूची (List of Relied Upon Documents — RUDs)** दी जाती है जिनके आधार पर आरोप सिद्ध किए जाने का प्रस्ताव है? **[Railway LDCE APO/OS 2025]**

(A) अनुबंध-I (Annexure-I)

(B) अनुबंध-II (Annexure-II)

(C) अनुबंध-III (Annexure-III)

(D) अनुबंध-IV (Annexure-IV)

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** मानक प्रपत्र **SF-5** में चार अनुबंध होते हैं: **अनुबंध-I** में आरोपों के अनुच्छेद (Articles of Charge), **अनुबंध-II** में कदाचार के लांछनों का विवरण (Statement of Imputations), **अनुबंध-III** में **आधारित दस्तावेजों की सूची (List of Documents / RUDs)**, और **अनुबंध-IV** में गवाहों की सूची (List of Witnesses) होती है।

अभ्यास प्रश्न #37 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 37. जब दो या दो से अधिक रेल सेवक एक ही अनुशासनिक प्रकरण में संयुक्त रूप से संलिप्त हों, तो रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के किस नियम और किस मानक प्रपत्र के अंतर्गत **'संयुक्त कार्यवाही' (Common Proceedings)** चलाने का आदेश जारी किया जाता है? **[Railway LDCE APO 2023]**

(A) नियम 11, मानक प्रपत्र SF-11

(B) नियम 12, मानक प्रपत्र SF-8

(C) नियम 13, मानक प्रपत्र SF-10

(D) नियम 15, मानक प्रपत्र SF-12

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** RS (D&A) Rules, 1968 के **नियम 13** के अंतर्गत जब दो या अधिक रेल कर्मचारी एक ही मामले में संलिप्त हों, तो उन सभी पर उच्चतम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा **SF-10** जारी कर संयुक्त कार्यवाही (Common Proceedings) चलाई जाती है, तथा इसमें जांच अधिकारी की नियुक्ति **SF-10(a)** और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति **SF-10(b)** द्वारा की जाती है।

अभ्यास प्रश्न #38 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 38. रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 25 के अंतर्गत महाप्रबंधक (GM) से नीचे के किसी पुनरीक्षण प्राधिकारी (Revising Authority) द्वारा दंड को बढ़ाने (Enhancement of Penalty) के लिए पुनरीक्षण करने की अधिकतम समय-सीमा क्या है? **[Railway LDCE Chief Law Assistant / APO 2024]**

(A) मूल आदेश की तिथि से 6 माह

(B) मूल आदेश की तिथि से 1 वर्ष

(C) मूल आदेश की तिथि से 2 वर्ष

(D) कोई समय-सीमा नहीं है

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** नियम 25(5) के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने की समय-सीमा **6 माह** है और महाप्रबंधक (GM) से नीचे के किसी प्राधिकारी द्वारा दंड बढ़ाने के लिए पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने की अधिकतम समय-सीमा आदेश की तिथि से **1 वर्ष** है (जबकि राष्ट्रपति, रेलवे बोर्ड और GM के लिए स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में समय-सीमा का प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कर्मचारी सेवा में हो)।

अभ्यास प्रश्न #39 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 39. रेल सेवक (कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि) नियम, 2005 के अंतर्गत किसी रोजगार के वर्गीकरण (Classification) के विरुद्ध प्रथम अपील कितने दिनों के भीतर और किस प्राधिकारी के समक्ष की जा सकती है? **[Railway LDCE Welfare Inspector 2024]**

(A) 45 दिनों के भीतर महाप्रबंधक (GM) को

(B) 60 दिनों के भीतर रेलवे बोर्ड को

(C) 90 दिनों के भीतर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (Regional Labour Commissioner — Central) को

(D) 30 दिनों के भीतर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) को

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** HOER Rules, 2005 के नियम 4 के अनुसार प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी (PCPO) द्वारा किए गए वर्गीकरण के विरुद्ध कोई भी व्यथित रेल सेवक या ट्रेड यूनियन **90 दिनों के भीतर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) [Regional Labour Commissioner (Central)]** को प्रथम अपील कर सकता है, और उसके निर्णय के विरुद्ध 90 दिनों में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अपील हो सकती है।

अभ्यास प्रश्न #40 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 40. HOER 2005 के अनुसार, रेलवे के रनिंग स्टाफ (Running Staff — लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर/गार्ड) को एक कैलेंडर माह में किस मानक के अनुसार आवधिक विश्राम (Periodical Rest) दिया जाता है? **[Railway LDCE AOM 2025]**

(A) प्रत्येक सप्ताह 24 घंटे के 4 विश्राम

(B) प्रत्येक माह में कम से कम एक पूर्ण रात्रि सहित **30 लगातार घंटों के 4 विश्राम** या कम से कम **22 लगातार घंटों के 5 विश्राम**

(C) प्रत्येक पखवाड़े में 48 घंटे का 1 विश्राम

(D) प्रत्येक सप्ताह 36 घंटे के 4 विश्राम

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** HOER Rules, 2005 के नियम 12(3) के अनुसार रनिंग स्टाफ को प्रत्येक माह में कम से कम **30 लगातार घंटों के 4 आवधिक विश्राम** या कम से कम **22 लगातार घंटों के 5 आवधिक विश्राम** दिए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक में एक पूर्ण रात्रि (22:00 से 06:00 बजे) शामिल होनी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न #41 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 41. रेल सेवक (पास) नियम, 1986 के अंतर्गत 'गोल्ड पास' (Gold Pass) निम्नलिखित में से किसे जारी किया जाता है? **[Railway LDCE ACM/APO 2023]**

(A) केवल रेल मंत्री को

(B) अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड, बोर्ड के सदस्यों, महानिदेशकों, सभी क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों (GMs) तथा मुख्य आयुक्त रेलवे सुरक्षा (CCRS) को

(C) मंडल रेल प्रबंधकों (DRMs) को

(D) 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सभी राजपत्रित अधिकारियों को

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** Railway Servants (Pass) Rules, 1986 की अनुसूची-I के अनुसार ड्यूटी पर यात्रा हेतु **गोल्ड पास (Gold Pass)** रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ (CRB), बोर्ड के सदस्यों, महानिदेशकों (DGs), क्षेत्रीय रेलवे व उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों (GMs) और मुख्य आयुक्त रेलवे सुरक्षा (CCRS) को जारी किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #42 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 42. रेल सेवक (पास) नियम, 1986 के अंतर्गत 'परिवार' (Family) और 'आश्रित रिश्तेदार' (Dependent Relatives) की पात्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **सही है**? **[Railway GDCE / LDCE OS 2024]**

(A) अविवाहित पुत्री केवल 21 वर्ष की आयु तक ही पास में शामिल हो सकती है

(B) आश्रित रिश्तेदार की मासिक आय कर्मचारी के मूल वेतन के 15% या ₹9,000 + महंगाई राहत (DR) से अधिक नहीं होनी चाहिए

(C) विवाहित पुत्र यदि बेरोजगार है तो 30 वर्ष की आयु तक पास में शामिल हो सकता है

(D) माता और पिता दोनों एक साथ आश्रित रिश्तेदार के रूप में सामान्य पास में शामिल होते हैं

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** Pass Rules, 1986 के अनुसार आश्रित रिश्तेदार (जैसे विधवा माता, अविवाहित/विधवा बहन, 21 वर्ष से कम आयु का भाई जब पिता जीवित न हों) की सभी स्रोतों से कुल मासिक आय कर्मचारी के वेतन के **15% से अधिक या ₹9,000 + महंगाई राहत (DR)** से अधिक नहीं होनी चाहिए। अविवाहित पुत्री के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है (जब तक वह स्वयं अर्जन न करती हो)।

अभ्यास प्रश्न #43 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 43. पुरुष रेल/केंद्रीय कर्मचारी को देय **पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)** के संबंध में सही नियम क्या है? **[CSS SO LDCE / Railway APO 2024]**

(A) यह 3 जीवित बच्चों तक 30 दिन के लिए देय है

(B) यह 2 से कम जीवित संतान होने पर **15 दिन** के लिए देय है, जिसे पत्नी के प्रसव से 15 दिन पूर्व से लेकर प्रसव के **6 माह के भीतर** तक लिया जा सकता है

(C) इसे प्रसव के 1 वर्ष के भीतर 3 किस्तों में लिया जा सकता है

(D) उपयोग न करने पर इसे LAP खाते में जोड़ दिया जाता है

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** IREC Vol-I के नियम 551(A) तथा CCS (Leave) Rules के नियम 43-A के अनुसार, **2 से कम जीवित संतान** वाले पुरुष कर्मचारी को पत्नी के प्रसव या बच्चे के गोद लेने पर **15 दिन** का पितृत्व अवकाश एक ही बार में (Single Spell) देय है, जिसे प्रसव से 15 दिन पूर्व से लेकर प्रसव की तिथि से **6 माह के भीतर** लेना अनिवार्य है, अन्यथा यह व्यपगत (Lapse) हो जाता है।

अभ्यास प्रश्न #44 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 44. महिला रेल/केंद्रीय कर्मचारी के प्रसव के समय मृत शिशु के जन्म (Stillbirth) या जन्म के तुरंत बाद (28 दिनों के भीतर) नवजात शिशु की मृत्यु हो जाने की दुखद स्थिति में कितने दिनों का **'विशेष मातृत्व अवकाश' (Special Maternity Leave)** प्रदान किया जाता है? **[UPSC / CSS SO LDCE 2025]**

(A) 45 दिन

(B) 60 दिन

(C) 90 दिन

(D) 180 दिन

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और रेलवे बोर्ड के नवीनतम आदेशों के अनुसार, मृत शिशु के जन्म (Stillbirth) या प्रसव के 28 दिनों के भीतर नवजात शिशु की मृत्यु होने पर महिला कर्मचारी को मानसिक एवं शारीरिक आघात से उबरने के लिए **60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश (Special Maternity Leave)** प्रदान किया जाता है (जबकि गर्भपात/Miscarriage के लिए पूरे सेवाकाल में कुल 45 दिन देय हैं)।

अभ्यास प्रश्न #45 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 45. किसी स्थायी रेल/केंद्रीय कर्मचारी को उसके पूरे सेवाकाल में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अधिकतम कितने दिनों की **'अदेय छुट्टी' (Leave Not Due — LND)** स्वीकृत की जा सकती है? **[Railway LDCE OS / Accounts 2023]**

(A) 180 दिन

(B) 240 दिन

(C) 300 दिन

(D) 360 दिन

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** IREC Vol-I के नियम 528 (एवं CCS Leave Rules के नियम 31) के अनुसार जब कर्मचारी के खाते में कोई LAP या LHAP शेष न हो, तो भविष्य में अर्जित होने वाले LHAP के विरुद्ध पूरे सेवाकाल में अधिकतम **360 दिन** की अदेय छुट्टी (Leave Not Due) स्वीकृत की जा सकती है।

अभ्यास प्रश्न #46 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 46. किसी रेल या केंद्रीय सिविल सेवक को उच्च अध्ययन या विशेष प्रशिक्षण हेतु **'अध्ययन अवकाश' (Study Leave)** प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करनी होती है और सामान्य संवर्ग में पूरे सेवाकाल में यह अधिकतम कितने माह तक देय है? **[CSS SO LDCE / Railway APO 2025]**

(A) न्यूनतम 3 वर्ष सेवा; अधिकतम 12 माह

(B) न्यूनतम 5 वर्ष सेवा; एक बार में अधिकतम 12 माह तथा पूरे सेवाकाल में कुल 24 माह (चिकित्सा/वैज्ञानिक संवर्ग हेतु 36 माह)

(C) न्यूनतम 7 वर्ष सेवा; अधिकतम 36 माह

(D) परिवीक्षा काल में भी देय; अधिकतम 24 माह

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** अध्ययन अवकाश नियमों के अनुसार परिवीक्षाधीन या **5 वर्ष से कम नियमित सेवा** वाले कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश देय नहीं है। 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद एक बार में अधिकतम **12 माह** और पूरे सेवाकाल में कुल **24 माह** (केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा/चिकित्सा अधिकारियों हेतु **36 माह**) तक अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न #47 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 47. RPF अधिनियम, 1957 की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि RPF द्वारा धारा 12 के तहत बिना वारंट गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को **बिना किसी अनावश्यक देरी के निकटतम पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाएगा**? **[RPF Rule 70/72 LDCE 2024]**

(A) धारा 11

(B) धारा 12

(C) धारा 13

(D) धारा 14

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** RPF Act, 1957 की धारा 11 में कर्तव्य, धारा 12 में बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति, धारा 13 में बिना वारंट तलाशी की शक्ति और **धारा 14** में गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत निकटतम पुलिस अधिकारी या पुलिस थाने के हवाले करने की प्रक्रिया वर्णित है (जब तक कि मामला RP(UP) Act 1966 के तहत RPF द्वारा स्वयं जांच योग्य न हो)।

अभ्यास प्रश्न #48 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 48. RPF नियम, 1987 के **नियम 70** के अंतर्गत सामान्य चयन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य/ओबीसी वर्ग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक (Qualifying Marks) क्रमशः कितने प्रतिशत निर्धारित हैं? **[RPF Rule 70/72 HC & ASI Exam 2025]**

(A) सामान्य/OBC: 50%, SC/ST: 40%

(B) सामान्य/OBC: 60%, SC/ST: 50%

(C) सामान्य/OBC: 65%, SC/ST: 55%

(D) सभी वर्गों के लिए समान रूप से 60%

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** RPF Rules, 1987 के नियम 71 के अनुसार चयन पैनल में स्थान पाने के लिए सामान्य (UR) एवं OBC उम्मीदवारों को कुल मिलाकर कम से कम **60% अंक** और SC/ST उम्मीदवारों को कम से कम **50% अंक** प्राप्त करना अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #49 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 49. RPF नियम, 1987 के किस नियम में यह उल्लेख है कि सुपीरियर अधिकारियों (Superior Officers) पर रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 लागू होंगे, जबकि बल के नामांकित सदस्यों (Enrolled Members) पर RPF नियम, 1987 के अध्याय XI के अनुशासनिक प्रावधान लागू होंगे? **[RPF Rule 70/72 SI LDCE 2024]**

(A) नियम 102

(B) नियम 132.1

(C) नियम 148

(D) नियम 153

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** RPF Rules, 1987 के अध्याय XI (अनुशासन एवं आचरण) के नियम 132.1 में प्रावधान है कि सुपीरियर अधिकारियों पर संशोधनों के अधीन RS (D&A) Rules, 1968 लागू होंगे, जबकि नामांकित सदस्यों पर RPF Rules, 1987 के नियम 148 से 166 (नियम 153 — दीर्घ शास्ति जांच प्रक्रिया, नियम 158 — लघु शास्ति प्रक्रिया, नियम 161 — विशेष प्रक्रिया) लागू होते हैं।

अभ्यास प्रश्न #50 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 50. रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 (एवं CCS आचरण नियम, 1964) के किस नियम के अंतर्गत कार्यस्थल पर **कामकाजी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न का निषेध** (Prohibition of Sexual Harassment of Working Women) किया गया है और किस नियम में **14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने पर प्रतिबंध** है? **[Railway LDCE APO/Welfare Inspector 2025]**

(A) क्रमशः नियम 3B एवं नियम 21

(B) क्रमशः नियम 3C एवं नियम 22A

(C) क्रमशः नियम 3A एवं नियम 13A

(D) क्रमशः नियम 4 एवं नियम 18

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** आचरण नियमों के **नियम 3C** में कामकाजी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर पूर्ण प्रतिबंध है, जबकि **नियम 22A** में किसी भी रेल/सरकारी सेवक द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी कार्य में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियम 13A दहेज निषेध और नियम 21 द्विविवाह निषेध से संबंधित है।

अभ्यास प्रश्न #51 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 51. रेल/केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों के **नियम 13 (उपहार — Gifts)** के अनुसार, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के पश्चात एक **ग्रुप 'A' अधिकारी**, **ग्रुप 'B' अधिकारी** और **ग्रुप 'C' कर्मचारी** विवाह या धार्मिक समारोह के अवसर पर अपने निकट संबंधियों से सरकार की पूर्व सूचना/अनुमति के बिना अधिकतम कितनी राशि तक का उपहार स्वीकार कर सकते हैं? **[CSS SO LDCE / Railway APO 2024]**

(A) क्रमशः ₹15,000, ₹10,000 और ₹5,000

(B) क्रमशः ₹25,000, ₹15,000 और ₹7,500

(C) क्रमशः ₹50,000, ₹25,000 और ₹10,000

(D) क्रमशः ₹20,000, ₹12,000 और ₹6,000

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** आचरण नियमों के **नियम 13(2)** के अंतर्गत सामाजिक/धार्मिक अवसरों पर रिश्तेदारों या निजी मित्रों (जिनसे कोई आधिकारिक लेन-देन न हो) से बिना सरकार को सूचित किए उपहार स्वीकार करने की अधिकतम सीमा **ग्रुप 'A' के लिए ₹25,000**, **ग्रुप 'B' के लिए ₹15,000** और **ग्रुप 'C' के लिए ₹7,500** निर्धारित है। इससे अधिक मूल्य होने पर सरकार को रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #52 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 52. सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (संशोधित जुलाई 2024) के अनुसार **वैज्ञानिक मंत्रालयों और विभागों** (जैसे—DSIR, CSIR, DRDO, ISRO, DST, DBT) के लिए नियम 154 (बिना कोटेशन खरीद) और नियम 155 (स्थानीय क्रय समिति द्वारा खरीद) की विशेष संशोधित सीमाएँ क्रमशः क्या निर्धारित की गई हैं? **[CSIR SO/ASO & Central Dept LDCE 2025]**

(A) नियम 154: ₹50,000 तक; नियम 155: ₹5 लाख तक

(B) नियम 154: ₹1,00,000 (₹1 लाख) तक; नियम 155: ₹1,00,000 से अधिक से ₹10,00,000 (₹10 लाख) तक

(C) नियम 154: ₹2,00,000 तक; नियम 155: ₹20,00,000 तक

(D) नियम 154: ₹75,000 तक; नियम 155: ₹7.5 लाख तक

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** वित्त मंत्रालय और वैज्ञानिक विभागों के जुलाई 2024 के विशेष संशोधन (**CSIR Special GFR Provisions 18-07-2024** एवं **GFR 2024 Thresholds**) के अनुसार वैज्ञानिक मंत्रालयों और अनुसंधान संस्थानों के लिए **नियम 154** के तहत बिना कोटेशन खरीद की सीमा **₹1,00,000 (₹1 लाख)** और **नियम 155** के तहत क्रय समिति द्वारा खरीद की सीमा **₹10,00,000 (₹10 लाख)** निर्धारित की गई है।

अभ्यास प्रश्न #53 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 53. GFR 2017 के **नियम 161(iv)** के अनुसार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी राशि तक की सरकारी खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी (कैबिनेट सचिवालय/व्यय विभाग) की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी **'ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी' (Global Tender Enquiry — GTE)** जारी नहीं की जाएगी? **[UPSC / CSS SO LDCE 2024]**

(A) ₹50 करोड़ तक

(B) ₹100 करोड़ तक

(C) ₹200 करोड़ तक

(D) ₹500 करोड़ तक

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या:** **GFR 2017 के नियम 161(iv)** में किए गए संशोधन के अनुसार घरेलू विनिर्माताओं और MSMEs को बढ़ावा देने के लिए **₹200 करोड़ तक** की किसी भी निविदा के लिए बिना पूर्व सरकारी अनुमोदन के ग्लोबल टेंडर (GTE) आमंत्रित नहीं किया जा सकता।

अभ्यास प्रश्न #54 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 54. GFR 2017 के **नियम 170 (Bid Security / EMD)** और **नियम 171 (Performance Security)** के तहत जमा की जाने वाली प्रतिभूतियों की वैधता अवधि (Validity Period) क्रमशः कितनी होनी चाहिए? **[Railway AFA / Stores ADMM LDCE 2025]**

(A) EMD: अंतिम बोली वैधता अवधि से 30 दिन अधिक; Performance Security: वारंटी समाप्ति से 30 दिन अधिक

(B) EMD: अंतिम बोली वैधता अवधि से **45 दिन अधिक**; Performance Security: वारंटी सहित सभी संविदात्मक दायित्व पूरे होने की तिथि से **60 दिन अधिक**

(C) दोनों के लिए समान रूप से 60 दिन अधिक

(D) EMD: 60 दिन अधिक; Performance Security: 45 दिन अधिक

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** **GFR 2017 के नियम 170(i) और नियम 171(ii)** के अनुसार **बोली सुरक्षा (EMD — 2% से 5%)** अंतिम बोली वैधता अवधि के बाद **45 दिनों** तक वैध रहनी चाहिए, जबकि **निष्पादन सुरक्षा (Performance Security — 3% से 10%)** वारंटी दायित्वों सहित सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तिथि से **60 दिनों** की अवधि तक वैध रहनी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न #55 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 55. एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme — UPS 2024–25) के अंतर्गत 50% सुनिश्चित पेंशन (Assured Pension) और ₹10,000 प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन (Assured Minimum Pension) प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हक सेवा (Qualifying Service) क्रमशः कितनी है? **[All-India Railway GDCE/LDCE & Central Dept Exams 2026]**

(A) 50% पेंशन हेतु 20 वर्ष; ₹10,000 न्यूनतम पेंशन हेतु 10 वर्ष

(B) 50% पेंशन हेतु **25 वर्ष**; ₹10,000 न्यूनतम पेंशन हेतु **10 वर्ष**

(C) 50% पेंशन हेतु 30 वर्ष; ₹10,000 न्यूनतम पेंशन हेतु 15 वर्ष

(D) 50% पेंशन हेतु 25 वर्ष; ₹10,000 न्यूनतम पेंशन हेतु 5 वर्ष

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन की **50% सुनिश्चित पेंशन** पाने के लिए न्यूनतम **25 वर्ष की अर्हक सेवा** आवश्यक है, जबकि **₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन** के लिए न्यूनतम **10 वर्ष की अर्हक सेवा** अनिवार्य है (**Canara HSBC / PIB UPS Features**)।

अभ्यास प्रश्न #56 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 56. एकीकृत पेंशन योजना (UPS 2024–25) के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके जीवनसाथी को कितनी **'सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन' (Assured Family Pension)** प्रदान की जाती है? **[Railway LDCE APO/OS 2026]**

(A) कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन का 30%

(B) कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पूर्व उसे मिल रही पेंशन का **60%**

(C) कर्मचारी की पेंशन का 50%

(D) कर्मचारी की पेंशन का 75%

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** PIB की आधिकारिक UPS विज्ञप्ति के अनुसार पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर उसके परिवार (पति/पत्नी) को कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले स्वीकार्य **पेंशन का 60%** पारिवारिक पेंशन (Assured Family Pension) के रूप में देय होगा, जिस पर महंगाई राहत (DR) भी मिलेगी।

अभ्यास प्रश्न #57 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 57. राजभाषा नियम, 1976 के किस नियम में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक केंद्रीय सरकारी कार्यालय के **प्रशासनिक प्रधान (Administrative Head)** का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करे? **[Railway LDCE / RPF Rule 70/72 Rajbhasha 2024]**

(A) नियम 9

(B) नियम 10

(C) नियम 11

(D) नियम 12

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 में केंद्रीय कार्यालय के **प्रशासनिक प्रधान (Administrative Head)** का यह प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है कि वह राजभाषा अधिनियम व नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक जांच-पड़ताल (Check-points) बनाए।

अभ्यास प्रश्न #58 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 58. केंद्र सरकार की 'हिंदी शिक्षण योजना' के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर किसी केंद्रीय कर्मचारी को **राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10** के तहत 'हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान' (Working Knowledge of Hindi) प्राप्त माना जाता है? **[CSS SO LDCE / Railway Rajbhasha Exam 2024]**

(A) केवल प्रबोध (Prabodh)

(B) केवल प्रवीण (Praveen)

(C) प्रज्ञा (Pragya) पाठ्यक्रम (या मैट्रिक परीक्षा हिंदी विषय के साथ)

(D) केवल हिंदी टंकण परीक्षा

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** हिंदी शिक्षण योजना में तीन क्रमिक पाठ्यक्रम होते हैं—प्रबोध (प्रारंभिक), प्रवीण (माध्यमिक) और **प्रज्ञा (अंतिम/उच्चतर)**। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(1) के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा हिंदी विषय के साथ या हिंदी शिक्षण योजना की **प्रज्ञा परीक्षा** उत्तीर्ण कर ली है, तो उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाता है।

अभ्यास प्रश्न #59 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 59. प्रथम राजभाषा आयोग (First Official Language Commission) का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? **[Railway GDCE / LDCE & RPF Rule 70/72 2023]**

(A) 14 सितंबर 1949, डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में

(B) 7 जून 1955, श्री बी. जी. खेर (बाल गंगाधर खेर) की अध्यक्षता में

(C) 16 नवंबर 1957, पं. गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में

(D) 10 मई 1963, श्री लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा **7 जून 1955** को **श्री बाल गंगाधर खेर (B. G. Kher)** की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए 1957 में पं. गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में प्रथम संसदीय राजभाषा समिति गठित हुई थी।

अभ्यास प्रश्न #60 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 60. केंद्रीय हिंदी समिति (Kendriya Hindi Samiti — जो भारत सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में सर्वोच्च नीति-निर्धारक समिति है) के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? **[Railway LDCE APO/ACM & SSC Dept 2025]**

(A) केंद्रीय गृह मंत्री; 30 सदस्य

(B) भारत के राष्ट्रपति; 35 सदस्य

(C) भारत के प्रधानमंत्री; 41 सदस्य

(D) लोकसभा अध्यक्ष; 25 सदस्य

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** वर्ष 1967 में गठित **केंद्रीय हिंदी समिति** राजभाषा नीति पर सर्वोच्च दिशा-निर्देश देने वाली शीर्ष समिति है। इसके पदेन अध्यक्ष **भारत के प्रधानमंत्री** होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं और इसमें कुल **41 सदस्य** (केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद और हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान) शामिल होते हैं।

23.1 उच्च-स्तरीय वैधानिक एवं विभागीय तथ्य संकलन

भारतीय रेल एवं केंद्रीय सिविल सेवाओं के अंतर्गत विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं (GDCE एवं LDCE), रेलवे सुरक्षा बल (RPF) नियम 1987 के नियम 70 एवं नियम 72, रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968, रेल सेवक (आचरण) नियम 1966, रेल सेवक (कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि - HOER) नियम 2005 तथा सामान्य वित्तीय नियम (GFR 2017 एवं अद्यतन संशोधन) प्रशासनिक दक्षता, वित्तीय शुचिता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हैं। इन नियमों का प्राथमिक स्रोत रेल मंत्रालय (indianrailways.gov.in) तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (dopt.gov.in) के आधिकारिक मैनुअल हैं।

- **रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968:** संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुकों तथा अनुच्छेद 311(1) एवं 311(2) के संवैधानिक संरक्षणों के अनुरूप निर्मित। इसमें नियम 6 के अंतर्गत लघु एवं दीर्घ शास्तियों का वर्गीकरण, नियम 9 के अंतर्गत दीर्घ शास्ति की विस्तृत जांच प्रक्रिया, नियम 11 के अंतर्गत लघु शास्ति की प्रक्रिया तथा नियम 14 के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में बिना जांच के पदच्युति के प्रावधान शामिल हैं।
- **रेलवे सुरक्षा बल (RPF) नियम, 1987 (नियम 70 एवं नियम 72):** रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 (यथासंशोधित 1985 एवं 2003) के अंतर्गत नियम 70 सामान्य विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया और वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता/चयन परीक्षाओं को नियंत्रित करता है, जबकि नियम 72 त्वरित या सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से मेधावी बल सदस्यों को उच्च रैंक (जैसे उप-निरीक्षक या सहायक उप-निरीक्षक) में पदोन्नति का अवसर प्रदान करता है।
- **सामान्य वित्तीय नियम (GFR 2017):** सार्वजनिक धन के व्यय में 'वित्तीय औचित्य के सिद्धांत' (Canons of Financial Propriety - नियम 21), क्रय प्रक्रियाओं (नियम 142 से 206), गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM - नियम 149) तथा अनुबंध प्रबंधन (नियम 224 से 227) को विनियमित करते हैं।

23.2 विस्तृत तुलनात्मक सारणियाँ (खंड 23)

तुलनात्मक सारणी 23.1: विभागीय परीक्षाओं एवं पदोन्नति प्रणालियों का संरचनात्मक विश्लेषण (GDCE, LDCE, RPF नियम 70 एवं नियम 72)

मानदंड / आधार	सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (GDCE)	सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (LDCE)	RPF नियम 70 के अंतर्गत पदोन्नति	RPF नियम 72 के अंतर्गत चयन परीक्षा
वैधानिक स्रोत एवं प्राधिकार	रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक परिपत्र (indianrailways.gov.in)	भारतीय रेल स्थापना मैनुअल (IREM खंड-I) एवं कार्मिक नियम (dopt.gov.in)	रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 का नियम 70 (indianrailways.gov.in)	रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 का नियम 72 (indianrailways.gov.in)
मुख्य उद्देश्य	सीधी भर्ती कोटे की रिक्तियों को सेवारत अर्ह रेल कर्मचारियों से त्वरित रूप से भरना	विशिष्ट संवर्ग में मेधावी कर्मचारियों को निर्धारित कोटे के तहत तीव्र पदोन्नति देना	बल में नियमित पदोन्नति कोटा (चयन एवं गैर-चयन पदों) को क्रमिक रूप से भरना	विशेष सीमित विभागीय प्रतियोगिता द्वारा प्रतिभाशाली बल सदस्यों को त्वरित पदोन्नति देना
रिक्ति कोटा स्रोत	सीधी भर्ती कोटे का अधिकतम 25% से 50% (रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार परिवर्तनीय)	विभागीय पदोन्नति कोटे का निश्चित प्रतिशत (जैसे 15%, 20% या 33.33% संवर्गानुसार)	नियमित पदोन्नति कोटा (वरिष्ठता एवं दक्षता परीक्षण आधारित)	नियम 70 के अतिरिक्त सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धा हेतु निर्धारित कोटा
पात्रता का दायरा	संबंधित जोन/इकाई के सभी विभागों/संवर्गों के नियमित कर्मचारी जो न्यूनतम ग्रेड/शैक्षणिक अर्हता रखते हों	केवल संबंधित फीडर संवर्ग (Feeder Cadre) के कर्मचारी जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम सेवा पूरी की हो	फीडर रैंक में निर्धारित सेवा अवधि और स्वच्छ सेवा रिकॉर्ड रखने वाले बल सदस्य	निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूर्ण करने वाले सभी पात्र अधीनस्थ बल सदस्य
न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त	सामान्यतः नियमित नियुक्ति के पश्चात परिवीक्षा अवधि की समाप्ति (विज्ञप्ति के अनुसार)	सामान्यतः फीडर ग्रेड में 3 से 5 वर्ष की नियमित सेवा (संवर्ग के नियमों के अनुसार)	संबंधित पद हेतु अनुसूची-IV में निर्धारित न्यूनतम सेवा (सामान्यतः 5 से 8 वर्ष)	अनुसूची-IV के अनुसार न्यूनतम नियमित सेवा (जैसे कांस्टेबल से SI/ASI हेतु निर्धारित वर्ष)
चयन का आधार	पूर्णतः मेरिट आधारित (कंप्यूटर आधारित परीक्षा, अभिक्षमता परीक्षण एवं चिकित्सा मानक)	लिखित परीक्षा के अंक, सेवा रिकॉर्ड (APAR) एवं निर्धारित व्यावसायिक दक्षता	लिखित परीक्षा, व्यावहारिक/परेड परीक्षण तथा सेवा अभिलेख का समग्र मूल्यांकन	पूर्णतः प्रतिस्पर्धी लिखित परीक्षा, आउटडोर परीक्षण एवं सेवा अभिलेख मूल्यांकन

मानदंड / आधार	सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (GDCE)	सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (LDCE)	RPF नियम 70 के अंतर्गत पदोन्नति	RPF नियम 72 के अंतर्गत चयन परीक्षा
अधिकतम प्रयासों की सीमा	पात्र आयु सीमा (सामान्यतः 42 वर्ष, आरक्षित वर्ग को छूट) तक अवसर उपलब्ध	संवर्ग नियमों के अधीन आयु या प्रयासों की कोई संकीर्ण बाधा नहीं (जब तक विनिर्दिष्ट न हो)	पात्रता सूची (Zone of Consideration) में आने पर अधिकतम तीन अवसरों की सामान्य व्यवस्था	अधिकतम दो या तीन अवसर (रेलवे बोर्ड / महानिदेशक RPF के अद्यतन स्थायी आदेशों के अधीन)

तुलनात्मक सारणी 23.2: रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के अंतर्गत मानक प्रपत्रों (SF-1 से SF-11) एवं शास्तियों का विश्लेषण

मानक प्रपत्र (Standard Form)	संबंधित नियम (D&AR 1968)	प्रपत्र का आधिकारिक उद्देश्य	जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रक्रियात्मक एवं न्यायिक प्रभाव
मानक प्रपत्र-1 (SF-1)	नियम 5(1)	रेल कर्मचारी को प्रत्यक्ष निलंबन (Suspension) के अधीन रखने का आदेश	नियुक्ति प्राधिकारी या अनुसूची में प्राधिकृत अनुशासनिक प्राधिकारी (indianrailways.gov.in)	यह कोई दंड नहीं है; कर्मचारी को निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) मिलता है
मानक प्रपत्र-2 (SF-2)	नियम 5(2)	मानित निलंबन (Deemed Suspension) — 48 घंटे से अधिक पुलिस/न्यायिक हिरासत या दोषसिद्धि पर	सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी (indianrailways.gov.in)	हिरासत की तिथि से स्वतः प्रभावी माना जाता है; औपचारिक आदेश SF-2 द्वारा जारी होता है
मानक प्रपत्र-3 (SF-3)	नियम 5 (भत्ता)	निलंबित कर्मचारी द्वारा अन्यत्र किसी रोजगार या व्यवसाय में न होने का प्रमाण-पत्र	निलंबित रेल सेवक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा-पत्र	निर्वाह भत्ते (निलंबन भत्ते) के मासिक भुगतान हेतु अनिवार्य पूर्व-शर्त
मानक प्रपत्र-4 (SF-4)	नियम 5(5)(c)	निलंबन का प्रतिसंहरण (Revocation of Suspension) करने का औपचारिक आदेश	वह प्राधिकारी जिसने निलंबित किया हो या उससे उच्चतर प्राधिकारी	कर्मचारी पुनः ड्यूटी पर बहाल होता है; निलंबन अवधि के नियमितीकरण का निर्णय बाद में या साथ में
मानक प्रपत्र-5 (SF-5)	नियम 9	दीर्घ शास्ति (Major Penalty) की कार्यवाही हेतु आरोप-पत्र (Charge Memorandum)	दीर्घ शास्ति लगाने हेतु सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी (dopt.gov.in)	4 अनुलग्नक अनिवार्य (आरोपों का विवरण, कदाचार का विवरण, दस्तावेजी साक्ष्य सूची, गवाह सूची)
मानक प्रपत्र-7 (SF-7)	नियम 9(2)	दीर्घ शास्ति मामले में जांच अधिकारी (Inquiry Officer) की नियुक्ति का आदेश	अनुशासनिक प्राधिकारी (आरोपी द्वारा आरोप अस्वीकार करने के पश्चात)	प्राकृतिक न्याय के तहत गवाहों के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण की अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है
मानक प्रपत्र-8 (SF-8)	नियम 9(5)(c)	जांच कार्यवाही में शासन का पक्ष रखने हेतु प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (Presenting Officer) की नियुक्ति	अनुशासनिक प्राधिकारी (जटिल या सतर्कता मामलों में विशेष रूप से)	जांच अधिकारी की निष्पक्षता बनाए रखने हेतु अभियोजन पक्ष की भूमिका निभाता है
मानक प्रपत्र-10 (SF-10)	नियम 13	दो या अधिक रेल कर्मचारियों के विरुद्ध संयुक्त विभागीय कार्यवाही (Common Proceedings) का आदेश	सभी संलिप्त कर्मचारियों में से वरिष्ठतम पर दीर्घ शास्ति लगाने में सक्षम प्राधिकारी	एक ही घटना में संलिप्त विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की एकीकृत जांच सुनिश्चित करता है
मानक प्रपत्र-11 (SF-11)	नियम 11	लघु शास्ति (Minor Penalty) अधिरोपित करने हेतु ज्ञापन	लघु शास्ति लगाने में सक्षम कोई भी अनुशासनिक प्राधिकारी	सामान्यतः 10 दिन में बचाव अभ्यावेदन मांगा जाता है; 3 वर्ष से अधिक वेतन वृद्धि रोक पर जांच अनिवार्य

तुलनात्मक सारणी 23.3: सामान्य वित्तीय नियम (GFR 2017) के अंतर्गत माल एवं सेवाओं के क्रय (Procurement) की विधियों का तुलनात्मक विवरण

क्रय विधि एवं नियम संख्या	वित्तीय सीमा (अद्यतन प्रावधान)	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) की भूमिका	निविदा एवं प्रतिस्पर्धा की प्रकृति	मुख्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं एवं अपवाद
बिना कोटेशन के प्रत्यक्ष क्रय (नियम 154)	₹50,000 तक (प्रत्येक अवसर पर)	यदि उत्पाद GeM पर उपलब्ध है तो GeM से प्रत्यक्ष क्रय अनिवार्य (dopt.gov.in)	किसी औपचारिक कोटेशन या निविदा आमंत्रण की आवश्यकता नहीं	सक्षम प्राधिकारी को मूल्य की यथोचितता (Reasonableness of Rate) एवं गुणवत्ता का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य
स्थानीय क्रय समिति द्वारा क्रय (नियम 155)	₹50,000 से अधिक तथा ₹5,00,000 तक	GeM पर उपलब्ध वस्तुओं हेतु GeM बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन की प्राथमिकता	3 सदस्यीय स्थानीय क्रय समिति (LPC) द्वारा बाजार सर्वेक्षण	समिति बाजार का सर्वेक्षण कर गुणवत्ता, विनिर्देश और उचित मूल्य प्रमाणित करने के पश्चात क्रय की अनुशंसा करती है
सीमित निविदा जांच - LTE (नियम 162)	₹5,00,000 से ₹50,00,000 तक (विशेष परिस्थितियों में इससे अधिक भी)	GeM पर अनुपलब्ध होने पर ई-प्रोक्योरमेंट (CPPP) के माध्यम से पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से	पंजीकृत एवं अनुमोदित विक्रेताओं (न्यूनतम संख्या 3 से अधिक) को निविदा आमंत्रण	अत्यावश्यकता, गोपनीय प्रकृति या सीमित स्रोत होने पर ₹50 लाख से ऊपर भी सक्षम अनुमति से लागू
विज्ञापित निविदा जांच - ATE (नियम 161)	₹50,00,000 एवं उससे अधिक मूल्य के सभी सामान्य क्रय	GeM पर उपलब्ध होने पर GeM बोली; अन्यथा केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल (CPPP) पर प्रकाशन	खुली प्रतिस्पर्धा; सभी पात्र एवं अर्ह बोलीदाताओं के लिए खुला आमंत्रण	न्यूनतम 3 सप्ताह (21 दिन) का समय बोली प्रस्तुत करने हेतु दिया जाना सामान्य नियम है
एकल निविदा जांच - STE (नियम 166)	मूल्य सीमा के निरपेक्ष (केवल विशिष्ट तकनीकी/आपातकालीन शर्तों पर)	मालिकाना प्रमाण-पत्र (PAC) के साथ GeM या ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर प्रक्रिया	केवल एक विशिष्ट निर्माता (OEM) या आपूर्तिकर्ता से कोटेशन आमंत्रित करना	केवल मालिकाना वस्तु (Proprietary Article), चरम आपातकाल या मानकीकरण (Standardization) की स्थिति में ही अनुमेय
इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन (नियम 167)	उच्च मूल्य एवं मानकीकृत विनिर्देशों वाले क्रय में	GeM पर अंतर्निहित सुविधा के रूप में स्वत: उपलब्ध	तकनीकी रूप से अर्ह बोलीदाताओं के मध्य वास्तविक समय में मूल्य घटाने की ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा	पारदर्शिता और अधिकतम मितव्ययिता सुनिश्चित करने हेतु क्रमिक रूप से न्यूनतम बोली (L1) का निर्धारण

23.3 उच्च-स्तरीय व्याख्या सहित बहुविकल्पीय प्रश्न (खंड 23: प्रश्न 1 से 20)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 9 के अंतर्गत दीर्घ शास्ति (Major Penalty) के लिए जारी किए जाने वाले मानक प्रपत्र-5 (SF-5) में कुल कितने अनुलग्नक (Annexures) संलग्न करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है?

(A) दो अनुलग्नक

(B) तीन अनुलग्नक

(C) चार अनुलग्नक

(D) पांच अनुलग्नक

सही उत्तर: (C) चार अनुलग्नक

विस्तृत व्याख्या:

• रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 9 के अंतर्गत दीर्घ शास्ति हेतु मानक प्रपत्र-5 (SF-5) जारी किया जाता है (indianrailways.gov.in)।

• इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने हेतु चार अनुलग्नक अनिवार्य होते हैं: अनुलग्नक-I में आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए निश्चित आरोपों के अनुच्छेद (Articles of Charge), अनुलग्नक-II में प्रत्येक आरोप के समर्थन में कदाचार या दुर्व्यवहार के तथ्यों का विस्तृत विवरण (Statement of

Imputations), अनुलग्नक-III में उन दस्तावेजों की सूची जिनसे आरोप सिद्ध किए जाने हैं, तथा अनुलग्नक-IV में उन गवाहों की सूची जिनके मौखिक साक्ष्य से आरोपों की पुष्टि प्रस्तावित है।

• यदि गवाह न हों तो अनुलग्नक-IV में 'शून्य' (Nil) अंकित किया जाता है, किंतु चारों अनुलग्नकों की संरचना अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 11(2) के अनुसार, यदि किसी रेल कर्मचारी पर लघु शास्ति का ज्ञापन (SF-11) जारी किया गया है, तो निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दीर्घ शास्ति की भांति नियम 9 के तहत विस्तृत मौखिक जांच (Oral Inquiry) करना अनिवार्य हो जाता है?

(A) जब कर्मचारी पर जुर्माना लगाया जा रहा हो

(B) जब कर्मचारी की वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव के 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोकी जा रही हो या सेवा-निवृत्ति लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो

(C) जब कर्मचारी की पदोन्नति को 1 वर्ष के लिए रोका जा रहा हो

(D) जब कर्मचारी को लिखित परिनिंदा (Censure) दी जा रही हो

सही उत्तर: (B) जब कर्मचारी की वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव के 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोकी जा रही हो या सेवा-निवृत्ति लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा रहा हो

विस्तृत व्याख्या: नियम 11(1)(b) और 11(2) के स्पष्ट प्रावधानों (indianrailways.gov.in) के अनुसार यद्यपि असंचयी प्रभाव (Non-cumulative effect) से वेतन वृद्धि रोकना एक लघु शास्ति है, तथापि यदि वेतन वृद्धि को 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रोकने का प्रस्ताव हो, अथवा उस शास्ति से कर्मचारी की पेंशन या सेवानिवृत्ति उपादान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, या संचयी प्रभाव से एक भी वेतन वृद्धि रोकी जा रही हो (जो अब दीर्घ शास्ति की श्रेणी में है), तो नियम 9 में निर्धारित विस्तृत जांच प्रक्रिया अपनाए बिना ऐसा दंड नहीं दिया जा सकता।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परंतुक के अनुरूप रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के किस नियम में विशेष परिस्थितियों में बिना किसी औपचारिक विभागीय जांच के रेल कर्मचारी को सेवा से पदच्युत (Dismiss) या निष्कासित (Remove) करने की शक्ति प्रदान की गई है?

(A) नियम 10

(B) नियम 12

(C) नियम 14

(D) नियम 18

सही उत्तर: (C) नियम 14

विस्तृत व्याख्या:

• रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 का नियम 14 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अपवादों को लागू करता है (indianrailways.gov.in)।

• इसके अंतर्गत तीन विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं: नियम 14(i) जब किसी कर्मचारी को आपराधिक आरोप में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध (Convicted) ठहराया गया हो और उसका आचरण सेवा से हटाने योग्य हो; नियम 14(ii) जब अनुशासनिक प्राधिकारी लिखित कारणों से संतुष्ट हो कि जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यावहारिक (Reasonably Practicable) नहीं है; और नियम 14(iii) जब राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि राज्य की सुरक्षा के हित में जांच करना समीचीन नहीं है।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 के नियम 70 और नियम 72 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नियम 70 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) नियमित पदोन्नति कोटे की रिक्तियों के लिए पात्रता क्षेत्र (Zone of Consideration) के उम्मीदवारों का मूल्यांकन करती है।

2. नियम 72 के अंतर्गत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (LDCE) के माध्यम से चयन में वरिष्ठता के लिए पृथक अंक प्रदान किए जाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

सही उत्तर: (A) केवल 1

विस्तृत व्याख्या:

• रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 के नियम 70 के तहत नियमित पदोन्नति की प्रक्रिया संचालित होती है (indianrailways.gov.in)।

• सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (dopt.gov.in) तथा रेलवे बोर्ड के संशोधनों के पश्चात चयन परीक्षाओं और विशेष रूप से नियम 72 की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में 'वरिष्ठता के अंक' (Marks for Seniority) देने की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा का उद्देश्य शुद्ध योग्यता (Pure Merit) और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर चयन करना है।

• अत: कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. रेल सेवक (कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि - HOER) नियम, 2005 के अंतर्गत रेल कर्मचारियों को उनके कार्य की प्रकृति के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, और 'गहन' (Intensive) श्रेणी के कर्मचारी के लिए साप्ताहिक कार्य घंटों की मानक सीमा क्या है?

(A) 3 वर्ग; 40 घंटे प्रति सप्ताह

(B) 4 वर्ग; 42 घंटे प्रति सप्ताह

(C) 4 वर्ग; 45 घंटे प्रति सप्ताह

(D) 5 वर्ग; 48 घंटे प्रति सप्ताह

सही उत्तर: (B) 4 वर्ग; 42 घंटे प्रति सप्ताह

विस्तृत व्याख्या: रेल अधिनियम, 1989 के अध्याय XIV और HOER नियम, 2005 (indianrailways.gov.in) के अनुसार रेल कर्मचारियों को कार्यभार और एकाग्रता के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है: (1) गहन (Intensive) — मानक कार्य घंटे 42 घंटे/सप्ताह (रोस्टर सीमा 45 घंटे); (2) निरंतर (Continuous) — मानक कार्य घंटे 48 घंटे/सप्ताह (रोस्टर सीमा 54 घंटे); (3) अनिवार्य रूप से सविराम (Essentially Intermittent - EI) — मानक कार्य घंटे 48 घंटे के साथ अतिरिक्त प्रतीक्षा घंटे (कुल 60 से 75 घंटे तक उपस्थिति के अनुसार); तथा (4) अपवर्जित (Excluded) — पर्यवेक्षकीय, गोपनीय एवं चिकित्सा कर्मचारी जिनके लिए निश्चित दैनिक घंटों की सीमा लागू नहीं होती।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017 के नियम 21 में वर्णित 'वित्तीय औचित्य के सिद्धांत' (Canons of Financial Propriety) के संबंध में कौन-सा कथन असत्य है?

(A) प्रत्येक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक धन के व्यय में उतनी ही सतर्कता बरते जितनी एक सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति अपने निजी धन के व्यय में बरतता है।

(B) व्यय आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए।

(C) कोई भी प्राधिकारी अपने स्वयं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के लिए किसी वित्तीय स्वीकृति का आदेश पारित कर सकता है यदि वह बजट सीमा के भीतर हो।

(D) भत्तों की राशि इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि वह प्राप्तकर्ता के लिए लाभ का स्रोत न बने।

सही उत्तर: (C) कोई भी प्राधिकारी अपने स्वयं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के लिए किसी वित्तीय स्वीकृति का आदेश पारित कर सकता है यदि वह बजट सीमा के भीतर हो।

विस्तृत व्याख्या:

• GFR 2017 के नियम 21 (dopt.gov.in) के अनुसार वित्तीय औचित्य का एक मौलिक नियम यह है कि कोई भी प्राधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे स्वयं व्यक्तिगत वित्तीय लाभ प्राप्त होता हो (No authority should exercise its powers of sanctioning expenditure to pass an order which will be directly or indirectly to its own advantage)।

• अतः विकल्प (C) पूर्णतः असत्य है।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. रेल सेवक (आचरण) नियम, 1966 के नियम 18 के अंतर्गत किसी रेल कर्मचारी द्वारा अचल संपत्ति (Immovable Property) के लेन-देन (क्रय या विक्रय) के संबंध में क्या वैधानिक प्रावधान है?

(A) अचल संपत्ति खरीदने से पूर्व केवल मौखिक सूचना देना पर्याप्त है।

(B) अचल संपत्ति के अर्जन या निपटान से पूर्व सक्षम प्राधिकारी को पूर्व सूचना (Prior Intimation) देना अनिवार्य है, और यदि लेन-देन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिससे कर्मचारी का आधिकारिक संबंध (Official Dealings) है, तो पूर्व अनुमति (Prior Sanction) अनिवार्य है।

(C) केवल सेवानिवृत्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण देना होता है।

(D) अचल संपत्ति के लेन-देन पर आचरण नियम लागू नहीं होते।

सही उत्तर: (B) अचल संपत्ति के अर्जन या निपटान से पूर्व सक्षम प्राधिकारी को पूर्व सूचना (Prior Intimation) देना अनिवार्य है, और यदि लेन-देन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिससे कर्मचारी का आधिकारिक संबंध (Official Dealings) है, तो पूर्व अनुमति (Prior Sanction) अनिवार्य है।

विस्तृत व्याख्या:

• रेल सेवक (आचरण) नियम, 1966 के नियम 18(2) (indianrailways.gov.in एवं dopt.gov.in) के अनुसार कोई भी रेल सेवक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना अपने नाम से या परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बंधक, क्रय, विक्रय या उपहार द्वारा कोई अचल संपत्ति अर्जित या हस्तांतरित नहीं करेगा।

• यदि ऐसा व्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जा रहा है जिसके साथ कर्मचारी का शासकीय व्यवहार (Official Dealings) है, तो केवल सूचना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सक्षम प्राधिकारी की 'पूर्व स्वीकृति' (Prior Sanction) लेना अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. रेल सेवक (पास) नियम, 1986 के अंतर्गत राजपत्रित एवं अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाले 'मानार्थ पास' (Post-Retirement Complimentary Pass - PRCP) के लिए सामान्यतः न्यूनतम कितनी अर्हक रेलवे सेवा (Qualifying Railway Service) आवश्यक है?

(A) 10 वर्ष

(B) 15 वर्ष

(C) 20 वर्ष

(D) 25 वर्ष

सही उत्तर: (C) 20 वर्ष

विस्तृत व्याख्या:

• रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (indianrailways.gov.in) के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात मानार्थ पास (PRCP) की पात्रता के लिए रेल कर्मचारी की न्यूनतम 20 वर्ष की अर्हक सेवा होना आवश्यक है।

• स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) एवं अधिवर्षिता (Superannuation) दोनों ही मामलों में 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर संबंधित श्रेणी के अनुसार प्रतिवर्ष निर्धारित सेट मानार्थ पास प्रदान किए जाते हैं।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 20 के अंतर्गत अनुशासनिक प्राधिकारी के दंड आदेश के विरुद्ध अपील (Appeal) प्रस्तुत करने की सामान्य समय-सीमा आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से कितने दिन निर्धारित है?

(A) 30 दिन

(B) 45 दिन

(C) 60 दिन

(D) 90 दिन

सही उत्तर: (B) 45 दिन

विस्तृत व्याख्या:

• रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 20 (indianrailways.gov.in) के अनुसार किसी भी दंड आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की वैधानिक समय-सीमा उस तिथि से 45 दिन है जिस दिन कर्मचारी को अपील किए जाने वाले आदेश की प्रति प्राप्त होती है।

• तथापि, यदि अपीलार्थी विलंब का पर्याप्त और संतोषजनक कारण दर्शाता है, तो अपीलीय प्राधिकारी 45 दिन के पश्चात भी अपील को विचारार्थ स्वीकार कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017 के नियम 170 और नियम 171 के अंतर्गत निविदा प्रक्रिया में 'बोली सुरक्षा' (Bid Security / Earnest Money Deposit - EMD) तथा 'निष्पादन सुरक्षा' (Performance Security) की मानक प्रतिशत सीमा क्या निर्धारित की गई है?

(A) बोली सुरक्षा: 2% से 5%; निष्पादन सुरक्षा: अनुबंध मूल्य का 3% से 10% (अद्यतन दिशा-निर्देशों के अधीन)

(B) बोली सुरक्षा: 10% से 15%; निष्पादन सुरक्षा: 20% से 25%

(C) बोली सुरक्षा: 0.5%; निष्पादन सुरक्षा: 1%

(D) बोली सुरक्षा और निष्पादन सुरक्षा दोनों 15% स्थिर हैं

सही उत्तर: (A) बोली सुरक्षा: 2% से 5%; निष्पादन सुरक्षा: अनुबंध मूल्य का 3% से 10% (अद्यतन दिशा-निर्देशों के अधीन)

विस्तृत व्याख्या:

• GFR 2017 के नियम 170 के अनुसार बोलीदाताओं से प्राप्त की जाने वाली बोली सुरक्षा (EMD) सामान्यतः प्राक्कलित क्रय मूल्य के 2% से 5% के मध्य होती है (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों - MSEs और स्टार्टअप्स को इससे छूट प्राप्त है)।

• नियम 171 के अनुसार सफल बोलीदाता से अनुबंध के समुचित निष्पादन की गारंटी के रूप में अनुबंध मूल्य के 3% से 10% (व्यय विभाग के अद्यतन परिपत्रों के अनुसार 3% से 5% या अधिकतम 10%) के बराबर निष्पादन सुरक्षा (Performance Security) ली जाती है (dopt.gov.in)।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 की किस धारा में यह प्रावधान है कि बल का प्रत्येक सदस्य सदैव ड्यूटी पर माना जाएगा और उसे भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है?

(A) धारा 10

(B) धारा 11

(C) धारा 15

(D) धारा 17

सही उत्तर: (C) धारा 15

विस्तृत व्याख्या: रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 की धारा 15 (Officers and members of the Force to be considered always on duty and liable to be employed in any part of the Railways) (indianrailways.gov.in) स्पष्ट रूप से उपबंधित करती है कि बल का प्रत्येक अधिकारी और सदस्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सदैव ड्यूटी पर माना जाएगा और भारतीय रेल के किसी भी हिस्से में या किसी भी संबंधित स्थान पर सेवा करने के लिए बाध्य होगा।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 एवं भारतीय रेल स्थापना संहिता (IREC खंड-I) में उदारिकृत छुट्टी नियमों के अंतर्गत एक नियमित रेल कर्मचारी के खाते में 'अर्जित छुट्टी' (Earned Leave / Leave on Average Pay - LAP) किस दर से और अधिकतम कितनी सीमा तक संचित (Accumulate) हो सकती है?

(A) प्रत्येक छमाही में 10 दिन; अधिकतम 180 दिन

(B) प्रत्येक छमाही (1 जनवरी व 1 जुलाई) में 15 दिन अग्रिम; अधिकतम 300 दिन (+15 दिन पृथक खाता)

(C) प्रत्येक वर्ष में 20 दिन; अधिकतम 240 दिन

(D) प्रत्येक माह 2 दिन; अधिकतम 360 दिन

सही उत्तर: (B) प्रत्येक छमाही (1 जनवरी व 1 जुलाई) में 15 दिन अग्रिम; अधिकतम 300 दिन (+15 दिन पृथक खाता)

विस्तृत व्याख्या:

- रेलवे स्थापना संहिता (IREC) एवं कार्मिक विभाग के छुट्टी नियमों (indianrailways.gov.in, dopt.gov.in) के अनुसार प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की दो छमाहियों (1 जनवरी और 1 जुलाई) के प्रारंभ में कर्मचारी के छुट्टी खाते में 15-15 दिन (कुल 30 दिन प्रतिवर्ष) औसत वेतन छुट्टी (LAP/EL) अग्रिम रूप से जमा की जाती है।
- इसके संचयन की अधिकतम सीमा 300 दिन है, तथा छमाही में जमा होने वाले 15 दिनों को उस छमाही में उपभोग हेतु 300+15 के रूप में अलग रखा जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. यदि किसी रेल कर्मचारी को दिनांक 10 मार्च को सुबह 10:00 बजे किसी आपराधिक मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और वह 12 मार्च को शाम 4:00 बजे तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के तहत उसकी स्थिति क्या होगी?

(A) उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक न्यायालय अंतिम निर्णय न दे

(B) वह नियम 5(2) के तहत 10 मार्च से 'मानित निलंबन' (Deemed Suspension) के अधीन माना जाएगा क्योंकि हिरासत की अवधि 48 घंटे से अधिक हो गई है

(C) उसे स्वतः सेवा से बर्खास्त मान लिया जाएगा

(D) उसे केवल 12 मार्च से निलंबित माना जाएगा

सही उत्तर: (B) वह नियम 5(2) के तहत 10 मार्च से 'मानित निलंबन' (Deemed Suspension) के अधीन माना जाएगा क्योंकि हिरासत की अवधि 48 घंटे से अधिक हो गई है

विस्तृत व्याख्या: रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 5(2)(a) (indianrailways.gov.in) के अनुसार यदि कोई रेल सेवक किसी आपराधिक आरोप या अन्यथा 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा (हिरासत) में निरुद्ध रखा जाता है, तो उसे निरोध (हिरासत) के प्रारंभ की तिथि (अर्थात 10 मार्च) से ही अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबित किया गया माना जाएगा (Deemed to have been placed under suspension), और इसके लिए मानक प्रपत्र-2 (SF-2) जारी किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) की धारा 7(1) के अंतर्गत, यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के 'जीवन या स्वतंत्रता' (Life or Liberty) से संबंधित है, तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) को कितने समय के भीतर सूचना उपलब्ध करानी होती है?

(A) 30 दिन के भीतर

(B) 15 दिन के भीतर

(C) 48 घंटे के भीतर

(D) 7 दिन के भीतर

सही उत्तर: (C) 48 घंटे के भीतर

विस्तृत व्याख्या: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (dopt.gov.in) द्वारा प्रशासित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अनुसार सामान्य मामलों में सूचना देने की समय-सीमा आवेदन प्राप्ति से 30 दिन है (सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से आने पर 35 दिन), किंतु इसके परंतुक में स्पष्ट उल्लेख है कि जहाँ मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता (Life or Liberty of a person) से संबंधित है, वहाँ वह जानकारी अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर प्रदान की जाएगी।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित 1987, 2007 एवं 2011) के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों को पत्राचार के उद्देश्य से क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग' में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 'ख' क्षेत्र (Region B) के अंतर्गत आता है?

(A) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश

(B) गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब

(C) तमिलनाडु और केरल

(D) बिहार और राजस्थान

सही उत्तर: (B) गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब

विस्तृत व्याख्या:

- राजभाषा नियम, 1976 के नियम 2(च), 2(छ) और 2(ज) के अनुसार (indianrailways.gov.in, dopt.gov.in): क्षेत्र 'क' में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।
- क्षेत्र 'ख' में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा चंडीगढ़, दमन-दीव और दादरा-नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं।
- शेष सभी राज्य (जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य आदि) क्षेत्र 'ग' में आते हैं।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 16. रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 25 के तहत 'पुनरीक्षण' (Revision) की शक्तियों का प्रयोग करते समय, यदि कोई पुनरीक्षण प्राधिकारी कर्मचारी को दिए गए दंड को बढ़ाने (Enhance the penalty) का प्रस्ताव करता है, तो समय-सीमा के संबंध में क्या नियम है?

(A) दंड बढ़ाने की कोई समय-सीमा नहीं है

(B) मूल आदेश की तिथि से अधिकतम 6 माह के भीतर (रेलवे बोर्ड और राष्ट्रपति को छोड़कर) कार्यवाही प्रारंभ करनी होती है

(C) मूल आदेश की तिथि से 5 वर्ष के भीतर

(D) केवल 15 दिन के भीतर

सही उत्तर: (B) मूल आदेश की तिथि से अधिकतम 6 माह के भीतर (रेलवे बोर्ड और राष्ट्रपति को छोड़कर) कार्यवाही प्रारंभ करनी होती है

विस्तृत व्याख्या:

- नियम 25(5) (indianrailways.gov.in) के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी या महाप्रबंधक स्तर के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दंड में वृद्धि (Enhancement of Penalty) के लिए पुनरीक्षण की कोई भी कार्यवाही पुनरीक्षित किए जाने वाले आदेश की तिथि से 6 माह के पश्चात और दंड कम करने (Reduction/Cancellation) की कार्यवाही 1 वर्ष के पश्चात प्रारंभ नहीं की जाएगी।
- तथापि, यह समय-सीमा राष्ट्रपति या रेलवे बोर्ड द्वारा स्वयं प्रयोग की जाने वाली पुनरीक्षण शक्तियों पर लागू नहीं होती।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 17. संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना (MACPS - Modified Assured Career Progression Scheme) के अंतर्गत केंद्रीय एवं रेल कर्मचारियों को नियमित पदोन्नति न मिलने की स्थिति में सेवाकाल में वित्तीय उन्नयन (Financial Upgradation) किन सेवा अंतरालों पर प्रदान किया जाता है, और जुलाई 2016 के संशोधन के बाद इसके लिए आवश्यक APAR बेंचमार्क क्या है?

(A) 12, 24 और 36 वर्ष; बेंचमार्क 'अच्छा' (Good)

(B) 10, 20 और 30 वर्ष; बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' (Very Good)

(C) 8, 16 और 24 वर्ष; बेंचमार्क 'उत्कृष्ट' (Outstanding)

(D) 10, 20 और 30 वर्ष; बेंचमार्क 'औसत' (Average)

सही उत्तर: (B) 10, 20 और 30 वर्ष; बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' (Very Good)

विस्तृत व्याख्या:

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (dopt.gov.in) एवं रेलवे बोर्ड (indianrailways.gov.in) द्वारा लागू MACP योजना के तहत क्रमशः 10, 20 और 30 वर्ष की निरंतर नियमित सेवा पूर्ण करने पर तीन वित्तीय उन्नयन दिए जाते हैं।
- सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के पश्चात (25 जुलाई 2016 से प्रभावी) सभी ग्रेडों में MACP के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) का न्यूनतम बेंचमार्क 'अच्छा' (Good) से बढ़ाकर 'बहुत अच्छा' (Very Good) कर दिया गया है।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 18. सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017 के नियम 230 से 238 के अंतर्गत सरकारी विभागों या स्वायत्त निकायों को दिए गए 'सहायता अनुदान' (Grants-in-Aid) के संबंध में किस मानक प्रपत्र में 'उपयोगिता प्रमाण-पत्र' (Utilization Certificate - UC) प्रस्तुत करना अनिवार्य है?

(A) GFR 12-A (या संबंधित अनुदान हेतु GFR 12-C)

(B) GFR 30

(C) GFR 45

(D) GFR 99

सही उत्तर: (A) GFR 12-A (या संबंधित अनुदान हेतु GFR 12-C)

विस्तृत व्याख्या:

- GFR 2017 के नियम 238 और 239 (dopt.gov.in) के अनुसार स्वायत्त निकायों या संस्थाओं को स्वीकृत सहायता अनुदान (Grants-in-Aid) के समुचित व्यय की पुष्टि हेतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के भीतर प्रपत्र GFR 12-A (तथा राज्य सरकारों/केंद्रीय योजनाओं के मामले में GFR 12-C) में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- इसके अभाव में आगामी किस्तें रोक दी जाती हैं।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 19. रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 के नियम 148 और 153 के अंतर्गत बल के अधीनस्थ अधिकारियों एवं नामांकित सदस्यों (Enrolled Members) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

(A) नियम 148 में केवल पुरस्कारों का उल्लेख है और नियम 153 में स्थानांतरण का।

(B) नियम 148 में बल के सदस्यों पर अधिरोपित किए जा सकने वाले दंडों (दीर्घ एवं लघु दंड) का वर्गीकरण है, जबकि नियम 153 में दीर्घ दंड अधिरोपित करने की विस्तृत जांच प्रक्रिया का विधान है।

(C) RPF के सदस्यों पर केवल रेल सेवक नियम 1968 लागू होते हैं, RPF नियम 1987 नहीं।

(D) नियम 153 के तहत बिना आरोप-पत्र दिए बर्खास्त किया जा सकता है।

सही उत्तर: (B) नियम 148 में बल के सदस्यों पर अधिरोपित किए जा सकने वाले दंडों (दीर्घ एवं लघु दंड) का वर्गीकरण है, जबकि नियम 153 में दीर्घ दंड अधिरोपित करने की विस्तृत जांच प्रक्रिया का विधान है।

विस्तृत व्याख्या:

- रेलवे सुरक्षा बल एक सशस्त्र संघ बल है, जिसके नामांकित सदस्यों पर RPF नियम, 1987 के अध्याय XI और XII लागू होते हैं (**indianrailways.gov.in**)।
- नियम 148 में दीर्घ दंड (Dismissal, Removal, Compulsory Retirement, Reduction in rank/grade) और लघु दंडों का वर्णन है।
- नियम 153 में दीर्घ दंड देने से पूर्व अपनाई जाने वाली विस्तृत औपचारिक विभागीय जांच प्रक्रिया है, जबकि नियम 158 में लघु दंड की प्रक्रिया और नियम 161 में विशेष परिस्थितियों में बिना जांच दंड देने की प्रक्रिया है।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 20. जब किसी रेल कर्मचारी को निलंबन (Suspension) के अधीन रखा जाता है, तो भारतीय रेल स्थापना संहिता (IREC खंड-II) के नियम 1342 (FR 53 के समतुल्य) के अनुसार निलंबन के प्रथम 3 माह के दौरान और 3 माह के पश्चात उसके निर्वाह भत्ते (Subsistence Allowance) के संबंध में क्या प्रावधान है?

(A) प्रथम 3 माह में अर्ध-वेतन छुट्टी के वेतन के बराबर (लगभग 50% वेतन + अनुपातिक महंगाई भत्ता); 3 माह बाद समीक्षा होने पर कर्मचारी की गलती न होने की स्थिति में इसमें 50% तक की वृद्धि (अर्थात कुल 75% तक) या कर्मचारी के कारण विलंब होने पर 50% तक की कटौती की जा सकती है।

(B) निलंबन के पहले दिन से ही पूरे वेतन का 90% दिया जाता है।

(C) निलंबन की पूरी अवधि में केवल ₹10,000 निश्चित राशि मिलती है और महंगाई भत्ता देय नहीं होता।

(D) 3 माह बाद निर्वाह भत्ता स्वतः समाप्त हो जाता है।

सही उत्तर: (A) प्रथम 3 माह में अर्ध-वेतन छुट्टी के वेतन के बराबर (लगभग 50% वेतन + अनुपातिक महंगाई भत्ता); 3 माह बाद समीक्षा होने पर कर्मचारी की गलती न होने की स्थिति में इसमें 50% तक की वृद्धि (अर्थात कुल 75% तक) या कर्मचारी के कारण विलंब होने पर 50% तक की कटौती की जा सकती है।

विस्तृत व्याख्या:

- भारतीय रेल स्थापना संहिता (IREC खंड-II) के नियम 1342 तथा मौलिक नियम 53 (FR 53) (**indianrailways.gov.in**, **dopt.gov.in**) के अनुसार निलंबित कर्मचारी को प्रारंभ में अर्ध-औसत वेतन छुट्टी (LHAP) के वेतन के बराबर (मूल वेतन का 50%) निर्वाह भत्ता और उस पर देय महंगाई भत्ता मिलता है।
- निलंबन के 3 माह पूरे होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जाती है: यदि निलंबन की अवधि कर्मचारी के असहयोग से इतर कारणों से बढ़ी है तो भत्ते को प्रारंभिक राशि के 50% तक बढ़ाया जा सकता है (अर्थात मूल वेतन का 75% तक), और यदि विलंब सीधे तौर पर कर्मचारी के कारण है तो प्रारंभिक भत्ते को 50% तक घटाया (अर्थात मूल वेतन का 25% तक) जा सकता है।

(GDCE/LDCE, RPF Rule *70/72*, DAR *1968*, HOER, Pass, Leave, CCS Rules, GFR *2017*, *राजभाषा व RTI*)

भाग (क): 5 उन्नत गहन अध्ययन मॉड्यूल एवं व्यावहारिक विभागीय केस स्टडीज

मॉड्यूल 1: रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 (DAR 1968) एवं संवैधानिक संरक्षण (अनुच्छेद 311)

1. संवैधानिक आधार एवं नियम संरचना

• **संविधान का अनुच्छेद 309:** संसद एवं राज्य विधानमंडलों को संघ या राज्य की सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति द्वारा इसी अनुच्छेद के अंतर्गत **रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 (Railway Servants Discipline & Appeal Rules, 1968)** बनाए गए, जो **1 अक्टूबर 1968** से लागू हुए।

• **अनुच्छेद 310 (Doctrine of Pleasure / प्रसाद का सिद्धांत):** प्रत्येक सिविल सेवक राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, किंतु यह शक्ति अनुच्छेद 311 के अधीन सीमित है।

• **अनुच्छेद 311(1):** किसी भी रेल/सिविल सेवक को उसकी **नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी (Appointing Authority)** के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत (Dismiss) या पद से हटाया (Remove) नहीं जाएगा।

• **अनुच्छेद 311(2):** किसी भी कर्मचारी को बिना उचित जांच (Inquiry) और सुनवाई के युक्तियुक्त अवसर (Reasonable Opportunity of Being Heard — प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत / *Audi Alteram Partem*) के बिना बर्खास्त (Dismiss), सेवा से मुक्त (Remove) या रैंक में अवनत (Reduce in Rank) नहीं किया जाएगा।

• **अनुच्छेद 311(2) के तीन संवैधानिक अपवाद (DAR Rule 14 के समकक्ष):**

1. **नियम 14(i):** जब किसी कर्मचारी को आपराधिक आरोप में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध (Conviction on Criminal Charge) ठहराया गया हो।

2. **नियम 14(ii):** जब अनुशासनिक प्राधिकारी संतुष्ट हो (लिखित कारणों को दर्ज करते हुए) कि जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है (Not reasonably practicable to hold inquiry)।

3. **नियम 14(iii):** जब राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि राज्य की सुरक्षा (Security of the State) के हित में जांच करना समीचीन नहीं है।

2. निलंबन (Suspension — DAR Rule 5) एवं मानक प्रपत्र (Standard Forms SF-1 से SF-11C)

• **निलंबन की प्रकृति:** निलंबन कोई दंड (Penalty) **नहीं** है; यह केवल एक प्रशासनिक कदम है ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।

• **डीम्ड सस्पेंशन (Deemed Suspension — Rule 5(2)):** यदि कोई रेल कर्मचारी **(क)** पुलिस/न्यायिक हिरासत में **48 घंटे से अधिक** समय तक रहता है, या **(ख)** किसी अपराध में दोषसिद्ध होकर **48 घंटे से अधिक** कारावास की सजा पाता है, तो उसे हिरासत/दोषसिद्धि की तिथि से स्वतः निलंबित (Deemed Suspended) माना जाता है और इसके लिए **SF-2** जारी किया जाता है।

• **निलंबन की समीक्षा (Suspension Review):** निलंबन आदेश जारी होने की तिथि से **90 दिनों के भीतर** समीक्षा समिति (Review Committee) द्वारा इसकी समीक्षा अनिवार्य है, अन्यथा 90 दिन बाद निलंबन वैध नहीं रहता (जब तक कि इसे 90 दिन पूरे होने से पहले एक बार में अधिकतम 180 दिनों के लिए न बढ़ाया जाए)।

• **निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance — IREC Rule 1342 / FR 53):**

• प्रथम 3 माह (90 दिन) तक: अंतिम आहरित मूल वेतन का **50%** + उस पर देय महंगाई भत्ता (DA)।

• 3 माह के बाद समीक्षा पर: यदि देरी कर्मचारी के कारण नहीं है, तो इसे **50% से बढ़ाकर 75% तक** (अधिकतम 50% की वृद्धि, अर्थात मूल भत्ते का डेढ़ गुना) किया जा सकता है; यदि देरी कर्मचारी के कारण है, तो इसे **50% से घटाकर 25% तक** (अधिकतम 50% की कटौती) किया जा सकता है।

• **अनिवार्य कटौतियां:** आयकर, मकान किराया (House Rent), बिजली-पानी शुल्क, CGHS/RELHS अंशदान।

• **निषिद्ध कटौतियां (Prohibited Deductions):** PF अंशदान, न्यायालय की कुर्की (Court Attachment), सहकारी समिति का ऋण।

3. लघु दंड (Minor Penalties — Rule 6(i) से (iv)) बनाम दीर्घ दंड (Major Penalties — Rule 6(v) से (ix))

• लघु दंड (SF-11, Rule 11 प्रक्रिया):

1. परिनिंदा (Censure)।

2. निर्धारित समय के लिए पदोन्नति रोकना (Withholding of Promotion)।

3. कर्मचारी की लापरवाही से रेलवे को हुई आर्थिक हानि की वेतन से वसूली (Recovery from Pay)।

4. पास या PTO या दोनों की सुविधा रोकना (Withholding of Privilege Passes or PTOs)।

5. समय-वेतनमान (Time-scale of Pay) में **अधिकतम 3 वर्ष** के लिए एक चरण नीचे करना — **बिना संचयी प्रभाव के (Without cumulative effect)** और पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना [Rule 6(iii-a)]।

6. वेतन वृद्धि रोकना (Withholding of Increments — WIT) — संचयी या असंचयी प्रभाव से (किंतु यदि बिना जांच के अधिकतम सीमा से अधिक हो तो जांच आवश्यक)।

• दीर्घ दंड (SF-5, Rule 9 प्रक्रिया):

1. समय-वेतनमान में **3 वर्ष से अधिक** के लिए या **संचयी प्रभाव के साथ (With cumulative effect)** निचले स्तर पर अवनत करना [Rule 6(v)]।

2. निचले समय-वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा में अवनत करना (Reduction to lower time-scale of pay, grade, post or service) [Rule 6(vi)]।

3. अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement — पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभ मिलते हैं) [Rule 6(vii)]।

4. सेवा से हटाना (Removal from Service — पेंशन जब्त, किंतु भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य **नहीं**) [Rule 6(viii)]।

5. सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal from Service — पेंशन जब्त एवं भविष्य में किसी भी सरकारी रोजगार के लिए पूर्णतः **अयोग्य**) [Rule 6(ix)]।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
यदि किसी रेल कर्मचारी पर लघु दंड का आरोप-पत्र (**SF-11**) जारी किया गया हो, किंतु अनुशासनिक प्राधिकारी उसकी **वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव (With Cumulative Effect) से रोकना** चाहता हो, या **3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अवनत/वेतन वृद्धि रोकना** चाहता हो, या जिससे उसकी **पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव** पड़ता हो [Rule 11(1)(b)], तो **SF-11 के अंतर्गत भी Rule 9 की भांति पूर्ण मौखिक जांच (Regular Oral Inquiry) कराना कानूनन अनिवार्य** है! इसके लिए **SF-11(b)** जारी किया जाता है।

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):
विभागीय परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि "चेतावनी (*Warning*), सरकारी नाराजगी (*Govt. Displeasure*) या काउंसलिंग (*Counselling*) किस प्रकार का दंड है?" ध्यान रखें—ये **DAR Rule 6 के अंतर्गत कोई दंड (Penalty) नहीं हैं**, बल्कि केवल सुधारात्मक प्रशासनिक कार्यवाही हैं। DAR में सबसे छोटा वैधानिक दंड **'परिनिंदा (Censure)'** है। इसी प्रकार, अपीलीय समय-सीमा (Rule 18-20) आदेश प्राप्ति की तिथि से **45 दिन** है, न कि 30 या 60 दिन।

★ निमोनिक ट्रिक (Mnemonic Trick — SF Forms 1 से 11 याद करने का सूत्र):
"S-D-C-R-M-R-I-P-D-C-M" (1 से 11 क्रमशः):
• **SF-1: S**uspension (प्रत्यक्ष निलंबन आदेश)
• **SF-2: D**eemed Suspension (48 घंटे से अधिक हिरासत पर मानित निलंबन)
• **SF-3: C**ertificate of Non-Employment (बेरोजगारी प्रमाण-पत्र — निर्वाह भत्ता लेने हेतु कर्मचारी द्वारा)
• **SF-4: R**evocation of Suspension (निलंबन वापसी आदेश)
• **SF-5: M**ajor Penalty Charge Sheet (दीर्घ दंड आरोप-पत्र — Rule 9)
• **SF-6: R**efusal of Additional Documents (अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग अस्वीकार करना)
• **SF-7: I**nquiry Officer Appointment (जांच अधिकारी की नियुक्ति)
• **SF-8: P**resenting Officer Appointment (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति)
• **SF-9:** (निरसित / *Deleted* — पूर्व में गवाह बुलाने हेतु)
• **SF-10: C**ommon Proceedings (संयुक्त कार्यवाही — 2 या अधिक कर्मचारियों पर एक साथ जांच, Rule 13; **SF-10A** संयुक्त जांच में IO नियुक्ति, **SF-10B** PO नियुक्ति)
• **SF-11: M**inor Penalty Charge Sheet (लघु दंड आरोप-पत्र — Rule 11)

व्यावहारिक विभागीय केस स्टडी 1 (DAR 1968 एवं निलंबन/निर्वाह भत्ता गणना):

• **प्रकरण:** सीनियर सेक्शन इंजीनियर (SSE) रमेश कुमार (मूल वेतन ₹56,100, DA 50%) को 10 जनवरी 2026 को एक पुलिस मामले में गिरफ्तार किया गया और वे 13 जनवरी 2026 की शाम 6:00 बजे जमानत पर रिहा हुए (कुल हिरासत 78 घंटे)। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की सूचना प्रशासन को नहीं दी। 25 जनवरी 2026 को वरिष्ठ मंडल अभियंता (Sr. DEN) को पुलिस रिपोर्ट से इसकी जानकारी मिली।

• **विश्लेषण एवं समाधान:**

1. **कौन-सा प्रपत्र और किस तिथि से लागू होगा?** चूंकि हिरासत 48 घंटे से अधिक (78 घंटे) रही, इसलिए **DAR नियम 5(2)** के तहत **SF-2 (Deemed Suspension)** जारी किया जाएगा। यद्यपि आदेश 25 जनवरी 2026 को जारी हो रहा है, फिर भी निलंबन **10 जनवरी 2026 (गिरफ्तारी की तिथि)** से ही प्रभावी माना जाएगा।

2. **गिरफ्तारी की सूचना न देने का परिणाम:** रेल सेवा आचरण नियम के तहत गिरफ्तारी की सूचना छिपाना कदाचार है। प्रशासन **IREC Rule 1342(2)** के अंतर्गत जब तक कर्मचारी ने गिरफ्तारी की सूचना छिपाई रखी, उस अवधि का निर्वाह भत्ता रोक सकता है।

3. **प्रथम 90 दिनों के लिए मासिक निर्वाह भत्ते की गणना:**

• मूल वेतन = ₹56,100

• निर्वाह भत्ता (मूल वेतन का 50%) = 56,100 × 50\% = ₹28,050

• महंगाई भत्ता (निर्वाह भत्ते पर 50% DA) = 28,050 × 50\% = ₹14,025

• **कुल मासिक देय निर्वाह भत्ता (कटौती पूर्व)** = ₹28,050 + ₹14,025 = ₹42,075 (बशर्ते कर्मचारी **SF-3** पर किसी अन्य रोजगार में न होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे)।

मॉड्यूल 2: RPF *नियम 1987 (*Rule *70 &* Rule *72),* RPF *अधिनियम 1957 एवं* RPUP *अधिनियम 1966*

1. RPF अधिनियम, 1957 (संशोधित 1985 एवं 2003) के मुख्य प्रावधान

• **संघ का सशस्त्र बल (Armed Force of the Union):** **1985 के संशोधन (अधिनियम संख्या 60/1985)** द्वारा RPF को **20 सितंबर 1985** से 'संघ का सशस्त्र बल' घोषित किया गया।

• **वर्ष 2003 का संशोधन:** इसके द्वारा RPF के कर्तव्यों (धारा 11) और गिरफ्तारी शक्तियों (धारा 12) में **'यात्री क्षेत्र और यात्रियों की सुरक्षा (Passenger Area and Passenger Security)'** को औपचारिक रूप से जोड़ा गया।

• **महत्वपूर्ण धाराएं:**

• **धारा 3:** बल का गठन (Constitution of the Force)।

• **धारा 4:** महानिदेशक (DG) एवं अन्य पर्यवेक्षी अधिकारियों की नियुक्ति।

• **धारा 8:** बल के सदस्यों को नियुक्ति पर प्रमाण-पत्र (Certificate of Appointment) दिया जाना।

• **धारा 10:** RPF के अधिकारी और सदस्य **सदैव ड्यूटी पर (Always on Duty)** माने जाएंगे और भारत में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं।

• **धारा 11:** बल के सदस्यों के कर्तव्य (रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की सुरक्षा)।

• **धारा 12:** बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति (जब कोई व्यक्ति रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो, चोरी कर रहा हो या ड्यूटी में बाधा डाल रहा हो)।

• **धारा 13:** बिना वारंट तलाशी (Search without warrant) की शक्ति — रैंक कम से कम **सहायक उप-निरीक्षक (ASI)** या उससे ऊपर होना आवश्यक।

• **धारा 14:** गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को बिना अनावश्यक देरी के निकटतम पुलिस स्टेशन के हवाले करने की प्रक्रिया।

• **धारा 15A:** बल के सदस्यों के मौलिक अधिकारों (संघ/यूनियन बनाने आदि) पर प्रतिबंध।

• **धारा 17:** कर्तव्य की उपेक्षा, कायरता या कदाचार के लिए दंड।

• **धारा 20:** कर्तव्य पालन में किए गए कार्यों का संरक्षण (Protection of acts of members of the Force) — किसी सदस्य के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही से पूर्व **3 माह का लिखित नोटिस** देना अनिवार्य है और कार्यवाही घटना के **3 माह के भीतर** शुरू होनी चाहिए।

2. RPF नियम, 1987 में विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं (Rule 70 बनाम Rule 72)

• **नियम 70 (Rule 70 — Seniority-cum-Suitability / वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता एवं सामान्य चयन):** यह नियम नियमित विभागीय पदोन्नति (Regular Departmental Promotion) की प्रक्रिया और पात्रता निर्धारित करता है, जहां निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारियों का चयन लिखित परीक्षा एवं सेवा रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है।

• **नियम 72 (Rule 72 — Limited Departmental Competitive Examination / LDCE):**

• यह **त्वरित पदोन्नति (Accelerated Promotion)** के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा है।

• **कोटा:** विभिन्न संवर्गों (जैसे Constable से Head Constable, या Head Constable/ASI से Sub-Inspector) में निर्धारित प्रतिशत (जैसे SI संवर्ग में 25% तक LDCE कोटा) रिक्तियां Rule 72 के अंतर्गत भरी जाती हैं।

• **अधिकतम अवसर (Chances):** एक पात्र उम्मीदवार को एक विशेष रैंक की Rule 72 परीक्षा में बैठने के लिए सामान्यतः **अधिकतम 2 या 3 अवसर** (संशोधित स्थायी आदेशों के अनुसार) और निर्धारित आयु सीमा की शर्त लागू होती है।

• **चयन मापदंड:** लिखित परीक्षा (Written Test / CBT) एवं सेवा रिकॉर्ड (APAR/Service Record) के अंक; इसमें उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम अर्हक अंक (सामान्य के लिए 60% और SC/ST के लिए 50%) अनिवार्य होते हैं।

3. रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 — RPUP Act, 1966 (संशोधित 2012)

• यह अधिनियम **1 अप्रैल 1968** से पूरे भारत में लागू हुआ।

• **धारा 3 (दंड):** यदि कोई व्यक्ति रेल संपत्ति के विधिविरुद्ध कब्जे या चोरी का दोषी पाया जाता है:

• **प्रथम अपराध (First Offence):** अधिकतम **5 वर्ष का कारावास** या जुर्माना या दोनों। (विशेष कारणों के बिना **1 वर्ष से कम कारावास और ₹1,000 से कम जुर्माना** नहीं होगा)।

• **द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध (Second or Subsequent Offence):** अधिकतम **5 वर्ष का कारावास** और जुर्माना (विशेष कारणों के बिना **2 वर्ष से कम कारावास और ₹2,000 से कम जुर्माना** नहीं होगा)।

• **धारा 4:** अपराध का दुष्प्रेरण या षड्यंत्र (Abetment or Conspiracy — 2012 के संशोधन द्वारा षड्यंत्र करने वाले या रेल संपत्ति का दुरुपयोग करने वाले मालिक/कब्जाधारी को भी शामिल किया गया)।

• **धारा 5:** RPUP Act के अंतर्गत अपराध **संज्ञेय नहीं (Not Cognizable)** हैं — अर्थात सामान्य पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के हस्तक्षेप नहीं करती, केवल RPF के प्राधिकृत अधिकारी ही जांच करते हैं।

• **धारा 6:** बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति (किसी भी RPF श्रेष्ठ अधिकारी या सदस्य द्वारा)।

• **धारा 8:** जांच (Inquiry) की प्रक्रिया — RPF अधिकारी के पास CrPC/BNSS के तहत पुलिस थाना प्रभारी जैसी जांच शक्तियां हैं।

• **धारा 8 के अंतर्गत दर्ज बयान की ग्राह्यता:** चूंकि RPF अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 (BSA धारा 23) के अर्थ में **'पुलिस अधिकारी (Police Officer)' नहीं है** (*Balkishan A. Devidayal vs. State of Maharashtra*, 1980), इसलिए RPUP Act की धारा 8 के तहत RPF जांच अधिकारी के समक्ष अभियुक्त द्वारा दिया गया **संस्वीकृति बयान (Confessional Statement) न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य (Admissible in Evidence)** होता है!

• **धारा 10:** तलाशी वारंट (Search Warrant) जारी करने हेतु मजिस्ट्रेट को आवेदन (केवल RPF अधिकारी द्वारा)।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय (*Balkishan A. Devidayal vs. State of Maharashtra, AIR* 1980) के अनुसार RPF का जांच अधिकारी RPUP Act, 1966 के तहत जांच (Inquiry) तो करता है, लेकिन उसे CrPC की धारा 173 (BNSS धारा 193) के तहत 'पुलिस रिपोर्ट (Challan)' पेश करने का अधिकार नहीं है; वह मजिस्ट्रेट के समक्ष **'परिवाद (Complaint)'** दाखिल करता है। इसीलिए वह 'पुलिस अधिकारी' नहीं माना जाता और उसके सामने दी गई स्वीकारोक्ति साक्ष्य में मान्य होती है!

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):
छात्र अक्सर **RPF Act की धारा 13** और **RPUP Act की धारा 10** में भ्रमित हो जाते हैं:
• **RPF Act धारा 13:** बिना वारंट तुरंत तलाशी लेने की शक्ति (जब वारंट लेने का समय न हो और अपराधी के भागने या सबूत नष्ट होने का डर हो — न्यूनतम रैंक **ASI**)।
• **RPUP Act धारा 10:** जब किसी निजी गोदाम/परिसर में चोरी की रेल संपत्ति छिपे होने का संदेह हो, तो मजिस्ट्रेट से **तलाशी वारंट (Search Warrant)** प्राप्त करने की प्रक्रिया।

★ निमोनिक ट्रिक (Mnemonic Trick — RPUP Act की प्रमुख धाराएं 3 से 10):
"3-दंड, 4-षड्यंत्र, 5-असंज्ञेय, 6-गिरफ्तारी, 8-जांच, 9-समन, 10-तलाशी वारंट" -> सूत्र: **"द-ष-अ-गि-नि-जां-स-त"**।

व्यावहारिक विभागीय केस स्टडी 2 (RPF एवं RPUP Act 1966 प्रवर्तन):

• **प्रकरण:** RPF कांस्टेबल सुरेंद्र ड्यूटी के दौरान यार्ड में एक व्यक्ति को रेलवे के तांबे के सिग्नल केबल (कीमत ₹45,000) काटकर बोरे में भरते हुए रंगे हाथों पकड़ता है। पूछताछ में वह व्यक्ति बताता है कि उसने पहले भी ₹2 लाख के रेल पुर्जे पास के एक कबाड़ी के बंद गोदाम में बेचे हैं।

• **विश्लेषण एवं समाधान:**

1. **क्या कांस्टेबल सुरेंद्र उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है?** हां, **RPUP Act की धारा 6** (तथा RPF Act की धारा 12) के अंतर्गत RPF का कोई भी सदस्य (कांस्टेबल सहित) ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है।

2. **आगे की वैधानिक प्रक्रिया क्या होगी?** कांस्टेबल सुरेंद्र **RPUP Act की धारा 7** के तहत गिरफ्तार व्यक्ति और जब्त संपत्ति को तुरंत RPF पोस्ट के प्रभारी अधिकारी (Officer-in-Charge) के समक्ष पेश करेगा, जो **धारा 8** के अंतर्गत मामले की जांच (Inquiry) करेगा।

3. **कबाड़ी के बंद गोदाम की तलाशी कैसे ली जाएगी?** यदि समय है तो RPF अधिकारी **RPUP Act की धारा 10** के तहत मजिस्ट्रेट से तलाशी वारंट प्राप्त करेगा; किंतु यदि सबूत नष्ट होने की तत्काल आशंका है, तो **RPF Act की धारा 13** के तहत न्यूनतम **ASI या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी** कारणों को लिखित में दर्ज करके बिना वारंट भी तलाशी ले सकता है।

मॉड्यूल 3: कार्य के घंटे एवं विश्राम नियम (HOER 2005), रेलवे पास नियम 1986 एवं छुट्टी नियम

1. रेल सेवक (कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि) नियम — HOER 2005

• **रेलवे अधिनियम 1989 का अध्याय XIV (धारा 130 से 136)** एवं **HOER 2005** रेल कर्मचारियों को कार्य की प्रकृति के आधार पर **4 श्रेणियों** में विभाजित करता है:

क्र.	श्रेणी (Classification)	कार्य की प्रकृति	मानक कार्य घंटे (Standard Roster Hours)	अधिकतम वैधानिक सीमा (Statutory Limit / OT शुरू होने की सीमा)	साप्ताहिक विश्राम (Weekly Rest)
1	**गहन (Intensive)**	निरंतर एकाग्रता और भारी मानसिक/शारीरिक श्रम, जहां विश्राम का अवसर अत्यंत कम हो (जैसे व्यस्त केबिन के सेक्शन कंट्रोलर/सिग्नलमैन)	**42 घंटे / सप्ताह**	**45 घंटे / सप्ताह** (2 सप्ताह के औसत पर)	कम से कम **30 लगातार घंटे** प्रति सप्ताह
2	**निरंतर (Continuous)**	सामान्य रेल कर्मचारी जो न Intensive हैं और न EI (जैसे स्टेशन मास्टर, बुकिंग क्लर्क, रनिंग स्टाफ)	**48 घंटे / सप्ताह**	**54 घंटे / सप्ताह** (2 सप्ताह के औसत पर)	कम से कम **30 लगातार घंटे** प्रति सप्ताह
3	**अनिवार्यतः सविराम (Essentially Intermittent — EI)**	दैनिक ड्यूटी में **50% या अधिक समय निष्क्रियता/प्रतीक्षा (Inaction)** की अवधि हो (जैसे कम यातायात वाले गेटमैन, वेटिंग रूम अटेंडेंट, केयरटेकर)	**48 घंटे + 12 घंटे** (कार्यस्थल से 0.5 किमी के भीतर आवास होने पर) या **24 घंटे** (अन्य मामलों में) = **60 या 72 घंटे / सप्ताह**	**75 घंटे / सप्ताह**	कम से कम **24 लगातार घंटे** प्रति सप्ताह (जिसमें एक पूर्ण रात्रि शामिल हो)
4	**अपवर्जित (Excluded — Class IV)**	पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय या गोपनीय स्टाफ, तथा स्वास्थ्य/सैलून अटेंडेंट	कोई निश्चित रोस्टर सीमा नहीं	कोई ओवरटाइम नहीं	चतुर्थ श्रेणी Excluded स्टाफ को प्रत्येक 14 दिनों में **48 लगातार घंटे** या 1 सप्ताह में **24 घंटे** का विश्राम

• **ओवरटाइम भत्ता (Overtime Allowance — OTA):**

• जब कोई कर्मचारी अपने **मानक रोस्टर घंटों (Standard Hours)** से अधिक परंतु **वैधानिक सीमा (Statutory Limit)** तक कार्य करता है (जैसे Continuous में 48 से 54 घंटे के बीच), तो उसे सामान्य वेतन दर के **1.5 गुना (150%)** की दर से ओवरटाइम भत्ता मिलता है।

• जब वह **वैधानिक सीमा से भी अधिक** (जैसे Continuous में 54 घंटे से ऊपर, या Intensive में 45 घंटे से ऊपर, या EI में 75 घंटे से ऊपर) कार्य करता है, तो अतिरिक्त घंटों के लिए सामान्य दर के **2 गुना (200% / Double Rate)** की दर से ओवरटाइम भत्ता देय होता है!

• **रात्रि ड्यूटी (Night Duty):** रात्रि **22:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे** तक की अवधि को रात्रि ड्यूटी माना जाता है। (7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार NDA की पात्रता के लिए मूल वेतन की सीलिंग **₹43,600 प्रति माह** निर्धारित है)।

• **रनिंग स्टाफ का विश्राम (Running Staff Rest):** मुख्यालय (Headquarters) पर: यदि पिछली ड्यूटी 8 घंटे से कम थी तो **12 घंटे**, और 8 घंटे या अधिक थी तो **16 लगातार घंटे** का विश्राम; बाहरी स्टेशन (Outstation) पर: यदि ड्यूटी 8 घंटे या अधिक थी तो **8 घंटे** का विश्राम।

2. रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (Railway Servants Pass Rules, 1986)

• **सुविधा पास एवं PTO (Privilege Pass & PTO):**

• **प्रथम 5 वर्ष की सेवा तक:** सभी श्रेणियों (Group A, B, C, D) के कर्मचारियों को **1 सेट पास** और **4 सेट PTO** प्रति वर्ष? **सावधान!** संशोधित नियमों के अनुसार: **Group A एवं Group B (राजपत्रित अधिकारियों)** को नियुक्ति के प्रथम वर्ष से ही **6 सेट पास** और **4 सेट PTO** प्रति वर्ष मिलते हैं! जबकि **Group C एवं Group D (अराजपत्रित कर्मचारियों)** को **प्रथम 5 वर्ष की सेवा तक 1 सेट पास** तथा **5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद 3 सेट पास** प्रति वर्ष मिलते हैं; और **PTO सभी को प्रथम वर्ष से ही 4 सेट प्रति वर्ष** (मूल किराए के **1/3 भाग** के भुगतान पर) मिलते हैं।

• **पास की वैधता (Validity of Pass/PTO):** जारी होने की तिथि से **5 माह** (एकल और वापसी दोनों प्रकार के पास एवं PTO के लिए)।

• **परिवार एवं आश्रित (Family & Dependents):**

• परिवार के सदस्यों की कोई अधिकतम संख्या सीमा नहीं है, किंतु यदि पास में **आश्रित (Dependent — जैसे विधवा माता, अविवाहित/विधवा बहन, 21 वर्ष से अधिक आयु का आश्रित भाई/पुत्र जो छात्र नहीं है)** शामिल किया गया हो, तो पास में **अधिकतम 2 आश्रित** ही शामिल हो सकते हैं और **कुल सदस्यों की संख्या (परिवार + आश्रित मिलाकर) 5 से अधिक नहीं** हो सकती!

• **आश्रित की आय सीमा:** आश्रित की सभी स्रोतों से कुल मासिक आय **₹9,000 + उस पर देय महंगाई राहत (DR)** या कर्मचारी के वेतन के **15%**, दोनों में से जो अधिक हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।

• **सेवानिवृत्ति उपरांत मानार्थ पास (Post-Retirement Complimentary Pass — PRCP):** न्यूनतम **20 वर्ष की अर्हक रेल सेवा** पूर्ण करने पर देय (Group A/B को 20 वर्ष पर 3 सेट, Group C को 2 सेट, और Group D को 1 सेट प्रति वर्ष; विधवा पास PRCP का आधा होता है, न्यूनतम 1 सेट वैकल्पिक वर्ष या निर्धारित नियमों के अनुसार)।

3. रेल सेवक (उदारतापूर्वक छुट्टी) नियम, 1949 (Railway Leave Rules)

• **औसत वेतन छुट्टी (LAP — Leave on Average Pay):** प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में **1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 दिन** (कुल **30 दिन/वर्ष**, अर्थात 2.5 दिन/माह) अग्रिम रूप से खाते में जमा होते हैं। अधिकतम संचय सीमा: **300 दिन + 15 दिन** (अलग से) और एक बार में अधिकतम **180 दिन** की LAP ली जा सकती है। सेवानिवृत्ति पर अधिकतम **300 दिन** की LAP का नकदीकरण (Leave Encashment) मिलता है; सेवा के दौरान पास/PTO लेते समय एक बार में **10 दिन** (पूरे सेवाकाल में अधिकतम **60 दिन**) की LAP का नकदीकरण (कम से कम 30 दिन शेष रहने की शर्त पर और दो नकदीकरणों के बीच न्यूनतम 2 वर्ष के अंतराल पर) लिया जा सकता है।

• **अर्ध-औसत वेतन छुट्टी (LHAP — Leave on Half Average Pay):** प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को **10-10 दिन** (कुल **20 दिन/वर्ष**) अग्रिम जमा होते हैं। संचय की **कोई अधिकतम सीमा नहीं (Unlimited Accumulation)** है, और एक बार में अधिकतम **24 माह** तक ली जा सकती है।

• **कम्यूटेड लीव (Commuted Leave):** चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर जितनी कम्यूटेड लीव ली जाती है, उसके **दोगुने (Double)** LHAP खाते से कटते हैं। बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के उच्च अध्ययन हेतु पूरे सेवाकाल में अधिकतम **90 दिन (180 LHAP के बदले)** और मातृत्व/शिशु देखभाल के साथ महिला कर्मचारी को **60 दिन** तक कम्यूटेड लीव मिल सकती है।

• **मातृत्व अवकाश (Maternity Leave): 180 दिन** (2 से कम जीवित बच्चों पर); गर्भपात (Miscarriage/Abortion) की स्थिति में पूरे सेवाकाल में अधिकतम **45 दिन**।

• **पितृत्व अवकाश (Paternity Leave):** पुरुष कर्मचारी (2 से कम जीवित बच्चों पर) को बच्चे के जन्म के **15 दिन पहले से लेकर 6 माह के भीतर** तक **15 दिन** का अवकाश।

• **शिशु देखभाल अवकाश (CCL — Child Care Leave):** महिला कर्मचारियों एवं **एकल पुरुष कर्मचारियों (Single Male Parent — विधुर, तलाकशुदा या अविवाहित)** को 18 वर्ष से कम आयु के अधिकतम 2 बड़े बच्चों (दिव्यांग बच्चे के लिए आयु सीमा नहीं) की देखभाल हेतु पूरे सेवाकाल में **730 दिन (2 वर्ष)**। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम **3 स्पेल (एकल माता के लिए 6 स्पेल)**; प्रथम 365 दिनों के लिए **100% वेतन** और अगले 365 दिनों के लिए **80% वेतन** देय होता है!

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
यदि कोई रेल कर्मचारी पिछली छमाही में बिना वेतन छुट्टी (LWP / EOL / Dies-Non) पर रहा हो, तो अगली छमाही में उसके खाते में जमा होने वाली **LAP में LWP अवधि के 1/10 भाग (अधिकतम 15 दिन)** की कटौती की जाती है, और **LHAP में LWP अवधि के 1/18 भाग (अधिकतम 10 दिन)** की कटौती की जाती है!

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):
प्रश्न पूछा जाता है: "क्या पास में परिवार के सदस्यों की संख्या 5 तक सीमित है?" उत्तर है: **नहीं!** यदि पास में **केवल परिवार के सदस्य** (पति/पत्नी, 21 वर्ष से कम के पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, वैध रूप से गोद लिया गया बच्चा) शामिल हैं, तो सदस्यों की संख्या पर **कोई सीमा (No Limit) नहीं** है। **5 सदस्यों की अधिकतम सीमा केवल तभी लागू होती है जब पास में कोई 'आश्रित रिश्तेदार' (Dependent Relative) शामिल किया गया हो!**

★ निमोनिक ट्रिक (Mnemonic Trick — HOER की 4 श्रेणियों के साप्ताहिक मानक घंटे):
"ICE-42-48-60/72" -> **I**ntensive (42 घंटे), **C**ontinuous (48 घंटे), **E**ssentially Intermittent (48+12=60 या 48+24=72 घंटे)।

व्यावहारिक विभागीय केस स्टडी 3 (HOER ओवरटाइम एवं LAP कटौती गणना):

• **प्रकरण (A):** एक स्टेशन मास्टर (Continuous श्रेणी) ने दो सप्ताह के ओवरटाइम ब्लॉक (Averaging Period) में कुल **116 घंटे** कार्य किया। उसकी प्रति घंटा सामान्य वेतन दर ₹400 है। उसका कुल ओवरटाइम भत्ता (OTA) ज्ञात कीजिए।

• **हल:** Continuous श्रेणी के लिए 2 सप्ताह के मानक कार्य घंटे = 48 × 2 = 96 घंटे।

• 2 सप्ताह की वैधानिक सीमा (Statutory Limit) = 54 × 2 = 108 घंटे।

• कुल अतिरिक्त कार्य घंटे = 116 - 96 = 20 घंटे।

• **प्रथम स्लैब (96 से 108 घंटे = 12 घंटे @ 1.5 गुना दर):** 12 × (₹400 × 1.5) = 12 × ₹600 = ₹7,200।

• **द्वितीय स्लैब (108 से 116 घंटे = 8 घंटे @ 2.0 गुना दर):** 8 × (₹400 × 2.0) = 8 × ₹800 = ₹6,400।

• **कुल देय ओवरटाइम भत्ता** = ₹7,200 + ₹6,400 = ₹13,600।

• **प्रकरण (B):** एक कर्मचारी जनवरी से जून की छमाही में कुल **90 दिन बिना वेतन छुट्टी (EOL/LWP)** पर रहा। 1 जुलाई को उसके खाते में कितने दिन की LAP और LHAP जमा होगी?

• **हल:** LAP में कटौती = 90 × (1 / 10) = 9 दिन। अत: 1 जुलाई को जमा होने वाली LAP = 15 - 9 = 6 दिन।

• LHAP में कटौती = 90 × (1 / 18) = 5 दिन। अत: 1 जुलाई को जमा होने वाली LHAP = 10 - 5 = 5 दिन।

मॉड्यूल 4: केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 / रेल सेवा (आचरण) नियम 1966 एवं सामान्य वित्तीय नियम (GFR 2017)

1. रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 / CCS (Conduct) Rules, 1964 के स्वर्णिम नियम

• **नियम 3(1) (सामान्य कर्तव्य):** प्रत्येक रेल/सिविल सेवक सदैव—

• (i) पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखेगा (Maintain absolute integrity);

• (ii) कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा (Maintain devotion to duty); तथा

• (iii) ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो रेल/सरकारी सेवक के पद के अशोभनीय हो (Do nothing which is unbecoming of a Railway/ Government servant)।

• **महत्वपूर्ण विशिष्ट नियम (Rule-by-Rule Mapping):**

• **नियम 3A:** तत्परता और शिष्टाचार (Promptness and Courtesy)।

• **नियम 3B:** सरकारी नीतियों का पालन (Observance of Government policies — विवाह की आयु, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण)।

• **नियम 3C:** कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध (Prohibition of sexual harassment of working women — POSH Act 2013 के अनुरूप; आंतरिक शिकायत समिति ICC में कम से कम 50% महिला सदस्य एवं बाहरी सदस्य का होना अनिवार्य)।

• **नियम 5:** राजनीति और चुनावों में भाग लेने पर पूर्ण प्रतिबंध।

• **नियम 7:** प्रदर्शन और हड़ताल (Demonstration and Strikes) का निषेध।

• **नियम 8:** प्रेस या मीडिया से अनधिकृत संपर्क पर रोक।

• **नियम 9:** सरकार की आलोचना करने पर प्रतिबंध।

• **नियम 13 (उपहार / Gifts):** नजदीकी रिश्तेदारों या व्यक्तिगत मित्रों से धार्मिक/सामाजिक अवसरों (जैसे विवाह, वर्षगांठ, अंतिम संस्कार) पर बिना सरकारी अनुमति के उपहार स्वीकार करने की अधिकतम सीमा (7वें वेतन आयोग के बाद संशोधित):

• **Group A:** अधिकतम **₹25,000**

• **Group B:** अधिकतम **₹15,000**

• **Group C:** अधिकतम **₹7,500**

• (इससे अधिक मूल्य का उपहार मिलने पर सरकार को रिपोर्ट करना अनिवार्य है; और जिन व्यक्तियों से आधिकारिक कामकाज का संबंध हो, उनसे *Group A/B* अधिकतम ₹5,000 तथा *Group C* अधिकतम ₹2,000 तक का ही उपहार विशेष अवसरों पर ले सकते हैं)।

• **नियम 13A:** दहेज (Dowry) लेने या देने पर पूर्ण प्रतिबंध।

• **नियम 15:** निजी व्यापार या रोजगार (Private Trade or Employment) में संलग्न होने पर प्रतिबंध।

• **नियम 18 (चल एवं अचल संपत्ति का लेन-देन — Property Transactions):**

• **अचल संपत्ति (Immovable Property — Rule 18(2)):** किसी भी अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए सक्षम प्राधिकारी को **पूर्व सूचना (Prior Intimation)** देना अनिवार्य है (और यदि लेन-देन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिससे आधिकारिक संबंध हैं, तो **पूर्व अनुमति / Prior Sanction** अनिवार्य है)। सभी Group A, B और C कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष **31 जनवरी** तक अपनी वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी (**AIPR — Annual Immovable Property Return**) दाखिल करना अनिवार्य है।

• **चल संपत्ति (Movable Property — Rule 18(3)):** यदि किसी एक लेन-देन में चल संपत्ति (वाहन, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि) का मूल्य कर्मचारी के **2 माह के मूल वेतन (Two Months' Basic Pay)** से अधिक है, तो लेन-देन के **1 माह के भीतर** सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना देना अनिवार्य है।

• **शेयर एवं प्रतिभूतियां (Shares, Debentures & Mutual Funds — Rule 18(4)):** यदि एक कैलेंडर वर्ष में शेयरों/म्यूचुअल फंड में कुल लेन-देन (Intraday/Speculation पूर्णतः वर्जित है; केवल निवेश अनुमत है) कर्मचारी के **6 माह के मूल वेतन (Six Months' Basic Pay)** से अधिक हो जाता है, तो निर्धारित प्रपत्र में सूचना देना अनिवार्य है।

• **नियम 21:** द्विविवाह (Bigamy) पर प्रतिबंध।

• **नियम 22:** मादक पेय और नशीले पदार्थों का सेवन (ड्यूटी पर आने से **8 घंटे पूर्व** तथा ड्यूटी के दौरान पूर्णतः वर्जित; रनिंग स्टाफ के लिए शून्य सहनशीलता)।

• **नियम 22A: 14 वर्ष से कम आयु** के बच्चों को काम पर रखने पर पूर्ण प्रतिबंध।

2. सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (General Financial Rules — GFR 2017) एवं GeM खरीद नियम

• **GFR नियम 21 (वित्तीय औचित्य के मानक — Standards of Financial Propriety):** प्रत्येक प्राधिकारी सार्वजनिक धन को उतनी ही सतर्कता से खर्च करेगा जितनी सतर्कता से एक सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वयं के धन को खर्च करता है।

• **GFR नियम 136:** किसी प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रमुख कार्यों के निष्पादन की प्रक्रिया।

• **GFR नियम 144:** वस्तुओं (Goods) की परिभाषा।

• **GFR नियम 149 (Government e-Marketplace — GeM पर अनिवार्य खरीद):** जो वस्तुएं या सेवाएं GeM पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उन्हें GeM से खरीदना अनिवार्य है (संशोधित वित्तीय सीमाएं):

1. **₹50,000 तक (पूर्व में ₹25,000):** गुणवत्ता और विनिर्देशों को पूरा करने वाले किसी भी उपलब्ध GeM विक्रेता से **सीधी खरीद (Direct Purchase)**।

2. **₹50,000 से अधिक और ₹10,00,000 (₹10 लाख) तक (पूर्व में ₹5 लाख):** GeM पर कम से कम **3 अलग-अलग मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs)** के उत्पादों की तुलना करने के बाद **न्यूनतम मूल्य वाले आपूर्तिकर्ता (L-1)** से खरीद।

3. **₹10,00,000 (₹10 लाख) से अधिक:** GeM पर **ऑनलाइन बोली (Online Bidding) या रिवर्स ऑक्शन (Reverse Auction — RA)** उपकरण का उपयोग करके अनिवार्य खरीद।

• **GeM के बाहर खरीद की सीमाएं (जब वस्तु GeM पर उपलब्ध न हो):**

• **GFR नियम 154 (बिना कोटेशन खरीद): ₹50,000 तक** (पूर्व में ₹25,000) सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के साथ बिना कोटेशन के सीधी खरीद।

• **GFR नियम 155 (स्थानीय खरीद समिति — Local Purchase Committee / LPC द्वारा खरीद): ₹50,000 से अधिक और ₹5,00,000 (₹5 लाख) तक** (पूर्व में ₹2.5 लाख) 3 सदस्यों की स्थानीय खरीद समिति द्वारा बाजार सर्वेक्षण कर खरीद।

• **GFR नियम 161 (विज्ञापित निविदा पूछताछ — Advertised Tender Enquiry / Open Tender): ₹50 लाख और उससे अधिक** मूल्य की वस्तुओं की खरीद के लिए खुला ई-टेंडर (CPPP/GeM पर प्रकाशन; बोली जमा करने हेतु न्यूनतम **3 सप्ताह** का समय, विदेशी बोलीदाताओं के शामिल होने पर **4 सप्ताह**)।

• **GFR नियम 162 (सीमित निविदा पूछताछ — Limited Tender Enquiry / LTE):** जब अनुमानित मूल्य **₹50 लाख से कम** हो (पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की संख्या **3 से अधिक** होनी चाहिए)।

• **GFR नियम 166 (एकल निविदा पूछताछ — Single Tender Enquiry / STE):** केवल तब जब वस्तु एकमात्र निर्माता (Proprietary Article Certificate — PAC) द्वारा बनाई जाती हो या आपातकालीन स्थिति हो।

• **GFR नियम 170 (बोली सुरक्षा / Earnest Money Deposit — EMD):** निविदा मूल्य का **2% से 5%** तक (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों — MSEs और DPIIT पंजीकृत स्टार्टअप्स को EMD से छूट प्राप्त है)।

• **GFR नियम 171 (निष्पादन सुरक्षा / Performance Security — PBG):** अनुबंध मूल्य का **3% से 10%** तक, जो वारंटी अवधि सहित सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तिथि से **60 दिन बाद तक** वैध रहना चाहिए।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के नवीनतम संशोधनों के अनुसार **GFR Rule 149 (GeM Direct Purchase)** और **GFR Rule 154 (Without Quotation)** की सीमा को ₹25,000 से बढ़ाकर **₹50,000** कर दिया गया है, और **GeM L-1 Comparison** की सीमा को ₹5 लाख से बढ़ाकर **₹10 लाख** कर दिया गया है! साथ ही, जानबूझकर किसी बड़ी खरीद को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना ताकि उच्च प्राधिकारी की मंजूरी या ई-टेंडर से बचा जा सके, **GFR नियम 149(viii) एवं नियम 157 (Splitting of Demand)** के तहत गंभीर वित्तीय कदाचार है।

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):
परीक्षा में पूछा जाता है: "अचल संपत्ति के लेन-देन (*Rule* 18(2)) और चल संपत्ति के लेन-देन (*Rule* 18(3)) में सूचना देने के नियम में क्या अंतर है?"
• **अचल संपत्ति (Immovable Property — जमीन/मकान):** मूल्य चाहे ₹1 ही क्यों न हो, हर खरीद/बिक्री के लिए **पूर्व सूचना (Prior Intimation)** अनिवार्य है।
• **चल संपत्ति (Movable Property — कार, आभूषण आदि):** केवल तभी सूचना देनी होती है जब मूल्य **2 माह के मूल वेतन से अधिक** हो, और यह सूचना लेन-देन के **1 माह के भीतर (बाद में)** दी जाती है (यदि विक्रेता से आधिकारिक संबंध न हो)।

★ निमोनिक ट्रिक (Mnemonic Trick — GFR खरीद नियमों का क्रम 149 से 171):
"149-GeM, 154-बिना कोटेशन (50k), 155-LPC (5L), 161-ओपन टेंडर (50L+), 162-लिमिटेड, 166-सिंगल, 170-EMD (2-5%), 171-PBG (3-10%)"।

व्यावहारिक विभागीय केस स्टडी 4 (आचरण नियम 18 एवं GFR 2017 खरीद निर्णय):

• **प्रकरण:** अनुभाग अधिकारी (Group B) श्री आलोक का मूल वेतन ₹67,700 प्रति माह है। उन्होंने: (1) अपनी बहन की शादी में अपने मामा से ₹20,000 मूल्य की सोने की अंगूठी उपहार में ली; (2) एक अधिकृत शोरूम से ₹1,50,000 की मोटरसाइकिल खरीदी; और (3) अपने कार्यालय के लिए GeM पोर्टल से ₹8,50,000 के 15 कंप्यूटर खरीदने हेतु बिना बोली (Bidding) के सीधे अपनी पसंद के विक्रेता को ऑर्डर दे दिया।

• **विश्लेषण एवं समाधान:**

1. **उपहार (Rule 13):** Group B अधिकारी के लिए रिश्तेदारों से विवाह पर बिना सरकारी अनुमति के उपहार लेने की सीमा **₹15,000** है। चूंकि अंगूठी का मूल्य ₹20,000 है (जो ₹15,000 से अधिक है), अत: श्री आलोक को **नियम 13(2)** के तहत सरकार को इसकी रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

2. **मोटरसाइकिल खरीद (Rule 18(3)):** श्री आलोक का 2 माह का मूल वेतन = ₹67,700 × 2 = ₹1,35,400। चूंकि मोटरसाइकिल का मूल्य (₹1,50,000) 2 माह के मूल वेतन से अधिक है और शोरूम से उनका कोई आधिकारिक संबंध नहीं है, इसलिए उन्हें खरीद के **1 माह के भीतर** सक्षम प्राधिकारी को सूचना देनी होगी।

3. **GeM खरीद (GFR Rule 149):** ₹50,000 से अधिक और ₹10,00,000 तक की खरीद के लिए GeM पर **कम से कम 3 अलग-अलग OEMs की तुलना करके केवल L-1 (न्यूनतम बोलीदाता)** से ही खरीद की जा सकती है। बिना L-1 तुलना के अपनी पसंद के विक्रेता को ₹8.5 लाख का सीधा ऑर्डर देना **GFR नियम 149 का उल्लंघन** है।

मॉड्यूल 5: राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act 2005)

1. राजभाषा के संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान

• **संवैधानिक प्रावधान (भाग XVII — अनुच्छेद 343 से 351):**

• **अनुच्छेद 343(1):** संघ की राजभाषा **हिंदी** और लिपि **देवनागरी** होगी तथा अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। (14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया — **हिंदी दिवस: 14 सितंबर**, जबकि **विश्व हिंदी दिवस: 10 जनवरी**)।

• **अनुच्छेद 344:** राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग (प्रथम आयोग: 7 **जून 1955**, अध्यक्ष: **बी.जी. खेर**) और **संसदीय राजभाषा समिति** का गठन (कुल **30 सदस्य**: **20 लोकसभा** से और **10 राज्यसभा** से; प्रथम अध्यक्ष: **गोविंद बल्लभ पंत**)।

• **अनुच्छेद 350A:** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं।

• **अनुच्छेद 351:** हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश।

• **आठवीं अनुसूची (8th Schedule):** मूल संविधान में **14 भाषाएं** थीं, वर्तमान में **22 भाषाएं** हैं:

• **21वां संशोधन (1967):** सिंधी (15वीं भाषा)।

• **71वां संशोधन (1992):** कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली — ट्रिक: **"नमक"** (16वीं, 17वीं, 18वीं)।

• **92वां संशोधन (2003):** बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली — ट्रिक: **"BDMS"** (19वीं से 22वीं)। (ध्यान दें: अंग्रेजी और राजस्थानी आठवीं अनुसूची में शामिल **नहीं** हैं, जबकि नेपाली शामिल है)।

• **राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967):** कुल **9 धाराएं**।

• **धारा 3(3) (द्विभाषी दस्तावेज — 14 प्रकार के कागजात):** संकल्प (Resolutions), सामान्य आदेश (General Orders), नियम (Rules), अधिसूचनाएं (Notifications), प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन के समक्ष रखे जाने वाले कागजात, संविदाएं (Contracts), करार (Agreements), अनुज्ञप्तियां (Licenses), अनुज्ञापत्र (Permits), निविदा सूचनाएं (Tender Notices) और निविदा प्रपत्र — ये सभी अनिवार्य रूप से **हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं (Bilingual)** में जारी किए जाएंगे, और इनकी जिम्मेदारी **हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी** की होगी।

• **राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित 1987, 2007, 2011):** कुल **12 नियम** (यह नियम **तमिलनाडु राज्य को छोड़कर** संपूर्ण भारत पर लागू होता है)।

• **नियम 2(च) के अंतर्गत क्षेत्रों का वर्गीकरण:**

1. **'क' क्षेत्र (Region A):** बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह (कुल 9 राज्य + 2 केंद्र शासित प्रदेश)।

2. **'ख' क्षेत्र (Region B):** गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा चंडीगढ़, दमन-दीव और दादरा-नगर हवेली (कुल 3 राज्य + 2 केंद्र शासित प्रदेश)।

3. **'ग' क्षेत्र (Region C):** उपर्युक्त 'क' और 'ख' में शामिल न किए गए सभी अन्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश।

• **नियम 5:** हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से **हिंदी में ही** दिए जाएंगे (चाहे वे किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हुए हों)।

• **नियम 10(4):** जिन केंद्रीय कार्यालयों के **80% या अधिक** कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान (Working Knowledge) प्राप्त कर लिया है, उन्हें राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

• **नियम 12:** प्रत्येक केंद्रीय कार्यालय के **प्रशासनिक प्रधान (Administrative Head)** का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और नियमों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करे।

• **राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC):** इसकी बैठक प्रत्येक **3 माह में एक बार (वर्ष में 4 बार)** तथा **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (TOLIC)** की बैठक वर्ष में **2 बार (6 माह में एक बार)** होती है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005 — संशोधित 2019)

• **प्रवर्तन तिथि:** 15 जून 2005 को अधिनियमित और **12 अक्टूबर 2005** से पूर्णतः लागू।

• **आवेदन शुल्क:** ₹10 (गरीबी रेखा से नीचे — **BPL** आवेदकों के लिए कोई शुल्क नहीं)।

• **सूचना देने की समय-सीमा (धारा 7):**

• **सामान्य स्थिति:** जन सूचना अधिकारी (PIO) को आवेदन प्राप्त होने के **30 दिनों के भीतर**।

• **व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता (Life or Liberty) से संबंधित मामला: 48 घंटे के भीतर**।

• **सहायक जन सूचना अधिकारी (APIO) के माध्यम से आवेदन मिलने पर:** 30 दिन में **5 दिन अतिरिक्त** (कुल **35 दिन**)।

• **तृतीय पक्ष (Third Party — धारा 11) की सूचना शामिल होने पर:** अधिकतम **40 दिन**।

• **धारा 8(1) (सूचना प्रकटीकरण से छूट — 10 श्रेणियां):** भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, संसद का विशेषाधिकार भंग, वाणिज्यिक विश्वास/बौद्धिक संपदा, वैश्वासिक संबंध (Fiduciary Relationship), विदेशी सरकार से गोपनीय रूप में प्राप्त सूचना, किसी व्यक्ति के जीवन/शारीरिक सुरक्षा को खतरा, जांच या अभियोजन में बाधा, मंत्रिमंडल के कागजात (निर्णय होने तक), और व्यक्तिगत सूचना (Personal Information — धारा 8(1)(j)) जिसका किसी लोक क्रियाकलाप से संबंध न हो। (परंतु 20 वर्ष से पुरानी अधिकांश घटनाओं की सूचना धारा 8(3) के तहत मांगी जा सकती है)।

• **अपील प्रक्रिया (धारा 19) एवं दंड (धारा 20):**

• **प्रथम अपील (First Appeal):** 30 दिन की अवधि समाप्त होने या निर्णय प्राप्ति के **30 दिनों के भीतर** प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA — जो PIO से वरिष्ठ अधिकारी होता है) के समक्ष। FAA को **30 दिनों (अधिकतम 45 दिनों)** में निपटारा करना होता है।

• **द्वितीय अपील (Second Appeal):** FAA के निर्णय के विरुद्ध **90 दिनों के भीतर** केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग (CIC/SIC) में।

• **शास्ति / दंड (धारा 20):** यदि PIO बिना उचित कारण के आवेदन लेने से मना करता है, समय पर सूचना नहीं देता, या भ्रामक सूचना देता है, तो सूचना आयोग उस पर **₹250 प्रतिदिन** के हिसाब से अधिकतम **₹25,000** तक का जुर्माना लगा सकता है।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा तत्संबंधी नियमों द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों (ICs) का कार्यकाल पूर्व के 5 वर्ष से घटाकर **3 वर्ष (या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो)** कर दिया गया है और उनके वेतन व सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार को दे दी गई है।

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):
राजभाषा की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है: "चंडीगढ़ और अंडमान-निकोबार किस क्षेत्र में आते हैं?"
ध्यान रखें: **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 'क' क्षेत्र (Region A)** में आता है, जबकि **चंडीगढ़, दमन-दीव और दादरा-नगर हवेली 'ख' क्षेत्र (Region B)** में आते हैं!
उधर, अरुणाचल प्रदेश (जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है) और जम्मू-कश्मीर/लद्दाख **'ग' क्षेत्र (Region C)** में आते हैं।

★ निमोनिक ट्रिक (Mnemonic Trick — 'ख' क्षेत्र के राज्यों/UTs को याद करने का सूत्र):
"गुम-पंच-ददा" -> **गु**जरात, **म**हाराष्ट्र, **पं**जाब, **च**डीगढ़, **द**मन-दीव व **दा**दरा-नगर हवेली।

व्यावहारिक विभागीय केस स्टडी 5 (RTI समय-सीमा, शुल्क एवं धारा 8(1)(j) का अनुप्रयोग):

• **प्रकरण:** एक आवेदक ने 1 मार्च 2026 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के जन सूचना अधिकारी (PIO) को ₹10 के शुल्क के साथ RTI आवेदन देकर दो सूचनाएं मांगीं: (1) स्टेशन पुनर्विकास अनुबंध की प्रति (50 पृष्ठ), और (2) एक महिला रेल कर्मचारी की मेडिकल हिस्ट्री और व्यक्तिगत बैंक खाते का विवरण। PIO ने 10 अप्रैल 2026 (40वें दिन) को पत्र भेजकर आवेदक से 50 पृष्ठों की फोटोकॉपी के लिए ₹100 (₹2 प्रति पृष्ठ) जमा करने को कहा।

• **विश्लेषण एवं समाधान:**

1. **क्या PIO ₹100 की अतिरिक्त फोटोकॉपी फीस मांग सकता है? नहीं! RTI अधिनियम की धारा 7(6)** के अनुसार यदि PIO निर्धारित **30 दिनों की समय-सीमा के भीतर** सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो आवेदक को सारी सूचना **पूर्णतः निःशुल्क (Free of Charge)** प्रदान की जाएगी। 40वें दिन शुल्क की मांग करना अवैध है।

2. **क्या महिला कर्मचारी की मेडिकल हिस्ट्री और बैंक विवरण दिया जाएगा? नहीं!** यह **धारा 8(1)(j) (व्यक्तिगत सूचना / Personal Information)** और **धारा 8(1)(e) (वैश्वासिक संबंध)** के अंतर्गत छूट प्राप्त सूचना है, जिससे किसी बड़े लोकहित (Larger Public Interest) की पूर्ति नहीं होती और यह निजता का अतिक्रमण है (*Girish Ramchandra Deshpande vs. CIC, 2012*)। अतः भाग (1) की सूचना (50 पृष्ठ) निःशुल्क दी जाएगी और भाग (2) की सूचना को धारा 8(1)(j) के तहत अस्वीकार किया जाएगा।

भाग (ख): बुक 23 — 90 पूर्णतः हल किए गए विगत वर्षों के प्रश्न (Solved Chapter-wise PYQs & Numericals)

खंड A: रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 (DAR 1968) एवं आचरण नियम (Q1–Q25)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 किस तिथि से लागू हुए?

• **उत्तर: 1 अक्टूबर 1968।**

• **व्याख्या:** संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए DAR नियम, 1968 को 1 अक्टूबर 1968 से लागू किया गया, जिसने 1961 के पुराने नियमों का स्थान लिया।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. DAR 1968 के किस नियम में सभी 'लघु एवं दीर्घ दंडों (Minor and Major Penalties)' की सूची दी गई है?

• **उत्तर: नियम 6 (Rule 6)।**

• **व्याख्या:** नियम 5 में निलंबन (Suspension), नियम 6 में दंड (Penalties), नियम 7 में अनुशासनिक प्राधिकारी (Disciplinary Authorities), नियम 9 में दीर्घ दंड की प्रक्रिया और नियम 11 में लघु दंड की प्रक्रिया का प्रावधान है।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. यदि कोई रेल कर्मचारी पुलिस हिरासत में कितने घंटे से अधिक रहे तो उसे 'डीम्ड सस्पेंशन (मानित निलंबन)' के अधीन माना जाता है और इसके लिए कौन-सा मानक प्रपत्र जारी होता है?

• **उत्तर: 48 घंटे से अधिक; मानक प्रपत्र SF-2।**

• **व्याख्या:** DAR नियम 5(2) के अनुसार 48 घंटे से अधिक की पुलिस/न्यायिक हिरासत या कारावास होने पर कर्मचारी को हिरासत की तिथि से ही मानित निलंबित माना जाता है और SF-2 जारी किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. निलंबन आदेश (SF-1 या SF-2) की प्रथम समीक्षा (Review of Suspension) अधिकतम कितने दिनों के भीतर की जानी अनिवार्य है?

• **उत्तर: 90 दिनों के भीतर।**

• **व्याख्या:** DAR नियम 5(6) एवं (7) के अनुसार निलंबन की प्रभावी तिथि से 90 दिनों के भीतर समीक्षा समिति की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा न किए जाने पर 90 दिन के बाद निलंबन अमान्य हो जाता है।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. निलंबित कर्मचारी को निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्राप्त करने के लिए प्रत्येक माह कौन-सा प्रमाण-पत्र देना पड़ता है?

• **उत्तर: SF-3 (गैर-रोजगार प्रमाण-पत्र / Certificate of Non-Employment)।**

• **व्याख्या:** IREC Rule 1342(2) के अनुसार निलंबित कर्मचारी को SF-3 में यह प्रमाणित करना होता है कि वह निलंबन अवधि के दौरान किसी भी अन्य रोजगार, व्यापार या पेशे में संलग्न नहीं है।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. दो या दो से अधिक रेल कर्मचारियों के एक ही मामले में संलिप्त होने पर 'संयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही (Common Proceedings)' DAR के किस नियम और किस मानक प्रपत्र के तहत की जाती है?

• **उत्तर: नियम 13 (Rule 13); मानक प्रपत्र SF-10।**

• **व्याख्या:** जब दो या अधिक रेल सेवक एक साथ किसी कदाचार में शामिल हों, तो उन सभी के लिए सबसे उच्च अनुशासनिक प्राधिकारी नियम 13 के अंतर्गत SF-10 जारी करके संयुक्त कार्यवाही का आदेश देता है।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. क्या एक अपीलीय प्राधिकारी (Appellate Authority) अपील की सुनवाई करते समय कर्मचारी को दिए गए दंड को बढ़ा भी सकता है?

• **उत्तर: हाँ, नियम 22(2) के अंतर्गत (परंतु सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद)।**

• **व्याख्या:** DAR नियम 22 के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी दंड की पुष्टि कर सकता है, उसे कम कर सकता है, रद्द कर सकता है या बढ़ा (Enhance) सकता है; किंतु यदि बढ़ाया गया दंड दीर्घ दंड (Major Penalty) है और पूर्व में नियम 9 की जांच नहीं हुई है, तो जांच कराना और कारण बताओ नोटिस देना अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. DAR 1968 के अंतर्गत अपील (Appeal) और पुनरीक्षण (Revision) प्रस्तुत करने की सामान्य समय-सीमा क्या है?

• **उत्तर: दोनों के लिए आदेश प्राप्ति की तिथि से 45 दिन।**

• **व्याख्या:** नियम 20 के अंतर्गत अपील की समय-सीमा 45 दिन है, और नियम 25(5) के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा पुनरीक्षण याचिका (Revision Petition) दाखिल करने की समय-सीमा भी अपीलीय आदेश प्राप्ति से 45 दिन है (स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में अपीलीय प्राधिकारी के लिए 6 माह और महाप्रबंधक के लिए 1 वर्ष की सीमा होती है, जबकि राष्ट्रपति एवं रेलवे बोर्ड पर कोई समय-सीमा लागू नहीं होती)।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. दीर्घ दंड (SF-5) की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरोपी कर्मचारी को अपना अभ्यावेदन (Representation) देने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है?

• **उत्तर: 15 दिन।**

• **व्याख्या:** DAR नियम 10(2) के अंतर्गत जांच अधिकारी (IO) की रिपोर्ट की प्रति आरोपी कर्मचारी को देकर उसे 15 दिनों के भीतर लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के किस नियम में 'सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और पद की गरिमा' का उल्लेख है?

• **उत्तर: नियम 3(1) [Rule 3(1)(i), (ii), (iii)]।**

• **व्याख्या:** लगभग प्रत्येक आरोप-पत्र (SF-5 और SF-11) में कदाचार के लिए नियम 3(1)(i) (सत्यनिष्ठा का अभाव), 3(1)(ii) (कर्तव्य के प्रति निष्ठा का अभाव) या 3(1)(iii) (रेल सेवक के अशोभनीय आचरण) का उल्लंघन लगाया जाता है।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के किस नियम के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को प्रतिबंधित किया गया है?

• **उत्तर: नियम 3C (Rule 3C)।**

• **व्याख्या:** विशाखा गाइडलाइंस (1997) और POSH अधिनियम, 2013 के अनुरूप आचरण नियम 3C में कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न को गंभीर कदाचार घोषित किया गया है।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. यदि किसी रेल कर्मचारी को दीर्घ दंड के रूप में 'सेवा से हटाया (Removal from Service)' जाता है और दूसरे को 'सेवा से बर्खास्त (Dismissal from Service)' किया जाता है, तो दोनों में मूल अंतर क्या है?

• **उत्तर: 'Removal' में कर्मचारी भविष्य में सरकार के अधीन पुनः रोजगार के लिए अयोग्य नहीं होता, जबकि 'Dismissal' में वह भविष्य में किसी भी सरकारी रोजगार के लिए पूर्णतः अयोग्य (Disqualified) हो जाता है।**

• **व्याख्या:** DAR नियम 6(viii) और 6(ix) के अनुसार दोनों में ही पेंशन और ग्रेच्युटी जब्त हो जाती है (अनुकंपा भत्ता को छोड़कर), किंतु भविष्य के सरकारी रोजगार की पात्रता का यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किस नियम के अंतर्गत चलती है और उसमें दंड देने की शक्ति किसके पास होती है?

• **उत्तर: रेल सेवक (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 9 [CCS (Pension) Rules 2021 के नियम 8] के अंतर्गत; दंड देने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है।**

• **व्याख्या:** यदि कर्मचारी के सेवा में रहते हुए SF-5 जारी हो चुका था तो सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाही जारी रहती है; यदि सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाही शुरू करनी हो तो इसके लिए **राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति** आवश्यक है और यह केवल **सेवानिवृत्ति से 4 वर्ष के भीतर की घटनाओं** के लिए ही शुरू की जा सकती है।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. क्या निलंबित रेल कर्मचारी को निलंबन अवधि के दौरान सुविधा पास (Privilege Pass) और PTO दिए जा सकते हैं?

• **उत्तर: हाँ, अनुशासनिक प्राधिकारी के विवेकानुसार (सामान्यतः देय पास का आधा और यदि सेवानिवृत्ति के करीब हो या विशेष परिस्थिति हो तो अनुमति से)।**

• **व्याख्या:** पास नियम 1986 के अनुसार राजपत्रित अधिकारी को कुल देय पास का आधा (या अधिकतम सीमा के भीतर) और अराजपत्रित कर्मचारी को वर्ष में 1 सेट पास व 2 सेट PTO अनुशासनिक प्राधिकारी की अनुमति से दिए जा सकते हैं, बशर्ते मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हो।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. अनुशासनिक कार्यवाही में 'बचाव सहायक (Defence Helper / ARE)' बनने के लिए एक कार्यरत रेल कर्मचारी एक समय में अधिकतम कितने मामलों में और एक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी अधिकतम कितने मामलों में कार्य कर सकता है?

• **उत्तर: कार्यरत कर्मचारी अधिकतम 3 मामलों में और सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी अधिकतम 7 मामलों में** (मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के पूर्णकालिक पदाधिकारी के लिए सीमा अलग होती है)।

• **व्याख्या:** DAR नियम 9(13) के अंतर्गत कोई भी विधि व्यवसायी (वकील) बचाव सहायक नहीं बन सकता, जब तक कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (PO) स्वयं विधि व्यवसायी न हो।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 16. DAR नियम 14(i) के तहत जब किसी कर्मचारी को आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी को क्या करना चाहिए?

• **उत्तर: न्यायालय के निर्णय को पढ़कर आचरण की गंभीरता पर विचार करना और दंड प्रस्तावित करते हुए कर्मचारी को अभ्यावेदन का अवसर देकर उपयुक्त दंड पारित करना।**

• **व्याख्या:** *Union of India vs. Tulsiram Patel* (1985) के निर्णय के अनुसार आपराधिक दोषसिद्धि पर स्वतः बर्खास्तगी अनिवार्य नहीं है; प्राधिकारी को अपराध की प्रकृति देखकर दंड का निर्धारण करना होता है।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 17. लघु दंड आरोप-पत्र (SF-11) मिलने पर कर्मचारी को अपना बचाव कथन (Defence Statement) देने के लिए कितने दिन का समय मिलता है?

• **उत्तर: 10 दिन**।

• **व्याख्या:** SF-11 एवं SF-5 दोनों में ही प्रथम बार आरोप-पत्र का लिखित उत्तर देने के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है (जबकि जांच रिपोर्ट पर अभ्यावेदन के लिए 15 दिन मिलते हैं)।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 18. आचरण नियम 18(2) के अंतर्गत सभी रेल कर्मचारियों को अपनी वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण (AIPR) प्रत्येक वर्ष किस तिथि तक प्रस्तुत करना होता है?

• **उत्तर: 31 जनवरी तक** (पिछले कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति के अनुसार)।

• **व्याख्या:** समय पर AIPR दाखिल न करने पर सतर्कता क्लीयरेंस (Vigilance Clearance) रोकी जा सकती है और अनुशासनिक कार्यवाही हो सकती है।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 19. क्या एक तदर्थ रूप से पदोन्नत अधिकारी (Ad-hoc Promoted Officer) अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग कर सकता है?

• **उत्तर: नहीं!**

• **व्याख्या:** रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार केवल नियमित रूप से नियुक्त या पदोन्नत अधिकारी ही DAR के अंतर्गत वैधानिक अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है; तदर्थ अधिकारी द्वारा जारी दंड आदेश शून्य (Void) हो सकता है।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 20. यदि किसी रेल कर्मचारी को 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement — DAR दंड)' दी जाती है, तो उसे न्यूनतम कितनी पेंशन और ग्रेच्युटी मिल सकती है?

• **उत्तर: पूर्ण स्वीकार्य पेंशन और ग्रेच्युटी का कम से कम 2/3 भाग (दो-तिहाई) से लेकर पूर्ण (100%) तक** (परंतु न्यूनतम पेंशन ₹9,000 प्रति माह से कम नहीं होगी)।

• **व्याख्या:** रेल सेवक (पेंशन) नियम 1993 के नियम 64 के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड देने वाला प्राधिकारी सामान्य से कम दर (किंतु 2/3 से कम नहीं) पर पेंशन या ग्रेच्युटी स्वीकृत कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 21. यदि किसी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त (Dismiss) या हटाया (Remove) जाता है, तो विशेष परिस्थितियों में उसके परिवार के भरण-पोषण के लिए कौन-सा भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है?

• **उत्तर: अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance) — अधिकतम स्वीकार्य पेंशन और ग्रेच्युटी के 2/3 भाग तक।**

• **व्याख्या:** पेंशन नियम 65 (CCS पेंशन नियम 41) के अंतर्गत यदि मामला विशेष सहानुभूति के योग्य हो (भ्रष्टाचार या बेईमानी का न हो), तो अनुशासनिक प्राधिकारी अधिकतम दो-तिहाई तक अनुकंपा भत्ता स्वीकृत कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 22. यदि कोई कर्मचारी निलंबन के दौरान ही सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके विरुद्ध विभागीय जांच जारी रहती है, तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद क्या भुगतान किया जाता है?

• **उत्तर: अनंतिम पेंशन (Provisional Pension — 100%) दी जाती है, किंतु ग्रेच्युटी (DCRG) और पेंशन का कम्यूटेशन अंतिम निर्णय आने तक रोक लिया जाता है।**

• **व्याख्या:** पेंशन नियमों के अनुसार विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित रहने की अवधि में कर्मचारी को अनंतिम पेंशन मिलती है, लेकिन मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (Gratuity) कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही जारी होता है।

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 23. अनुशासनिक जांच में गवाहों से जिरह (Cross-examination) के बाद जब अभियोजन का साक्ष्य समाप्त हो जाता है, तो जांच अधिकारी (IO) आरोपी कर्मचारी से अनिवार्य रूप से क्या पूछता है?

• **उत्तर: DAR नियम 9(21) के तहत 'सामान्य परीक्षण (Mandatory General Questioning)'** — यदि आरोपी ने स्वयं को गवाह के रूप में पेश नहीं किया है, तो IO उससे उसके विरुद्ध आए साक्ष्यों की परिस्थितियों के बारे में सामान्य प्रश्न पूछता है।

• **व्याख्या:** नियम 9(21) का पालन न करने पर पूरी विभागीय जांच प्रक्रिया दूषित (Vitiated) मानी जाती है।

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 24. एक ड्यूटी पर तैनात लोको पायलट या गार्ड के रक्त में अल्कोहल की कितनी मात्रा पाए जाने पर उसे कदाचार माना जाता है?

• **उत्तर: शून्य से अधिक कोई भी मात्रा (Zero Tolerance — ब्रेथ एनालाइजर में कोई भी पॉजिटिव रीडिंग)।**

• **व्याख्या:** रेल सेवा आचरण नियम 22 के अनुसार रनिंग स्टाफ को ड्यूटी पर आने से 8 घंटे पूर्व और ड्यूटी के दौरान मादक पेय लेना पूर्णत: वर्जित है और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पॉजिटिव आने पर सीधे दीर्घ दंड (SF-5) की कार्यवाही होती है।

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 25. क्या एक गवाह, जो उसी मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी भी है, स्वयं उस मामले में दंड आदेश पारित कर सकता है?

• **उत्तर:** *नहीं! (प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत — Nemo Judex In Causa Sua: कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता)।*

• **व्याख्या:** यदि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं घटना का गवाह है या व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है, तो मामले को निर्णय हेतु अगले उच्च प्राधिकारी या समकक्ष तदर्थ अनुशासनिक प्राधिकारी (राष्ट्रपति द्वारा नामित) को भेजा जाता है।

खंड B: RPF नियम 1987 (Rule 70/72), RPF Act 1957 एवं RPUP Act 1966 (Q26–Q45)

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 26. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को किस वर्ष के संशोधन द्वारा 'संघ का सशस्त्र बल (Armed Force of the Union)' घोषित किया गया?

• **उत्तर: वर्ष 1985 (RPF संशोधन अधिनियम, 1985 — 20 सितंबर 1985 से प्रभावी)।**

• **व्याख्या:** मूल RPF अधिनियम 1957 में पारित हुआ था, किंतु 1985 के संशोधन द्वारा इसकी धारा 3 में संशोधन कर इसे संघ का सशस्त्र बल बनाया गया।

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 27. RPF नियम, 1987 के किस नियम के तहत 'सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE)' द्वारा त्वरित पदोन्नति का प्रावधान है?

• **उत्तर: नियम 72 (Rule 72)।**

• **व्याख्या:** RPF नियम 70 में वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता एवं सामान्य विभागीय पदोन्नति परीक्षा का प्रावधान है, जबकि नियम 72 में मेधावी कर्मचारियों को त्वरित पदोन्नति देने हेतु LDCE का प्रावधान है।

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 28. RPF नियम 72 के अंतर्गत आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य श्रेणी (UR) और अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक कितने निर्धारित हैं?

• **उत्तर: सामान्य श्रेणी के लिए 60% और SC/ST श्रेणी के लिए 50%।**

• **व्याख्या:** RPF नियम 1987 के चयन मानदंडों के अनुसार लिखित परीक्षा एवं समग्र मूल्यांकन में सामान्य अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% और आरक्षित वर्ग (SC/ST) को न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 29. RPF अधिनियम, 1957 की किस धारा में यह प्रावधान है कि 'बल का प्रत्येक सदस्य सदैव ड्यूटी पर (Always on Duty) माना जाएगा'?

• **उत्तर: धारा 10 (Section 10)।**

• **व्याख्या:** धारा 10 के अनुसार RPF के अधिकारी और सदस्य हमेशा ड्यूटी पर माने जाएंगे और उन्हें भारत के किसी भी हिस्से में तैनात किया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न #30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 30. RPF अधिनियम, 1957 की किस धारा में बल के सदस्यों के कर्तव्यों (Duties of Members of the Force) का उल्लेख है?

• **उत्तर: धारा 11 (Section 11)।**

• **व्याख्या:** धारा 11 के अनुसार बल के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह सक्षम प्राधिकारी के आदेशों का निष्पादन करे तथा रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की सुरक्षा करे।

अभ्यास प्रश्न #31 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 31. RPF अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत 'बिना वारंट तलाशी (Search without warrant)' लेने के लिए अधिकारी का न्यूनतम रैंक क्या होना चाहिए?

• **उत्तर: सहायक उप-निरीक्षक (ASI — Assistant Sub-Inspector) या उससे ऊपर।**

• **व्याख्या:** RPF नियम और अधिसूचना के अनुसार धारा 13 के तहत बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति ASI और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को प्रदत्त है।

अभ्यास प्रश्न #32 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 32. RPF अधिनियम, 1957 की धारा 20 के अंतर्गत किसी RPF सदस्य के विरुद्ध उसके आधिकारिक कार्य के संबंध में कानूनी कार्यवाही शुरू करने से पहले कितने माह का पूर्व लिखित नोटिस देना अनिवार्य है?

• **उत्तर: 3 माह का लिखित नोटिस** (और कार्यवाही कार्य किए जाने से **3 माह के भीतर** प्रारंभ होनी चाहिए)।

• **व्याख्या:** धारा 20(3) बल के सदस्यों को सद्भावनापूर्वक किए गए आधिकारिक कार्यों के लिए विशेष विधिक संरक्षण प्रदान करती है।

अभ्यास प्रश्न #33 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 33. रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 (RPUP Act) पूरे भारत में किस तिथि से लागू हुआ?

• **उत्तर: 1 अप्रैल 1968।**

• **व्याख्या:** यह अधिनियम 1966 में संसद द्वारा पारित हुआ और केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा 1 अप्रैल 1968 से लागू किया गया।

अभ्यास प्रश्न #34 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 34. RPUP अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अंतर्गत प्रथम अपराध (First Offence) के लिए न्यूनतम और अधिकतम सजा का क्या प्रावधान है?

• **उत्तर: न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास एवं ₹1,000 का जुर्माना (विशेष कारणों के बिना इससे कम नहीं), और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों।**

• **व्याख्या:** द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास एवं ₹2,000 का जुर्माना तथा अधिकतम 5 वर्ष का कारावास निर्धारित है।

अभ्यास प्रश्न #35 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 35. RPUP अधिनियम, 1966 की किस धारा में यह घोषित किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध 'संज्ञेय नहीं (Not Cognizable)' होंगे?

• **उत्तर: धारा 5 (Section 5)।**

• **व्याख्या:** धारा 5 का उद्देश्य यह है कि सामान्य पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के RPUP मामलों में हस्तक्षेप न करे और केवल RPF के अधिकारी ही धारा 6 व 8 के अंतर्गत गिरफ्तारी एवं जांच करें।

अभ्यास प्रश्न #36 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 36. किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 'RPF का अधिकारी साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए उसके समक्ष दी गई संस्वीकृति (Confession) न्यायालय में ग्राह्य है'?

• **उत्तर: बालकिशन ए. देवीदयाल बनाम महाराष्ट्र राज्य (Balkishan A. Devidayal vs. State of Maharashtra, AIR 1980 SC 185)।**

• **व्याख्या:** चूंकि RPF अधिकारी CrPC की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट (चार्जशीट) दाखिल नहीं करता बल्कि मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (Complaint) दाखिल करता है, इसलिए वह पुलिस अधिकारी नहीं है।

अभ्यास प्रश्न #37 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 37. RPUP अधिनियम, 1966 में वर्ष 2012 के संशोधन द्वारा कौन-सी दो धाराओं में महत्वपूर्ण विस्तार किया गया?

• **उत्तर: धारा 3 और धारा 4।**

• **व्याख्या:** 2012 के संशोधन (अधिनियम 25/2012) द्वारा धारा 3 में रेल संपत्ति के स्वामी/प्रभारी द्वारा किए गए आपराधिक विश्वासघात या गबन को और धारा 4 में अपराध के दुष्प्रेरण (Abetment) व षड्यंत्र (Conspiracy) को स्पष्ट रूप से दंडनीय बनाया गया।

अभ्यास प्रश्न #38 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 38. RPF नियम, 1987 में कुल कितने नियम और कितनी अनुसूचियां हैं?

• **उत्तर: 280 नियम (19 अध्यायों में) और 14 अनुसूचियां (Schedules)।**

• **व्याख्या:** RPF नियम 1987 बल के प्रशासन, भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, अनुशासन और जांच प्रक्रिया का संपूर्ण ढांचा निर्धारित करते हैं।

अभ्यास प्रश्न #39 — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 39. RPF नियम, 1987 के किस नियम के तहत किसी RPF सदस्य को 'बिना जांच के (विशेष परिस्थितियों में)' सेवा से बर्खास्त या हटाया जा सकता है?

• **उत्तर: नियम 161 (Rule 161)** (जो संविधान के अनुच्छेद 311(2) के परंतुक और DAR नियम 14 के समकक्ष है)।

• **व्याख्या:** RPF नियम 153 में दीर्घ दंड की जांच प्रक्रिया, नियम 158 में लघु दंड की प्रक्रिया और नियम 161 में विशेष मामलों में बिना जांच के दंड की प्रक्रिया दी गई है।

अभ्यास प्रश्न #40 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 40. RPF नियम, 1987 के अनुसार एक RPF सदस्य को सेवाकाल के दौरान अपने निवास के गृह जिले (Home District) में तैनात किए जाने के संबंध में क्या नियम है?

• **उत्तर: नियम 90 के अनुसार सामान्यतः किसी भी सदस्य को उसके गृह जिले या उससे सटे हुए क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाएगा (अंतिम 2 वर्षों को छोड़कर विशेष अनुमति से)।**

• **व्याख्या:** यह प्रावधान निष्पक्षता और स्थानीय प्रभाव से मुक्ति बनाए रखने के लिए किया गया है।

अभ्यास प्रश्न #41 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 41. रेलवे अधिनियम, 1989 की किस धारा के अंतर्गत 'रेलवे परिसर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना (Trespassing)' दंडनीय अपराध है?

• **उत्तर: धारा 147 (Section 147)।**

• **व्याख्या:** रेलवे अधिनियम 1989 की मुख्य दंडनीय धाराएं: **धारा 137** (बिना टिकट/कपटपूर्ण यात्रा), **धारा 141** (अकारण अलार्म चेन खींचना — ACP), **धारा 144** (अवैध वेंडिंग/हॉकिंग), **धारा 145** (नशा करके उपद्रव/न्यूसेंस), **धारा 146** (रेल सेवक के काम में बाधा), **धारा 147** (अतिक्रमण/Trespass), **धारा 150** (दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रेन को नुकसान पहुंचाना/तोड़फोड़), **धारा 153** (जानबूझकर यात्रियों की सुरक्षा खतरे में डालना), **धारा 156** (छत/सीढ़ियों या इंजन पर यात्रा), **धारा 159** (रेलवे गेटमैन के निर्देश न मानना), **धारा 160** (समपार फाटक/Level Crossing तोड़ना), और **धारा 174** (रेल का रास्ता रोकना/धरना देना)।

अभ्यास प्रश्न #42 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 42. रेलवे अधिनियम, 1989 की किस धारा के अंतर्गत रेलवे की ई-टिकटों की अवैध दलाली (Tout / Touting) करना दंडनीय अपराध है?

• **उत्तर: धारा 143 (Section 143)** — अधिकतम **3 वर्ष का कारावास** या **₹10,000 तक का जुर्माना** या दोनों।

• **व्याख्या:** अनधिकृत रूप से रेलवे टिकटों की खरीद-बिक्री का व्यवसाय करने वालों पर RPF द्वारा धारा 143 के तहत कार्यवाही की जाती है।

अभ्यास प्रश्न #43 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 43. रेलवे अधिनियम, 1989 की किस धारा में महिलाओं के लिए आरक्षित कोच (Ladies Coach) में पुरुष द्वारा अनधिकृत रूप से प्रवेश करने पर दंड का प्रावधान है?

• **उत्तर: धारा 162 (Section 162)** (जबकि दिव्यांगजन कोच में अनधिकृत प्रवेश के लिए **धारा 155** लागू होती है)।

• **व्याख्या:** यह RPF पदोन्नति परीक्षाओं (Rule 70/72) का अत्यंत लोकप्रिय प्रश्न है।

अभ्यास प्रश्न #44 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 44. रेलवे अधिनियम, 1989 की किस धारा में RPF या प्राधिकृत रेल अधिकारी को उपद्रवी या अपराध करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है?

• **उत्तर: धारा 179 (Section 179)** तथा **धारा 180**।

• **व्याख्या:** धारा 179 गंभीर अपराधों (जैसे धारा 150-152, 137-138, 141-147 आदि) में बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति देती है और धारा 180A के तहत नामित अधिकारी जांच करता है।

अभ्यास प्रश्न #45 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 45. RPF के लिए स्थापित केंद्रीय प्रशिक्षण अकादमी 'जगजीवन राम RPF अकादमी (JRRPFA)' कहां स्थित है और इसे किस वर्ष 'केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान (CTI)' का दर्जा मिला?

• **उत्तर: लखनऊ (उत्तर प्रदेश)**; इसकी स्थापना 1955 में हुई और बाद में इसे भारतीय रेल के 8 केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों (CTIs) में से एक का दर्जा दिया गया।

• **व्याख्या:** JRRPFA लखनऊ RPF के राजपत्रित अधिकारियों (IRPFS) और अधीनस्थ अधिकारियों के प्रशिक्षण व साइबर सुरक्षा/आधुनिक पुलिसिंग का शीर्ष संस्थान है।

खंड C: HOER *2005*, पास नियम *1986* एवं छुट्टी नियम *(Q46–Q65)*

अभ्यास प्रश्न #46 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 46. HOER 2005 के अंतर्गत किसी रेल कर्मचारी के कार्य घंटों के वर्गीकरण (Classification) को बदलने की शक्ति किसके पास है और इसके विरुद्ध अपील किसे की जाती है?

• **उत्तर: वर्गीकरण की शक्ति 'प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी (PCPO — Head of Personnel Department)' के पास है, और इसके विरुद्ध अपील 'क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (Regional Labour Commissioner — RLC)' के समक्ष (90 दिनों के भीतर) की जाती है।**

• **व्याख्या:** RLC के निर्णय के विरुद्ध अंतिम अपील भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव (Joint Secretary, Ministry of Labour) के पास की जा सकती है।

अभ्यास प्रश्न #47 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 47. HOER के अंतर्गत 'गहन (Intensive)' और 'निरंतर (Continuous)' श्रेणी के कर्मचारियों को प्रति सप्ताह कम से कम कितने लगातार घंटों का साप्ताहिक विश्राम (Weekly Rest) मिलना अनिवार्य है?

• **उत्तर: कम से कम 30 लगातार घंटे (30 Consecutive Hours)।**

• **व्याख्या:** जबकि 'अनिवार्यतः सविराम (EI)' श्रेणी के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम साप्ताहिक विश्राम **24 लगातार घंटे (एक पूर्ण रात्रि सहित)** है।

अभ्यास प्रश्न #48 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 48. HOER 2005 के अनुसार रनिंग स्टाफ (लोको पायलट/गार्ड) को एक कैलेंडर माह में मुख्यालय पर कितने आवधिक विश्राम (Periodic Rest) दिए जाते हैं?

• **उत्तर: प्रत्येक माह में कम से कम 4 विश्राम (प्रत्येक 30 लगातार घंटों का) या कुल 5 विश्राम (प्रत्येक 22 लगातार घंटों का, जिसमें एक पूरी रात शामिल हो)।**

• **व्याख्या:** यह रनिंग स्टाफ की थकान मिटाने और रेल संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #49 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 49. एक 'निरंतर (Continuous)' श्रेणी के कर्मचारी से एक दिन में अधिकतम कितने घंटे की लंबी रोस्टर ड्यूटी (Long On) ली जा सकती है?

• **उत्तर: अधिकतम 10 घंटे** (जबकि EI श्रेणी में 12 घंटे और Intensive श्रेणी में 8 घंटे से अधिक नहीं)।

• **व्याख्या:** यह सीमा शिफ्ट बदलने या राहत देने के उद्देश्य से ही अनुमत है।

अभ्यास प्रश्न #50 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 50. (न्यूमेरिकल) एक 'गहन (Intensive)' श्रेणी के कर्मचारी ने 2 सप्ताह के औसत ब्लॉक में कुल 96 घंटे कार्य किया। उसकी सामान्य प्रति घंटा वेतन दर ₹500 है। उसका कुल ओवरटाइम भत्ता (OTA) कितना होगा?

• **उत्तर: ₹10,500।**

• **व्याख्या:**

• Intensive श्रेणी के 2 सप्ताह के मानक कार्य घंटे = 42 × 2 = 84 घंटे।

• 2 सप्ताह की वैधानिक सीमा (Statutory Limit) = 45 × 2 = 90 घंटे।

• प्रथम स्लैब (84 से 90 घंटे = 6 घंटे @ 1.5 गुना दर): 6 × (₹500 × 1.5) = 6 × ₹750 = ₹4,500।

• द्वितीय स्लैब (90 से 96 घंटे = 6 घंटे @ 2.0 गुना दर): 6 × (₹500 × 2.0) = 6 × ₹1,000 = ₹6,000।

• **कुल ओवरटाइम भत्ता** = ₹4,500 + ₹6,000 = ₹10,500।

अभ्यास प्रश्न #51 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 51. रेलवे पास नियम, 1986 के अंतर्गत किस अनुसूची (Schedule) में 'सुविधा पास और PTO (Privilege Pass & PTO)' का प्रावधान है?

• **उत्तर: अनुसूची-II (Schedule-II)**।

• **व्याख्या:** अनुसूची-I में ड्यूटी पास (Duty Pass), अनुसूची-II में सुविधा पास व PTO, अनुसूची-III में स्कूल पास, अनुसूची-IV में सेवानिवृत्ति उपरांत मानार्थ पास (PRCP), अनुसूची-V में विधवा पास, अनुसूची-VI में आवासीय कार्ड पास और अनुसूची-VII में विशेष पास (चिकित्सा, खेल, स्काउट, यूनियन आदि) का वर्णन है।

अभ्यास प्रश्न #52 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 52. प्रथम श्रेणी 'A' पास (First Class 'A' Pass) का रंग क्या होता है और इसके धारक को परिचारक (Attendant) के लिए किस श्रेणी में यात्रा की सुविधा मिलती है?

• **उत्तर: सफेद (White) रंग; स्लीपर/द्वितीय श्रेणी में 1 परिचारक मुफ्त ले जाने की सुविधा**।

• **व्याख्या:** प्रथम श्रेणी पास (First Class Pass) का रंग **हरा (Green)**, द्वितीय श्रेणी 'A' पास (II-A Pass — जो अब 3AC के समकक्ष है) का रंग **पीला (Yellow)**, और द्वितीय/स्लीपर श्रेणी पास का रंग **गुलाबी (Pink)** होता है।

अभ्यास प्रश्न #53 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 53. यदि किसी रेल कर्मचारी का फर्स्ट क्लास पास खो जाता है, तो उस पर कितना जुर्माना (आर्थिक दंड) लगाया जाता है?

• **उत्तर: प्रथम श्रेणी सुविधा पास खोने पर ₹35 (ड्यूटी पास खोने पर ₹50) और द्वितीय श्रेणी/स्लीपर सुविधा पास खोने पर ₹10 (ड्यूटी पास पर ₹20)** (अथवा समय-समय पर संशोधित दरें; गोल्ड/सिल्वर/ब्रॉन्ज मेटल पास खोने पर वास्तविक प्रतिस्थापन लागत वसूली जाती है)।

• **व्याख्या:** पास खोने पर तुरंत पुलिस में FIR/NCR दर्ज कराना और कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #54 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 54. एक रेल कर्मचारी के पुत्र को किस आयु तक सुविधा पास में 'परिवार के सदस्य' के रूप में शामिल किया जा सकता है?

• **उत्तर: 21 वर्ष की आयु तक** (परंतु यदि वह मान्यता प्राप्त संस्थान का पूर्णकालिक वास्तविक छात्र / *Bonafide Student* है या शारीरिक/मानसिक रूप से दिव्यांग है, तो 21 वर्ष के बाद भी शामिल किया जा सकता है)।

• **व्याख्या:** अविवाहित पुत्री के लिए कोई आयु सीमा नहीं है (जब तक कि वह स्वयं अर्जित न करने लगे या विवाहित न हो जाए)।

अभ्यास प्रश्न #55 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 55. एक रेल कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने सेट 'स्कूल पास (School Pass)' मिल सकते हैं?

• **उत्तर: 3 सेट प्रति वर्ष (अथवा 6 हाफ-सेट)**।

• **व्याख्या:** स्कूल पास केवल उन बच्चों के लिए देय है जो कर्मचारी के मुख्यालय से दूर किसी अन्य स्थान पर मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय में पूर्णकालिक अध्ययन कर रहे हैं।

अभ्यास प्रश्न #56 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 56. सेवानिवृत्ति के समय नकदीकरण (Leave Encashment) के लिए LAP और LHAP को मिलाकर अधिकतम कितने दिनों की सीमा निर्धारित है?

• **उत्तर: अधिकतम 300 दिन**।

• **व्याख्या:** यदि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के खाते में LAP 300 दिन से कम है, तो कमी को पूरा करने के लिए उसके खाते में उपलब्ध LHAP को जोड़ा जा सकता है (परंतु दोनों का कुल योग 300 दिन से अधिक नहीं होगा)।

अभ्यास प्रश्न #57 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 57. सेवाकाल के दौरान पास/PTO के साथ 10 दिन की LAP का नकदीकरण लेते समय महंगाई भत्ते (DA) के अलावा क्या मकान किराया भत्ता (HRA) भी जोड़ा जाता है?

• **उत्तर: नहीं! केवल मूल वेतन (Basic Pay) + महंगाई भत्ता (DA) ही दिया जाता है; HRA या परिवहन भत्ता शामिल नहीं होता।**

• **व्याख्या:** सूत्र = (Basic Pay + DA / 30) × 10।

अभ्यास प्रश्न #58 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 58. एक रेल कर्मचारी को पूरे सेवाकाल में अधिकतम कितने दिनों की 'लीव नॉट ड्यू (Leave Not Due — LND)' स्वीकृत की जा सकती है?

• **उत्तर: पूरे सेवाकाल में अधिकतम 360 दिन** (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर, जिसे भविष्य में अर्जित होने वाली LHAP से समायोजित किया जाता है)।

• **व्याख्या:** मातृत्व अवकाश की निरंतरता में महिला कर्मचारी को बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के भी LND स्वीकृत की जा सकती है।

अभ्यास प्रश्न #59 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 59. किसी रेल कर्मचारी को 'अध्ययन अवकाश (Study Leave)' एक बार में और पूरे सेवाकाल में अधिकतम कितने माह के लिए दिया जा सकता है?

• **उत्तर: एक बार में अधिकतम 12 माह और पूरे सेवाकाल में सामान्यतः 24 माह** (CHS/IRMS चिकित्सा अधिकारियों के स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु **36 माह** तक)।

• **व्याख्या:** अध्ययन अवकाश के लिए कर्मचारी की कम से कम **5 वर्ष की नियमित सेवा** पूर्ण होनी चाहिए और उसकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 3 वर्ष (36 माह के अध्ययन अवकाश के मामले में 5 वर्ष) शेष होने चाहिए।

अभ्यास प्रश्न #60 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 60. ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में घायल होने पर दिया जाने वाला 'WRIIL (Work Related Illness and Injury Leave — पूर्व नाम: Hospital Leave)' किस स्तर के कर्मचारियों को और कितने वेतन पर देय है?

• **उत्तर: सभी रेल कर्मचारियों को; अस्पताल में भर्ती रहने की पूरी अवधि के लिए 100% पूर्ण वेतन और भत्ते, तथा अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पहले 6 माह तक पूर्ण वेतन (LAP के बराबर) और उसके बाद के 6 माह तक आधा वेतन (LHAP के बराबर)।**

• **व्याख्या:** सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि WRIIL की अवधि कर्मचारी के किसी भी छुट्टी खाते (LAP या LHAP) से **नहीं काटी जाती (Not Debited)**!

अभ्यास प्रश्न #61 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 61. (न्यूमेरिकल) एक नवनियुक्त रेल कर्मचारी ने 15 मार्च 2026 को कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 2026 की प्रथम छमाही (मार्च से जून) के लिए उसके खाते में कितने दिन की LAP और LHAP जमा होगी?

• **उत्तर: 8 दिन LAP और 5 दिन LHAP।**

• **व्याख्या:**

• पूर्ण कलेंडर माह (अप्रैल, मई, जून) = **3 पूर्ण माह** (क्योंकि मार्च में उसने 15 तारीख को जॉइन किया, अतः मार्च पूर्ण माह नहीं है)।

• LAP की गणना = 2.5 दिन/माह × 3 माह = 7.5 दिन → निकटतम पूर्णांक में **8 दिन**।

• LHAP की गणना = (5 / 3) दिन/माह × 3 माह = 5 दिन।

अभ्यास प्रश्न #62 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 62. पुरुष रेल कर्मचारी को अपनी पत्नी की नसबंदी (Tubectomy) होने पर कितने दिनों का 'विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave)' देय है, और स्वयं की नसबंदी (Vasectomy) कराने पर कितने दिन?

• **उत्तर: पत्नी की नसबंदी पर 3 से 7 दिन (नवीनतम नियमों के अनुसार 3 दिन, और प्रसव के तुरंत बाद नसबंदी पर 7 दिन नहीं बल्कि आवश्यकतानुसार), तथा पुरुष द्वारा स्वयं नसबंदी (Vasectomy) कराने पर 5 कार्यदिवस** (महिला कर्मचारी द्वारा स्वयं नसबंदी कराने पर **10 कार्यदिवस**)।

• **व्याख्या:** इसी प्रकार रक्तदान (Blood Donation) करने पर रक्तदान के दिन या अगले दिन **1 दिन** का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलता है (वर्ष में अधिकतम 4 बार)।

अभ्यास प्रश्न #63 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 63. किसी कर्मचारी को एक बार में सभी प्रकार की छुट्टियों को मिलाकर (असाधारण अवकाश सहित) लगातार अधिकतम कितने वर्षों से अधिक छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती?

• **उत्तर: 5 वर्ष (60 माह)**।

• **व्याख्या:** राष्ट्रपति की विशेष स्वीकृति के बिना किसी भी सरकारी/रेल कर्मचारी को लगातार 5 वर्ष से अधिक की छुट्टी नहीं दी जा सकती।

अभ्यास प्रश्न #64 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 64. एक रेल कर्मचारी जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहा है, और जिसकी वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) अगले दिन (1 जुलाई या 1 जनवरी) को देय थी, क्या वह अपनी पेंशन गणना के लिए उस एक काल्पनिक वेतन वृद्धि (Notional Increment) का हकदार है?

• **उत्तर: हाँ!** सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (*Director (Admn. and HR) KPTCL vs. C.P. Mundinamani, 2023*) और कार्मिक मंत्रालय/रेलवे बोर्ड के नवीनतम आदेशों के अनुसार एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन गणना हेतु 1 काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देय है।

• **व्याख्या:** यह हालिया विभागीय परीक्षाओं (LDCE/GDCE 2024–2026) का सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स आधारित सेवा-नियम प्रश्न है।

अभ्यास प्रश्न #65 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 65. दिव्यांग रेल कर्मचारियों (PwBD) को सामान्य आकस्मिक अवकाश (8 दिन CL) के अतिरिक्त प्रति वर्ष कितने दिनों का 'विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave)' देय होता है?

• **उत्तर: 4 दिन अतिरिक्त प्रति वर्ष** (विशिष्ट आवश्यकताओं/चिकित्सा जांच हेतु)।

• **व्याख्या:** अराजपत्रित वर्कशॉप स्टाफ को छोड़ सामान्य कार्यालय कर्मचारियों को 8 दिन CL मिलते हैं, और दिव्यांग कर्मचारियों को 4 दिन अतिरिक्त Special CL मिलती है।

खंड D: GFR *2017*, *राजभाषा नियम 1976* एवं RTI Act *2005* (Q66–Q90)

अभ्यास प्रश्न #66 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 66. GFR 2017 के नियम 149 के अंतर्गत GeM पोर्टल पर बिना कोटेशन या बिना L-1 तुलना के सीधे किसी भी उपलब्ध विक्रेता से अधिकतम कितने मूल्य तक की खरीद की जा सकती है?

• **उत्तर: ₹50,000 तक** (संशोधित सीमा; पूर्व में ₹25,000 थी)।

• **व्याख्या:** ₹50,000 से अधिक और ₹10 लाख तक की खरीद के लिए कम से कम 3 अलग-अलग OEMs के बीच L-1 तुलना अनिवार्य है, और ₹10 लाख से अधिक के लिए ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #67 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 67. GFR 2017 के नियम 155 के अंतर्गत 'स्थानीय खरीद समिति (Local Purchase Committee — LPC)' द्वारा बाजार सर्वेक्षण के माध्यम से खरीद की संशोधित वित्तीय सीमा क्या है?

• **उत्तर: ₹50,000 से अधिक और ₹5,00,000 (₹5 लाख) तक** (पूर्व में ₹25,000 से ₹2.5 लाख थी)।

• **व्याख्या:** LPC में विभाग प्रमुख द्वारा नामित **3 सदस्य** होते हैं जो बाजार का सर्वेक्षण कर मूल्य की तर्कसंगतता प्रमाणित करते हैं।

अभ्यास प्रश्न #68 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 68. GFR 2017 के नियम 161 के अनुसार कितने अनुमानित मूल्य या उससे अधिक की वस्तुओं की खरीद के लिए 'विज्ञापित निविदा पूछताछ (Advertised Tender Enquiry / Open Tender)' जारी करना अनिवार्य है?

• **उत्तर: ₹50 लाख और उससे अधिक** (पूर्व में ₹25 लाख थी)।

• **व्याख्या:** ऐसी सभी निविदाओं को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPPP) और GeM पर प्रकाशित करना अनिवार्य है।

अभ्यास प्रश्न #69 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 69. GFR 2017 के किस नियम में 'अग्रिम धन जमा / बोली सुरक्षा (Earnest Money Deposit — EMD / Bid Security)' का प्रावधान है और इसकी प्रतिशत सीमा क्या है?

• **उत्तर: नियम 170 (Rule 170); निविदा के अनुमानित मूल्य का 2% से 5% तक।**

• **व्याख्या:** सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) तथा DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को बोली सुरक्षा (EMD) जमा करने से पूर्ण छूट दी गई है।

अभ्यास प्रश्न #70 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 70. GFR 2017 के नियम 171 के अंतर्गत 'निष्पादन सुरक्षा (Performance Security)' की राशि अनुबंध मूल्य का कितना प्रतिशत होती है और इसकी वैधता कब तक रहनी चाहिए?

• **उत्तर: अनुबंध मूल्य का 3% से 10% तक; वारंटी दायित्वों सहित सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तिथि से कम से कम 60 दिन आगे तक वैध।**

• **व्याख्या:** सफल बोलीदाता द्वारा अनुबंध मिलने के बाद जमा की जाने वाली निष्पादन सुरक्षा मिलने पर उसकी EMD वापस कर दी जाती है।

अभ्यास प्रश्न #71 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 71. GFR 2017 के अनुसार अचल या चल परिसंपत्तियों/भंडार (Fixed Assets & Consumables) का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कितने समय में किया जाना अनिवार्य है?

• **उत्तर: वर्ष में कम से कम एक बार (Once a year)** (पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए: यदि पुस्तकों की संख्या 20,000 तक हो तो हर वर्ष, 20,000 से 50,000 तक हो तो हर 3 वर्ष में एक बार, और 50,000 से अधिक होने पर 5% नमूना सत्यापन प्रति वर्ष)।

• **व्याख्या:** GFR नियम 213 और 215 के अंतर्गत प्रति वर्ष 1,000 पुस्तकों के निर्गमन पर अधिकतम **5 पुस्तकों (खुले एक्सेस वाले पुस्तकालय में)** की हानि को सामान्य मानकर बट्टे खाते में डाला जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न #72 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 72. संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया?

• **उत्तर: 14 सितंबर 1949।**

• **व्याख्या:** संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है।

अभ्यास प्रश्न #73 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 73. राजभाषा अधिनियम, 1963 कब पारित हुआ और इसमें किस वर्ष व्यापक संशोधन किया गया?

• **उत्तर: 10 मई 1963 को पारित हुआ और वर्ष 1967 में संशोधित किया गया।**

• **व्याख्या:** 1967 के संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि जब तक सभी अहिंदी भाषी राज्यों के विधानमंडल अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प पारित नहीं करते, तब तक हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा।

अभ्यास प्रश्न #74 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 74. राजभाषा अधिनियम, 1963 की कौन-सी धारा जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होती थी?

• **उत्तर: धारा 6 और धारा 7।**

• **व्याख्या:** धारा 6 (राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद) और धारा 7 (उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग) मूल अधिनियम में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर लागू थीं।

अभ्यास प्रश्न #75 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 75. संसदीय राजभाषा समिति (Committee of Parliament on Official Language) में कुल कितने सदस्य होते हैं और इसका गठन किस वर्ष हुआ?

• **उत्तर: कुल 30 सदस्य (20 लोकसभा से + 10 राज्यसभा से); जनवरी 1976 में गठन** (प्रथम समिति 1957 में अनुच्छेद 344(4) के तहत गठित हुई थी)।

• **व्याख्या:** इस समिति के अध्यक्ष परंपरागत रूप से केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और यह समिति अपनी रिपोर्ट सीधे **राष्ट्रपति** को सौंपती है।

अभ्यास प्रश्न #76 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 76. केंद्रीय हिंदी समिति (Kendriya Hindi Samiti) के अध्यक्ष कौन होते हैं?

• **उत्तर: भारत के प्रधानमंत्री।**

• **व्याख्या:** केंद्रीय हिंदी समिति भारत सरकार की राजभाषा नीति के संबंध में दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च नीति-निर्धारक समिति है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि प्रत्येक मंत्रालय की 'हिंदी सलाहकार समिति' की अध्यक्षता संबंधित **केंद्रीय मंत्री** करते हैं।

अभ्यास प्रश्न #77 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 77. राजभाषा नियम, 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देना होता है?

• **उत्तर: नियम 5 (Rule 5)।**

• **व्याख्या:** नियम 5 के अनुसार हिंदी में हस्ताक्षरित आवेदन या हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाएगा।

अभ्यास प्रश्न #78 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 78. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संचालित हिंदी भाषा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का सही क्रम (प्रारंभिक से उच्च स्तर तक) क्या है?

• **उत्तर: प्रबोध (Prabodh) → प्रवीण (Praveen) → प्राज्ञ (Pragya) → पारंगत (Parangat)।**

• **व्याख्या:** मैट्रिक या समकक्ष स्तर की हिंदी जानने वाले या 'प्राज्ञ' परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारी को हिंदी का 'कार्यसाधक ज्ञान (Working Knowledge — नियम 10)' प्राप्त माना जाता है; और वर्ष 2015 में शुरू किया गया **'पारंगत'** पाठ्यक्रम कर्मचारियों को हिंदी में व्यावहारिक रूप से टिप्पण/आलेखन में पूर्णतः दक्ष बनाने के लिए है।

अभ्यास प्रश्न #79 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 79. राजभाषा नियम, 1976 भारत के किस एकमात्र राज्य पर लागू नहीं होते?

• **उत्तर: तमिलनाडु।**

• **व्याख्या:** राजभाषा नियम 1976 के नियम 1(2) के अनुसार इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है।

अभ्यास प्रश्न #80 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 80. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में) जारी करना होता है?

• **उत्तर: 14 प्रकार के दस्तावेज**।

• **व्याख्या:** संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजात, संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर नोटिस और टेंडर फॉर्म।

अभ्यास प्रश्न #81 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 81. हर वर्ष 'विश्व हिंदी दिवस (World Hindi Day)' कब मनाया जाता है और क्यों?

• **उत्तर: 10 जनवरी को**; क्योंकि **10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन** का आयोजन किया गया था (वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है)।

• **व्याख्या:** राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय **मॉरीशस (पोर्ट लुईस)** में स्थित है।

अभ्यास प्रश्न #82 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 82. सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act), 2005 पूरे देश में पूर्ण रूप से किस तिथि से लागू हुआ?

• **उत्तर: 12 अक्टूबर 2005**।

• **व्याख्या:** अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और इसके enactment के 120वें दिन अर्थात 12 अक्टूबर 2005 से यह पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया।

अभ्यास प्रश्न #83 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 83. RTI अधिनियम, 2005 की किस धारा में सभी लोक प्राधिकारियों (Public Authorities) द्वारा 'स्वप्रेरणा से सूचना का प्रकटीकरण (Suo-Motu Disclosure)' करने का प्रावधान है?

• **उत्तर: धारा 4(1)(b) [Section 4(1)(b)]**।

• **व्याख्या:** धारा 4 के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अपने संगठन के कार्यों, शक्तियों, अधिकारियों की निर्देशिका, बजट और वेतनमान आदि से जुड़े 17 बिंदुओं को स्वत: सार्वजनिक करना होता है ताकि जनता को कम से कम RTI लगाने की आवश्यकता पड़े।

अभ्यास प्रश्न #84 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 84. यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के 'जीवन या स्वतंत्रता (Life or Liberty)' से संबंधित है, तो जन सूचना अधिकारी (PIO) को कितने समय के भीतर सूचना देनी होती है?

• **उत्तर: 48 घंटे के भीतर** [धारा 7(1) का परंतुक]।

• **व्याख्या:** सामान्य मामलों में समय-सीमा 30 दिन है, किंतु जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में यह केवल 48 घंटे है।

अभ्यास प्रश्न #85 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 85. RTI अधिनियम, 2005 की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय गुप्तचर और सुरक्षा संगठनों (जैसे IB, RAW, ED, RPF को छोड़कर अनुसूची-II में शामिल अर्धसैनिक बल जैसे BSF, CRPF, CISF, ITBP, NSG, असम राइफल्स आदि) को सूचना देने से छूट दी गई है?

• **उत्तर: धारा 24 (द्वितीय अनुसूची / Second Schedule)** — परंतु **भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन** से संबंधित आरोपों की सूचना इस छूट से बाहर है!

• **व्याख्या:** ध्यान दें कि **RPF (रेलवे सुरक्षा बल)** RTI अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल **नहीं** है, इसलिए RPF पर सामान्य RTI नियम लागू होते हैं (केवल धारा 8 की छूट को छोड़कर)।

अभ्यास प्रश्न #86 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 86. यदि धारा 24 के तहत अनुसूची-II में शामिल किसी सुरक्षा संगठन से 'मानवाधिकार उल्लंघन' से जुड़ी सूचना मांगी जाती है, तो केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद कितने दिनों के भीतर सूचना देनी होती है?

• **उत्तर: 45 दिनों के भीतर** [धारा 24(1) का दूसरा परंतुक]।

• **व्याख्या:** भ्रष्टाचार के मामलों में सामान्य 30 दिन की सीमा लगती है, जबकि मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद 45 दिन की समय-सीमा है।

अभ्यास प्रश्न #87 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 87. RTI अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत दोषी जन सूचना अधिकारी (PIO) पर किस दर से और अधिकतम कितना आर्थिक दंड लगाया जा सकता है?

• **उत्तर: ₹250 प्रतिदिन की दर से अधिकतम ₹25,000 तक**।

• **व्याख्या:** इसके अतिरिक्त धारा 20(2) के तहत सूचना आयोग लगातार चूक करने वाले PIO के विरुद्ध सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न #88 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 88. मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और अन्य सूचना आयुक्तों (ICs) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस समिति की सिफारिश पर की जाती है?

• **उत्तर: 3-सदस्यीय चयन समिति: (1) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), (2) लोकसभा में विपक्ष का नेता, और (3) प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री** [धारा 12(3)]।

• **व्याख्या:** केंद्रीय सूचना आयोग में 1 मुख्य सूचना आयुक्त और **अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त** (कुल 1 + 10 = 11) हो सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न #89 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 89. यदि किसी RTI आवेदन में मांगी गई सूचना का कुछ भाग धारा 8 के तहत छूट प्राप्त (गोपनीय) है और शेष भाग सार्वजनिक किया जा सकता है, तो किस सिद्धांत के तहत छूट वाले भाग को अलग करके शेष सूचना दी जाती है?

• **उत्तर: पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability — धारा 10)**।

• **व्याख्या:** धारा 10 के अनुसार पूरे आवेदन को खारिज करने के बजाय गोपनीय हिस्से को हटाकर (Redact करके) शेष सूचना आवेदक को दी जाती है।

अभ्यास प्रश्न #90 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 90. (न्यूमेरिकल) एक कर्मचारी का मूल वेतन ₹40,000 और DA 50% (₹20,000) है। उसने 14 दिन के एक रात्रि ड्यूटी ब्लॉक में रात्रि 22:00 से प्रातः 06:00 के बीच कुल 48 घंटे रात्रि ड्यूटी की। यदि प्रति 6 घंटे रात्रि ड्यूटी पर 1 घंटे का वेटेज (Weightage) हो और NDA सूत्र (Basic Pay + DA / 200) प्रति वेटेज घंटा हो, तो उसका कुल रात्रि ड्यूटी भत्ता (NDA) कितना होगा?

• **उत्तर: ₹2,400**।

• **व्याख्या:**

• प्रति घंटा NDA दर = (₹40,000 + ₹20,000 / 200) = (₹60,000 / 200) = ₹300 प्रति वेटेज घंटा (चूंकि मूल वेतन ₹40,000 है जो ₹43,600 की पात्रता सीमा के भीतर है)।

• कुल रात्रि ड्यूटी घंटे = 48 घंटे; वेटेज घंटे (1 घंटा प्रति 6 घंटे) = (48 / 6) = 8 घंटे।

• **कुल देय NDA** = 8 × ₹300 = ₹2,400।

भाग (ग): बुक 23 — मास्टर रेफरेंस टेबल (Master Reference Table)

श्रेणी / अधिनियम	नियम / धारा / मानक प्रपत्र	मुख्य विषय / प्रावधान	महत्वपूर्ण सीमा / समय-सीमा / प्राधिकारी
DAR 1968	**नियम 5 (SF-1, SF-2, SF-3, SF-4)**	निलंबन, मानित निलंबन, बेरोजगारी प्रमाण-पत्र, निलंबन वापसी	48 घंटे से अधिक हिरासत पर SF-2; 90 दिन के भीतर समीक्षा अनिवार्य

श्रेणी / अधिनियम	नियम / धारा / मानक प्रपत्र	मुख्य विषय / प्रावधान	महत्वपूर्ण सीमा / समय-सीमा / प्राधिकारी
DAR 1968	**नियम 6 (i से ix)**	लघु दंड (i से iv) एवं दीर्घ दंड (v से ix)	सबसे छोटा दंड: परिनिंदा (Censure); सबसे बड़ा: बर्खास्तगी (Dismissal)
DAR 1968	**नियम 9 (SF-5, SF-7, SF-8)**	दीर्घ दंड की जांच प्रक्रिया, IO एवं PO नियुक्ति	आरोप-पत्र उत्तर: 10 दिन; जांच रिपोर्ट पर अभ्यावेदन: 15 दिन
DAR 1968	**नियम 11 (SF-11, SF-11b)**	लघु दंड की प्रक्रिया एवं विशेष मामलों में मौखिक जांच	संचयी प्रभाव से WIT या >3 वर्ष अवनति पर SF-11b से जांच अनिवार्य
DAR 1968	**नियम 13 (SF-10)**	संयुक्त कार्यवाही (Common Proceedings)	2 या अधिक कर्मचारियों के लिए सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा
DAR 1968	**नियम 14 (i, ii, iii)**	बिना जांच के दंड की विशेष प्रक्रिया (अनुच्छेद 311(2) अपवाद)	आपराधिक दोषसिद्धि, जांच अव्यावहारिक होना, या राज्य की सुरक्षा
DAR 1968	**नियम 18 से 25**	अपील (Rule 18-22) एवं पुनरीक्षण (Revision — Rule 25)	अपील व पुनरीक्षण समय-सीमा: आदेश प्राप्ति से **45 दिन**
आचरण नियम 1966	**नियम 3(1), 3A, 3B, 3C**	सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, शिष्टाचार, सरकारी नीति, यौन उत्पीड़न निषेध	नियम 3C: POSH Act के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (ICC)
आचरण नियम 1966	**नियम 13 एवं नियम 18**	उपहार (Rule 13) एवं चल-अचल संपत्ति (Rule 18)	उपहार सीमा: Gr-A ₹25k, Gr-B ₹15k, Gr-C ₹7.5k; चल संपत्ति: >2 माह मूल वेतन
RPF Act 1957	**धारा 3, 10, 11, 12, 13, 20**	सशस्त्र बल (1985), सदैव ड्यूटी पर, कर्तव्य, गिरफ्तारी, तलाशी, संरक्षण	धारा 13 तलाशी रैंक: **ASI+**; धारा 20 नोटिस अवधि: **3 माह**
RPF Rules 1987	**नियम 70 एवं नियम 72**	नियमित पदोन्नति (Rule 70) एवं LDCE त्वरित पदोन्नति (Rule 72)	अर्हक अंक: सामान्य **60%**, SC/ST **50%**
RPUP Act 1966	**धारा 3, 4, 5, 6, 8, 10**	दंड, षड्यंत्र, असंज्ञेय अपराध, गिरफ्तारी, जांच, तलाशी वारंट	प्रथम अपराध: 1 से 5 वर्ष व न्यूनतम ₹1000; द्वितीय: 2 से 5 वर्ष व न्यूनतम ₹2000
HOER 2005	**Intensive / Continuous / EI**	कार्य घंटे एवं साप्ताहिक विश्राम	मानक घंटे: **42 / 48 / 60-72**; वैधानिक सीमा: **45 / 54 / 75** घंटे/सप्ताह
पास नियम 1986	**अनुसूची I से VII**	सुविधा पास, PTO, स्कूल पास, PRCP, विधवा पास	पास/PTO वैधता: **5 माह**; आश्रित होने पर अधिकतम 2 आश्रित व कुल 5 सदस्य
छुट्टी नियम 1949	**LAP, LHAP, CCL, Maternity**	छुट्टी अर्जन, संचय एवं नकदीकरण	LAP: 30/वर्ष (अधिकतम 300); LHAP: 20/वर्ष (असीमित); CCL: 730 दिन; Maternity: 180 दिन
GFR 2017	**नियम 149, 154, 155, 161, 170, 171**	GeM खरीद, बिना कोटेशन, LPC, ओपन टेंडर, EMD, PBG	GeM सीधी खरीद: ₹50k; L-1: ₹50k–₹10L; LPC: ₹5L; ओपन टेंडर: ₹50L+; EMD: 2-5%; PBG: 3-10%
राजभाषा 1963/76	**धारा 3(3), नियम 2, 5, 10(4), 12**	द्विभाषी दस्तावेज, क-ख-ग क्षेत्र, हिंदी पत्रों का उत्तर, 80% स्टाफ अधिसूचना	धारा 3(3): **14 दस्तावेज**; संसदीय राजभाषा समिति: **30 सदस्य (20 LS + 10 RS)**
RTI Act 2005	**धारा 4, 7, 8(1), 19, 20, 24**	स्वप्रेरणा प्रकटीकरण, समय-सीमा, छूट, अपील, शास्ति	सामान्य: **30 दिन**; जीवन/स्वतंत्रता: **48 घंटे**; प्रथम अपील: 30 दिन; द्वितीय: 90 दिन; दंड: ₹250/दिन (अधिकतम ₹25,000)

क्वालिटी ऑडिट, नियम सत्यापन एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षा (GDCE/LDCE, RPF 70/72, GFR, CCS) बूस्टर पैक

(क) 10 सबसे अधिक भ्रमित करने वाले विभागीय नियम, संशोधन व परीक्षा गलतियाँ

• **1. DAR 1968 में निलंबन (SF-1) बनाम डीम्ड सस्पेंशन (SF-2) और 48-घंटे का नियम:** रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 के **नियम 5** के अधीन **निलंबन कोई शास्ति (Penalty) नहीं है**। यदि कोई कर्मचारी **48 घंटे से अधिक** हिरासत में रहता है तो वह मानद निलंबित (**Deemed Suspension — SF-2**) माना जाता है (सामान्य निलंबन: **SF-1**, निलंबन समाप्ति/बहाली: **SF-4**, समीक्षा: **90 दिनों के भीतर** अनिवार्य)।

• **2. मेजर पेनल्टी (SF-5 — नियम 9) बनाम माइनर पेनल्टी (SF-11 — नियम 11) का अपवाद:** SF-11 में सामान्यतः विस्तृत जाँच नहीं होती, किंतु **नियम 11(1)(b)** के अनुसार यदि वेतन वृद्धि को **3 वर्ष से अधिक** के लिए या **संचयी प्रभाव (Cumulative Effect)** से रोका जाना हो, तो SF-11 में भी नियम 9 की भाँति पूर्ण जाँच (Inquiry) अनिवार्य है!

• **3. RPF Rules 1987 में 'Rule 70' बनाम 'Rule 72' का अंतर:** RPF नियम 1987 में **नियम 70** वरीयता-सह-उपयुक्तता (न्यूनतम 50% अंक) आधारित पदोन्नति है, जबकि **नियम 72** सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (**LDCE**, न्यूनतम **60% अंक**, मेरिट आधारित त्वरित पदोन्नति) है। RPF में दीर्घ दंड प्रक्रिया **नियम 153** और लघु दंड प्रक्रिया **नियम 158** में है।

• **4. HOER 2005 में साप्ताहिक रोस्टर घंटे बनाम वैधानिक सीमा: गहन (Intensive):** रोस्टर **42 घंटे** (वैधानिक **45 घंटे**); **सतत (Continuous):** रोस्टर **48 घंटे** (वैधानिक **54 घंटे**); **अनिवार्यतः सविराम (EI):** रोस्टर **60 या 72 घंटे** (वैधानिक **75 घंटे**); **अपवर्जित (Excluded):** कोई घंटा सीमा नहीं।

• **5. रेलवे पास नियम 1986 में पास की वैधता (5 माह) एवं पात्रता:** हाफ सेट और फुल सेट दोनों सुविधा पासों (Privilege Pass) तथा PTO की वैधता **5 माह** है। राजपत्रित अधिकारियों (Group A/B) को **6 सेट पास + 4 सेट PTO** (सफेद रंग), तथा अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रथम 5 वर्षों में **1 सेट पास** और 5 वर्ष बाद **3 सेट पास + 4 सेट PTO** प्रति वर्ष मिलते हैं।

• **6. LAP संचयन (300 + 15 दिन) एवं सेवाकालीन नकदीकरण (60 दिन):** प्रतिवर्ष 30 दिन LAP (1 जनवरी व 1 जुलाई को 15-15 दिन अग्रिम) मिलता है। सेवाकाल में अधिकतम **60 दिन** (एक बार में 10 दिन, 2 वर्ष के अंतराल पर, 30 दिन शेष रखते हुए) नकदीकरण कराया जा सकता है जो सेवानिवृत्ति के 300 दिनों से नहीं कटता।

• **7. GFR 2017 (संशोधित जुलाई 2024) की नई क्रय सीमाएँ:** सामान्य वित्तीय नियम 2017 (संशोधित 2024) के तहत: **नियम 154 (बिना कोटेशन खरीद): ₹50,000 तक** (पहले ₹25,000 थी); **नियम 155 (स्थानीय क्रय समिति — LPC द्वारा 3 कोटेशन से खरीद): ₹50,000 से ₹5,00,000 (5 लाख रुपये) तक** (पहले ₹2.5 लाख थी); **नियम 149 (GeM पोर्टल):** ₹50,000 तक सीधी खरीद, ₹50,000 से ₹10 लाख तक 3 OEM तुलना से L-1 खरीद, और ₹10 लाख से ऊपर अनिवार्य e-Bidding/Reverse Auction।

• **8. राजभाषा नियम 1976 के 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र एवं तमिलनाडु अपवाद: 'क' क्षेत्र:** UP, MP, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, HP, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, **अंडमान-निकोबार**; **'ख' क्षेत्र: गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन-दीव व दादरा-नगर हवेली**; **'ग' क्षेत्र:** शेष सभी राज्य। **(राजभाषा नियम 1976 तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होते!)**

• **9. आचरण नियम (Conduct Rules) में चल व अचल संपत्ति (नियम 18): अचल संपत्ति** के क्रय-विक्रय हेतु **पूर्व सूचना/अनुमति** तथा प्रतिवर्ष **31 जनवरी** तक वार्षिक विवरण (IPR) देना अनिवार्य है; **चल संपत्ति** का मूल्य **2 माह के मूल वेतन** से अधिक होने पर **1 माह के भीतर** सूचना देनी होती है।

• **10. RTI अधिनियम 2005 में समय-सीमाएँ (धारा 7):** सामान्य सूचना = **30 दिन**; जीवन या स्वतंत्रता = **48 घंटे**; APIO के माध्यम से = **35 दिन**; तृतीय पक्ष (Third Party) = **40 दिन**; प्रथम अपील = **30 दिन**; द्वितीय अपील (CIC/SIC) = **90 दिन**।

(ख) विभागीय परीक्षाओं के लिए मास्टर चीट-शीट सारणी (DAR SF-1 to SF-14, GFR 2024, Leave & Rajbhasha)

नियम श्रेणी / विषय	प्रपत्र / नियम कोड	मुख्य प्रावधान एवं संख्यात्मक सीमाएँ
DAR 1968 के सभी मानक प्रपत्र (SF-1 से SF-14)	**SF-1 से SF-14**	**SF-1:** निलंबन; **SF-2:** डीम्ड सस्पेंशन (>48 घंटे हिरासत); **SF-3:** बेरोजगारी प्रमाणपत्र; **SF-4:** निलंबन बहाली; **SF-5:** मेजर पेनल्टी चार्जशीट; **SF-6:** दस्तावेज अस्वीकृति; **SF-7:** जाँच अधिकारी (IO) नियुक्ति; **SF-8:** प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (PO) नियुक्ति; **SF-9:** (निरसित); **SF-10:** संयुक्त कार्यवाही; **SF-11:** माइनर पेनल्टी चार्जशीट; **SF-12/14:** सेवानिवृत्त कर्मचारी पर कार्यवाही (अपील समय-सीमा: **45 दिन**, नियम 18–20)
GFR 2017 (संशोधित 2024) निविदा व प्रतिभूति नियम	**नियम 149 से 171**	**नियम 154 (बिना कोटेशन):** ₹50,000 तक; **नियम 155 (LPC):** ₹50,000–₹5 लाख; **नियम 162 (Limited Tender):** ₹5 लाख–₹50 लाख; **नियम 161 (Open Tender):** ₹50 लाख व अधिक; **नियम 170 (EMD/Bid Security):** **2%–5%**; **नियम 171 (Performance Security):** **3%–10%**
अवकाश नियम (Leave Rules)	**LAP, LHAP, CCL, ML, PL**	**LAP/EL:** 30 दिन/वर्ष (अधिकतम संचयन **300+15**); **LHAP:** 20 दिन/वर्ष (संचयन असीमित); **मातृत्व अवकाश (ML):** 180 दिन; **पितृत्व अवकाश (PL):** 15 दिन (6 माह के भीतर); **चाइल्ड केयर लीव (CCL):** 730 दिन (2 बच्चों हेतु 18 वर्ष तक)
MACP एवं राजभाषा नियम	**MACP (10-20-30) एवं राजभाषा 1963/1976**	**MACP:** 10, 20 व 30 वर्ष पर 3 वित्तीय उन्नयन ('Very Good' बेंचमार्क); **राजभाषा धारा 3(3):** 14 दस्तावेज अनिवार्य द्विभाषी; **नियम 5:** हिंदी पत्र का उत्तर हिंदी में; **नियम 10(4):** 80% स्टाफ कार्यसाधक ज्ञान पर राजपत्र अधिसूचना; **OLIC बैठक:** वर्ष में 4 (प्रत्येक तिमाही में 1)